राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का चौसठवां दिवस [संख्या : 15

गुरुवार

7 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण

276. **श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पाली जिले में विगत पांच वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों ने "प्रधानमंत्री रोजगार योजना" के तहत जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन किया? कितने बेरोजगारों को योग्य मानकर ऋण देने की सिफारिश जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न बैंकों से की गई? उनमें से कितने शिक्षित बेरोजगार उन बैंकों से ऋण प्राप्त कर रोजगार पाने में सफल हुए?

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में गत पांच वर्षों (वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 तक) में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत 6254 शिक्षित बेरोजगार युवकों द्वारा आवेदन किया गया था। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 4641 युवकों का चयन कर विभिन्न बैंकों को ऋण वितरण करने की अभिशंसा की गई। रोजगार स्थापित करने के लिये 2025 युवकों को बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया गया।

श्री मदन राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या उद्योग केन्द्र द्वारा बेरोजगार की पात्रता जांच विधि एवं बैंक द्वारा पात्रता जांच विधि में अन्तर है? यदि हां, तो असमान विधि स्थापित करके व्यर्थ काम क्यों बढ़ाया जा रहा है? दूसरा, क्या उद्योग केन्द्र द्वारा ऋण वितरण की अभिशंसा के बावजूद बैंकों ने सहयोग नहीं किया ? विगत 5 वर्षों में 6254 में से केवल 2025 को ही ऋण वितरित किया जा सका तो वो कौन-कौन से बैंक हैं जिन्होंने सहयोग नहीं किया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विगत 5 वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पाली के पास प्राप्त आवेदनों में से 10 प्रतिशत बेरोजगार ही रोजगार पा सके तो क्या बोर्ड अयोग्य पात्रों की सिफारिश कर देता है? सिंगल विंडो स्कीम के तहत गत दो वर्षों में 20 प्रतिशत आवेदक ही सफल हो सके तो क्या विभाग द्वारा समय-समय पर की जाने वाली मानिटरिंग की भूल रही? यदि नहीं, तो क्या कारण रहे और क्या कार्यवाही की जा रही है? एक ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, 2003 का लाभ कितने आवेदक पा सके?

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की केन्द्रीय स्कीम है। इसके तहत एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। जी.एम.डी.आई.सी. इसका कन्वीनर होता है। जिला उद्योग केन्द्र, बैंक के तीन अधिकारी इसमें होते हैं। स्माल सर्विसेज इंस्ट्रीट्यूट यह भी केन्द्र सरकार का एक संस्थान है उसका एक व्यक्ति होता है और डिस्ट्रिक्ट एम्पलायमेंट आफिसर इसका सदस्य होता है। इसकी रिकमंडेशन टारगेट से लगभग 25 से 30 प्रतिशत अधिक वो करते हैं और ब्रांच मैनेजर को उसके बाद में इसकी सूची दी जाती है। सम्बन्धित एप्लीकेशन की जांच ब्रांच मैनेजर अपने स्तर पर कर लोन सैंक्शन करने का लैटर इश्यु करता है। लोन सैंक्शन करने के बाद जिनको सैंक्शन होता है उनको 7 से लेकर 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें 150 से 300 रुपये तक का स्टाईफंड दिया जाता है और उसके पश्चात ट्रेनिंग के बाद में डिस्बर्समेंट होता है।

अध्यक्ष महोदय, ये 6254 की जो प्राप्त आवेदनों की संख्या कही है, यह बात सही है कि पांच वर्षों में इतने आवेदन प्राप्त हुए थे। लक्ष्य केन्द्र द्वारा निर्धारित किये गये थे 2548 उसके विरुद्ध 2025 को वितरण हुआ है, ऋण

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सैंक्शन हुआ है और वितरण तो अभी इस साल जो सैंक्शन मार्च तक हुए हैं उसका जून तक ऋण वितरण करने की व्यवस्था है। इस प्रकार पिछले वर्ष लगभग 71 प्रतिशत डिस्बर्समेंट हुआ है। मार्च तक इस वर्ष 40 प्रतिशत डिस्बर्समेंट हुआ है। जून तक हमें उस डिस्बर्समेंट को पूरा करना है। पूरे भारतवर्ष में अगर देखें तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है और इस प्रकार लगभग इस योजना के काफी अच्छे रिजल्टस सामने आये हैं मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता।

श्री मदन राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लक्ष्य 2500 ही था तो 4641 की अभिशंसा क्यों कर दी गयी? उन बेरोजगारों को बैंकों के चक्कर काटने के लिए मजबूर क्यों कर दिया गया? दूसरा मैंने यह पूछा था कि सिंगल विंडो स्कीम में 20 प्रतिशत ही सफलता मिली और खादी ग्रामोद्योग में 10 प्रतिशत ही, इसका उत्तर भी कृपया देने का कष्ट करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत जो आवेदन पत्र संस्तुति करके वहां पर बैंक को भेजे जाते हैं तो बैंकों को ही पात्रता और अपात्रता घोषित करने का अधिकार दे रखा है। इस पात्रता और अपात्रता में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो जरूरतमंद और जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको ऋण नहीं मिल पा रहा है और जो सुविधा शुल्क देकर वो ले लेते हैं उनको ऋण मिल जाता है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो जरूरतमंद और जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनको कुछ व्यवस्था मिल सके और बैंकों द्वारा जो शोषण हो रहा है उसके द्वारा मुक्ति मिल सके।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, पहला विषय उठाया था टारगेट से अधिक इतने युवकों के प्रार्थना पत्र क्यों लिये, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सभी....

श्री मदन राठौड़ : नहीं मैंने क्यों लिये, नहीं कहा, लिये तो आपने 6000 समथिंग लेकिन 4600 की अभिशंसा की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो देने दें मंत्रीजी को। माननीय सदस्य, जवाब देने दीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी : अभिशंसा जिला उद्योग केन्द्र नहीं टास्क फोर्स जो केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गयी है वह करती है और संख्या इसलिए अधिक रखनी पड़ती है कि कई बार ऐसे युवक भी सामने आते हैं जिसने बैंक का ऋण लिया हुआ है और वो पात्र नहीं बनता है क्योंकि रिटर्न नहीं किया है। कई ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें पात्रता उसकी नहीं रहती है। यह अभिशंसा स्वीकृति की नहीं है, इस कैटेगरी के अन्दर इतनी एप्लीकेशंस आयी हैं, जो इस कैटेगरी के अन्दर प्रिटेन करती हैं उसके अन्दर कौन-कौन लोन लेने के लायक हैं क्योंकि केन्द्र सरकार के हाथ में है। जिन बैंकों के द्वारा इस प्रकार का विलम्ब हो रहा है खास तौर पर एक-दो बैंकों का नाम चिन्हित करके और केन्द्रीय मंत्रीजी से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स की बैठक में भी मैंने कहा, पत्र लिख कर भी निवेदन किया...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी बैंकों की दादागिरी है। बैंक द्वारा जिसको चाहे उसको लोन देते हैं और उद्योग केन्द्र वाले इतनी सूची भेजते हैं लम्बी-चौड़ी वो लोन पास करते ही नहीं है बैंक वाले बिना पैसे बिलकुल भी पास नहीं करते हैं और आप सौ की सूची भेजेंगे तो 25 को लोन देंगे। आपका टारगेट ही अगर 4 हजार का है तो 6 हजार की सूची क्यों भेजते हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी : 6 हजार की सूची तो जो कारण बताये हैं उसके आधार पर भेजते हैं।

श्री हेमराज मीणा : आपका टारगेट ही 4 हजार का है और आप 6 हजार की सूची भेजते हैं। इन 6 हजार में जो पैसा देंगे उसका सलेक्शन हो जाएगा जो पैसा नहीं देगा उसका सलेक्शन नहीं होगा। यह हालत कर रखी है इसमें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें

श्री मोहन लाल गुप्त (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की है. लोग चक्कर खाते हुए देखे जाते हैं, जूतियां और एडियां रगड़ते-रगड़ते चले जाते हैं और बैंक मैनेजर आपकी अभिशंसा के बावजूद भी बेरोजगार लोगों को ऋण नहीं दे पा रहे हैं तो कृपया उन बैंकों की सूची बतायें जो लोग डिफाल्टर हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं आखिर उनके लिए क्या व्यवस्था है?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : लक्ष्य प्राप्ति में भी भ्रष्टाचार है. लक्ष्य प्राप्ति में भी वे बैंक भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए मंत्रीजी आप बतायें।

श्री नरपत सिंह राजवी : विराजें तो सही। सुन तो लें। मुझे इतना बड़ा था कि साहब होता ही नहीं है, दूसरा हाथ तो रखने दो.

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बैंक की सूची का प्रश्न है सूची तो मैं साथ लाया नहीं हूं लेकिन बैंक आफ राजस्थान लि. अग्रणी है। आप लोग सब करना चाहें तो कर लें मैंने केन्द्रीय मंत्री को उस बैंक को बदलने के लिए पत्र भी लिखा है उन्होंने मना किया कि अभी इस स्थिति में हम नहीं है कि इस बैंक को राज्य सरकार को यह अनुमति दें कि यह दूसरा बैंक ले लें। केन्द्र सरकार उसकी अनुमति देती है तो मुझे बहुती खुशी होगी। इसमें जो विलम्ब हो रहा है, गड़बडियां हो रही हैं, उनको हम चैक कर पायें, यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है।

जहां तक अधिक संख्या में एप्लीकेशन क्यों ली जाती हैं का प्रश्न है तो अधिक संख्या में नहीं लेकर सिर्फ उतनी ही संख्या में लेते हैं तो टारगेट एचीव नहीं होंगे. सारे के सारे अगर आर.पी.एस.सी. भी एग्जाम लेती है तो उसकी एप्लीकेशंस ज्यादा इन्वाइट करती है कैटगरीज कम से कम लेनी पड़ेगी उसमें अपात्र जितने बैंक के रहते हैं, आप कहते हैं तो इसमें परसेंटेज कम कर सकते हैं 25 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत अधिक ले लेंगे. टारगेट तो केन्द्र ने किया है 2200 का किया है 18200 उससे पहले 16000 था उससे अधिक एप्लीकेशंस तो लेनी पड़ेगी. धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पाली जिले के लिए जो 2548 का लक्ष्य निर्धारित था और 2025 को जो ऋण वितरित किया गया, उक्त अवधि में अनुसूचित जाति/जनजाति का क्या लक्ष्य निर्धारित था और कितने लोगों को ऋण वितरित किया गया?

श्री नरपत सिंह राजवी : इसमें अलग से प्रश्न होता तो मैं पूरी सूची वर्गवार विभाजित करके लाता लेकिन इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हिसाब से अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हुए हैं केन्द्र सरकार के...

इसमें सिर्फ शिक्षित युवकों के लिये, बेरोजगार युवकों का एक मापदण्ड रखा है, इसमें वह भी रखवा दें, मैं वो करने को भी तैयार हूं।

श्री संयम लोढ़ा : आप इसलिए जानकारी नहीं देना चाह रहे हो कि 8 परसेंट भी एस.टी., एस.सी. के लोगों को पाली जिले में ऋण वितरित नहीं हुआ है।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं इस बार जितने टारगेट हैं आप उतनी एप्लीकेशन पहुंचवाने की व्यवस्था कर दें उनको भी कैटेगिरी में ले लेंगे, कहां दिक्कत है।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो यह कहो कि मैं अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि समाज के उन कमजोर तबके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के लिये काम करें। इस तरह से क्या बात हो गई कि मैं लाकर दूं आपको। फिर यह सरकारी अधिकारी किस लिये लगा रखे हैं आपने।

श्री अध्यक्ष : आप बतायेंगे क्या जवाब उन्हें। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, जितनी एप्लीकेशन आयेंगी सरकारी अधिकारियों को सारे निर्देश दिये हुए हैं इसमें किसी की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : आप यह कहो कि कम हुए हैं तो मैं कार्यवाही

(श्री संयम लोढ़ा)

करूंगा उनके खिलाफ यह जो समाज के कमजोर तबके के लोगों के प्रति ऐसे भाव रखते हैं

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : मंत्री महोदय, यह सरकार जब भी कोई अनुसूचित जाति, जनजाति की बात आती है तो अपनी जिम्मेदारी से विमुख क्यों होना चाहती है

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्रीजी क्या जवाब दें, यह तय करेंगे

श्री अशोक बैरवा : आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को जो टारगेट दिये हैं उनकी व्यवस्था कीजिए आप उनके अधिकारों का शोषण करते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित करके बात कीजिए। सीधे मंत्रीजी से नहीं

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक प्रश्न माननीय मंत्रीजी से पूछ रहा हूं। अब यह कह दें कि मैं तैयारी करके नहीं आया, आप स्थगित करवा दीजिए, आप कल जवाब दिलवा दीजिए एस.टी.एस.सी. के सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते. आप क्यों जवाब नहीं देना चाहते।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति के बेरोजगार युवकों का मामला है और उनके साथ प्रदेश में सब जगह नाइंसाफी होती है, सब जगह भेदभाव होता है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न अलग है। आपने अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये पूछा है जबकि इसमें केवल शिक्षित बेरोजगारों का है उसमें वह भी शामिल होंगे, शिक्षित बेरोजगारों में होंगे तो वह भी आयेंगे

श्री संयम लोढ़ा : मैं प्रश्न की सीमा के भीतर उसी जिले के बारे में जिसके बारे में सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है उसी के बारे में पूछ रहा हूं अगर इतनी भी माननीय मंत्री तैयारी करके नहीं आयेंगे तो सदन में प्रश्न पूछने का क्या औचित्य रहेगा

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की तैयारी पूरी है। आपने अलग से पूछा है। (व्यवधान) एस.टी., एस.सी. का है ही नहीं अलग से प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा : आप स्थगित कर दें, अगली बार लगवा दीजिए आप।

श्री नरपत सिंह राजवी : ऐसे कैसे स्थगित कर दो।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ बैंकों के द्वारा जो शो .ण किया जा रहा है उसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या पुख्ता व्यवस्था करती है, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है। केन्द्र सरकार के ऊपर टालकर क्या राज्य सरकार अपने लोगों का शोषण होने देगी जो बैंकों के द्वारा उनका शो .ण किया जा रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि बैंक आफ राजस्थान ने अपने टारगेट पूरे नहीं किये हैं। बैंक आफ राजस्थान के पास जो 500-700 हजार है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। उसके अलावा अन्य बैंकों की सूची यदि हो तो वह सदन जानना चाहेगा कि आखिर बैंक मैनेजर क्या कर रहे हैं। बैंकों की सोशियल रेस्पोंसेबिलिटी क्या है, वह बेरोजगारों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लोन सेंक्शन कर देते हैं और बेरोजगारों को लोन सेंक्शन कराने के लिये चक्कर खाने पड़ते हैं। असल समस्या तो वही है कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लोन सेंक्शन हो जाते हैं और छोटे मोटे बेरोजगार लोग वहां चक्कर खाते रहते हैं। मंत्री महोदय उन बैंकों पर आप क्या कार्यवाही करेंगे यह बतायें और उनकी सूची सदन की पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिन आवेदकों के लोन के आवेदन को स्वीकृत करके बैंक को भेज दिया जाता है और बैंक एक निर्धारित समय में उस पर कार्यवाही नहीं करता है

(श्री वीरेन्द्र बनीवाल)

क्या ऐसा में परिवर्तित करने का अधिकार जिला उद्योग केन्द्र रखता है कि नहीं रखता है। क्योंकि बार-बार बात आती है भ्रष्टाचार की। बैंक के अधिकारी उस आवेदक को चक्कर कटवाते रहते हैं और समय सीमा समाप्त हो जाती है तो क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान किये जाने का विचार रखते हैं या ऐसा कोई प्रावधान है तो कृपया आप बतायें।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीमा का प्रश्न है यह बात सही है कि जो मार्च में ऋण स्वीकृत हुए हैं उसकी केन्द्र सरकार ने जून तक अवधि बढ़ाई है और प्रक्रिया क्योंकि यह 1993 से चल रही है, लगभग दिसम्बर तक एक्सटेंड होते हैं लेकिन इस बार हमने यह निर्देश दिये हुए हैं कि अधिकांश जितने भी हैं प्रोसेस करके उनको वितरण जून तक हो जाये ताकि दिसम्बर तक उनको कैरी फारवर्ड नहीं करना पड़े। इसमें यह भी मैंने निर्देश दिया है कि एक महीने में जितनी भी एप्लीकेशन भेजी हैं अगर बैंक अस्वीकृत करता है या स्वीकृत करता है इन दोनों में से अगर नहीं करता है तो उस बैंक के बारे में केन्द्र सरकार को दुबारा लिखें। लेकिन राज्य सरकार बैंक पर डाइरेक्टली बैंकिंग एक्ट के तहत कोई एक्शन नहीं ले सकती। केन्द्रीय सरकार आर.बी.आई. के माध्यम से ले सकती है। मैंने केन्द्रीय मंत्रीजी से चर्चा की है, पत्र भी लिखा है लेकिन केन्द्रीय मंत्रीजी जब तक उससे सहमति जतायें तब तक मैं उसमें सहयोग करने में असमर्थ हूं। लेकिन टारगेट समय पर अचीव हो, समयबद्ध कार्यक्रम करने की मैं व्यवस्था कर सकता हूं, निश्चित तौर पर करूंगा।

बारां जिले में श्मशान स्थल हेतु भू-आवंटन

277. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में चरागाह, श्मशान, कब्रिस्तान की भूमि पर कहां कहां, कितने-कितने वर्षों से व कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कब्जे कर रखें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कलक्टर बारां को अवैध कब्जे हटाने हेतु गत 5 वर्षों में

(श्री हेमराज मीणा)

जनप्रतिनिधियों व जनता द्वारा कब-कब कितने प्रार्थना पत्र दिये गये? प्राप्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई व कितने कब्जे हटवाये गये? यदि नहीं, तो क्यों।

(4) जिला बारां में ऐसे कितने गांव हैं जहां अब तक श्मशान भूमि का आबंटन नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सार्वजनिक स्थलों की भूमि से कब्जे हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार उन गांवों में भूमि आबंटित करने का विचार रखती है जहां पर श्मशान हेतु भूमि आबंटित नहीं है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित किया जाता है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह, नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) आपका प्रश्न स्थगित किया गया 15 दिन का और समय चाहा है सरकार ने।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो स्थगित हो। केवल बारां जिले का सवाल है। यह तो जिला प्रशासन की लापरवाही है जिसके कारण से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कब्रिस्तान का है, श्मशान की भूमि का है और चरागाह भूमि का है जो काश्तकार की बिलकुल आवश्यकता की चीजें हैं। इतना लम्बा-चौड़ा सवाल भी नहीं है जो इसको स्थगित किया जावे। इसको कराएं या इसी सेशन में इसको लगायें अगर इसको स्थगित करते हो तो। फिर माननीय सदस्य का क्या अधिकार रहा। सवाल लगने के बाद उसको स्थगित कर दो और अगले सेशन में उसका जवाब आयेगा, घर पर आयेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। 15 दिन का समय सरकार ने और चाहा है उसका उत्तर देने के लिये। मैं चाहूंगी कि सरकार आपके प्रश्न का जवाब लिखित में जब प्रश्न का जवाब आ जायेगा तब आपको उससे सूचित कर दें।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन में तो हाउस ही खतम हो जायेगा आप 7 दिन का टाइम दें, इस सवाल को हाउस के बीच में लायें।

श्री अध्यक्ष : ओलावृष्टि में और उसमें लगी हुई है प्रश्न लगा हुआ है

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बड़े मुश्किल से लगता है उसके बाद वह स्थगित हो जाता है

श्री अध्यक्ष : यह कोई नई बात थोड़े ही है प्रश्न स्थगित होते ही हैं, आप तो सवाल जवाब करने लगे। श्री पुष्पेन्द्र सिंह

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लग गया था और मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं, एक लाइन में ही बता रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम राजस्थान बैंक के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते, फलानां बैंक के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न आ गया, आप क्या कह रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं यह कह रहा हूं कि जितनी सरकारी डिपोजिट हैं जो बैंक हमारी पालना नहीं करते हैं, लोगों को लोन नहीं देते हैं तो सरकारी डिपाजिट उनसे निकाल ली जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह ।

बाली के विधायक अनुशंसा पर कराये गये निर्माण कार्य

278. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन सड़क निर्माण, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने, पुनः डामरीकरण, पेचवर्क सीमेंट सड़क निर्माण, मीडीयन व नाला निर्माण, नदियों पर रपट निर्माण, पुलिया, काजवे निर्माण के लिये वर्ष 2003-05 के दौरान क्षेत्रीय विधायक से सरकार को किस-किस तिथि को कितने पत्र प्राप्त हुए? प्राप्त पत्रानुसार कार्यों की सूची एवं पत्रों की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौनसा कार्य पूर्ण किया जाना शेष है? पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें

(3) क्या सरकार जनहित में शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) वर्ष 2003-05 के दौरान क्षेत्रीय विधायक श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को 23 पत्र प्राप्त हुए। दिनांकवार व कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर एवं पत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) प्राप्त पत्रों के अनुसार कुल 33 कार्यों को कराने की अभिशंसा विधायक महोदय द्वारा जारी की गई है, जिसमें से पूर्ण/स्वीकृत 5 कार्य, प्रस्तावित/विचाराधीन 9 कार्य, शेष अस्वीकृत/अपूर्ण 19 कार्यों की सूची क्रमशः परिशिष्ट स, द, य पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। यह राज्य सरकार के उपलब्ध वितीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखं. गयी)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बात तो जितने भी मैंने पत्र लिखे हैं आपने उसका पूर्ण रुप से जवाब दिया है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि 2003....

श्री अध्यक्ष : जो पत्र आपने लिखे हैं वह सब काम पूरे कर दिये हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : नहीं, सब काम पूरे नहीं किये हैं। उनका जवाब सभी पत्रों का आया है। जो पत्र मैंने 11.2 को लिखा है उस पर मैंने अनुशंसा जाहिर की कि सरकार ने सभी विधान सभा क्षेत्रों में मिसिंग लिंक के तहत 15-15 किलोमीटर सभी विधान सभा को दी। जब मैंने पत्र लिखा कि मेरे यहां बेड़ा से बाकराड़ी 8 किलोमीटर, दातीवाड़ा से पांचलवाड़ा 5 किलोमीटर और आमलीया से ठंडीवेरी 2 किलोमीटर आपके विभाग से स्वीकृत हुई है दातीवाड़ा से पाचलावाड़ा साढ़े 3 किलोमीटर, ठंडीवेरी से आमलीया ड़ेढ़ किलोमीटर और

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बेडा से काकराडी 8 किलोमीटर मैंने लिखा है 15 किलोमीटर जो स्वीकृत है 13 किलोमीटर किया है। शेष 2 किलोमीटर को आपने स्वीकृत नहीं किया है। दातीवाड़ा से पंचलवाड़ा जो सड़क है उसकी आज लम्बाई 5 किलोमीटर है, आपने वह अधूरी सड़क बनाई है और जो भी आपने उसमें तकमीना बनाया है वह भी विभाग ने बिलकुल ही अधूरा तकमीना बनाया है

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें भाषण नहीं

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : जो नाले हैं, वह 10-12 नाले हैं, उन 10-12 नालों को उन्होंने तकमीना में लिया ही नहीं और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है और यह रपट नहीं बनेगी तो निश्चित तौर से जो सड़क आपने बनाई है वह बिलकुल जल्दी ही टूट जायेगी।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि बाली से पिनवाड़ा जो सड़क है वह हमारी एक मुख्य सड़क है। हमारी विधान सभा की लगभग 75 प्रतिशत कांस्टीट्युएंसी इस रोड पर आती है। मैंने बार-बार आपको पत्र लिखा है कि किसी भी माध्यम से, यह एम.डी.आर. सड़क है इस सड़क को स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत करके इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाये। इस पर किसानों का काफी आना जाना रहता है इससे उनको राहत पहुंचेगी।

दूसरा, एक फालना नगरपालिका में जो नेशनल हाइवे 8 को और नेशनल हाइवे 14 को जोड़ता है वहां बाजार की स्थिति, फालना नगरपालिका गोड़वाड़ का द्वार कहते हैं लगभग सभी रेलवे की ट्रेनें वहां रुकती हैं पूरे पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई आई है रेलवे की यह फालना से है। वहां हालात ऐसे हैं कि लोग चल नहीं सकते इतना ज्यादा ट्रैफिक की वहां पर अव्यवस्था है, अगर रोड चौड़ा हो जाए, लोगों के लिए और रोड बिलकुल दुकानों के पास लग जाए तो लोगों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था होगी यह आप काम कराने की व्यवस्था कराएं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों की चर्चा माननीय सदस्य ने की है वह सारी मीसिंग लिंक दिसम्बर, 2003 को स्वीकृत हुई थी। आपके द्वारा पत्र उस वक्त दिया गया था उसके अनुसार उन सड़कों की चौड़ाई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमने जो बताई और जो तकमीना बनकर स्वीकृत हुआ उसमें निश्चित तौर पर सड़क कम स्वीकृत हुई।

माननीय सदस्य ने जिन सड़कों की चर्चा की है यह कार्य चूंकि पूर्व में स्वीकृत हुआ था और कार्य पूर्ण हो गया है और इसमें भी शक नहीं है कि इस पूरे कार्य में कुछ बचत भी है, तो निश्चित तौर पर आपने जो सुझाव दिए हैं, आपकी एक सड़क के विशेष तौर पर यह जो आमलिया से ठण्डी बेरा, इसके अन्दर आपने चाहा कि यह सड़क पहले ढ़ाई किलोमीटर की स्वीकृत हुई और उसके बाद डेढ़ किलोमीटर बनी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : दांतीवाड़ा से पाचलवाड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क है इसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्दर एक किलोमीटर सड़क बनाई गई थी, सड़क की लम्बाई जो पहले ढ़ाई किलोमीटर थी वह डेढ़ किलोमीटर हो गई। आपने जो दांतीवाड़ा से पाचलवाड़ा सड़को की बात कही इस सड़क के अन्दर भी हमारे पास कुछ बचत है। निश्चित तौर पर जो सडक अधूरी रह गई उसके प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजूंगा और कोशिश यह करेंगे कि जो सड़क अधूरी रह गई है उस सड़क का निर्माण पूरा हो।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक सड़क की चर्चा की है बाली से पिंडवाड़ा। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क 53 किलोमीटर की है। बाली से सेवाड़ी यह 12 किलोमीटर ओडीआर और 12 किलोमीटर से 53 तक यह एमडीआर है, तो निवेदन यह है कि इसमें 7 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण हाल ही में हो गया है बाकी सड़क जो 35 किलोमीटर बचती है इसका सीआरएफ के अन्दर 156 लाख रुपये का प्रस्ताव विभाग ने बनाकर भेजा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्नगत सड़कों की चर्चा की है इन सड़कों के बारे में निश्चित तौर पर हमारे संसाधनों को देखते हुए, चूंकि मीसिंग लिंक के अन्दर जिन सड़कों को आपने पूर्व में प्रस्तावित किया था और जो पूरी स्वीकृत नहीं हुई है, उसके अन्दर अधूरी स्वीकृत हुई, तो इसकी मैं पूरी जानकारी प्राप्त करके, किस आधार पर पूर्ण लम्बाई स्वीकृत नहीं की गई और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें जो बचत है उस बचत का प्रस्ताव बनाकर आपकी जो अधूरी सड़क है उसको पूरा कराने का प्रयास करूंगा

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि लगभग दो महीने पूर्व रोड रिपेयरिंग के टेण्डर निकले थे और रोड रिपेयरिंग के कार्य 3 अप्रैल तक पूर्ण करने की अवधि दी गई मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार रोड रिपेयरिंग के कार्य स्वीकृत हैं, उनके टेण्डर भी हो गए

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री रामलाल शर्मा : और मुझे नहीं लगता कि 3 अप्रैल...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : 31 अप्रैल तो होती ही नहीं.... (व्यवधान) पूरे होयेंगे ही नहीं वह तो

श्री अध्यक्ष : अलग से पूछ लेना. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 31 मार्च बोलो।

श्री रामलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का श्रम करेंगे कि 30 अप्रैल तक वह पूर्ण होंगे या नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिन चार सड़कों की इन्होंने चर्चा की है और इन्होंने कहा कि जो निश्चित समय है उस समय में सड़क पूरी नहीं होगी, तो मैं इनसे पूछ भी लूं कि कौन-कौनसी सड़क है और मैं विभाग को निर्देशित करूंगा कि निश्चित समयावधि में सड़क का काम पूरा हो जाए।

प्रश्न संख्या-279

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अकाल राहत में कई रोड्स का निर्माण हो रहा है किन्तु मैटेरियल कम्पोर्नेट नहीं होने से पक्के काम नहीं हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 280, श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री शांतिलाल चपलोत : क्या मंत्री महोदय मैटेरियल कम्पोर्नेट अकाल राहत में देने का कष्ट करेंगे जिससे रोड्स का सुदृढ़ीकरण हो सके। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाया, अब भी हाथ उठाया, आप ध्यान हीं नहीं दे रहे, (व्यवधान) बोलने का मौका दें। या तो खड़े होकर बोलना शुरू हो जाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा।

सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पद

280. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर में शिक्षा प्रसार अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार शिक्षा प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : (1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर में दो शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त हैं। विभागीय चयन समिति एवं लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 11 तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 244 पद रिक्त हैं, रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) अध्यापकों के पदों को भरने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट- देखें)

श्री अर्जुन लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पंचायत समिति सलूम्बर में एसडीआई का एक भी पद भरा हुआ नहीं है, सभी पद रिक्त हैं। यह दो वर्ष से रिक्त चल रहे थे। पिछले एक वर्ष में, जो एक एसडीआई कार्यरत थे उनका भी स्थानान्तरण दूसरी जगह हो गया उनकी जगह जो आने वाले थे वह नहीं आये। वर्तमान में पंचायत समिति सलूम्बर में एक भी एसडीआई का पद नहीं भरा हुआ है, इससे क्षेत्र में प्रोपर मोनीटरिंग नहीं हो पा रही है तथा क्षेत्र में शिक्षा शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में, जहां भी आफिस में 3-3, 4-4 एसडीआई लगे हुए हैं और सलूम्बर में एक भी एसडीआई नहीं है, क्या मंत्री महोदय जब तक आरपीएससी और इसके माध्यम से नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था से पद भरने की व्यवस्था करेंगे?

दूसरा प्रश्न यह है कि सलूम्बर पंचायत समिति में द्वितीय श्रेणी के 11 पद रिक्त हैं और तृतीय श्रेणी के 244 पद रिक्त हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में मुझे ज्ञात हुआ है कि 358 पद द्वितीय श्रेणी के रिक्त चल रहे हैं, क्या मंत्री इन सभी 358 पदों को भरने की मंशा रखते हैं?

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

अभी पिछले सप्ताह में द्वितीय श्रेणी के जो साक्षात्कार हुए हैं केवल 66 पदों के लिए हुए हैं तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के बैकलाग जो द्वितीय श्रेणी में चल रहा है उसको भरने की मंशा रखते हैं?

श्री वासुदेव देवनानी : एसडीआई के पदों का, सलूम्बर में 3 पद स्वीकृत हैं। एक पद पर अभी स्थानान्तरण हुआ है, जिसका स्थानान्तरण हुआ है वह रिलीव हो गए हैं लेकिन ज्वाइन जिसको करना था वह बहुत जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। अत: एक पद तो शीघ्र भर दिया जाएगा। दूसरे पदों को भरने के लिए प्रथम श्रेणी के अध्यापकों को वहां प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। प्रथम श्रेणी के अध्यापकों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 1407 पदों को आरपीएससी द्वारा विज्ञापित किया गया है, 500 पदों की डीपीसी हो चुकी है बाकी की डीपीसी चल रही है। बहुत जल्दी हम इस ओर व्यवस्था करेंगे कि इनके पदों को हम भर सकें।

जहां तक तृतीय श्रेणी के पदों की बात है, उदयपुर में 8763 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1338 रिक्त हैं। सलूम्बर में 244 पद रिक्त हैं, आरपीएससी के द्वारा जो 33936 पदों की प्रक्रिया जारी है उसमें से कल तक हम 17,000 पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, बाकी पदों के लिए जारी है।

सलूम्बर में भी 39 पद भरे जा चुके हैं, शेष पद बहुत जल्दी इस प्रक्रिया के द्वारा जैसे ही 38,000 पद भरे जाएंगे तो सलूम्बर में भी हम सारी कमियां पूरी कर पाएंगे इतना मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री अर्जुन लाल मीणा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक प्रश्न इसमें मेरा भी है कि तीन ऐसे गांव हैं जहां पर प्राथमिक शाला के अन्दर पांच अध्यापकों की कमी आई, क्या कोई अध्यापक नहीं है? प्राथमिक शाला में पांच से ज्यादा तो क्या होंगे, तो पांच-पांच की जहां कमी है तो क्या वहां कोई नहीं पढ़ा रहे, बच्चे कैसे आते हैं, क्या करते हैं जरा यह भी बता दें।

श्री वासुदेव देवनानी : अब नई नियुक्तियों पर सबसे पहले उन पदों को भरेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि द्वितीय श्रेणी के टीचर्स के अभाव में (व्यवधान) द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के अभाव में बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं में एक-एक अध्यापक बैठा हुआ है। मेरे यहां गांव मण्डा के अन्दर बालिका विद्यालय में 600 बालिकाओं के ऊपर एक तृतीय श्रेणी का अध्यापक है वह स्कूल को चला रहा है, मिडिल स्कूल को। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उसमें से द्वितीय श्रेणी का कोई अध्यापक लगाने जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सलूम्बर (व्यवधान) आप कहां चले गए? बात सलूम्बर की चल रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी प्रश्न पूछा कि प्राइमरी में पांच से ज्यादा अध्यापक होंगे क्या. यह सही स्थिति है कि आदिवासी इलाके में बहुत से स्थानों पर इस प्रकार की स्थिति थी, हमने व्यवस्था करके वहां जाकर कहा कि जब तक नये अध्यापक नहीं लग जाते हैं तब तक गेस्ट फैकल्टी में जो ट्रेंड लोग नहीं हैं उनको वहां लगाया जाए और जो ट्रेंड लोग गेस्ट फैकल्टी में लगा रखे हैं उनको हमने रिक्त पद ही माना हुआ है इसलिए वहां अध्यापन कार्य में बाधा नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2500 पद जो केवल आदिवासी जो क्षेत्र हैं उसमें 45 प्रतिशत आरक्षण इन्हीं आदिवासी लोगों का है, तो उनके लिए अभी रिजल्ट निकल गया है तो जो पद अभी खाली पड़े हैं वह उनके लिए हैं।

इस प्रकार से 1905 द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है, इंटरव्यू हो चुके हैं। उनके सारे इंटरव्यू हो चुके हैं। उनकी नियुक्ति होने वाली है। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी अध्यापक के जो पद खाली हैं उनकी डी.पी.सी. हो गयी है और उनका आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन भी हो रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस शिक्षा सत्र की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समाप्ति तक राजस्थान में 33937 तृतीय श्रेणी के, 1905 द्वितीय श्रेणी के और 1400 प्रथम श्रेणी के अध्यापक, इन अध्यापकों को शिक्षा सत्र तक पूर्ण किया जाएगा और राजस्थान में 40 हजार लोगों को और अध्यक्ष महोदय, मैंने आदेश दिया है, जितने भी प्रमोशन हो रहे हैं वे सारे ग्रामीण क्षेत्र में लगेंगे, जितने अध्यापक आये हैं वे सब ग्रामीण क्षेत्र में लगेंगे। शहर से भी जिनका प्रमोशन होगा वे ग्रामीण क्षेत्र में लेगेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में इस साल 40 हजार कम से कम अध्यापक इस शिक्षा सत्र की समाप्ति तक नियुक्त हो जाएं, यह व्यवस्था मैं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु कार्यवाही

281. डा. चन्द्रेशखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु कोई कारगर कार्यवाही नहीं करने के कारण बालिका भ्रूण हत्या में कमी नहीं आयी है? यदि नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में गत एक वर्ष में बालिका भ्रूण हत्या के कितने प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात क्या है? जिलेवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जी नहीं। प्रदेश में वर्ष 1991 में पुरुष महिला अनुपात 910 था। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 1.1.1996 को लागू गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीक (लिंग चयन प्रति. धि) अधिनियम, 1994 को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.1996 से प्रदेश में प्रभावशील करने के बाद वर्ष 2001 में पुरुष महिला अनुपात 910 से बढ़कर 921 हुआ है। गत वर्ष में बालिका भ्रूण हत्या का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(2) राज्य में वर्तमान (2001 की जनगणना) में पुरूष व स्त्रियों का अनुपात 1000:921 है। जिलेवार तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो जनगणना 2001 है उसके अनुसार 2 तरह की गणना की गयी। एक तो गणना यह की गयी कि ओवर आल सैक्स-रेश्यो क्या है, जो कि आपने बताया यह 921 है और दूसरा है चाइल्ड सैक्स-रेश्यो क्या है, जिसमें 6 साल तक के जितने भी बच्चे राजस्थान में हैं उसमें बालिका और बालकों के बीच का अनुपात क्या है, यह मेरा प्रश्न संख्या एक है। क्योंकि आपने पहले खण्ड के उत्तर के अन्दर जो इल्लाजिक कन्क्लूजन निकाला है कि इस नियम का हवाला देते हुए, सरकार ने जो कानून बनाया था उसमें अनुपात में सुधार आया है, वह सुधार नहीं आया है। क्योंकि जो चाइल्ड सैक्स-रेश्यो है वह पहले की बनिस्बत बहुत कम हुआ है। तो कृपया आप यह बताने की कृपा करें कि आज की तारीख में इस चाइल्ड सैक्स-रेश्यो की क्या स्थिति है।

दूसरा, भ्रूण बालिका हत्या के लिये आज बाजार में पहले और दूसरे त्रैमासिक के लिए दवाइयां बिलकुल खुलेआम उपलब्ध हैं। कोई भी महिला सोनोग्राफी करवाकर यह तय कर सकती है कि फीमेल चाइल्ड है तो बाजार गयी, उसने दवाई ली। उसके ब्लीडिंग शुरू हुई उसके बाद में कहीं नर्सिंग होम में जाकर के उसने अपना गर्भपात करवा लिया। तीसरा, एम.टी.पी. एक्ट के अन्दर दूसरे त्रैमासिक के अन्दर अगर आप गर्भपात करवाते हैं तो उसके बहुत स्ट्रिक्ट कायदे-कानून बने हुए हैं और जितने भी सर्वे हुए हैं वह सर्वे यह बताते हैं कि 10 में से एक जो गर्भपात होता है वह कानूनी तरीके से होता है, बाकी 9 गर्भपात ऐसे नर्सिंग होम के अन्दर होते हैं जहां प्रोपर सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। यह बतायें आप।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात सदन के सामने रखी है कि जो 2001 की जनगणना हुई उसमें जो मैंने सदन को अभी जवाब दिया उसमें बच्चों का अनुपात मेंशन नहीं है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनगणना में...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको बताऊं जो जनगणना....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनका जवाब सुनें पूरा पहले।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, वह कह रहे हैं, उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है वह। वह उपलब्ध है, आप देखिये।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लें पहले जवाब उनका।

डा. दिगम्बर सिंह : यह मैंने जो आपको बताया है, माननीय सदस्य, मैंने आपको, जो सदन को जवाब दिया है, यह महिला और पुरुष के अनुपात का जवाब है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जो आपने दवाइयों के बारे में क्वेश्चन किया कि पता लगता है कि फीमेल चाइल्ड अगर गर्भ में है तो दवाइयां ले लेती हैं और उसके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कहीं जाकर सफाई करा देती हैं। मैं, माननीय सदस्य, आपको निवेदन करना चाहता हूं, एक पर्टिकूलर टाइम तक प्रिगनेन्सी में कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो यह काम कर सकती हैं और जिस पीरियड तक यह दवाइयां एक्ट करती हैं एबोर्शन के लिये, उस पीरियड में सेक्स डिटरमिनेशन नहीं हो सकता है। इसलिये माननीय सदस्य एक अच्छे फिजिशियन हैं, मैं मानता हूं, पर बहुत अच्छे गायनाकोलोजिस्ट नहीं हैं। जिस पीरियड तक एबोर्शन दवाइयों से हो सकता है उस पीरियड तक सैक्स-डिटरमिनेशन नहीं हो सकता है। (व्यवधान) इसलिये आपकी जो बात है, वह एक तरह से खारिज ही है क्योंकि इस तरह से कोई एबोर्शन नहीं होते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : इस मामले में आप एक्सपर्ट हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, ये एक्सपर्ट हैं इसमें। वास्तव में एक्सपर्ट हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो जानते हैं इस चीज को।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से, आपने जो बताया कि सैंसर की रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि जो आफिशियल सैंसेस की रिपोर्ट है जिसके अन्दर आपने 921 बताया है और 6 साल तक के बालक और बालिकाओं का रेशो सिर्फ 909 है इसका मतलब है कि आज से 21 साल बाद 91 बालक ऐसे होंगे जिनकी शादी के लिये बालिकाएं नहीं मिलेंगी। यह मैं कहना चाह रहा हूं, यह 909 है जीरो से छह साल तक के बच्चों का सैक्स-रेश्यो

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अगर 1991 और 2001 का कम्पेरेटिव डाटा अगर सदन के सामने रखूं तो राजस्थान की पूरी पिक्चर आपके सामने आयेगी। राजस्थान में मात्र एक सिरोही जिला ऐसा है जिसमें 1991 में रेश्यो था 940 और इस बार 943, 2001 में, 6 घण्टा है। बाकी पूरे 31 जिलों में, बाकी पूरे राजस्थान के 31 जिलों में यह रेश्यो बढ़ा है और इसका मात्र कारण यह है कि जितने प्रभावी ढंग से जो एक्ट लागू किया गया, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन सोनोग्राफी मशीनों का एक केन्द्र सरकार का कानून बनने के बाद राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से इसको लागू किया आज राज्य में मुझे इसमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि पिछले एक वर्ष में एक भी केस ऐसा सामने नहीं आया, न कोई इस तरह का प्रकरण दर्ज हुआ है.

श्री : घनश्याम : ऐसे केस सामने थोड़े ही आते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन से एक सवाल

डा. चन्द्रशेखर बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरह से आप कह रहे हैं कि एक भी केस सामने नहीं आया और आप ही ने कहा है कि बालिका भ्रूण हत्या पर राज्य में 50 शिविर लगाये जाएंगे। किसलिये लग रहे हैं शिविर आप, समाज कल्याण विभाग जो शिविर लगा रहा है, वह किसलिये लगा रहा है। आपने ही कहा है, यह 50 शिविर लगायेंगे हम

डा. दिगम्बर सिंह : This is for the awareness to the public.

(डा. दिगम्बर सिंह)

उसमें जानकारी देने के लिये। आप मेरी बात सुनिये। यह केवल शिविर ही नहीं, माननीय सदस्य, यह आम-जन में एक जानकारी देने के लिये हम पम्पलेटस, पोस्टर्स, हार्डिग्स, हमारे शो, कई तरह के कार्यक्रम हम आई.यू.सी. के माध्यम से, जिससे आम जनता में इसकी जागरूकता आये, तो हमारे कार्यक्रम का पार्ट है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप तो यह बता दें कि बालिका भ्रूण हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। आपकी जानकारी में है? आप क्या मानते हैं कि राज्य में बालिका भ्रूण हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है।

डा. दिगम्बर सिंह : राजस्थान में हमारी जानकारी के अनुसार इस समय कोई इस तरह का प्रकरण नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अब बात आयेगी, देखिये एक बार यहां की कुछ महिला संगठनों ने एक डाइग्नोस्टिक सेंटर का पिछले वर्ष बहुत, आपकी जानकारी में है, क्योंकि फिर वही ओ.के. डाइग्नोस्टिक सेंटर बीच में आता है। नहीं हो आपकी जानकारी में। उन्होंने जिस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट अपना किया, वह एडवर्टाइजमेंट मैं जानता हूं being a Gynaecologist being a Doctor मैं जानता हूं कि उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे उनका भाव कुछ और था इसके बावजूद भी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया था। क्योंकि उन्होंने लिखा था कि "See your baby before birth."

उनका भाव यह हो सकता है कि आपके बच्चे में अन्दर कोई विकलांगता तो नहीं है, कोई और इस तरह की बात, एनोमली तो नहीं है, आप देख सकते हैं। परन्तु महिला संगठनों ने इसको इस तरह से भी क्योंकि उसमें सैक्स का भी देख सकते हो आप, यह बात सही थी और इसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था। यह भी आपकी जानकारी में होगा। क्योंकि हमारी जानकारी में कोई भी प्रकरण आता है तो निश्चित रुप से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हम इसके खिलाफ लेते हैं और पिछले एक वर्ष में कोई इस तरह का प्रकरण न कोई शिकायत हमारे पास आयी है।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस तरह का कोई सर्वे करवाया है जिसमें प्राइवेट जितने भी क्लिनिक्स हैं, जो अबोर्शन करते हैं और इस तरह के अबोर्शन्स जो बहुत संख्या में हो रहे हैं तो राज्य में ऐसे कौन-कौन से प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जो अबोर्शन करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग की आपके पास क्या व्यवस्था है, जिससे चैक करके आप उन पर पाबंदी लगा सकते हैं

दूसरा, (व्यवधान) एक ही पूछ लेता हूं, मैं इसी में जोड़ देता हूं। क्या आप इनके पास जो मशीनरी है चैकिंग करने की, क्योंकि जब तब आप इनकी जो मशीनरी है उसके ऊपर कण्ट्रोल नहीं करेंगे कानूनन, लीगल, जिससे वह पता लगाते हैं, तब तक आप रोक नहीं पाएंगे अबोर्शन, तो इसके लिए आपने क्या कोई प्रक्रिया अपनाई है क्यों कि कहां-कहां यह मशीनें हैं, उन पर कैसे कण्ट्रोल किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी दे दें।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य ने अबोर्शन के बारे मे चर्चा की मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अबोर्शन के अपने नियम-कायदे हैं। एक एक्ट भी बना हुआ है इसमें कितने वीक तक अबोर्शन हो सकता है। एक डाक्टर जो अबोर्शन करता है वह डाक्टर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसको गवर्नमेंट से बाकायदा प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है और जिस इंस्टीट्यूशन में अबोर्शन होता है वह इंस्टीट्यूशन भी रजिस्टर्ड होता है। वहां पर पूरी फैसेलिटीज अबोर्शन की या नहीं तो इंस्टीट्यूशन और डाक्टर दोनों का रिकोग्निशन गवर्नमेंट से होता है, उसके बाद ही अबोर्शन होता है और एक पर्टिकूलर टाइम तक एक गायनोकोलोजिस्ट या एक डाक्टर इतने वीक तक कर सकता है, जैसे 12 वीक्स के ऊपर भी अगर प्रेग्नेंसी है तो कम से कम दो गायनोकेलोजिस्ट का उसमें, आपस में बातचीत होना, कन्वर्सेशन होना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस का जितना डवलपमेंट हुआ है, माननीय सदस्य ने केवल अबोर्शन की और सैक्स डिटरमिनेशन की बात कर रहे हैं। आजकल तो साइंस इतनी ज्यादा डवलप्ड है कि "एक्स" और "वाई" क्रोमोजोन्स का सैपरेशन करने के बाद, मतलब There is a choice of selection. There may be a choice of selection of the sex.

(डा. दिगम्बर सिंह)

आपको अबोर्शन कराने की जरूरत नहीं है। मेल चाहते हैं तो मेल ही होगा। "एक्स" और "वाई" क्रोमोजोन्स को सैपरेट करने के बाद और इसी को ध्यान में रखते हुए यह जो हमारा पी. एण्ड. टी.टी. एक्ट बना था, इस एक्ट को 14 फरवरी, 2003 को इसका नाम चेंज करके प्री-कन्सेप्शन एण्ड प्री-मेच्योर डायग्नोसिस टैक्निक्स प्रोहिबिशन आफ सैक्स सलेक्शन एक्ट नाम रखा है। तो इसमें सरकार तो निश्चित रूप से बहुत सावधान है, सावचेत है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि रेश्यो जो सैक्स का हमारा मेल और फीमेल का है, उसमें निरन्तर सुधार है, बढ़ा है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : चाइल्ड सैक्स रेश्यो नहीं कह रहे हो आप आप ओवर आल सैक्स रेश्यो कह रहे हो, आप चाइल्डस सैक्स रेश्यो नहीं कह रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आपके गृह जिले में यह कम क्यों है? आप पहले यह बताइये कि आपके गृह जिले में तो 854 ही है। आपके जिले में कम क्यों है, यह तो बताइये। शायद वहां पर माडर्न टेक्निक का ज्यादा उपयोग किया दिखता है आपने। 'एक्स' और 'वाई' क्रोमोजोम्स का ज्यादा किया दिखता है

डा. दिगम्बर सिंह : हमारे जिले में अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर जिले में बढ़ा है। वहां भी बढ़ा है। सिरोही में निश्चित तौर से कम हुआ है तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से और एक बार बैठकर विचार-विमर्श करेंगे कि इस रेश्यो को कैसे बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सिरोही पर ज्यादा मेहरबान हैं आप, आपकी सरकार ज्यादा मेहरबान है सिरोही पर।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप बेवजह गिल्टी फील कर रहे हो।

इल्लीगल अबोर्शन तो कई वर्षों से होते आ रहे हैं। मैं तो यह जानना चाह रहा हूं कि एम.टी.पी. एक्ट के तहत जो इल्लीगल अबोर्शन होते हैं उनको रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं कर रही है? कोई केस दर्ज नहीं हुआ, इससे मतलब नहीं है। आपको मालूम है कि राजस्थान के अन्दर 450 ऐसे सेंटर है, जहां एम.टी.टी. अलाउ है जबकि 1000 से ज्यादा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सेंटरों पर इल्लीगल हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार कोई विचार रखती है या नहीं रखती है?

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह मतलब समझ में नहीं आया कि- What does he mean by illegal abortion?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको ट्रेनिंग दो न आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, मैं बता रहा हूं। आपने पूछा ना।

डा. दिगम्बर सिंह : मुझे यह साफ करो. इल्लीगल अबोर्शन से आपका मतलब क्या है?

डा. चन्द्रशेखर बैद : इल्लीगल अबोर्शन से मतलब यह है कि आपने सोनोग्राफी करवायी और आपको यह मालूम पड़ा कि फीमेल चाइल्ड है पेट के अन्दर तो आपने कोई दूसरी वजह लगाकर उसका अबोर्शन करवा लिया। This is illegal abortion.

डा. दिगम्बर सिंह : जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो इल्लीगल अबोर्शन बोला, आपने जो उसकी विवेचना की, उसका एक खण्ड मात्र है। That is part of the....

इल्लीगल अबोर्शन से मतलब या तो सेंटर रिकोग्नाइज नहीं हो या डाक्टर रिकोग्नाइज नहीं हो या फिर पेशेंट जो प्रेग्नेंट है। (व्यवधान) इल्लीगल का मतलब यह है कि आपने जिस तरह की बात सदन के अन्दर रखी है इस तरह का वाकया राजस्थान में नहीं है, नहीं है, नहीं है।

राजस्थान में सैक्स डिटरमिनेशन आज की तारीख में नहीं होता है और न ही कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंसी है तो उसका अबोर्शन का कोई काम यहां पर होता है, अगर कोई कहीं भी इस तरह की शिकायत मिले तो निश्चित रूप से विभाग इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए तैयार है।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

अलवर जिले में हैण्डपम्प/बोरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

282. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में वर्ष 2000 से 2004 तक कुल कितने हैण्डपम्प और बोरिंग स्वीकृत किये गये सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हैण्डपम्पों और बोरिंगों में से कितनों का कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनों का कार्य बाकी है? बकाया कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अलवर जिले में कितने हैण्डपम्पों और बोरिंगों के लगाने के सम्बन्ध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सांवरलाल) : (1) जिला अलवर में 2001 जनवरी, 2000 से 31 दिसम्बर 2004 तक विभिन्न कार्यक्रमों में स्वीकृत हैण्डपम्प एवं नलकूपों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	क्षेत्र	स्वीकृत संख्या	
		हैण्डपम्प	नलकूप
1.	शहरी	96	70
2.	ग्रामीण	5354	540
कुल योग		5450	610

सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है

(2) विवरण निम्न प्रकार है :-

(श्री सांवर लाल)

(अ) शहरी क्षेत्र-स्वीकृत 96 हैण्डपम्पों में से 95 एवं 70 नलकूपों में से 68 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये हैं, इस प्रकार 1 हैण्डपम्प तथा 2 नलकूपों का निर्माण कार्य वर्तमान में शेष है।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र-स्वीकृत 5354 हैण्डपम्पों में से 4657 एवं 540 नलकूपों में से 467 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये हैं। इस प्रकार 697 हैण्डपम्प तथा 73 नलकूपों का निर्माण कार्य वर्तमान में शेष है।

300 हैण्डपम्प एवं 40 नलकूप माह जून, 2005 तक तथा शेष 398 हैण्डपम्प एवं 35 नलकूप माह दिसम्बर, 2005 तक निर्मित कर चालू करना प्रस्तावित है वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने खण्ड 2 में जवाब दिया है, उसमें लिखा है कि 300 हैण्डपम्प एवं 40 नलकूप माह जून, 2005 तक तथा शेष 398 हैण्डपम्प एवं 35 नलकूप माह दिसम्बर, 2005 तक चालू करने का प्रस्ताव है। मतलब आप बचे हुए हैण्डपम्प और नलकूपों को 10 महीनों के बाद करेंगे और आपने जो सूची दी है, जिसमें सैक्टर रिफार्म में सन 2002 में जो कार्य मंजूर हुए हैं, उसके सामने कहीं तो लिख रखा है 2005 में पूरा करेंगे, इस तरह से जब पानी की इतनी बड़ी समस्या है और पैसा गवर्नमेंट से मंजूर है तो एक तो सैक्टर रिफोर्म में, और अलवर जिले की जो दुर्गति है, आज अलवर जिले में सैक्टर रिफार्म का कितना है, 80 परसेंट पेमेंट हो चुका है तो बाकी जगह 20 परसेंट पेमेंट हुआ, इसकी वजह से सारी स्कीम, करोड़ों रुपया सरकार का बेकार जा रहा है और इसमें लोगों ने इतनी अनियमितता बरती है मैंने जब तीसरे खण्ड में पूछा कि कितनी शिकायतें मिली तो इसमें लिखा है छह, छह से ज्यादा तो कितनी है शिकायतें मुण्डावर और अन्य क्षेत्रों में, सैक्टर रिफोर्म में कितनी बड़ी धांधली हुई है, उसकी आपको जांच करवानी चाहिए और इन कामों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहिए।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं।

श्री सांवर लाल : आप पूछ लेना, पहले मूल प्रश्नकर्ता है।

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाने दीजिए।

श्री समर्थ लाल : क्या?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाने दीजिए।

श्री समर्थ लाल : अलवर जिले का मूल निवासी हूं मैं, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री समर्थ लाल : मैं कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। छोटा सा पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए।

श्री समर्थ लाल : अभी यह राजगढ़ और रैणी पंचायत समिति की मीटिंग हुई थी। उसमें जिलाधीश महोदय पधारे थे तो वहां तीन बोरिंग स्वीकृत किये हैं। उनमें एक भी बोरिंग अभी तक नहीं हुआ, नम्बर एक और जितने भी हैण्डपम्प आपने स्वीकृत किये हैं, करीब 46 हैण्डपम्प जो आज से दो महीने पहले मंजूर हो गये थे, केवल इसलिए मंजूर हुये थे कि मई, जून में वे खोद दिये जाएंगे। लेकिन अभी तक वह 47 हैण्डपम्प खुद नहीं पाये, क्या कारण हैं? मई-जून जब निकल जायेगा, फिर इन हैण्डपम्पों का कोई परपज नहीं, कोई सत्कार नहीं होगा इसका।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : हमारे यहां जो बोरिंग का सामान आया है, उस बोरिंग के सामान में उसकी रोड और उसके वॉशर इतने घटिया किस्म के हैं कि पहली बार तो बोरिंग किया है, उसी दिन हैण्डपम्प टूट गये हैं या दूसरे दिन टूट गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा इसकी जांच करवाकर अच्छी सामग्री भेजें जिससे यह हैण्डपम्प चालू अवस्था में रह सकें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाये।

श्री धर्मपाल चौधरी : मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब आया नहीं और फिर प्रश्नकाल पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दो पहले उनका। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले इसका जवाब आ जाये फिर आप पूछ लेना।

श्री जुबेर खान : सवाल यही है कि नये हैण्डपम्प कब से लगा रहे हैं, लेकिन मरम्मत का कार्य बिलकुल चल रहा नहीं है। मरम्मत के नाम से आपके पास कोई सामान नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय विधायक महोदय, पूरे अलवर का ही पूछा है।

श्री जुबेर खान : इसलिये आप व्यवस्था करवाइये। गर्मियों में हालत खराब होने वाली है कि जो हैण्डपम्प खराब हो गये हैं, उनको ठीक करवाने की व्यवस्था रखते हैं कि नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दीजिये पहले।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता की चिन्ता है एक तो जो हैण्डपम्प स्वीकृत हैं, उनके लगने में समय लग रहा है। वह निश्चित रूप से लगातार हैण्डपम्प खुदते रहते हैं और लगते रहते हैं। इसमें कुछ डिले इस वजह से भी हुआ कि इस बार हमने पहले वाली जो परिपाटी थी जिसमें पूल करके रेटें हाई कर लिया करते थे, रेट कान्ट्रेक्ट से हमने उसको खतम करके केवल टेण्डर सिस्टम किया, जिससे पूरे राजस्थान में 10 से 20 प्रतिशत रेटें कम आई हैं। इस वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है पर मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है

(श्री सांवर लाल)

उसकी वजह से, उसके हिसाब से हमने बताया कि इतना काम कर देंगे, अगर आवश्यकता होगी तो यह तो इमरजेंसी की तरह पेयजल डिपार्टमेंट है, सरकारी मशीनें हैं और मशीनें इधर-उधर से करके हम जहां-जहां आवश्यकता होगी ट्यूबवैल और हैण्डपम्प की व्यवस्था करवा देंगे। इसलिये इस बारे में तो जिन जिन माननीय सदस्यों की चिन्ता है, उनको यही कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह काम बिना टेण्डर के नहीं हो सकता क्या? आपने सब-मर्सिबल पम्प का आर्डर दिया बिना टेण्डर के, तो इनके हैण्डपम्प बिना टेण्डर के नहीं लग सकते क्या?

श्री अध्यक्ष : जवाब के बीच में ही खड़े हो जाते हैं आप।

श्री सांवर लाल : अब मैंने कहा न, यह तो युद्ध स्तर पर पर चलने वाला महकमा है। कई बार आवश्यकता होने पर कई प्रकार के फैसले करने पड़ते हैं। इसकी भी आवश्यकता होगी तो करेंगे जनहित में और वह भी अगर किया है तो उसमें भी पूरी पारदर्शिता से सब बातों का पालन किया। इसके बारे में भी आप कहेंगे तो आपको बता देंगे। बाकी घटिया सामग्री वाली बात आई है तो निश्चित रुप से अगर आपने कहा, ठीक है वह तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा और एक महीने से पहले ही इसकी जांच करके माननीय सदस्य, जो भी कार्यवाही होगी, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही नहीं, उसे ठीक करवा दीजिये।

श्री सांवर लाल : किसको ठीक करवाना है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हैण्डपम्प को और किसको?

श्री सांवर लाल : हैण्डपम्प नहीं, यह तो नये हैण्डपम्प की बात है हुक्म। नये हैण्डपम्प टूट रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे लगा रहे होंगे पर अगर मैटेरियल सब-स्टेण्डर्ड है...(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये आप। जिस स्टेण्डर्ड का मैटेरियल होना चाहिये, वह नहीं है, अगर वह डिफेक्टिव मैटीरियल है तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। बाकी जो मरम्मत करनी है, हमने अभियान चलाया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 15 वर्ष से यहां आ रहा हूं जब भी हैण्डपम्प की मरम्मत का अभियान चलता है तो शिकायतें तो होती

(श्री सांवर लाल)

रहती हैं पर मैं यह कह सकता हूं कि पहली बार हमने सामग्री और व्हीकल की व्यवस्था की है औरे डिपार्टमेंट को कहा है जितने साधन और जितनी सामग्री चाहिये, वह जायेगी। हैण्डपम्प ठीक नहीं हो उसके लिये अगर किसी गांव वाले ने यह कहा कि हमारे यह सामग्री नहीं है इसलिये ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उन अधिकारियों का इन्तजाम हम करेंगे। बाकी सैक्टर रिफोर्म्स के बारे में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनिये, पहले।

श्री सांवर लाल : पंडितजी, बिराज जाओ न। अब यह तो हैण्डपम्प खुदते रहेंगे। अभी खुदेगा, आगे भी काम आयेगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर जून तक नहीं खुदे तो, अध्यक्ष महोदय, हैण्डपम्प तो बारहमासी है। वह सूख जाता है तो बात अलग है बाकी तो हमेशा पानी पीते हैं उससे। इसलिये माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है कि गर्मी के अन्दर हैण्डपम्प लगाना चाहिये और हम निश्चित करके लगायेंगे। जो कमी थी वह हमने बताई है बाकी सैक्टर रिफोर्म्स ओर स्वजलधारा के अन्दर जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से और जो कमेटी बनती है वह जिला कलक्टर के कंट्रोल पर चलती है। हमारा डिपार्टमेंट केवल परामर्शदात्री के हिसाब से काम करता है। फिर भी चूंकि यह पेयजल से सम्बन्धित है तो माननीय सदस्य को मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सैक्टर रिफोर्म्स की, चाहे जयपुर हो चाहे अलवर हो, जहां पर पेइंग कैपेसिटी है, उन्हीं जिलों के अन्दर इसको लागू किया गया। वहां पर भी आजकल कंजूमर्स की हालत ठीक नहीं है और काम भी ठीक स्टैण्डर्ड से नहीं होगा। आधा-अधूरा किया है तो निश्चित रूप से इस सैक्टर रिफोर्म्स के बारे में मैं कार्यवाही करूंगा। इसके लिये कोई न कोई जांच करवाकर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतराम।

प्रश्न संख्या – 283

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रणधीर सिंह भिण्डर ।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : जो अध्यक्ष पहले पूर्व सरपंच थे, आज भी वही सरपंच उसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान सरपंचों के नाम नहीं खुले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, कम से कम पूर्व सरपंचों...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया मैंने। माननीय श्री रणधीर सिंह भीण्डर

बड़गांव क्षेत्र पंचायत (बल्लभनगर) में पेस्टीसाइड इंडिया को उद्योग हेतु आबंटित भूमि

284. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील बल्लभनगर की बड़गांव पंचायत क्षेत्र में पेस्टीसाइड इण्डिया को फैक्ट्री लगाने हेतु भूमि का आबंटन किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अभी तक फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त भूमि का आबंटन निरस्त कर भूमि को पंचायत के खाते में अंकित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) जी हां।

(2) जी हां। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किये जाने के फलस्वरूप इकाई का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

(3) जी हां। फर्म को बिलानाम भूमि का आबंटन किया गया था। समयावधि में व विस्तरित अवधि में भी उद्योग नहीं लगाया गया। इस कारण आबंटन निरस्त करने का नोटिस दिनांक 25.7.2000 को कलक्टर द्वारा जारी किया गया। जिस पर शीघ्र निर्णय हेतु कलक्टर को कहा गया है व उनसे निर्णय में विलम्ब का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आबंटन निरस्त होने पर

(श्री रामनारायण डूडी)

सरकार के खाते में आयेगी। राज्य सरकार उक्त स्थिति में पंचायत की मांग पर नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने के बारे में निर्णय कर सकती है।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह भूमि बहुत पहले आबंटित हुई थी और 2000 में नोटिस दिया और आज 2005 चल रहा है पर वह भूमि अब भी उस उद्योग के नाम पर ही चल रही है। दूसरा, क्या सरकार की जानकारी में यह है कि उद्योग के लिये जो भूमि लीज पर दी जाती है वह लीजधारी बेच रहे हैं बहुत-सी जगह, उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इसकी जानकारी दें।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जो भूमि इस कम्पनी को उद्योग लगाने हेतु दी गयी थी और निश्चित अवधि के अन्दर उस पर उद्योग नहीं लगाया गया। इसके कई कारण हैं। पहला जिस वक्त इस कम्पनी ने यह भूमि चाही, उस वक्त गांव का एतराज हुआ और पूरे गांव वालों ने इनका विरोध किया और विरोध करने के बावजूद जब पंचायत से एन.ओ.सी. इन्होंने प्राप्त कर ली और जिला उद्योग अधिकारी ने यह इंडस्ट्री लगाने की इनको स्वीकृति दे दी उसके बाद 1990 में इस भूमि को आबंटित किया गया और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से और कलक्टर ने कई बार उनको कहा गया कि आप अपनी इस भूमि पर फैक्टरी लगायें और या यह भूमि राज्य सरकार निरस्त करे। 2000 तक राज्य सरकार को इन्होंने समय-समय पर अवधि बढ़ाने का निवेदन किया और इस दरम्यान 1998 तक इनकी अवधि बढ़ाई गई और उस अवधि को बढ़ाने के बाद अध्यक्ष महोदय, 2000 को कलक्टर ने इस जमीन को निरस्त करने को कहा, नोटिस दिया गया और अभी तक यह जमीन मौके पर खाली है और निरस्स्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न यह भी था कि जो लीजधारी जमीन बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जो लीजधारी जिस परपज के लिये जमीन आबंटित कराते हैं और समयावधि के अन्दर यदि बिना कारण वह

(श्री रामनारायण डूडी)

फैक्टरी या जिस कार्य के लिये उपयोग में लेना है, वह नहीं करते हैं तो ध्यान में लाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं। मगर किसी अवरोध के कारण, यदि फैक्टरी लगाने में किसी प्रकार का अवरोध आ गया हो और उसके कारण से यदि फैक्ट्री नहीं लगा पाता है तो , अध्यक्ष महोदय, वह जब समायावधि बढ़ाना चाहता है तो उनकी समयावधि बढ़ायी जाती है और उसके बावजूद भी वह नहीं लगाता है तो ऐसे प्रकरण के अन्दर उनकी लीज समाप्त की जाती है और की जाती आयी हैं।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि जो लीज पर दूसरी जगह भी जमीन दी गयी है वह बेच रहे हैं लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत सी जगह, चार-पांच जगह लीज पर थी.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न का भाग नहीं है, यदि माननीय सदस्य अलग से मुझे यह बता दें कि अमुख जगह लीज पर दी गयी या कम्पनी के लिए आबंटित जमीन का परपज दूसरे रुप में लिया जा रहा है तो उनको अवश्य निरस्त किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री जुबेर खान एवं श्रीमती ममता शर्मा. सदस्य की ओर से जिला भरतपुर के थाना क्षेत्र कामां के ग्राम सबलाना में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की कथित घटना के सम्बन्ध में।

2. श्री रामनारायण मीणा एवं श्री महीपाल सिंह यादव, सदस्य की ओर से पुलिस थाना देई (बूंदी) में अनुसूचित जाति वर्ग के पीडित

(श्री अध्यक्ष)

फरियादी द्वारा दर्ज कराये प्रकरण में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पुलिस विभाग से सम्बन्धित हैं। पुलिस एवं कारागार विभाग से सम्बन्धित अनुदान कीं मांगों पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी।

माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का पर्याप्त अवसर है अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य, श्रीमती ममता शर्मा को अपने प्रस्ताव के विषय में दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

3. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से पत्रकारिता क्षेत्र में घोषित इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड का नाम परिवर्तित कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण इलाके में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना करनें के सम्बन्ध में।

2. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से राज्य में पारम्परिक खेलों के विकास के लिए फंड उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नैनवां में भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी के लिए एनीकट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री मुरारी लाल मीणा, सदस्य की ओर से तहसील बसवा की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से नगरपालिका किशनगढ़ (अजमेर) की बस्ती बजरंग कालोनी को नगरपालिका परिसीमन कार्य में शामिल करने के सम्बन्ध में।

6. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विद्युत कनेक्शनों की अवैध शिफ्टिंग के नाम पर किसानों से हजारों रुपये वसूलने के सम्बन्ध में।

7. श्री नानालाल अहारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के दो नदी बांध का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

8. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की उपनिवेशन तहसील पूगल को समाप्ति किये जाने के आदेश पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सबलाना ग्राम (जिला भरतपुर) में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सबलाना थाना कामां जिला भरतपुर में 22 जनवरी, 2004 को दिन में तीन-चार बजे एक नाबालिग लड़की जो 12 वर्ष की थी, अरसीदा पुत्री अजरू के साथ समाज कंटक श्री अशोक पंजाबी ने....

श्री अध्यक्ष : 2004 की बात है क्या? बोली तो आप 2004 हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : सॉरी, जनवरी, 2005, दिन में ही बलात्कार किया गया और उसके बाद जब लड़की थाने में पहुंची तो बड़ी मुश्किल से उसकी रिपोर्ट दर्ज की गयी और उस लड़की की जांच कामां के सी.एच.सी. में

(श्रीमती ममता शर्मा)

भर्ती कराकर करायी गयी लेकिन जब लड़की को नौ बजकर तीस मिनट पर होश आया और पुलिस द्वारा जब बयान लिये गये लेकिन उन बयानों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और पुलिस बिलकुल निष्क्रियता से उस बलात्कार को ले रही है।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की उसमें यह बताया है कि लड़की 17 वर्ष की है लेकिन लड़की का जो बर्थडे सर्टिफिकेट है उससे लड़की 12 वर्ष की है। उस लड़की ने यहां अपने पिता के साथ आकर, जो गरीब रिक्शा चालक है, मुख्य मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : 17 साल की है तो भी नाबालिग ही है।

श्रीमती ममता शर्मा : तब भी नाबालिग है लेकिन पुलिस ने उसको 17 वर्ष की बताया है लेकिन जो उसका विद्यालय का जन्म तिथि का रिकार्ड है उससे यह पता चलता है कि लड़की केवल 12 वर्ष की है।

लड़की यहां अपने पिता के साथ आयी जो गरीब रिक्शा चालक है और बी.पी.एल. परिवार से है, आकर मुख्य मंत्रीजी से मिली, मुख्य सचिव से मिली और डी.जी.पी. से मिली। उसके बाद भी आज तक जो बलात्कारी हैं, खुले घूम रहे हैं, दो व्यक्ति हैं उनको पकड़ने का इन्होंने अभी तक कोई इरादा नहीं बनाया है। जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए इतने प्रयास हो रहे हैं लेकिन वहां कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से तीनों उच्च पदों पर हमारे महिलाएं बैठी हुई हैं और कितने आज बलात्कार हो रहे हैं, चाहे जयपुर के ले लीजिए। जयपुर में तो कमाल हो गया, शायद रिकार्ड ही ब्रेक हो गया है कि अस्पताल में इस तरह से बलात्कार किया गया। उस औरत से भी मैं मिल कर आयी हूं। सरकार की निष्क्रियता पर हम यह आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के प्रति बिलकुल भी सरकार संवेदनशील नहीं है। इस लड़की के बलात्कार को भी हम गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह दरख्वास्त करूंगी कि जो एस.पी., भरतपुर हैं उनके द्वारा भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और जहां डीवाई,

(श्रीमती ममता शर्मा)

एस.पी. लगे हुए हैं, चैनसिंह राजपुरोहित नाम के डीवाई.एस.पी. हैं, आर.एस.एस. से जुड़े होने के कारण वो आज भी यह कह रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं कि मेरे होते हुए अगर इस लड़की के बलात्कारी की गिरफ्तारी कर ली गयी तो मैं..

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, इसमें आर.एस.एस. कहां आ गया?

श्रीमती ममता शर्मा : मैं बिलकुल सही कह रही हूं, आपको सही बात सुननी पड़ेगी। इसमें क्या बात है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इसमें क्या बात है? यह तो रिकार्डेड है। कुछ शर्म करो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : वह व्यक्ति खुलेआम कह रहा है इस बात को...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया... (व्यवधान) चाहे भीलवाड़ा का मामला हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण।

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. कहां आ गया बलात्कार में.... (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : बलात्कारी को संरक्षण मिल रहा है और खुलेआम वह आदमी कह रहा है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और कोई मैटर है आपके पास बोलने को सिवाय आर.एस.एस के।

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. का इससे क्या मतलब हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्मा : मैं गलत नहीं कह रही हूं। माननीय सदस्य, आप मुझे डाइरेक्ट नहीं कह सकते, आप आसन को सम्बोधित करें।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : जो हुआ है जो गलत हुआ है पर आर.एस.एस. से इसका क्या मतलब है? बार-बार आर.एस.एस...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आर.एस.एस कहते ही क्या हो गया? क्या तकलीफ हो गयी।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा आर.एस.एस. से जोड़ दिया जाता है। (व्यवधान) हम सहन नहीं करेंगे। क्यों आर.एस.एस. से जोड़ा जाता है इसको? क्या प्रमाण है कि वह आर.एस.एस. का है? (व्यवधान) इस प्रकार आर.एस.एस. से जोड़ दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ।....(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए लेकिन वह व्यक्ति आर.एस.एस. से ....(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, डीवाई.एस.पी. साफ कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय 22 जनवरी को बलात्कार हुआ है। मुख्यमंत्रीजी को और उनको कहने के बाद...(व्यवधान) 164 के बयान लिये गये। एक महीने बाद 164 के बयान, 164 के बयान के बाद आज तक कार्यवाही नहीं की जा रही है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है।

(श्री अध्यक्ष)

देखिये, वैसे तो स्थगन प्रस्ताव किसी रीसेंट इवेंट पर होता है, जनवरी की घटना है, मैंने तो महज इसलिए कि महिला का मामला था, महिला उठा रही थी इसलिए मैंने अनुमति दे दी। बीच में बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेगा। मैंने अनुमति दे दी और इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि उन्होंने कुछ शब्द कह भी दिया तो क्या तकलीफ हो गयी? आप बाद में जवाब दे देते। आर.एस.एस. का नाम ही तो लिया है और क्या कर दिया उन्होंने, उसके लिए इतना खड़ा होकर के हंगामा मचाने की, शोर मचाने की क्या आवश्यकता हो गयी? क्या बात हो गयी इसमें।

श्री बंशीलाल खटीक (व्यवधान) : आर.एस.एस. का कैसे नाम लिया (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आर.एस.एस. के दुश्मनों..(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : (व्यवधान) अनर्गल नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. से आपके क्यों जलन होती है। (व्यवधान) आर.एस.एस. का नाम बदनाम करते हो, आप तो दुश्मन हो आर.एस.एस. के।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। आपको मौका था जब वह बैठती उसके बाद आप उनसे पूछते, कहते, आपको भी मौका था लेकिन यह क्या बात होती है एक नाम लेते ही आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है।

डा. जालम सिंह रावलोत : कांग्रेस के सदस्य बार-बार आर.एस.एस. का नाम लेते हैं हमें क्यों नहीं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात कहते हैं। आप लोग नहीं लेते हैं क्या? उनकी पूरी बात ही नहीं सुनी वह क्या कहना चाह रही थी (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बार-बार आर.एस.एस. को बदनाम किया जाता है क्या उनके ऊपर छाप लगी हुई है आर.एस.एस की...(वयवधान)

श्री अध्यक्ष : सुना ही नहीं उससे पहले ही खड़े हो गये (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : आर.एस.एस. का हौवा बना दिया जाता है बार बार। हम आर.एस.एस. का नाम बदनाम नहीं होने देंगे अध्यक्ष महोदय।

श्री बंशीलाल खटीक : हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे आर.एस.एस. का नाम बदनाम हो। अनावश्यक बदनाम किया जाता है हम सहन नहीं करेंगे, कोई भी हो भले (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें आसन पांवों पर है (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, +++ यह भी कोई बात हुई, इस प्रकार के सवाल करते हैं.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको सोच समझकर बोलना चाहिए क्या तरीका है यह (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर, (व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तुम मुसलमान तो आर.एस.एस के खिलाफ हो ही... (वयवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है आपको किसी ने अनुमति नहीं दी है खड़े होने की (व्यवधान) आप क्यों खड़े हो गये अब बीच में..(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : आपके पास और कोई काम नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर त्रिवेदी, आप क्यों खड़े हो गये? आसन जब पांवों पर होता है तब किसी को भी अनुमति नहीं होती है खड़े होने की। यह

(श्री अध्यक्ष)

सदन के नियमों के विपरीत है, यह आसन की उपेक्षा है। मैं चाहूंगी जब आसन पांवों पर हो कोई खड़ा नहीं हो।

श्रीमती ममता शर्मा : आपके माध्यम से मेरा सिर्फ यही निवेदन है..

श्री अध्यक्ष : बस आप कनक्लूड कर दें अब।

श्रीमती ममता शर्मा : बिलकुल, मैं कनक्लूड कर रही हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए, जनवरी की घटना है लेकिन गृह मंत्रीजी इस बारे में जवाब देंगे आपकी बात का लेकिन यह जनवरी की घटना है। और मैंने आपसे कहा स्थगन प्रस्ताव इमीजिएट जो रीसेंट इवेन्ट होता है उस पर लाया जाता है। आपने अपनी बात कह दी अब गृह मंत्रीजी बोलें।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सिर्फ इतनी सी है (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जनवरी की घटना है और फरवरी में 64 के बयान हो गये और अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही (व्यवधान) 22 जनवरी को बलात्कार हुआ और 24 फरवरी को 164 के बयान दर्ज कराए।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब देंगे।

श्री जुबेर खान : जब डी.जी. राजस्थान और गृह सचिव ने निर्देश दिए...

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है..

श्री जुबेर खान : और आज तक अरेस्ट नहीं हों और आप कहें कि घटना...(व्यवधान) नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं आप उससे पहले ही उत्तेजित हो गये। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को दो लाइन में पूरा कर देने दीजिए। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाह रही हूं तीन महीने में..

श्री अध्यक्ष : आपकी बात तो आ गयी, बात आ गयी। अब गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए उन्हें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण अरविदा नाम की एक बालिका के साथ हुआ। दो लोगों ने जहां वह निपटने के लिए गयी थी अशोक और मोहन नाम था। मोहन ने उसके साथ बलात्कार किया, उसने अपनी रिपोर्ट जिस दिन लिखवाई उसमें ही उसने स्पष्ट किया। अशोक को उसने दूर खड़ा हुआ बताया। उसका मेडिकल हुआ, उसकी चोटों का भी मेडिकल हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, महिला थाने ने उसका पूरा इन्वेस्टीगेशन किया और मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक को उसके बयान के आधार पर ही कि उसके साथ रेप तो नहीं किया पर मौके पर वह मौजूद था और इसलिए उस मौके के कारण से उसका जो भी दोषी बनेगा अगर तो वह करेंगे पर मोहन तो पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार है।

श्री जुबेर खान : गृह मंत्रीजी आप यह बताइये 164 के बयाने में बच्ची ने क्या कहा है? किसको मेन अभियुक्त बताया है 164 के बयान में (व्यवधान) आप 164 के बयान पढ़कर बताइये कि बच्ची ने किसको मुख्य अभियुक्त बताया है (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : (व्यवधान) उस पर कोई अदालत कार्यवाही नहीं कर सकती लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां अपनी जिम्मेवारी के साथ मामले उठाने चाहिए और लोगों को न्याय मिले इस पर कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन अनर्गल प्रचार करने के लिए अनर्गल बातें करने के लिए और ऐसे नाजुक विषय पर जिसकी जानकारी नहीं है, माननीय सदस्या जहां पर गयी नहीं हैं और सारी जानकारी गृह मंत्रीजी ने, (व्यवधान) मान लो गृह मंत्रीजी के पास कोई जवाब नहीं हो, इन्होंने तो तत्काल (व्यवधान) सरकार से...

श्री अशोक (खण्डार) : सचेतक महोदय, यह कोई तरीका नहीं है आपका जवाब देने का। रोज बलात्कार हो रहे हैं, इस प्रदेश में रोज बलात्कार हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि..(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : मेरे पास पूरी पत्रावली है जिस दिन लड़की का बलात्कार हुआ है उससे लेकर के आज तक की।

श्री अशोक (खण्डार) : इस प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, रोज नए बलात्कार हो रहे हैं

श्रीमती ममता शर्मा : 164 के बयानों की कापी तक है हमारे पास। आप क्या देखना चाह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी के ऊपर, अपनी व्यवस्था है कि जो जवाब नहीं दे सकते उनके ऊपर कोई आरोप लगेगा (व्यवधान) तो कुछ नहीं हो सकता।

श्री अशोक (खण्डार) : आप किसकी बात कर रहे हैं, बलात्कारों की संख्या देखी आपने (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अशोक को दोषी पाया गया है और क्योंकि अशोक आर.एस.एस. का कार्यकर्ता है इसलिए.. (व्यवधान) उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मेरा सीधा आरोप है 164 के बयान में अशोक को फिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? गृह मंत्रीजी बताएं कब तक गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि आपका डीवाई.एस.पी. यह कहता है कि मैं जब तक इस थाने में (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय गृह मंत्रीजी यह बता दें जिसने बलात्कार किया उसके साथ में सहयोग देने वाले को आप और किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे? यह बताओ आप तो।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी भी चीज को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

न छिपाई है और न छिपाना चाहता हूं। अगर कहीं किसी भी लेवल पर कोई कमी रही है तो मैं उसके लिए जिम्मेदारी अपने पर ले रहा हूं। मैं निश्चित रूप से कार्यवही करूंगा लेकिन जहां तक डी.वाई.एस.पी. का सम्बन्ध है, इस जांच को न तो डी.वाई.एस.पी. ने की क्योंकि जो थानेदार था उसने की और बाद में जो महिला ए.एस.आई थी बीना सिंह उसने इसकी जांच की, उसने ही इसके बयान कराए। मेडिकल सारी तफ्तीश ही उसके पास थी और इसलिए उसने तफतीश करने के बाद मोहन सिंह को अभियुक्त मानते हुए गिरफ्तार किया और जैसा आप कह रहे हैं कि 164 के बयान में अशोक को अगर उन्होंने यह कहा है कि वह भी इसमें शरीक था। जैसा अब तक की मेरे पास की रिपोर्ट है उसमें था कि अशोक खेत में पास मे खड़ा रहा...

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर खड़ा भी था बलात्कार करते समय तो रोकना चाहिए।

श्री जुबेर खान : अशोक ने बलात्कार किया है मोहन खड़ा था।

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर अशोक था तो कन्सेंट कनाइवेंस से था वह, अशोक को क्यों छोड़ रहे हैं आप।

श्री जुबेर खान : हमारी आपसे यह मांग है कि आप उस फाइल को उस डीवाई.एस.पी. के अलावा किसी और डीवाई.एस.पी. को दे दीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : अशोक को आप बचाना चाहते हैं।

श्री जुबेर खान : गिरफ्तारी के आदेश हुए पड़े हैं लेकिन जब तक कामां के डी.वाई.एस.पी. के पास फाइल रहेगी यह गिरफ्तारी नहीं होगी। आप डीग के डी.वाई.एस.पी. को फाइल दे दीजिए ताकि गिरफ्तारी हो जाए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो इस बालिका को न्याय मिले। अशोक मुलजिम है 164 के बयान में और एफ.आई.आर. में भी और लड़की के बयान में भी, अशोक को बचाने की कोशिश की जाती है। अशोक अध्यक्ष महोदय, इसके रिक्शा चालक बाप को धमकी दे रहा है पैसे ले लो, बहस वापस ले लो। मैं जब तक आर.एस.एस. से जुड़ा हुआ हूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा यह कहा जा रहा है। आप क्यों नहीं डीवाई.एस.पी. डीग को जांच दे देते (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इस प्रकार गलत बयानी करके सदन को गुमराह किया जा रहा है (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : इस प्रकार सहयोग देने वाले को गिरफ्तार नहीं करेंगे (व्यवधान) गृह मंत्रीजी आप तो यह बता दो और बलात्कारों में सहयोग देने वालों को गिरफ्तार नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री अशोक (खण्डार) : इसी तरह से अन्य मुकदमों में कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बात कह चुके हैं वह स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अशोक (खण्डार) : जवाब सही नहीं दिया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं जो भी मुलजिम होगा उसको निश्चित रूप से सजा दिलाऊंगा। जांच जिस से भी ऊपर से ऊपर के अधिकारी को देकर दुबारा और दिखानी होगी..

श्री जुबेर खान : जांच हो गयी गिरफ्तारी होनी है। भगवान के लिए जांच को छोडिए सिर्फ गिरफ्तारी करवाइये। महिला थाने ने जांच पूरी करके फाइल गिरफ्तारी के आदेश करके भेज दी है। हम तो केवल गिरफ्तारी चाहते हैं। आप कब तक गिरफ्तारी करा देंगे?

श्री अध्यक्ष : वह बता रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर वह दोषी होगा तो निश्चित रूप से गिरफ्तार होगा। यह मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपको और आप इसके बारे में वह दोषी है या नहीं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले में थाना सरमथुरा में एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वह अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं इस राज में तो हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं समझता हूं कि यह विवाद का विषय नहीं है। यह आपका और हमारा सबका कर्तव्य है कि अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है, अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, कहीं भी रहता हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको संदेह है कि जांच में सही अभियुक्त नहीं आया तो मैं जांच-बदलकर सही अभियुक्त को ढूंढ लूंगा उसके बाद...

श्री जुबेर खान : जांच हो गयी है, गिरफ्तारी होनी है और हमारी आपसे मांग है कि डीवाई.एस.पी. कामां के अलावा किसी और को जिम्मेदारी दीजिए गिरफ्तारी कराने की...

डीवाई.एस.पी. के ऑफिस में यह मुल्जिम जाकर बैठता है और चाय पीता है। जो मुल्जिम को चाय पिलाता है उसे गिरफ्तार कैसे करेगा.. (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका यह केस एस.पी. को देकर...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अगर आप चाहते हैं गिरफ्तारी हो तो डीग के डीवाई.एस.पी. को फाइल दिला दीजिये या एस.पी. भरतपुर को दिला दीजिये अगर आप सही मायने में गिरफ्तारी चाहते हैं तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डीग को क्यों...(व्यवधान) एस.पी. को क्यों नहीं? यह बात तो कोई नहीं करेगा..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस जांच को डी.वाई.एस.पी. ने किसी भी लेवल पर नहीं की है। एस.पी. से जांच करवा कर दस दिन में हाउस खतम होने के पहले-पहले जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी और क्या चाहते हैं आप..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जांच हुई पड़ी है, गिरफ्तारी होनी है। आप उसको बचाने के लिए विधान सभा में जांच का सहारा ले रहे हैं। जांच हो गयी है, गिरफ्तारी के आदेश हो गये, आप उसको गिरफ्तार करवाइये..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दबाव से किसी भी निर्दोष के खिलाफ नहीं करूंगा कार्यवाही। दबाव बनाकर, मैं भी दबाव बनाकर..(व्यवधान) आप कितना भी दबाव बना लो.. क्या बात हुई। दबाव से मैं किसी निर्दोष को मुल्जिम नहीं बना सकता हूं। दबाव से मैं किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा मैं एस.पी. से जांच करा कर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने..(व्यवधान) जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने.. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसे नहीं दिये.. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी को पूछा जाए.. (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 164 के बयान प्रस्तुत करना चाहता हूं। 164 के बयान, एफ.आई.आर. में लड़की को होश में आने के बयान इस पर रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय यह कहकर कि जांच दुबारा कराऊंगा उस मुल्जिम को बचाना चाहते हैं। जहां गिरफ्तारी के आदेश दे दिये, महिला थाना ने 164 के बयान करा कर गिरफ्तारी के आदेश दे दिये तो गिरफ्तार क्यों नहीं कराया जा रहा है? मैं 164 के बयान सदन के पटल पर रखना चाहता हूं..(व्यवधान) अब किस तरह मुल्जिम बना दिया, जांच में मुल्जिम बना दिया, उसे गिरफ्तारी से बचाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप महिला हैं, आप जरा कल्पना कीजिये जिस आदमी को मुल्जिम ठहरा दिया गया एफ.आई.आर. में, 164 में, तफतीश में, मजिस्ट्रेट के सामने और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। वह डीवाई.एस.पी.

(श्री जुबेर खान)

के थाने में जाकर बैठकर चाय पीकर आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश की महिलाओं के लिये हो नहीं सकता...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : डीवाई.एस.पी. ने आपकी बात नहीं मानी। आपनें पैसे मांगे वह नहीं दिये, क्या हुआ वह बताओ ना. (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले में भी ऐसा हुआ है थाना सरमथुरा में..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदस्य श्री निर्भय लालजी, मैं आपसे कह रही हूं आप स्थान ग्रहण कर लें।

माननीय गृह मंत्रीजी, यदि 164 के बयान में लड़की ने उसे भी मुलजिम बताया है, बताया है क्या 164 के बयान में?..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे पास अभी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अध्यक्षजी को दे दीजिये। आप छिपा क्यों रहे हो। दे दो ना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बात ही नहीं करने देते, यह क्या तरीका है। इतना उत्तेजित क्यों होते हैं आप..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी इन्होंने सदन में यह रखने के लिये कहा था। आप जो रख रहे हो, रख दो ना। आप दे दो अध्यक्षजी को। अब क्यों दिक्कत आ रही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां रखो 164 के बयान। आइये, रखिये..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दे दीजिये..(व्यवधान)

(श्री जुबेर खान द्वारा 164 के बयान सदन पटल पर रखे गये)

श्री जुबेर खान : इसको आप पढ़कर सुना दीजिये सदन में 164 के बयान..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को ही दे दीजिये ना आप..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज अभी यह आपका स्थगन लगा और अभी जो मेरे से उत्तर सम्भव हुआ मैं उसी आधार पर आपको कह रहा हूं और उसके बाद में मैंने आपको आश्वस्त किया है कि अगर कहीं भी किसी भी अपराधी का दोष इस रिकार्ड को देखने के बाद और एस.पी. को जांच देने के बाद यह प्रमाणित होगा कि यह अपराधी है तो..

श्री अध्यक्ष : हां, एस.पी. को इन्होंने जांच सुपुर्द की है..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही, मैंने कहा सदन समाप्त होने के पहले-पहले, मैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने रख दूंगा। क्या चीज छिपा रहा हूं मैं इसमें और किस आदमी को छिपा रहा हूं मैं? समझ में नहीं आता..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा, 295 पढ़ें...(व्यवधान) अब हो गया। माननीय मंत्रीजी ने..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने कहा दो मिनट में अनुमति दूंगी। आपने कहा था मेरे स्थगन प्रस्ताव पर..(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, बड़े आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं आप उसको सुनें और उस पर कुछ न कुछ आपका आदेश होना चाहिये। प्रोसीडिंग्स देखें आप। उन्होंने कहा है कि आर.एस.एस. के +++ यह आपत्तिजनक है। कैसे कहा है यह उन्होंने..(व्यवधान)

बिलकुल कहा है आप प्रोसीडिंग देखें। बिलकुल गलत है। आप प्रोसीडिंग दिखवाएं...(व्यवधान) बिलकुल आपत्तिजनक है।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इसको एक्सपंज करा दिया जाए। यह आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक हो तो एक्सपंज करा दो अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : कैसे कही आपने यह बात। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने यह कहा है..

श्री संयम लोढ़ा : आपने कहा है कि दो मिनट बोलने की अनुमति दूंगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं क्या कह रही हूं, आपसे, स्थान ग्रहण करिये आप। मैंने यह कहा है जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त करने के बाद इस पर निर्णय लूंगी, यह कहा है मैंने। इसलिये जब जानकारी प्राप्त कर रही हूं और निर्णय नहीं दिया तो बोलने की किस बात की अनुमति दूं..

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय वस्तु के लिये ध्यान तो सरकार का आकृष्ट करने की कृपा करो। आप यह तो मौका दो। इंदिराजी का मामला है, दो मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है.

श्री अध्यक्ष : जब जानकारी प्राप्त की जा रही है तो यह आयेगा। अभी असेम्बली चलेगी..

श्री संयम लोढ़ा : दो मिनट मैं विषय वस्तु तो निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष : तो जानकारी प्राप्त करने के बाद आयेगा ना सामने सदन के। सदन के सामने आयेगा ना..

श्री संयम लोढ़ा : मैं दो मिनट में तथ्य तो रख दूं..

श्री अध्यक्ष : अब आप जिद कर रहे हैं..

श्री संयम लोढ़ा : मैं जिद नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : जब मैं जानकारी प्राप्त कर रही हूं तो कोई नहीं बोलता है। जब जानकारी प्राप्त होती है तो कोई बोलता थोड़े ही है..(व्यवधान) अब आपको क्या तकलीफ है खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो इंदिराजी की मूर्ति दिखती हैं आप। इसलिये आप अनुमति देओ।

श्री अध्यक्ष : मैंने 295 पढ़ने के लिये कह दिया है। श्री बृजकिशोर शर्मा... (व्यवधान) नहीं पढ़ना चाहते आप..

श्री बृजकिशोर शर्मा : पढ़ना चाहता हूं ना। मैंने कब कहा मैं नहीं पढ़ रहा...

श्री अध्यक्ष : हां, पढिये आप।

श्री अशोक बैरवा : मुझे तो आप इंदिराजी की मूर्ति लगती है इसलिये आप अनुमति देओ।

श्री अध्यक्ष : पढिये...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में चिकित्सा सुविधा हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय...

श्री अध्यक्ष : यह 250 शब्द होते हैं श्री बृजकिशोरजी। केवल यह 250 शब्द होते हैं, आपने कम से कम 600 शब्द लिखे हैं1 भविष्य में 250 ही लिखियेगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं आइन्दा ध्यान रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है पढ़ दीजिये आज तो। पढिये...(व्यवधान) पढिये, फिर आप देर क्यों कर रहे हो...

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ना शुरू करिये ना।

श्री बृजकिशोर शर्मा : निवेदन है कि राज्य की राजधानी जयपुर में चिकित्सा सुविधा हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय वर्तमान में कार्यरत है जिसका कि मुख्य काम विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम कर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन जनसंख्या का बढ़ता दवाब तथा शहरी इलाकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने के कारण सवाई मानसिंह चिकित्सालय में दिनों दिन दवाब बढ़ता जा रहा है। यही नहीं इस चिकित्सालय का दवाब कम करने हेतु शहरी इलाकों में सैटेलाइट हास्पिटलों की स्थापना की गयी लेकिन इन हास्पिटलों में भी कमी एवं पर्याप्त सुविधा नहीं होने तथा दूरियां निरन्तर बढ़ने के कारण ज्यादा जनता सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ही चिकित्सा हेतु पहुंचती है। यही नहीं सैटेलाइट हास्पिटल भी कई स्थानों पर अभी भी नहीं बना पाये हैं। उदाहरण स्वरूप देखा जाये तो जयपुर ग्रामीण की जनसंख्या काफी बढ़ती जा रही है लेकिन आज वहां सेटेलाइट हास्पिटल नही होने से वहां की जनता को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिये सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर ही निर्भर रहना पड़ता है जिससे उन्हें काफी असुविधा महसूस हो रही है इसलिये जोरावरसिंह गेट के आसपास एक सेटेलाइट चिकित्सालय बनाया जावे।

मान्यवर, समस्त राज्य की जनंसख्या को चिकित्सा सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि विभिन्न औषधालयों/चिकित्सालयों/डिसपेंसरीज तथा प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुंनर्गठन किया जाए तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में जहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उन इलाकों में सुविधाएं अविलम्ब प्रदान की जावे। यही नहीं, अनेकों चिकित्सालयों में स्वीकृति के बावजूद कोई चिकित्सक पदस्थापित नहीं हो रहा है तो कहीं स्वीकृत संख्या से अधिक चिकित्सक पदस्थापित हैं जिससे समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

मान्यवर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में दवाब कम हो इस हेतु उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए सैटेलाइट अस्पतालों की संख्या बढ़ाई

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

जाकर वहां पर्याप्त सुविधाएं मुहैय्या करायी जावे तथा शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में कार्यरत डिसपेंसरीज को ओर सुदृढ़ बनाया जावे ताकि वहां की जनता इसका समुचित लाभ ले सके। इसके साथ-साथ विभिन्न चिकित्सालयों में रोगियों की संख्या की तुलना में शैय्याएं काफी कम हैं।

अतः शैयाओं की संख्या में वृद्धि की जावे ताकि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो तथा सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर दवाब कम हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल।

पारम्परिक खेलों के विकास के लिए फण्ड उपलब्ध कराना

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालनों के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य में लुप्त हो रहे पारम्परिक खेलों को पुनर्जीवित किया है, उसके लिये उनका धन्यवाद। प्रारम्भ में गत वर्ष जिला स्तर पर पारम्परिक खेलों का आयोजन किया गया, उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सम्भागीय स्तर व प्रदेश स्तर पर पारम्परिक खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पारम्परिक खेलों का अत्यन्त ही महत्व है। खेल मानव के शारीरिक व मानसिक विकास में सहयोग करता है। पारम्परिक खेल अत्यन्त ही महत्वूपर्ण हैं, जो मानसिक व शारीरिक विकास के लिये अत्यंत ही उपयोगी हैं। परन्तु इस हेतु राज्य सरकार ने कोई विशेष फंड निर्धारित नहीं किया है, बिना फण्ड के इन खेलों को व खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन को लगातार जारी रखना संभव ही नहीं है। राज्य सरकार की इस अनूठी योजना को लगातार सफलतापूर्वक जारी रखने के लिए आवश्यक है कि इस हेतु निश्चित फंड जिला मुख्यालय को आबंटित किया जावे व साथ ही साथ संभागीय स्तर पर व प्रदेश स्तर पर भी फंड निश्चित किया जावे ताकि इन खेलों को लगातार सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाया जा सके। खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के आवास-प्रवास इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी ऐसे फंड की आवश्यकता है। आशा है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर एक निश्चित धनराशि पारम्परिक खेलों के लिए आबंटित करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित) श्री मुरारीलाल मीणा।

बसवा तहसील की पेयजल समस्या का समाधान

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बसवा तहसील मुख्यालय के नाम से 5.82 करोड़ रुपये की पानी की योजना स्वीकृत हुई थी। बसवा की आबादी करीब 20 हजार है। जिसमें से 6 हजार की आबादी मूल गांव में रहती है। इसके अलावा बसवा में करीब 23 ढाणियां हैं जिनकी आबादी 14 हजार के करीब है। इन ढाणियों में पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा तहसील के ग्राम कालेड़, जयसिंहपुरा, मुही, एचेड़ी, झाझीरामपुरा, पापड़ाकी, केशोपुरा, बिवाई, बासबिवाई, गुल्लाना, कौलाना, करनावर, लीलोज, भट्टपुरा, दुब्बी तथा सीमला आदि करीब 40 गांवों में पीने के पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। आने वाला समय गर्मियों के मौसम का आ रहा है जिसे देखते हुए इन गांवों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके इसके लिए टैंकरों से पानी सप्लाई व्यवस्था बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी।

बजरंग कालोनी (किशनगढ़) को परिसीमन में शामिल करने बाबत

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित रूपनगढ़ रोड़ के पश्चिम में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के उत्तर में रामनेर रोड़ के आगे तक एक कालोनी बसी हुई है जो

(श्री भागीरथ चौधरी)

कि रामनेर ढाणी के रास्ते पर दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से उत्तर पश्चिम लगभग एक किलोमीटर की दूरी तक बसी हुई है जिसमें लगभग 800-900 पक्के मकान बने हुए हैं। उक्त क्षेत्र न तो किसी ग्राम पंचायत में शामिल है न ही उक्त क्षेत्र के लोगों के नाम किसी पंचायत राज चुनाव की मतदाता सूची में शामिल किये गये हैं। इस क्षेत्र की जनगणना लगभग 3141 है जो कि शहरी क्षेत्र किशनगढ़ की जनसंख्या में शामिल है तथा क्षेत्र के निवासियों के राशन कार्ड नगरपालिका किशनगढ़ द्वारा बनाये गये हैं क्षेत्र में विकास आदि अन्य कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। गत विधान सभा चुनावों में इस बस्ती के लोगों ने नगरपालिका सीमा क्षेत्र के मतदान केन्द्र में मतदान किया था तथा नगरीय क्षेत्र की मतदाता सूची के भाग संख्या 97 में उनके नाम शामिल थे। परन्तु कथित बस्ती (बजरंग कालोनी) को नगरपालिका परिसीमन कार्य में शामिल नहीं करके उक्त क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तथा प्रकाशित प्रारूप राजस्थान राजपत्र बाबत प्रपत्र 'क' के विवरण में उक्त क्षेत्र को अंकित नहीं करना उनके निवासियों के प्रति संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि नगरपालिका किशनगढ़ (अजमेर) के वार्ड संख्या 1 से 9 तक प्रभावित करने वाले क्षेत्र की उक्त बस्ती के लिए प्रारूप राजस्थान राजपत्र के पुन: प्रकाशन के आदेश कराकर प्रपत्र 'क' के विवरण में शामिल कराने की कार्यवाही कर अनुग्रहीत करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल शर्मा।

विद्युत कनेक्शनों की अवैध शिफ्टिंग के नाम पर वसूली

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सदैव परिश्रम पर अपना जीवन यापन करने वाले किसान से विद्युत विभाग द्वारा अवैध शिफ्टिंग के नाम से हजारों रुपये वसूल किये जा रहे हैं। कुएं एवं टयूबवैल सूख जाने के कारण किसान 8-10 मीटर पर दूसरा कुआ व टयूबवैल निर्माण करने पर सूखे कुएं से दूरी कम होने के कारण नल, बोरिंग के फेल होने की पूरी-पूरी सम्भावना होती है जिससे हजारों रुपयों

(श्री रामलाल शर्मा)

का नुकसान होता है। यदि कृषक द्वारा 15-20 मीटर पर नल, बोरिंग के निर्माण करने पर किसान अवैध शिफ्टिंग की श्रेणी में आकर 2000/- रुपये अवैध शिफ्टिंग चार्ज के रूप में विभाग वसूल करता है जबकि किसान द्वारा कृषि कनेक्शन शिफ्टिंग की फाइल जमा करवा दी जाती है।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों द्वारा शिफ्टिंग की फाइल जमा होने के बाद कृषक की वीसीआर नहीं भरी जावे तथा फाइल जमा होने के बाद शिफ्टिंग की जिम्मेदारी विभाग की होती है। अब तक भरी हुई शिफ्टिंग की वीसीआर को निरस्त किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल अहारी।

खैरवाड़ा में दो नदी बांध के निर्माण बाबत

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में दो नदी का बांध बनाया गया है। यह बांध तहसील मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ठीकवास गांव में स्थित है। यह बांध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चालू करवाया था। कुछ समय बाद कांग्रेस सरकार आयी और उस कार्य को चालू रखा था। इस कार्य में कांग्रेस के पूर्व मंत्री व अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। सरकार को चूना लगाया। इस प्रकार से दो नदी बांध पर वर्ष 1996 से 1998 तक 0.51 लाख रुपये खर्च किये। इसके बाद कांग्रेस सरकार का कार्यकाल आया और 1998-99 में इस बांध पर 132.58 लाख रुपये खर्चा किया। 1999-2000 में इस बांध पर 80.46 लाख रुपये खर्च किये हैं और 2001 से 2003 तक 179.97 लाख रुपये खर्च किये। वर्ष 2004-2005 में 47 लाख रूपया लगा। इस प्रकार से इस दो नदी बांध पर अभी तक 500.35 लाख रुपये खर्च हो चुके एवं इसकी नहरों पर भी 25-26 लाख रुपये खर्च किये हैं। इस प्रकार 5 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और अभी करीब एक वर्ष से इस तालाब का कार्य बन्द पड़ा है। इस प्रकार से अधिकारियों व राजनीतिज्ञों द्वारा सरकारी संपत्ति का हनन किया है, भ्रष्टाचार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता

(श्री नानालाल अहारी)

हूं कि इस बांध का कार्य कब पूरा होगा एवं इसका क्या आकार होगा तथा जिन अधिकारियों ने इस बांध में जो कमियां की तथा भ्रष्टाचार किया इनके खिलाफ शीघ्र ही जांच कराकर इन्हें दण्डित किया जावे और बांध का कार्य शीघ्र ही पूरा करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री सांगसिंह भाटी अपनी पर्ची पर बोलेंगे। सांगसिंह भाटी- अनुपस्थित।

श्री बाबूलाल नागर, पर्ची पर बोलेंगे। तीन मिनट का समय है पर्ची पर बोलने का।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना का कार्य शुरू न करने बाबत

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, सामान्यता: जिन क्षेत्रों में 1.5 पी.पी.एम. तक फ्लोराइड की मात्रा होती है और 1500 पी.पी.एम. तक टी.डी.एस. की मात्रा होती है।

श्री अध्यक्ष : आप तो बीसलपुर-दूदू पेयजल (व्यवधान) कार्य शुरू ना करने के सम्बन्ध में है।

श्री बाबूलाल नागर : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं। वह मापदंड के अनुसार पीने योग्य पानी होता है। अध्यक्ष महोदय, दूदू-बीसलपुर में तीन जिलों के उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो फ्लोरोइड से ग्रसित हैं। एक डेढ़ पी पी एम की जगह इन फ्लोराइड क्षेत्रों के अन्दर 4 पी पी एम से 25 पी पी एम तक फ्लोराइड की मात्रा है पानी में। टी डी एस की तीन हजार से पन्द्रह हजार तक की मात्रा है जो कि पीने योग्य पानी नहीं है। इस तरह का पानी पीने से व्यक्ति और पशुओं की हड्डियां क्षीण हो जाती हैं, कुबड़े

हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। इन सब के निदान के लिए वर्ष 2002 में अशोक गहलोतजी की सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए एक 216 करोड़ रुपए की योजना बनाई। इस योजना के टेण्डर कॉल कर लिए गए, सितम्बर में इसका शिलान्यास हो गया। इसके बाद 2002 से आज तक, 2005 और 2006 में इस योजना की पूरी क्रियान्विति होनी थी लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के टेण्डर आमंत्रित किए गए, लेकिन अधिक राशि होने के कारण उनको निरस्त कर दिया गया। उस फाइल पर यह आदेश किया गया कि अग्रिम निविदाएं लगाई जाएं।

अध्यक्ष महोदय, 13 महीने का इस सरकार का कार्यकाल इन फ्लोराइडयुक्त गांवों के लिए एक अभिशाप बन गया। इन 13 महीनों में आज तक वे निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निविदाएं आमंत्रित नहीं होने के कारण यहां पीने के पानी की व्यवस्था खराब हो गई है। जिस ट्रांसमिशन पाइप लाइन का 23-24 माह में सूरतपुरा से टोडारायसिंह, मालपूरा, दूदू, सांभर तक काम शुरू होना था, सरकार ने 2003 का जो बजट पेश किया उसमें इसके लिए प्रावधान रखा था, 2004 में सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा। इस बार के बजट भाषण में मुख्य मंत्री महोदया ने कहा कि हम इस योजना को शुरू करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस समय तक इस योजना पर एक रुपया खर्च नहीं किया गया। इसकी इस तरह से उपेक्षा हो रही है। इस योजना के पूरी होने से तीन जिलों के 1500 गांवों को लाभ मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी और सरकार से निवेदन है कि आप उनको निर्देश दें कि जो निविदाएं अभी तक नहीं लगाई गई हैं उनको लगाया जाए और योजना की क्रियान्विति जल्दी की जाए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री रामप्रताप कासनियां।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है, बांध भी मेरे क्षेत्र में है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात हुई? पर्ची पर दूसरों को बोलने थोड़े दिया जाता है।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट, आप अगर इजाजत दें। मैं परमिशन मांग रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई बात थोड़े हुई?

श्री अध्यक्ष : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, पर्ची पर ऐसे थोड़े बोला जाता है। जब जनस्वास्थ्य की मांग आएगी उस दिन बोलिएगा।

श्री प्रहलाद गुंजल।

पोषाहार कार्यक्रम की समय पर निविदा जारी न होने बाबत

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए बेबी मिक्स, मीठे और नमकीन मुरमुरों के रूप में जो पोषाहार की सप्लाई हो रही है, इस सप्लाई कार्यक्रम का ठेका सत्र 2003-04 के लिए सम्पादित हुआ। राजस्थान की 6 फर्मों को सारे राजस्थान के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नमकीन-मीठे मुरमुरों और बेबी पोषाहार का ज़िम्मा सौंपा गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं कि इनके अनुबंध की तिथि 10 जुलाई, 2004 को समाप्त होते देखकर, यह मेरे हाथ में एक परिपत्र है, 2004 में टेण्डर करने का कार्यक्रम बनाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है, इन निविदाओं का कार्यक्रम बना लिया, एक परिपत्र जारी कर दिया और अचानक उसके बाद ऐसी कौनसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया कि निविदा कार्यक्रम जुलाई, 2004 से अब तक स्थगित चलता जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिस प्रकार का पोषाहार सप्लाई होता है, उसके बारे में राजस्थान में लगातार खबरें छपती रही हैं कि उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, घटिया क्वालिटी का पोषाहार, बच्चों और महिलाओं द्वारा खाने से परहेज किया जा रहा है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से इस बारे में दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, उसके अनुरुप भी इन निविदाओं में यह शर्त जोड़ी गई कि जो भी पोषाहार उत्पादनकर्ता फर्म है उसके पास इन हाउस प्रयोगशाला होना आवश्यक है और यह प्रयोगशाला भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुंसधान प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, एनएबीएल से अनुमोदित होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि राजस्थान की छहों फर्में, जो ठेके पर काम कर रही हैं उनके पास इन हाउस प्रयोगशाला, एक के पास भी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिर्फ सी एफ टी आर आई, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा जारी सर्टिफिकेट जिन फर्मों के पास है और रेसिपी का निश्चित विवरण जो पोषाहार में दिया जाना चाहिए वह उसके अनुसार ही प्रमाणित फर्मों से लिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जो ठेके पर फर्में कार्यरत हैं, जब उनकी जानकारी में यह प्रश्न आ गया कि वह सी एफ टी आर आई से रजिस्टर्ड नहीं है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला एन ए बी एल है, उनके पास उनके लेवल की कोई रजिस्टर्ड प्रयोगशाला नहीं है, वह इस ठेके में पार्टिसिपेट करने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन ठेके की निविदा के कार्यक्रम को स्थगित करवा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों को ही सत्र 2004-05 के 118.06 लाख के पोषाहार वितरण का बजट लक्ष्य जो रखा गया, बिना निविदा के अनियमित तरीके से 1.18 करोड़ रुपए की सप्लाई का ठेका दे दिया, जो पात्रता नहीं रखते उन फर्मों को दे दिया, यह गम्भीर विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची है, इन्होंने इन निविदाओं को जुलाई, 2004 के बाद 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया और उसका आधार यह लिया कि हमने सी एफ टी आर आई से इस बारे में पूछा है कि उनकी रेसिपी का विवरण क्या है और उनके द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाएं कौन कौनसी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में ही यह पत्र केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर का अनुराग भारद्वाज, डाइरेक्टर, वी सी डी, डिपार्टमेंट ऑफ वूमन एण्ड चाइल्ड डवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर को प्राप्त हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहां मात्र 16 फर्में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रजिस्टर्ड हैं और उनकी रेसिपी का विवरण पोषाहार के मानकों में आना चाहिए, उसका भी ब्यौरा दे दिया। इसके बावजूद भी जब 2004 में इस प्रकार का सीएफटीआरआई से विवरण प्राप्त हो गया, ऐसी कौनसी परिस्थितियां थी जिनके कारण जो फर्मे पात्रता नहीं रखती थीं उन फर्मों को लगातार ठेके एक्सटेंड किए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसी खबरें अखबारों में लगातार छप रही हैं, मैं इनकी कटिंग लाया हूं और उस पोषाहार का नमूना भी लाया हूं जिसको मैं आज टेबल करना चाहता हूं कि पोषाहार जानवरों का आहार बना और बच्चे उसको नहीं खा रहे। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल अखबारों में ही नहीं उठा, मैं निवेदन करना चाहता हूं..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : सहरियाओं की मौत भी इसी पोषाहार से हुई है। जो सप्लाई करने वाले हैं उन पर मुख्य मंत्री सचिवालय का पूरा हाथ है और उन लोगों को बिना टेण्डर के 118 करोड़ का ठेका दिया गया, यह सही बात है।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहां मुख्यमंत्री सचिवालय आता है?

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको याद नहीं है माननीय मोदी साहब, इतना गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें मुख्य मंत्री सचिवालय कहां आ गया?

श्री हरिमोहन शर्मा : इतना गम्भीर प्रश्न है कि 118 करोड़ का ठेका बिना टेण्डर के दे दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : xxx

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं उसमें सवाल यह नहीं है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण करें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, यह बहुत गलत तरीका है कि आप चाहे जब खड़े हो जाएं, कहने लग जाएं, मैं बर्दाशत नहीं करूंगी इस बात को। बहुत गलत बात है। वो अपनी पर्ची पर बोल रहे हैं, कोई बात है, जब समय आये तब अपनी बात कहें, लेकिन यह मतलब नहीं है कि चाहे जब खड़े हो जाएं और जब खड़े होकर चाहे जो बोलने लग जाएं I would not tolerate.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको खुश होना चाहिए कि सत्ता पक्ष का सदस्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो आपको खुश होना चाहिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

डा.सी.पी. जोशी : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा। आप भी पर्ची के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको भी अनेक अवसर हैं। आपको जो कुछ कहना हो उनको उन अवसरों से, नियमों से, प्रक्रियाओं में आप कह सकते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री ओम बिरला : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री अध्यक्ष : आप इस सदन के प्रांगण को (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप किस नियम में खड़े हो जाते हो? किसकी अनुमति से? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री मदन राठौड़ : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : आपने पर्ची के माध्यम से एक मसला उठाया है। (व्यवधान) आप समय के अन्दर समाप्त करें। पर्ची का एक समय होता है, समय में समाप्त करें आप।

श्री प्रह्लाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मुझे लगता है इस मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी को गुमराह कर रखा है। यह वि.य उनकी जानकारी में आना आवश्यक है।

श्री तग राम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बोलें.

श्री प्रह्लाद गुंजल : मैं बोल रहा था, शायद इस मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी..

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में कृपया समाप्त करें।

श्री प्रह्लाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लाखों बच्चों, गर्भवती महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अनियमितताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस पर सरकार का ध्यान केन्द्रित करना बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं यह मामला राजस्थान के जन-जीवन से जुड़ा है। इस सारे सदन की सामूहिक लाइबिलिटी बनती है इस प्रकार के वि.य में हम जिम्मेदारी का निर्वहन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं पर्ची पर कोई जवाब नहीं मिलता, कोई कार्यवाही नहीं होती, लेकिन यह सदन खाली इसलिए नहीं है कि प्रश्न का उत्तर दे दें, जी हां, जी नहीं, जांच चल रही है, कार्यवाही की जाएगी या जांच होने पर, रिपोर्ट मिलने पर कार्यवाही होगी, इसलिए सदन नहीं है। जनता के लिए जो हमारी जवाबदेही है उससे राजस्थान की जनता के साथ न्याय करने के लिए यह सदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सारी फर्में हैं..

श्री अध्यक्ष : उनकी तालियों से आप ज्यादा उत्साहित न हों।

श्री प्रह्लाद गुंजल : मैं वही कह रहा हूं, ये जो सारी फर्में हैं जिनके पास राजस्थान में सप्लाई का काम है सी.एफ.टी.आर.आई. से जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके मापदण्डों की रेसिपी का इनके पास माल नहीं है और ये भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रमाणित प्रयोगशाला इनके

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कारखानों में नहीं है, फिर ऐसी कौनसी मजबूरी है कि सरकार लगातार 100 करोड़ से ज्यादा की सप्लाई दे दे और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह मामला लगातार अखबारों में आने के बाद और केवल अखबारों में इतना ही नहीं आया, जिस कार्यक्रम में 6 फरवरी, 5 फरवरी को माननीय मंत्रीजी को कोटा में भाग लेना था उस कार्यक्रम के अन्दर वहां की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं उन्होंने प्रेस को कहा कि महिला और बच्चों को जो पोषाहार दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी सही नहीं होने से महिलाएं और बच्चे इसको लेने से आनाकानी कर रहे हैं, वे स्वंय न खाकर भैंसों को खिला रहे हैं। इससे सरकार के पैसों की फिजूलखर्ची हो रही है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के पैसे की फिजूलखर्ची हो रही है और दूसरा 31 मार्च तक जो ठेका बढ़ाया, अब वित्तीय वर्ष शुरू हो गया 2005-06, इसमें सरकार ने प्रावधान कर दिया 153.27 करोड़ का पोषाहार खरीदेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं आपने 31 मार्च के बाद एक अप्रैल को जो सी.एफ.टी.आर.आई. और भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता वाले पोषाहार उत्पादनकर्ता हैं क्या उनको ठेका दे दिया है या इन इल्लीगल फर्मों को ही आपने एक अप्रैल के बाद फिर से 153 करोड़ रुपये की भूर बांटने के लिए ठेके का एक्सटेंशन कर दिया है। यह बहुत गंभीर मामला है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस विषय को केवल पर्ची के रूप में न लें, मानवीय जन-जीवन से और एक गंभीर अनियमितता के रूप में देखते हुए राजस्थान की सरकार को इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए यह ठेकेदार जो राजस्थान के गरीब बच्चों और गरीब महिलाओं को निर्धारित मापदण्डों से नीचे का पोषाहार सप्लाई कर रहे हैं उनकी निविदा को खारिज किया जाना चाहिए और सी.एफ.टी.आई.आई. ने जो 16 फर्मे रजिस्टर्ड बतायी हैं जिनका निर्धारित मापदण्डों का मानक है उससे सप्लाई की जानी चाहिए। इससे लगेगा कि राजस्थान की सरकार इस प्रदेश की जनता, गरीब बच्चों और महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। पर्ची के माध्यम से अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं, आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. र . . . : अध्यक्ष महोदय, इससे और कोई प्रश्न पर के माध्यम से नहीं आ सकता। और एक सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय, हम मां . करते हैं, मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं. मंत्रीजी सदन को : स्वस्त करें कि राम .जमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो । तें कही हैं यदि ये बातें सही हैं तो आपकी सरकार के लिए यह गंभीर प्रश्न है कि डेढ़ र ल हो गया सरकार को और सरकार उस टेंडर को आगे बढ़ाती जा रही है। (व्यव न)

श्री विष्णु . दी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई पर के म ध्यम से बात उठे तो जरूरी नहीं है कि मंत्री का उसी वक्त जव ब हो, मं . जव ब तब देगा जबकि इसकी जानकारी मिलेगी। कोई गंभीर मसल हो।

डा. र . . जोश. : यह क्या जवाब है? आ.की मंज पर नहीं है। (व्यवधान)

श्री : ध्य क्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री वि.णु . दी : मंत्री को जवाब देने के लिए । ध्य नहीं किर ज सकता। मं के प स उसकी जानकारी ही नहीं हो.ी त जव ब कहां से दे ?

श्री हरिमोहन शर्मा : वह दे रहे हैं।

श्री : ध्य क्ष : शांत रहें। ऐसा है कि पर्ची के माध्यम से इन्होंने इस प्रश्न को उठाया है और एलीगेशन और चार्जेज ल ए हैं, इमिजिएट . त जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं वे। (व्यवधान) सुनिए, सुनिए इस तरह से बैठे-बैठे बोलते हैं यह ठीक नहीं है। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि एकदम यहीं नहीं सुनने दिए कि वह क्या-क्या कह रहे हैं, वह खुद भी उत्तेजित हो गये और : पर भी बीच-बीच में बाधा और व्यवधान डाल। इसलिए र री प्रोसिडिंग्स को देखकर क्या-क्या उन्होंने कहा है, आ.। तैर री करके : र इस बारे में अपना वक्तव्य दे दीजिएगा। ठीक है, श्री घनश्याम सि ड़ी। देखिए, बैठे बैठे बोलते हैं हरिमोहन जी, ठीक नहीं है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 एवं बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (जुलाई, 2002 से जून, 2003) एवं बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-43 के अन्तर्गत बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंहजी।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन पटल पर प्रतिवेदन रखने में विलम्ब

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर under rule 294 and the decisions given by the Hon'ble Speaker from time to time....(interruptions)..... Yes. I have raised it in 1981 also.

श्री अध्यक्ष : हां, हां, बोलिए आप बोलिए न क्या पाइंट आफ आर्डर है?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान यह जो आपने सूची दी है और इसमें माननीय ऊर्जा मंत्रीजी जो रखने वाले हैं, राजस्थान राज्य पावर निगम ऊर्जा मंत्री कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ग के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखगे। यह पहला है राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम 2001-2002 अध्यक्ष महोदय, ये अब तक हर साल रखने चाहिए वार्षिक प्रतिवेदन, सदन में

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इतने साल तक सदन को गुमराह कैसे रखा गया सदन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गयी? मैं माननीय मंत्रीजी को दोष नहीं देना चाहता हूं, जो वर्तमान मंत्रीजी हैं इनके अकेले की कोई गलती नहीं है इसमें लेकिन जिन अधिकारियों ने जान बूझकर सदन को अंधेरे में रखा 1996 से लेकर 2002 तक, अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मामला है और सीरियस इसलिए है कि यही मामला मैंने 1981 के अन्दर इस सदन में उठाया था। 1981 में मैं इस सदन का सदस्य था और उस समय मैंने यह मामला 1.4.1981 को सदन में उठाया गया। नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा का व्यवस्था का प्रश्न है इसमें। उस समय अध्यक्ष महोदय..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन विलम्ब से रखा गया, बात इतनी-सी है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिए न पूरी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारी विद्वता अपना पढ़कर के बताने का.. (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप पूरी बात सुनिए, मैं बताऊंगा न।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर रेज हुआ है it's a valid point of order. Now the Hon'ble Minister has only two options. Either he takes back the "prativedan" or explain the reasons for the extraordinary delay.

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरी बात पूरी करने दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री विष्णु मोदी : why this extraordinary delay has taken. place?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची भी थी।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विष्णु मोदी : The Hon'ble Minister has no other option except these two.

श्री रामप्रताप कासनिया । मेरी पर्ची थी।

श्री अध्यक्ष : पर्ची के टाइम आप एबसेंट थे।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उस समय हमने यही व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और राज बहादुर जी माननीय....

श्री अध्यक्ष : अब आप यही कहिए न कि इतनी देर से क्यों रखे गये, इसका जवाब दें।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय एक मिनट आप बिराजिए। उस समय माननीय राज बहादुरजी इस सदन के सदस्य थे, उन्होंने भी मेरी बात का समर्थन किया। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि 1995-96 से लेकर 2002 तक आप अब इतने विलम्ब से सदन की मेज पर यह लाये हो सदन में रखने के लिए, इनके क्या कारण हैं, यह कारण आपको बताने चाहिए थे हमको, इतने विलम्ब से आप क्यों लाये हो और इतने पुराने और आज आप एक साथ सात प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हो। मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के इतिहास में एक कीर्तिमान...

श्री अध्यक्ष : ये रख तो रहे हैं न।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, एक कीर्तिमान होगा कि सात वार्षिक प्रतिवेदन एक साथ रख रहे हैं। यह कीर्तिमान होगा इस विधान सभा के इतिहास में। यह विधान सभा की अवमानना भी है।

श्री अध्यक्ष : और आपका बोलना भी कीर्तिमान हो जाएगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं तो एक जागरूक विधायक होने के नाते इसको उठा ही रहा हूं जो एक कमी रही है। मेरा तो कर्तव्य है, अध्यक्ष महोदय, हम विधायक हैं, विधान सभा के सदस्य हैं, हमारे हाथ में और क्या है? हम केवल जो..

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो आपको पहल करनी चाहिए कि विधान सभा की इतनी अवमानना हो, इस तरह से 7-7 प्रतिवेदन रखे जाएं, यह तो आपकी तरफ से व्यवस्था आनी थी।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं भी यही कहने वाला था कि आपकी तरफ से अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रतिवेदन रखे जा रहे थे, आपको पूछना चाहिए था इसमें कि आप यह प्रतिवेदन 1995-96 से लेकर 2002 तक एक साथ कैसे रखे, यह विभाग से पूछना चाहिए था. मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन रखने के पहले माननीय मंत्रीजी सदन को कारण बताएं कि इतना डिले क्यों हुआ और यदि यह कारण बताने में आज असमर्थ हों तो आप इनको डेफर कराइए, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, सदन में रीजनिंग के साथ आएं और उसके बाद यह प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें और इसके बाद 2002 के बाद 2002-2003, 2003-2004 ये दो प्रतिवेदन भी अभी इस सदन में नहीं आये हैं. इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है, सदन की अवमानना है, मंत्रीजी की जानकारी में मामला नहीं लाया गया और अधिकारियों ने अपनी मनमानी से सदन को अनभिज्ञ रखा, सदन की अवमानना की है. बहुत गंभीर प्रकृति का यह प्रश्न है. इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको डेफर करें और निर्देश दें विभाग को कि आप इसकी रीजनिंग के साथ विधान सभा में आइए और जिन-जिन अधिकारियों ने यह गलती की है उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करने के निर्देश भी अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से दिए जाने चाहिए कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन-जिन ने अब तक, यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, न सरकार का सवाल है, हम भी सरकार में रहे तो यही, वो भी सरकार में रहे तो यही स्थिति। इसलिए मैं कोई कांग्रेस पार्टी या बी.जे.पी. सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह अधिकारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं यह उनकी कार्य प्रणाली का परिणाम है कि मैं उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इंगित करना चाहता हूं इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है, सदन को गुमराह किया गया है, सदन की अवमानना की गई है, आपकी अवमानना हुई है. अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी रखी गई तो अभी तो यह धीरे-धीरे इस तरह से कर रहे हैं, बाद में तो यह सदन में रखना ही बंद कर देंगे इसलिए अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है और आप इसको तो डेफर करें, इसका तो कारण पूछें और 2002-2003 और 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन यह क्यों नहीं लेकर आए इस बात की भी सदन को जानकारी दें. आपने मुझे मौका दिया, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

का, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है और ऐसे मौके पर आपको प्रोटक्शन देना चाहिए कि माननीय नाथूसिंहजी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है इसकी अब सिर्फ दो ही बातें बचती हैं कि या तो एक्स्ट्रा आर्डिनरी डिले का एक्सप्लेनेशन हो या यह डेफर हो तो मेरी भी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको डेफर कराएं और फिर क्या परिस्थितियां रही हैं उसकी पूरी स्थिति सदन को अवगत कराई जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) एक मिनट...

डा. सी.पी. जोशी : आप सरकार में हो, बैठो, आप बाद में बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है उससे हम सबको चिंता होनी चाहिए पर अच्छा होता, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह आपने बिजनस में लिस्ट कर दिया इसलिए यह डोमेन आपका है। जब आपने लिस्ट किया उसके पहले आपके सैक्रेटेरिएट की ड्यूटी थी वह सम्बन्धित विभाग के सैक्रेटरी को कहते कि यह जो टाइम पर रखने की जिम्मेदारी उनकी है वह टाइम पर उन्होंने क्यों नहीं रखा इसलिए यह सारी जिम्मेदारी सैक्रेटेरिएट की है कि जब आपने बिजनेस में लिस्ट किया उसके पहले सब चीजें हो जानी चाहिए थी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इस बारे में सदन में जो चिंता सदस्यों ने व्यक्त की है उस बारे में आपको काग्नीजैंस लेना चाहिए।

धीरे-धीरे यदि परम्परा यह पड़ जाएगी कि हम समय पर इसको नहीं रखें तो यह ऐसी परम्परा पड़ जाएगी कि कोई भी सैक्रेटरी अपनी रिपोर्ट को टाइम पर नहीं रखेगा और अनफार्च्युनेटली यह बिजली विभाग तो कम्पनी बदल गई है, कम्पनी बदलने के बाद इसकी फाइनेंशियल रेस्पोन्सिबिलिटी अलग ढंग की हो गई है। कम्पनी बनने के बाद तो ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रतिवर्ष इस सदन में प्रतिवेदन को रखें। डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, प्रतिवेदन को नहीं रखें या कोई सेमी गवर्नमेंट की रिपोर्ट को नहीं रखें तो समझ में आता है लेकिन कम्पनी को नहीं रखें क्योंकि कम्पनी का सीधा

(डा. सी. पी. जोशी)

सम्बन्ध जनता से है, इसमें फाइनेंशियल सारी चीजें इन्वाल्व हैं अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मान्यता है कि मैं मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि आप इसको डेफर करें लेकिन निश्चित तौर पर आपका सैक्रेटेरिएट इस बारे में भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो कि बिना आपकी अनुमति के यदि ये सदन में इस तरह की आती हैं तो या तो आपने इसको कंडोन किया है या आपने परमीशन दी है. यदि आपने परमीशन नहीं दी है तो निश्चित तौर पर जिन-जिन विभाग के, अभी 2004-05 हो गया, उन सब की रिपोर्ट, प्रतिवेदन आने के सम्बन्ध में जो भी कुछ कार्यवाही करनी हो वो कार्यवाही की जानी चाहिए. सैक्रेटरीज को प्रताड़ना दी जानी चाहिए विभाग की जो एफीशिएंसी है, इसके सम्बन्ध में भी सरकार का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपको निश्चित तौर पर इसको लाइट में नहीं लेना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि राजकीय उपक्रम की डिबेट आपने रख रखी है, राजकीय उपक्रम की डिबेट के सम्बन्ध में मुझे कहते हुए तकलीफ है कि 2004-05 की राजकीय उपक्रम की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी गई है और राजकीय उपक्रम की आपने डिबेट रखवा दी है कल 2003-04 की रोडवेज की रिपोर्ट, प्रतिवेदन रखा है। राजकीय उपक्रम को आपने बिजनस में लिस्ट कर लिया है, डिमाण्ड है और उसके बाद सदन में 2004-05 की राजकीय उपक्रम की रिपोर्ट नहीं आई, 15-16 उपक्रम हैं उनके प्रतिवेदन ही सदन में नहीं आये तो सदन क्या चर्चा करेगा। इसलिए इस मौके का लाभ उठाकर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर हर साल के जो प्रतिवेदन ड्यू हैं उनको हर साल रख जाए और यदि कंडोन किया जाना चाहिए तो आपके लेवल पर इस कंडोनेशन के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बिना यह किये हुए सदन की ये चीजें लिस्ट नहीं हों। इस सम्बन्ध में आपको निश्चित तौर पर व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, Assembly Secretariat is not part of the discussion here.

श्री अध्यक्ष : कह चुके न अपनी बात। आप अपनी बात कह चुके हैं न

श्री विष्णु मोदी : अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि असेम्बली सैक्रेटेरिएट की भी गलती है. Assembly Secretariat is not to be discussed here.

(श्री विष्णु मोदी)

वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। असेम्बली सैक्रेटेरिएट ने तो गवर्नमेंट ने जो भेजी उसको लिस्ट कर दिया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आई एम नाट सेइंग कि गलती है। यह स्टेज पहले होती है बाद में नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था चाहते हैं। (व्यवधान) सवाल-जवाब नहीं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि दो ही बातें हैं। एक्स्ट्रा आर्डिनरी डिले है यह सामने है। अब यह तो या तो डेफर होना चाहिए और एक्स्ट्रा आर्डिनरी डिले के बारे में पूरी जब तक सूचीबद्ध जानकारी नहीं हो तब तक इसको नही रखने देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है...

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था देंगे या मैं दूंगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप देंगे।

व्यवस्था

विभागों आदि के प्रतिवेदन समय पर आने चाहिए

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया है ऐसा ही पाइंट आफ आर्डर पूर्व में भी सन् 1980-81 में उठ चुका है और उसमें व्यवस्था भी दी जा चुकी है। मैं माननीय सदस्यों को और सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड ने केवल हमारे पास तो 2001-02 का ही अपना प्रतिवेदन भेजा था लेकिन हमने पूछा कि पहले वाले प्रतिवेदन भी नहीं आये इसलिए उनका क्या हुआ तब उन्होंने सब एक साथ भेज दिये।

डा. एन .एस. गुर्जर : यह तो और भी गम्भीर बात हो गई।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं चाहूंगी कि भविष्य में यह केवल राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड तक की बात नहीं हो बल्कि सभी विभागों के प्रतिवेदन सदन में पेश होने चाहिए ताकि उनको पढ़कर के माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, उनकी समीक्षा कर सकें और उनके बारे में जो कुछ कहना हो, कह सकें। इसलिए सभी विभागों को इस बात की आसन की ओर से भविष्य के लिए हिदायत दी जाती है कि वे इसका पालन करेंगे, समय पर अपने-अपने प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : वह तो मान्य है लेकिन अभी जो प्रतिवेदन रखने वाले हैं उसके बारे में...

डा. एन.एस. गुर्जर : पाइंट आफ आर्डर पर अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी वह तो मान्य है, आपने अच्छा दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं लेकिन इसकी रीजनिंग तो बतायें कि क्यों डिले हुआ। 2005-06 चल रहा है 2002-03, 03-04, 04-05...

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो अब आप। मंत्री महोदय, क्या कारण बताने की स्थिति में हैं? यदि आज नहीं हो तो कल पेश कर दीजिएगा, आज बतायें तो आज बता दीजिये कारण।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने कहा कि 2001-02 के रख रहे हो, पहले के कहां है, यह तो घोर अनियमितता की बात हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1995 के यानि 10 साल पुराने प्रतिवेदन अब रखे जा रहे हैं। उसमें हम क्या तो देखेंगे, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्या इसमें गुंजाइश है...

श्री अध्यक्ष : पूर्ववर्ती सरकार के समय के हैं सब।

श्री शांतिलाल चपलोत : किसी प्रकार की घपलेबाजी हुई है। इसको देखकर के हम कुछ भी नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे, नहीं होगा।

श्री शांतिलाल चपलोत : ....कोई बात नहीं कही जा सकती। इसलिए इनको ताड़ना दी जावे कि ये सन् 1995 के अब लाने का कोई औचित्य भी नहीं है। अब इसको देखकर के हमारा विधायक क्या बात कहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात हुई, आप कहो और उसके बाद ये लाकर पेश करे इसका मतलब यह है कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए इनको ताड़ना दी जावे अध्यक्ष महोदय।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि आगे भविष्य में गलती नहीं होगी। पिछले सत्र में राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने भी पुराने प्रतिवेदन रखे थे, मैंने ही पाइंट आफ आर्डर किया था, आपने अभी कमेंट किया है कि भविष्य में नहीं होगी तो अध्यक्ष महोदय, अगर इस विधान सभा को इसी तरह से नान सीरियसली चलाना है तो आपकी मर्जी।

डा. सी.पी. जोशी :.....यह तो बहुत गलत है। पार्टी मीटिंग की यह बात हुई है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्रीजी खड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं खेद प्रकट करता हूं कि यह जो विलम्ब हुआ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद प्रकट करने से कुछ नहीं होगा He has only two options. Either he withdraw it or he explains in detail. There is no room कि मैं खेद प्रकट करता हूं, He has to explain in detail. Either he withdraw it or he should explain in detail.

श्री गजेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, I will explain in detail but I should be given time.

डा. एन.एस. गुर्जर : डैफर करिये फिर।

श्री विष्णु मोदी : डैफर करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार लिया कि विलम्ब हुआ है...

श्री विष्णु मोदी : क्या स्वीकार किया कि मुझे खेद है। Please don't compromise with the sanctity of this House. Take it seriously.

डा. एन.एस. गुर्जर : रीजन्स क्या दे रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रीजन बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : रीजंस दीजिये। क्या खेद प्रकट करते हैं ? [illegible] आपको मालूम है, आपने भी खेद प्रकट किया था। पिछले सत्र में आपने खुद ने खेद प्रकट किया था। आप क्या इशारा कर रहे हैं? मैं [illegible] बात कहूं अध्यक्ष महोदय, कि आप इस विधान सभा को नान सीरियसली न लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय ने स्वयं ने खेद प्रकट कर लिया और आसन ने व्यवस्था भी दी है। अध्यक्ष महोदय, सारे जितने भी उपक्रम हैं उनको सरकार की तरफ से निर्देश भी दें कि उनका प्रतिवेदन समय पर आ जाए। अध्यक्ष महोदय, 1995-96 के प्रतिवेदन जब मंत्री महोदय रख रहे हैं उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। ये [illegible] रहे हैं ये भी सरकार में थे इसलिए मेरी [illegible] है कि इसके अन्दर विलम्ब के लिए क्षमा करते हुए प्रतिवेदन को रखने की अनुमति दें।

डा. एन.एस. गुर्जर : सवाल यह नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, कौल एण्ड शकधर में सिर्फ यह है- either he withdraw or explain the delay.

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, आप आसन की व्यवस्था भी सुनें। इन्होंने, चूंकि सदन में रखने की अनुमति तो मैं देती हूं लेकिन कारण भी [illegible] में बतायें। कारण बता दीजिये बाद में। कल बता दीजिये [illegible] दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी इस कार्य के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ भी तो कार्यवाही होगी न ? उन अधिकारियों का भी दोष है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको सदन में रखने की तो अनुमति दे रही हूं, सदन में तो आप रख दें लेकिन इसके कारण कल या परसों आप सदन की मेज पर रख दीजिये। कारण बता दीजिये हाउस को।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड के 6 वार्षिक प्रतिवेदन (1995-2001) एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का सप्तम् प्रतिवेदन वर्ष 2001-02

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96
2. राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97
3. राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98
4. राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रविवेदन वर्ष 1998-99
5. राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000
6. राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड का षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

(श्री गजेन्द्र सिंह)

7. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भागीरथ चौधरी।

याचिकाओं का उपस्थापन

किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

1. किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

किशनगढ़ (अजमेर) में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने बाबत

2. किशनगढ़ (अजमेर) में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

ग्राम पंचायत मुख्यालय तिलोनिया एवं पाटन में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने बाबत

3. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय तिलोनिया एवं पाटन में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा।

गढ़ गणेश से जलमहल (जयपुर) तक रोपवे बनाये जाने एवं जयपुर ग्रामीण में सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने बाबत

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर शहर में गढ़ गणेश से जलमहल तक रोप-वे बनाने बाबत

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में सैटेलाइट अस्पताल खोलने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

माध्यमिक विद्यालय गुंगारा एवं गोठड़ा भुकरान एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों चारण का बास को क्रमोन्नत किये जाने बाबत

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुंगारा एवं गोठड़ा भुकरान तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय चारण का बास को क्रमोन्नत करने के लिए छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

केलवाड़ा (बारां) स्थित सीताबाड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लेने बाबत

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बारां जिले के केलवाड़ा में स्थित सीताबाड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लेने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर में व्याप्त गड़बड़ियां

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री संयम लोढ़ा और डा. सी.पी. जोशी कानोडिया महिला महाविद्यालय में व्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितताओं के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत कानोडिया महिला महाविद्यालय में व्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय गड़बड़ियों को छिपाकर उसके निजीकरण के प्रयास को तुरन्त रोकने एवं उसे सरकार द्वारा अधिगृहीत करने के क्रम में माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संयम लोढ़ा और माननीय सदस्य डा. सी.पी. जोशी ने जो 131 में ध्यान आकर्षित किया है, उसके तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार हैं।

कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा एक रुपये प्रतिवर्ष लीज पर भूमि 8.67 एकड़ वर्ष 1965 में आवंटित की गई। राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के अतिरिक्त यू.जी.सी. से सीधे भी संस्था को अनुदान प्राप्त होता है। संस्था के सम्बन्ध में सोसायटी के पंजीकरण एवं शिक्षकों पर अत्याचार, छात्राओं से अत्यधिक फीस लिये जाने की अनियमितताओं एवं प्रबन्धन द्वारा संस्था के निजीकरण की मंशा की शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा विभिन्न समाचार पत्रों में भी संस्था के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किये गये थे। उपरोक्त शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, कालेज शिक्षा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन करके करवाई गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट माह नवम्बर, 2004 में राज्य सरकार को प्रेषित की। जांच के तथ्यों को देखते हुए संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 10(1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि क्यों नही संस्था पर प्रशासक नियुक्त किया जाये? संस्था के सचिव द्वारा नोटिस का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 15.12.2004 को प्रेषित किया गया जिसमें उन्होंने नोटिस के बिन्दुओं का उत्तर प्रेषित करते हुए जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर संदेह प्रकट किया। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनः निष्पक्ष जांच करवाने हेतु उप सचिव, उच्च शिक्षा को नियुक्त किया गया है जो दोनों पक्षों को सुनकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जांच रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगी। राज्य सरकार ने संस्था के निजीकरण हेतु न तो कोई निर्णय लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरकार इस संस्था को वर्ष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

1965 में भूमि आबंटित करते समय निर्धारित शर्तों पर ही संचालन कराएगी। उक्त शर्तों में किसी परिवर्तन की कोई मंशा न तो है और न होगी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का 1965 में जमीन आवंटन के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ, उसके अन्तिम बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं "The said women's college will be known and styled as Kanodiya Mahila Mahavidyalaya to be run under Kanodiya Shiksha Sansthan."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कानोडिया शिक्षा संस्थान का गठन हुआ 1965 के बाद आज तक? और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार उच्च शिक्षा निदेशालय के ध्यान में इस कालेज में व्याप्त अनियमितताओं की इनको जानकारी थी? और 10 फरवरी, 2004 को संयुक्त निदेशक, कालेज शिक्षा ने जो पत्र उक्त महाविद्यालय के सचिव को दिया, उसकी कोई जानकारी संस्था के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई? उसके बाद आयुक्त, देवस्थान विभाग ने 26 फरवरी, 2004 में जो समस्त जानकारियां मांगी, उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई और 19.2.2004 को जो नोटिस दिया गया, आपके ही डाइरेक्टर द्वारा जांच करवाने के पश्चात, उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही उक्त संस्था ने नहीं दी। जिसमें गलत नियुक्तियां, गलत पदोन्नतियां, लाखों रुपयों का दुरुपयोग, ये सारे आरोप उसके अन्दर शामिल थे।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल करूंगा आपकी सेवा में कि इस कालेज ने किस तरह से फर्जीवाड़ा चला रखा है। एक लड़की मीराकुमारी मीणा, जिसकी यह रसीद है फीस की, जिसमें सरकार को दिखाने के लिए तो 300 रुपये की रसीद और वास्तव में उस लड़की से 4700 रुपये वसूल किये गये और इस तरह के खाते तरह-तरह के इस कालेज ने खोल रखे हैं और जो छात्राओं से फीस की राशि वसूल की जा रही है, उसका भारी दुरुपयोग इस कालेज के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद यह सारी जांच जब पूरी हो गई तो 2.12.2004 को सचिव, कानोडिया कालेज को एक नोटिस सरकार के द्वारा दिया गया जिसमें लेखाधिकारी, उप शासन सचिव, सबके दस्तखत हैं और अब राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 10(1) में

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रशासक नियुक्त करने का यह नोटिस दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्या हुआ कि यह कालेज का मैनजमेंट हरकत में आया और बोम्बे से माननीय मुख्य मंत्रीजी के निजी मित्र को साथ लेकर यहां पर आया, उनके निवास पर मिला और एक रिप्रजेन्टेशन उनको पेश किया और उस रिप्रजेन्टेशन पर ही मुख्य मंत्रीजी ने यह लिख दिया कि ये अनुदान नहीं लेना चाहते, इससे इनको मुक्त किया जाये। उसके निजीकरण के सम्बन्ध में टिप्पणी कर दी और जांच के सम्बन्ध में भी उन्होंने जो निर्देश दिये, वह माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपकी जानकारी में है।

अब दो जांच होने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो जांच होने के बाद, जांच प्रमाणित होने के बाद, उक्त संस्था द्वारा किसी प्रकार का रिकार्ड उपलबध नहीं करवाने के बाद एक रिप्रजेन्टेशन जो मुख्य मंत्रीजी के मित्र के माध्यम से दिया, उसके आधार पर आपने फिर एक जांच कमेटी गठित कर दी और अब वह जांच कमेटी भी बजाय शिकायत करने वाले लोगों से किसी तरह की जानकारी लेने के, उन्होंने 12 बिन्दु कालेज मैनजमेंट को लिखकर भेज दिये और उसी के द्वारा दिये गये रिप्लाई को इनकोरपोरेट कर लिया, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानोडिया कालेज एक बहुत प्रतिष्ठित कालेज है। लड़कियों को बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाता है लेकिन इसके बावजूद आज इसका अनुदान बन्द है। तनख्वाह के लाले पड़े हुए हैं और यह कालेज इस स्थिति में भी है कि इसको स्ववित्त पो.त के आधार पर चलाया जा सकता है। इन तमाम अनियमितताओं को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर प्रशासक नियुक्त करें जिससे इस कालेज को विधिवत चलाया जा सके।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान उनके उत्तर की ओर आक.त करना चाहता हूं, जहां मंत्रीजी ने कहा "सरकार इस संस्था का संचालन ... 1965 में भूमि आबंटन करते समय निर्धारित शर्तों पर ही करवाएगी" यह आपके उत्तर का मूल सार है। जो 1965 में शर्त थी, यदि उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम इस पर सही चर्चा नहीं कर पायेंगे। मैं उसमें पूछना चाहता हूं कि 1965 में जो शर्त रखी, उसमें स्पष्ट लिखा है-

(डा. सी. पी. जोशी)

"I am directed to convey sanction of the Governor to the starting of the girls' college at Jaipur by Shri Bhagirath Kanodiya on the following terms and conditions..."

यह गवर्नर ने जो परमिशन दी है, वह मिस्टर भागीरथ कानोडिया को दी है, Not Trust, not Sanstha, not registered...

यह पहला पार्ट गवर्नर का है, उसको दी है। उसके बाद उसमें चौथे में लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ".... That the said college will be managed and run by Shri Bhagirath Kanodiya as an aided instiution affiliated to the University....."

यह वर्ड बिलकुल क्लियर है कि एडेड इंस्टीट्यूट के रूप में काम किया जायेगा। तीसरा, छठे में लिखा हुआ है, जिसको मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो लास्ट में है, यह लिखा है,

"....That the government will pay 90% of the approved recurring expenditure as a grant in-aid for running the college from the very beginning of the start of the college which is expected to be formed in July, 1965 and at least in P.U.C. and first year of the 3 year degree courses as a special case in relaxation of the existing rules and further..."

मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं "...further to categorise the aforesaid college as a special institution for receving grant in aid...."

इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत साफ लिखा हुआ है, यह एड इंस्टीट्यूशन होगी, ग्रांट इन एड के अन्तर्गत होगी। यदि यह टर्म्स 1965 की है अध्यक्ष महोदय, तो आपको गवर्न करना पड़ेगा इसके आधार पर। मैं, माननीय मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं, ग्रांट इन एड के रूल के अन्तर्गत आप बता दीजिये कि यह संस्था रजिस्टर्ड है? यह आपके रूल बने हुए हैं अध्यक्ष महोदय, 1993 के रूल हैं, उसमें 23 के अन्दर प्रोवीजन लिख रखा है, प्रबंध समिति होगी। प्रबंध समिति के क्या-क्या सदस्य होंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रीजी यह बताने की हैसियत में हैं कि यह एडेड इंस्टीट्यूशन है, एडेड इंस्टीट्यूशन के राज्य के नियम और कानून बने हुए हैं, नियम और कानून के अन्तर्गत क्या रूल 23 के अन्तर्गत प्रबंध कमेटी जो बनेगी उसका गठन कर रखा है? यदि प्रबंध समिति का गठन नहीं कर रखा

(डा. सी. पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, तो जो सारी व्यवस्थाएं यह कर रखी हैं, वह व्यवस्थाएं सारी गलत व्यवस्था है। इसलिए मैं आपसे कैटगोरीकल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह एडेड संस्था होने के बाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्था के कानून 23 के अन्तर्गत प्रबंध समिति का गठन किया हुआ है? यदि गठन नहीं किया हुआ है अध्यक्ष महोदय, तो जो सारी व्यवस्था है- the only word I can use – these are all malpractices. माल प्रैक्टिस इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वहां पर दो तरह की रसीद दी जाती हैं, दो तरह की रसीद देने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आज तक सात करोड़ रुपये, अध्यक्ष महोदय, 7 crores of rupees they have collected. अब यह सात करोड़ रुपये जनता की गाढ़ी कमाई है, पेरेंट्स का पैसा है, सात करोड़ रुपये इन्होंने ले लिये, संस्था बना दी, संस्था किसकी है, भाई-भतीजे की बना दी बहन-भाई मिलकर संस्था बना दे, संस्था रजिस्टर्ड नहीं हो, संस्था के अन्तर्गत हम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहें। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा जांच करवाना चाहते हैं, जांच करवाने के बाद उन्होंने क्या कह दिया, हमें जांच पर शंका है इसलिए दुबारा जांच करवाना चाहते हैं और जांच के बाद भी, अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ है कहते हुए, इस विधान सभा में प्रश्न उठाने के बाद आपने जो लिखा है, यह लिखा है 7.3.2005 को, यह प्रश्न उठाया सदन के अन्दर, यह हमारे पास जवाब आ गया 14.2.2005 को 14.2.2005 को आपने जवाब दे दिया और उसके बाद आपने नई इन्क्वायरी कमेटी बैठा दी 7.3.2005 को क्या लिखा अध्यक्ष महोदय, यह भी पढ़ लें आप। उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कानोडिया महिला महाविद्यालय के प्रबंध के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की प्रशासनिक जांच करने हेतु निम्न हस्ताक्षरकर्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया अतः कृपया इन शिकायतों के निम्न बिन्दुओं पर अपना उत्तर-पत्र पन्द्रह दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर दें, 15 दिवस 7.3.2005, पन्द्रह दिवस नहीं हुए क्या अभी तक? पन्द्रह दिन भी हो गये। हम जांच पर जांच भी कर रहे हैं जांच करने के बाद भी हम कोई काम करना चाहें, अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं यह मौका है माननीय मंत्रीजी, यह मौका है, वर्ड यूज करना चाहता हूं, नब्बे प्रतिशत ग्रांट आप दे रहे हैं, ग्रांट इन एड आप दे रहे हैं अब मुझे माननीय मंत्रीजी,

(डा. सी. पी. जोशी)

बतायें आप, संस्था वहां पर नहीं, एक्ट का प्रोवीजन नहीं हो रहा, आपने ग्रांट इन एड क्यों रोकी, उन टीचर्स की तनख्वाह नहीं मिल रही है। गलती करे प्रबंध समिति बनाकर लोग, जो संस्थान के नियम और कानून पालन नहीं करे, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करें और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी तनख्वाह रोक दें, यह सरकार क्या करना चाहती है अध्यक्ष महोदय।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर सरकार जिस तरह की व्यवस्था कर रही है, उस व्यवस्था में कहीं न कहीं मंत्रीजी के उत्तर और सरकार के इंटेंशन में गेप है। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, जैसे-जैसे जमीन का भाव बढ़ता है, जैसे-जैसे लोकेशन बढ़ते हैं, जैसे-जैसे आज भी जितनी भी स्कूले हैं, चाहे वह प्राइवेट हैं या सरकारी स्कूलें हैं, वहां पर यदि आप जमीन को डिस्पोज करना चाहते हैं तो डिस्पोज करके करोड़ों रुपये कमा सकते हैं, करिये, करना चाहते हैं हिम्मत करके करिये, छुपाते क्यों हैं, छदम वेष में क्यों करते हैं? कहिए, सरकार इस बात पर कमिटेड है कि हम प्रोपर्टी को बेचेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और काम करेंगे। वह समझ में आता है लेकिन हम एक गार्ब देवें, हम कहें कि 1965 के नियम और कानून का पालन करेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप भी महिला शिक्षा में रुचि रखती हैं, आपने भी उस जमाने में शिक्षा प्राप्त की है। वनस्थली स्कूल में, मां-बाप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कानोडिया कालेज की क्या व्यवस्था है इससे आप भली-भांति परिचित हैं, यदि उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चलती है तो राज्य में महिला शिक्षा के सम्बन्ध में प्रश्नचिन्ह खड़े हो जाते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं विनम्र शब्दों में, आप स्पष्ट कहिये कि 1965 के रूल के अन्तर्गत जो टर्म्स एण्ड कंडीशंस हैं, उसमें केवल मात्र मिस्टर भागीरथ कानोडिया को अधिकार दिया गया है, न संस्था को दिया गया है, न प्रबंध समिति को दिया गया है। यदि प्रबंध समिति बनी हुई है तो प्रबंध समिति बननी चाहिए ग्रांट इन एड के रूल के अन्तर्गत । 1965 से 2005, फोर्टी ईयर्स तक यदि संस्था के कोई नियम और कानून का पालन नहीं हो, सरकार मूकदर्शक बनना चाहे, हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो, उससे हम बच नहीं सकते अध्यक्ष महोदय। इसलिए यह मौका है, आप खड़े होकर सदन के सामने कहिये कि

(डा. सी. पी. जोशी)

1965 के रूल के अन्तर्गत यह कानोडिया महिला महाविद्यालय ग्रांट इन एण्ड के अन्तर्गत चलेगा। वह ग्रांट इन एड के अन्तर्गत जो प्रबंध समिति बननी चाहिए, वह प्रबन्ध समिति बननी चाहिए। यदि प्रबंध समिति नहीं बनी है तो फोर्थविद घोषणा करिये कि आज ही यह सरकार वहां पर ग्रांट रिलीज करेगी, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको तनख्वाह मिलेगी और नये सिरे से.

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आप आगे आकर हिम्मत करिये। अभी तक हम प्रावेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, मैं नई बात कहना चाहता हूं आपसे, गवर्नमेंट और पढ़ाने वाले टीचर्स की नई पार्टनरशिप का एक नया कंसेप्ट दीजिये। पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तनख्वाह उनको 90 प्रतिशत वहां से मिल रही है। पैसा दे रहे हैं आप. सरकार आगे आकर खड़े होकर कहे कि वहां के टीचर पढ़ाने वाले, वहां के अभिभावक और सरकार मिलकर एक प्रबंध समिति बनाये और यह कालेज इस तरह चले कि लोग कह सकें कि इसकी पढ़ाई के कारण लोग आकर इन्वेस्टमेंट करें, यह मौका है अध्यक्ष महोदय। लेकिन यदि आप यह नहीं कहते अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित तौर पर प्रबंध समिति को लीगलाइज करने का जो कंसेप्ट है कि हम 1965 से 2005 तक जो प्रबंध समिति बनी हुई है, उसके ~~भाई-भतीजे-बहन~~ बनकर जो यह बनी हुई है, जिन्होंने सात करोड़ की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने उपयोग में लिया है, उस मनी को इन्होंने ट्रांसफर किया है। यदि संस्थान के नाम पर हम इसको लीगलाइज करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो प्राइवेट आदमी आकर इसके अन्दर घुस जायेंगे, संस्था बन जायेगी और करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। न आपका धर्म बनता है, न आपकी पोलिटिकल फिलासाफी बनती है अध्यक्ष महोदय।

इसलिए, शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, यह एक प्रेस्टिजियस कालेज है, इस प्रेस्टिजियस कालेज की टर्म्स एण्ड कंडीशन का यदि हमने एडहरेंस नहीं किया है तो यह मौका [illegible] है कि हम नियम और कानून के अन्तर्गत जो 1965 की कंडीशन है वह ग्रांट इन एड के अन्तर्गत लें, वहां की ग्रांट को रिलीज करें और जनता के बीच में यदि हम यह कहना चाहेंगे कि वह ट्रस्ट नहीं है, तो नये सिरे से आप आगे आयें, बढ़कर फैसला करिये कि हम गवर्नमेंट और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी

(श्री. सी. पी. जोशी)

पार्टनरशिप में एक महाविद्यालय चलाते हैं जिससे लोगों को लग सके, एक नया तरीका भी हो सकता है क्योंकि आप तो इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेशन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो अभी बजट भाषण में कहा कि पन्द्रह करोड़ रुपये, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े एक्सपर्ट को लाकर काम कर रहे हैं, आप काम करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय.

श्री अध्यक्ष : अब आपने काफी कह दिया है। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : तो मैं क्या बोलूं, आप बोलें जो बोलूं महावीरजी। आप कहें तो बोल दूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कहां कहा।

श्री सी.पी. जोशी : आप क्यों बोल रहे हैं। आप कम से कम सुनने की तो आदत डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं आपको और नियमों के विरुद्ध सुन रहा हूं।

श्री सी.पी. जोशी : तो क्या बोलू मैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 131 में जो प्रावधान है वह यह है कि...

श्री सी.पी. जोशी : यह अध्यक्षजी से पूछ लिया आपने? आपने अध्यक्षजी से पूछ लिया, आप बोल रहे हैं जो?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। अब जो अपराध आपने किऐ हैं उनके लिए हम सुनते रहें...

श्री सी.पी. जोशी : अब, अध्यक्षजी, आप बताइये, यह चीफ व्हिप हैं। आपने आलऊ किया तो मैं बैठ जाता हूं, बुलाइये इनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रश्न करिये आप। प्रश्न करना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, अपने नियमों में व्यवस्था 131 में है कि कुछ प्रश्न पूछे जा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सकते हैं और उसमें भाषण नहीं होगा, उसका कोई विस्तार से वह नहीं होगा मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया, अब कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब दे देंगे अब उसमें लगातार खींचे जा रहे हैं

श्री सी.पी. जोशी : लगातार खींचे जा रहे हैं, पढ़िये प्रोसीडिंग्स मैं भी पढ़ा-लिखा आदमी हूं, 1980 से आज दिन तक ध्यानाकर्षण की जो व्यवस्था है उसी के अन्तर्गत बोल रहा हूं मैं

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री सी.पी. जोशी : कटारियाजी बैठे हुए हैं, घनश्यामजी यहां पर अपोजीशन में बैठते थे, ध्यानाकर्षण में क्या होता था, वह जवाब देते हैं बैठ जाते थे? महावीरजी, नहीं समझ में आये तो बैठ जाएं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। पढ़कर सुनाऊं?

श्री सी.पी. जोशी : नहीं, पढ़ा लिखा हूं मैं। मैंने पढ़ रखा है, बिराजिए आप। यह व्यवस्था अध्यक्ष की गई है। उनकी, अध्यक्षजी की गई है, आप बिराजिए। अध्यक्षजी को पूछिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : परसराम मदेरणा साहब ने उठाया, घनश्यामजी ने प्रश्न रखा..

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्षजी को पूछिये

श्री अध्यक्ष : आप छोड़ें इस बात को आप विराजें, स्थान ग्रहण करें

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सम-अप करता हूं

श्री अध्यक्ष : कृपया नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये आप। वैसे माननीय मंत्रीजी ने अपना जो वक्तव्य इसमें दिया है, वह पर्याप्त है कि 1965 की जो कंडीशन है उन्हीं के मुताबिक कानोडिया कालेज चलेगा, पर्याप्त है वह कंडीशंस जो हैं एडेड होगा, नब्बे प्रतिशत एड

(श्री अध्यक्ष)

मिलेगी, एडेड होगी, सरकार के इसमें निहित होगी उसकी प्रोपर्टी, वह कह दिया न अब, फिर भी कोई आपके यदि गलतफहमी है तो प्रश्नों के जरिये आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, नम्बर एक, यदि 1965 के अन्तर्गत चल रहा है तो एडेड के अन्तर्गत जो आपकी धारा 23 है उसके अन्दर प्रबन्ध समिति बनी हुई है या नहीं? यदि प्रबन्ध समिति नहीं बनी हुई है तो क्या राज्य सरकार इस एक्ट की धारा 23 के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति बनायेगी? दूसरा यदि प्रबंध समिति नहीं बनाती है तो 1965 से लगाकर अभी तक जो आज भी टर्म्स एण्ड कंडीशन थी, उस प्रबन्ध समिति नहीं बनने के कारण जो पैसा लेकर उन्होंने पैसा डाइवर्ट किया सात करोड़ रुपये, उस सात करोड़ रुपये के हिसाब के सम्बन्ध में जो तथाकथित समिति बनी हुई है उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष : हां, वह स्पष्ट करिये आप।

श्री सी.पी. जोशी : नम्बर तीन-सरकार यह स्पष्ट करे के आप जांच करवा रहे हैं तथाकथित प्रबन्ध समिति की शिकायत के सम्बन्ध में, लेकिन वह टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी क्या गलती है, उनकी तनख्वाह रोक दी आपने। आपको प्रबन्ध समिति के खिलाफ जांच करनी है, चार सौ बीसी का केस लगा सकते हैं, पुलिस के जितने नियम और कानून हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करिये। वह कार्यवाही तो हम कर नहीं रहे, जांच पर जांच बैठा रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके यह बतायें कि 1965 की जो टर्म्स एण्ड कंडीशन हैं उस टर्म्स एण्ड कंडीशन के अन्तर्गत यदि इसका पालन नहीं हो रहा है तो जो लोग तथाकथित प्रबंध समिति बनाकर वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं उनके खिलाफ सी.आर.पी.सी. के अन्दर क्या कार्यवाही करेंगे, कब तक करेंगे और कब उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यह आप हमको, सदन को आश्वस्त करें और आखिर में यह आश्वस्त करें कि क्या इस प्रबन्ध समिति को लीगलाइज करने के नाम पर प्राइवेट लोगों को इस बड़ी प्रोपर्टी को देने के सम्बन्ध में सरकार कोई विचार नहीं रख रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दोनों माननीय सदस्यों ने बात रखी है, मैं पुनः आपको दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा मैं इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं, इसमें जो इनको लैटर जारी किया गया था उसमें आखिर में सातवें कालम उसमें लिखा था....

"The said women's college will be known and styled as Kanodiya Mahavidyalaya to be run under the Kanodiya Shiksha Sansthan."

पहली बात तो यह है कि 40 वर्ष में इन्होंने कानोडिया शिक्षण संस्थान का गठन नहीं किया एक बात इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं है किया ही नहीं है इन्होंने लेकिन जब हमने ये जो एक्ट है यह 1989 में अपन ने एक्ट लागू किया सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 इसके अन्तर्गत हमने यह छूट दे दी कि जो ट्रस्ट बने हुए हैं इसके पहले उन ट्रस्टों को इस प्रकार के संस्थान बनाने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह नहीं कहना चाहता कि किसने दी, क्या नहीं दी, यह 2002 में इस संस्थान ने सरकार से इस प्रकार की छूट ले ली कि हमको इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि..।

श्री अध्यक्ष : काहे की आवश्यकता नहीं है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 2002 में इस संस्थान ने इस एक्ट के अन्तर्गत सरकार से छूट ले ली कि इनके इस प्रकार की संस्थान बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मेरा फिर भी यह कहना है कि ये जो सारा काम हो रहा है उसमें इनका कोई योगदान नहीं है बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं पिछले पांच सालों का मैंने रिकार्ड देखा है 12 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं 12 करोड़ में 6 करोड़ रुपये सरकार ने दिये अनुदान के, 6 करोड़ से ज्यादा फीस से आये हैं, यू.जी.सी. से मिला है और अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 लाख रुपये कानोडिया ट्रस्ट ने दिया बाकी कुछ नहीं दिया वो भी कागज में कहा मैं कहना चाहता हूं कि जब इसको दिया गया था तो भी साफ-साफ कहा गया था कि इस संस्था का आर्चीटेक्ट ऐसा होगा क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय इसके सामने बना हुआ है तो जिस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय का आर्चीटेक्ट है उससे मिलता जुलता इसका आर्चीटेक्ट होगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, इसकी जो जमीन है वो 8.67 एकड़ है और आज अगर कामर्शियल रूप से देखें तो इसकी करोड़ों में कीमत है करोड़ नहीं सौ करोड़ से ऊपर इसकी कीमत होती है आज के दिन। इसलिए अध्यक्ष महोदय, साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई बचाने की मंशा भी नहीं है और संयम लोढ़ाजी, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी सरकार के मामले में नहीं जाता मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में मुझे कोई निर्देश नहीं दिये नंबर-1, नंबर-2 यह प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय, प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं किया जाए इसका नोटिस भी मैंने देने के लिए दस्तखत करके नोटिस दिलाया था, जांच समिति की रिपोर्ट मेरे पास है फिर जब इस रिपोर्ट का जवाब इन्होने ये दिया। बिन्दुवार उन्होंने जवाब भेजा, कुछ बातें उन्होंने स्वीकार की कुछ का खण्डन किया तो उसके बाद में जब उन्होंने यह कहा कि जांच करने वाला अधिकारी हमारे से उसका नहीं है, हमारे प्रति विद्वेष रखता है तो मैंने देखा कि कहीं अकारण यह काम न्यायालय में नहीं फंस जाए। जैसी अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि कानोडियाज अगर कहीं सबसे पहले सम्पर्क करते तो रामनारायणजी से करते मण्डावा बहुत पास में है, फिर आपसे करते या फिर मेरे से करते मुख्य मंत्रीजी तो बहुत दूर हैं उनसे कोई हमारे से सम्पर्क की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा बिलकुल साफ दो टूक शब्दों में यह जो रोका गया है न इसमें वेतन वो भी इस कारण से है कि यह ट्रस्ट की गड़बड़ियों की जांच के कारण से यह हमारा नियम है, आडिट का सारा काम होने के बाद देते हैं लेकिन मैं व्यवस्था करूंगा की कर्मचारियों को वेतन में किसी तरह की दिक्कत नहीं रहे और जांच बी.एल. जाटावत जो हमारे उप सचिव हैं उनके माध्यम से हम करा रहे हैं वो जांच करने वाले अधिकारी केवल इसकी संस्थानों की जांच ही नहीं करेंगे जो शिकायत करने वाले कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि दोनों पक्षों की सुनेंगे तो दोनों पक्षों में वो ही हैं सरकार पक्ष नहीं है। एक शिकायत करने वाला और यह है ये दोनों पक्ष हैं और ये संस्थान की एड भी किसी भी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, कोई आज अगर चाहे कोई ट्रस्ट या कोई व्यक्ति यह चाहे कि सरकार से आज वो एड नहीं लेगा और एड बंद करे एड से मुक्त हो जाएगा और उसके बाद उसका प्राइवेट संस्थान हो जाएगा। न तो सरकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसकी एड बंद कर रही है न एड कम कर रही है, न सरकार किसी प्रकार से अलाउ कर रही है अगर ये संस्थान के तीन ही विकल्प हैं नंबर-1. 1965 में इसको जो दी गयी थीं शर्तें जो अभी माननीय सदस्य डा. सी.पी. जोशीजी ने पढ़ी, उन शर्तों का पालन करते हैं उसका भी पालन करवाना पड़ेगा।

जहां तक प्रशासक का सवाल है प्रशासक एक लिमिटेड पीरियड में होता है। पहले भी राजस्थान के तीन कॉलेजों में इसी प्रकार के पत्र के कारण से हमने उसकी अवहेलना करके प्रशासक नियुक्त किये, उसको कोर्ट से स्टे हो गया। हम नहीं चाहते थे कि न्यायालय से स्टे हो इसलिए सारी विधिक प्रक्रियाओं को पूरी कराकर मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबन्ध समिति बनाने की आवश्यकता होगी तो प्रबन्ध समिति बनायेंगे, स्ववित्त पो.ाण के आधार पर चलानी होगी तो उस पर विचार करेंगे, ट्रस्ट के माध्यम से चलानी होगी तो उस पर विचार करेंगे लेकिन मैं साफ स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जमीन राजस्थान की जनता की सम्पत्ति है, यह सरकार उसकी ट्रस्टी है, सरकार किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्तिगत ट्रस्ट को इस संपत्ति का मालिक नहीं बनने देगी। यह गर्ल्स कालेज है गर्ल्स कालेज चलेगा और निश्चित रूप से उसको चलायेंगे। सदन के किसी भी माननीय सदस्य को इसके लिए चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी :.......तनख्वाह, टीचर्स की तनख्वाह?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वो मैंने बताया दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : डा. दिगम्बर सिंह अनुदान की मांग पर।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी रखें उसके पहले ये जो प्रतिवेदन है हमको आज सुबह मिला है। आज हम बहस में भाग लेंगे, अब कब पढ़ कर आयें सुबह मिला है तो गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो आफिसेज हैं उनको आप डाइरेक्शंस तो दें... (व्यवधान) एक मिनट मंत्रीजी। आप डाइरेक्शंस तो दें कि किस तरह से क्या हो रहा है। आज चर्चा हो रही है सदन में और सुबह प्रतिवेदन आ रहा है कब पढ़ कर माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे। यह आसन से आप व्यवस्था दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आज के लिए तो मंत्रीजी मैं समझती हूं कि शायद उचित नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में जो कोई मांग हो उसके पहले दिन आपका प्रतिवेदन आ जाना चाहिए सभी माननीय मंत्रीगण इसका ध्यान रखेंगे भविष्य में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पूरी पालना करेंगे। पूरी पालना करेंगे आपके आदेश की।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12 अरब, 55 करोड़, 28 लाख, 50 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान तथा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

व्यवस्था

कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष : इससे पूर्व कि मांगों पर बहस प्रारम्भ हो, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जा रही जो पद्धति है उसको याद दिलाना चाहूंगी कि इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है और जो प्रस्तुत होते हैं वो मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते

(श्री अध्यक्ष)

हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों का नाम दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है क्योंकि वो तैयारी करके आते हैं, और वो मेहनत करते हैं इसलिए उनका नाम ही दिया जाता है पहले परम्परा भी यह थी कि जो नहीं देता था उसे नहीं बोलने दिया जाता था लेकिन पूर्व के कुछ वर्षों में हमने परम्परा डाल दी कि नाम देंगे सचेतक और मुख्य सचेतक और हम उन्हें बोलने देते हैं। जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं ऐसा मेरा उनसे भी अनुरोध है कि जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वो कटौती के प्रस्ताव जो प्रस्ताव किये गये हैं वो वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वो अपने सारे कटौती के प्रस्ताव एक साथ रख दें और उसी समय उनके ऊपर बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के मानवीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहे उनको भी विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाते हैं और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होता है जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिलते हैं उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है।

श्री बत्तीलाल।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर विचार

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, हमारा तो कोई सचेतक है ही नहीं। हमारे भी तो हैं कटौती प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं ही लिख कर भेज दीजियेगा। आपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं तो आपका नाम बोला जाएगा।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की सुख-समृद्धि और उन्नति उस राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखे।

देश का विकास नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हमारी जनकल्याणकारी सरकार की जो नीति है, जो लक्ष्य है वह यह है कि हमारी सरकार इस प्रकार के नागरिकों को पैदा करना चाहती है कि जिनका शरीर बलिष्ठ हो और जिनके चेहरे पर आभा हो। जिनके मन में प्रचण्ड इच्छा शक्ति हो, जिनकी बुद्धि में पाण्डित्य और जिनके दर्शन मात्र से ऐसा लगे कि महापुरुषों की स्मृतियां झलक उठे।

मान्यवर, हमारी जनकल्याणकारी सरकार की जो उपलब्धि इस बजट में रखी है उनको गिनाऊं उससे पहले मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहली उपलब्धि हमारी जनकल्याणकारी सरकार की यह है कि हमारी सरकार ने, हमारी लोकप्रिय मुख्य- मंत्रीजी ने यह विभाग जिस महान व्यक्ति को संभलाया है वह इस कला में इतने एक्सपर्ट हैं, इतने माहिर हैं और इतने संवदेनशील हैं कि वास्तव में वह इन बिना लगाम के घोड़ों पर सवारी करना जानते हैं। माननीय दिगम्बर सिंहजी के बारे में जितना कहा जाये उतना थोड़ा है। जब सुनामी लहरों पर एक टीम लेकर पहुंच गये वहां उन मरीजों की और उन गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिये जहां पर आज तक शायद हिन्दुस्तान का कोई भी मिनिस्टर नहीं पहुंचा। यह हमारे लिये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यह हमारी उपलब्धियों में गिनाने लायक है, आने वाला इतिहास इस बात को याद रखेगा। इस बजट में जो प्रावधान रखें हैं जनकल्याणकारी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिये वह बहुत सराहनीय है, वह अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसमें 27 सी.एच.सी. के लिये, 37 पी.एच.सी. के लिये और 123 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये प्रावधान रखा है वह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हमारी सरकार ने इस बजट में रखा है 227 उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण हो। 37 प्राथमिक स्वास्थ्य भवनों का निर्माण हो। करीब 1000 भवनों का नवीनीकरण हो। 570 के करीब नई ए.एन.एम की जो पोस्ट क्रिएट की हैं वह भी बहुत बड़ा कीर्तिमान है। एक

(श्री बतीलाल)

हजार दाइयों को प्रशिक्षण देने का जो प्रावधान है वह भी अपने आप में एक बहुत बडी महान उपलब्धि है' यह विभाग इस तरह का है जो सारे विभाग हैं उनका एक केन्द्र बिन्दु है। स्वास्थ्य से इसका सम्बन्ध है, सफाई से इसका सम्बन्ध है, खाद्य विभाग से इसका सम्बन्ध है, जनअभियांत्रिकी विभाग से इसका सम्बन्ध है। सारे विभाग इस विभाग के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से आंकड़ों के जाल में नहीं जाकर मेरे क्षेत्र की जो समस्या है उनके बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, आज हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है उसका एक व्यवसायीकरण हो गया है। उसमें धनलोलुपता आ गई है। डाक्टरों का इस संवेदनशील मुद्दे पर केवल धन ऐंठने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। मान्यवर, वह आउटडोर में पेशेंट को कम देखते हैं, घर पर ज्यादा बुलाते हैं। जहां पर डिलेवरी का कोई केस हो गया और वह किसी डाक्टर के पास आ गया चाहे वह डाक्टर उस कला में माहिर हो या नहीं हो उसके लिये तो एक लाटरी खुल गई। मान्यवर, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसे-ऐसे डाक्टर जो बिलकुल अस्पताल में हाजिरी देने के अलावा कुछ नहीं करते, घर पर प्रेक्टिस करते हैं और घर पर आराम से सोते हैं वहां की जनता ने भारी एजिटेशन करके उनका स्थानान्तरण करवाया, प्रशासन को लिखा और तीन चार महीने बाद में वह वहीं पहुंच गये। हमारी सरकार पारदर्शी है, हमारे मिनिस्टर बहुत ईमानदार हैं लेकिन हमारे अफसरों के वर्क से डाउट होता है कि आखिर उनकी ऐसी कौनसी मजबूरी थी कि उनको वहीं लगाना पड़ गया। नादौती में एक डाक्टर थे दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को लोगों ने बड़ी मुश्किल से एजिटेशन करके वहां से हटवाया, रास्ते जाम किये गये फिर उनको गुढाचन्द्रजी टिका दिया गया। वह साहबान कभी अस्पताल आते नहीं। डाक्टर सामने के गेट से आते हैं तो वह पिछले गेट से घर पर प्रेक्टिस करने के लिये पहुंच जाते हैं। यह हालत वहां अस्पताल में हो रही है। मान्यवर, इस तरह का ढर्रा चलता रहा, वास्तव में गरीब लोगों के लिये वहां अस्पताल में किसी प्रकार की व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। टोडाभीम में बहुत लम्बे समय से डाक्टर साहब टिके हुए हैं। डाक्टर साहब ने अपनी निजी एक गाड़ी खरीद ली। अब क्या करते हैं कि कोई छोटा सा भी केस हो उसको गाड़ी में जयपुर रेफर करो। चाहे मरीज ठीक हो या नहीं हो लेकिन उसकी गाड़ी का किराया तो इससे पट

(श्री बत्तीलाल)

ही जाता है। 16 तारीख को पंचायत समिति की मीटिंग रखी। मीटिंग में एस.डी.एम. साहब और सारे प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि डाक्टर साहब आप अपना रवैया सुधारिए। लेकिन डाक्टर साहब की बड़े अफसरों से जानकारी है, उसका तालमेल है। प्रमोशन कर रखे गये तो वह वहीं रखे गये। मैं आपके माध्यम से सदन से और सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि ऐसे डाक्टर जो लम्बे समय से एक जगह टिके हुए हैं प्रैक्टिस करते हैं, अज्ञानी लोगों का शोषण करने के लिये, ग्रामीण लोगों का शोषण करने के लिये उनको मेहरबानी करके वहां से तुरन्त हटाया जाये। या उनकी सेवा सुनिश्चित की जाये कि इतने दिनों तक यह लोग यहां रहेंगे। उनकी तनख्वाह इतनी सी है और बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं। एम.एल.ए. और एम.पी. के बस की बात तो है नहीं क्योंकि उनकी जड़ तो बहुत गहरी है। भ्रष्टाचार इतना बड़ा है न उससे सरकार लड़ सकती है न कोई एम.एल.ए., एम.पी. लड़ सकता है। उसमें तो सबको सहयोग करना पड़ेगा तभी जाकर वह हट सकते हैं। उनके बड़े-बड़े अफसर रिश्तेदार हैं, उनकी वहां जानकारी है। अब बताइए उनको मरीजों से क्या लेना देना। यह तो एक संवेदनशील मुद्दा है, हर प्राणी चाहे वह 100 साल का भी हो जाये तब भी वह अपने जीवन की रक्षा करना चाहेगा। ऐसा संवदेनशील मुद्दा जो अपने शरीर से जुड़ा हुआ है और अनाड़ी डाक्टर, उनके पास में इस तरह का कोई केस आ जाये तो वह पैसा बनाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को वहां से हटाइए।

(13.50 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज कम से कम 40 सदस्य बोलने वाले हैं और 5-6 मिनट से ज्यादा समय एक सदस्य को नहीं दिया जायेगा। इसलिए सदस्यों से निवेदन है कि आप कृपया 5 मिनट में अपनी स्पेसिफिक जो-जो बाते हैं वह कहने का कष्ट करें ताकि हर व्यक्ति को समय दिया जा सके।

श्री बत्तीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह ग्रामीण क्षेत्र है, वह

(श्री बतीलाल)

इंटीरियर एरिया है. वह बहुत बड़ा इस तरह का एरिया है जहां 20-20 किलो मीटर तक कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक ग्राम मुख्यालय के आसपास 7 पंचायतें लगी हुई हैं। वहां से 20-20 किलोमीटर तक किसी तरह का कोई औषधालय या कोई चिकित्सा व्यवस्था वहां नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पी.एच.सी. खोलने का प्रावधान रखा है यदि एक पी.एच.सी. दरपुरा मुख्यालय पर खोल दी जाये तो करीब 7 पंचायतों को रायसेना, गठमोडा, गठखेड़ा, पाल, ढहरा इनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इन ग्रामीण लोगों की सुख सुविधा के लिये वहां सड़क की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में वह लोग कहां मरीजों को लेकर जाये। ग्रामीण लोग हैं वह प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं। वह लोग उनके जीवन से बड़ी भारी खिलवाड़ करते हैं। गुढाचन्द्रजी पी.एच.सी. के पास में एक प्राइवेट इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है कि वहां पर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया लेकिन बार-बार शिकायत करने पर भी उस प्राइवेट प्रेक्टिशनर के खिलाफ अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो निवेदन मैंने आपके माध्यम से किये हैं टोड़ाभीम पी.एच.सी. के बारे में, गुढाचन्द्रजी पी.एच.सी. के बारे में और नादौती पी.एच.सी. के बारे में इनका सुधार किया जाये और कई जगह जहां पर चिकित्सा सुविधा नहीं है वहां चिकित्सा सुविधा खोली जाये। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत नीनामा।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बांसवाड़ा जिला दक्षिण राजस्थान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निवेदन इस प्रकार है कि बांसवाड़ा जिला राजस्थान के दक्षिण गुजरात से लगा हुआ जिला है और वहां पर आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है। जहां अस्पतालों की कमी के साथ-साथ कई अस्पताल खोले गये फिर भी डाक्टरों की आज भी कमी है। मैं लंबी बात न करके मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल हैड क्वार्टर पर जब सरकार की ऐसी व्यवस्था है, एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है वहां पर 6 डाक्टरों की वैकेंसी है लेकिन आज मौके पर एक ही डाक्टर है।

(श्री नवनीत नीनामा)

मेरा आपसे आग्रह है कि घाटोल हैडक्वार्टर पर जो अस्तपाल खुला हुआ है वहां पर बच्चों के डाक्टर की कमी है। इसलिए वहां पर डाक्टर लगाया जाए। लेडी डाक्टर नहीं है, वहां पर लगाई जाए। फिजीशियन नहीं है, उनकी वहां पूर्ति की जाए। मेडीकल आफिसर्स नहीं हैं, उनको वहां पर लगाया जाए। पैरामेडीकल स्टाफ पूरा नहीं है, उन्हें वहां पर लगाया जाए। एक्सरे, टैक्नीशियन डाक्टर नहीं हैं, उनकी वहां पर घटोल हैडक्वार्टर पर पूर्ति की जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, सुझाव है।

दूरी, बांसवाड़ा और घाटौल की दूरी पर 30 किलोमीटर है। सिनावासा ऐसा गांव है, सिनावासा से बांसवाड़ा 15 किलोमीटर और सिनावासा से घाटौल 15 किलोमीटर, बीच में कोई अस्पताल नहीं है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि सिनावासा गांव में पीएचसी खोल जाए और वहां डाक्टर्स की व्यवस्था कराई जाए, कम्पाउण्डरों की व्यवस्थां कराई जाए।

तीसरा मेरा सुझाव है, घाटौल तहसील का पूर्व एरिया, पंचायत समिति क्षेत्र पीपलखूंट गांव केसरपुरा पंचायत हैड क्वाटर, जहां पर पीपलखूंट से 35 किलोमीटर के एरिया में आस-पास केसरपुरा में, दवाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केसरपुरा ग्राम पंचायत के गांव हैं, केसरपुरा, हिमोती हरबर, बांरी, मोदल, सिदड़ी मोहडी, सिदडी मोहडी ए, सूरपुर, राणोपी हरवर, ठिकरिया, जराली और ग्राम पंचायत जामली के गांव, जामली, बानगठी, मोऊ, बरदा, कुण्डली, इस प्रकार 6767 की जनसंख्या के गांव हैं वहां पर सड़कों की अव्यवस्था है। कई मां-बहनें मौत के घाट उतर जाती हैं। ऐसी स्थिति है, इसलिए मेरा आग्रह है कि केसरपुरा गांव में पीएचसी खोला जाए। वहां पर व्यवस्था करके, आदिवासी देहात में रहने वाले वहां के व्यक्तियों को चिकित्सा विभाग की तरफ से राहत दिलाई जाए ऐसा मेरा आग्रह है।

इसी तरह से पंचायत, मुख्यावास हैडक्वार्टर पर जहां डाक्टर्स की कमी है, उनकी पूर्ति कराई जाए ऐसा मेरा निवेदन है। डाक्टर साहब भी यहां बिराजे हैं, मुझे विश्वास दिलाएंगे कि जहां कमी है उसको पूर्ति की जाए।

घाटोल हैडक्वार्टर पर कमरों की कोई कमी नहीं है। माननीय राठौड़

(श्री नवनीत नीनामा)

साहब द्वारा वहां पर कमरों का निर्माण करवाया गया था। उदघाटन कराया गया है। पूरी-पूरी व्यवस्था है। यह भी है कि जहां एसडीएम हैडक्वार्टर है वहां पर राज्य सरकार की तरफ से 50 बैड की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नियम है, लेकिन हैड क्वार्टर पर आज सिर्फ 15 बैड हैं। वह भी अव्यवस्थित हैं। उसकी व्यवस्था कराई जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे सुझाव को स्वीकार करें। बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। डाक्टर सी.एस. वैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : आज से 15 महीने पहले भाजपा शासन में आई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी चिकित्सक को चिकित्सा मंत्री बनाया। आपसे बड़ा अरमान था कि पता नहीं चिकित्सा विभाग के लिए आप क्या-क्या करेंगे लेकिन आपके इस 15 महीने के कार्यकाल को देखिए, जितनी निराशा हुई है और निराशा की पराकाष्ठा आज सुबह पार हो गई जब भ्रूण हत्या के मामले में आपने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि आपको सैक्स रेश्यो के बारे में, चाइल्ड सैक्स रेश्यों के बारे में ही ज्ञान नहीं और पूरे राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब को आप क्यों इंगित कर रहे हो, भूले थोड़े ही हैं (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपको क्लियर करना चाहता हूं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बात तो...

डा. दिगम्बर सिंह : जो एडल्ट है (व्यवधान) आप मेरा निवेदन एक बार सुन लें (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : छोड़ दी, सुन ली उन्होंने. छोड़ दी मैंने।

डा. दिगम्बर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 1991 में सेन्सस हुआ वह आंकड़े आपके पास हैं, उसके

(डा. दिगम्बर सिंह)

बाद 2001 में हुआ इसके बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं वह ही तो बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब....(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : ऐसा तो नहीं है, कोई इम्पोर्ट करके बूढ़े आदमी-औरत कहीं से ले आया हूं तो इसमें तो इन्क्लूड है जो आप चाह रहे हैं पर आप उस बात को इसमें फालतू में उलझाने की कोशिश न करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो यह भूमिका...

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप उलझो मत क्योंकि चाइल्ड सैक्स रेश्यो के बारे में आपने अपनी अनभिज्ञता बताई है उससे मुझे निराशा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी (व्यवधान) बैदजी आप अपनी बात....

डा. चन्द्रशेखर बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करता हूं, 2005-06 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए जिस बजट राशि का प्रावधान किया गया उस बजट की राशि में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा 22061 करोड़ रुपये का, इस बजट के अन्दर मेडिकल एंड हैल्थ के लिए उन्होंने प्रावधान रखा 1057 करोड़ रुपये का। यह देखिये, यह 5 प्रतिशत से भी कम है। टोटल स्टेट रेवेन्यू एक्सपैंडीचर का 5 प्रतिशत से भी कम है।

मुझे यह आशा थी कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी थोड़ा जोर लगाकर बजट के बारे में ऐसा प्रावधान करेंगे जिससे कि चिकित्सा विभाग को ज्यादा बजट मिले लेकिन पिछले साल भी यह पांच प्रतिशत से कम मिला। इस बार भी यह पांच प्रतिशत से कम मिला।

पिछली बार आपने 154 करोड़ रुपये का प्लान आउट से बनाया और उस 154 करोड़ रुपये के अन्दर आप यह देखिए कि 80 प्रतिशत, 845 करोड़ रुपये खाली नोन प्लान के अन्दर आपने खर्च किये और 154 का जो प्लान था उसके अन्दर भी आप 25 प्रतिशत ही खर्च कर पाएंगे।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2003-04 के अन्दर जो आपका बजट एस्टीमेट था प्लान था, वह था 73 करोड़ रुपये का और आपने एक्चुअल एक्सपैंडीचर किया सिर्फ 24 करोड़ रुपये, मतलब एक तिहाई एक्सपैंडीचर किया आपने।

वैसे ही अगर 154 का इस बार प्लान बनाया है तो हम तो आपसे यही आशा करेंगे कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसका एक तिहाई ही एक्सपैंडीचर होगा। आप देखिए कि टवैल्थ फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिकमंडेशन दी...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : हमारे मंत्रीजी जो डाक्टर साहब हैं उनके मुकाबले में आप कमजोर साबित होते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मास्टर साहब...(व्यवधान) कमजोर साबित हो गए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपके बीच में इन्टरविन करने से आपकी कमजोरी अपने आप ही जाहिर हो रही है। 2002 के अन्दर केन्द्र सरकार ने, एनडीए की केन्द्र सरकार ने जो हैल्थ पालिसी बनाई और ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिकमंडेशन दी उस रिकमंडेशन के आधार पर जी.डी.पी. का 2 से 3 प्रतिशत मेडीकल एंड हैल्थ पर खर्च होना चाहिए था, जबकि राजस्थान के अन्दर जो प्रोजेक्टेड जी.डी.पी. है, सकल घरेलू उत्पाद वह है। करोड़ 8734, इस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए 3 प्रतिशत, तो बजट खर्च इनका होना चाहिए 3262 करोड रुपये लेकिन आपने 2200 करोड़ कम का बजट बनाया है। यह भी आज जो बिल लेकर आएंगे फाइनेंस रेगुलेशन का उसके अन्दर इसके ऊपर आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत मुश्किल से वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की जिससे कि रूरल हैल्थ के अन्दर इम्प्रूवमेंट हो और उसके लिए उन्होंने 472.58 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, इस योजना की स्वीकृति मिल गई थी अप्रैल 2004 के अन्दर। स्वीकृति मिलने के बाद में 23 अगस्त को, अब आप देखिए, इतनी महत्वपूर्ण योजना जो ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है उस योजना की शुरूआत

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कहां होती है, उस योजना की शुरूआत होती है पांच सितारा होटल के कन्वेंशन हाल के अन्दर। क्या यह अच्छा नहीं होता कि आप किसी गांव के अन्दर उसकी शुरूआत करते, जिन ग्रामीणों का उसका लाभ मिलने वाला है वहां उसकी शुरूआत करते।

इसकी शुरूआत हुई रामबाग के अन्दर। यह आपकी पांच सितारा संस्कृति का द्योतक है। अब इस प्रोजेक्ट के अन्दर आपने प्लान बनाया 5 साल का और यह तय किया कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें साल के अन्दर कितना-कितना पैसा खर्च करना है। मेरे को यह कहते हुए शर्म आ रही है कि एक तरफ तो ग्रामीण व्यक्ति अपने इलाज हेतु दर-दर भटक रहा है और इन्होंने पूरे साल के अन्दर प्रावधान रखा था 91 करोड़ रुपये का जबकि ये सिर्फ 0.6 प्रतिशत पैसा खर्च कर पाये। 472 करोड़ का 0.6 प्रतिशत खर्च कर पाये। यह जो ऋण लिया है आसान किश्तों पर पूर्ववर्ती सरकार ने, उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर पाये। मारवाड़ी में मैं ऐसे कहूं कि "थाली परोस्योड़ी यानें दे दी वीं के बाद भी खाने में सक्षम कोनी ये"।

उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, रिजर्व बैंक का जो आंकलन आया, उस रिजर्व बैंक के आंकलन के अन्दर 2-3 चीजें ऐसी हैं राजस्थान को बीमारु स्टेट के अन्दर गिना गया है, क्यों गिना गया है, उसमें स्वास्थ्य के भी 2-3 सूचक हैं उनके आधार पर गिना गया है। इसमें जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के अन्दर पिछले साल के मुकाबले आपने कम बजट का प्रावधान किया है। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसके ऊपर अभी तक कोई काबू नहीं कर पाये और अभी भी, आज भी प्रति घंटे 12 से 13 बच्चे चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। आप यह देखिये कि मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रति घंटे एक महिला की प्रसव के कारण मृत्यु हो रही है। उसके अन्दर भी कोई सुधार नहीं हुआ और रिजर्व बैंक का जो आंकलन है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं इसकी दो लाइन, रिजर्व बैंक के गवर्नर वाई.बी. रेड्डी की टिप्पणी से राजस्थान की उपलब्धियों के दावों और कार्य-कुशलता पर सवालिया निशान लग गया है क्योंकि राजस्थान सरकार आई.एम.आर., एम.एम.आर और पापुलेशन कण्ट्रोल करने में सक्षम नहीं रही है, पिछले 15 महीनों के अन्दर। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि निजी भागीदारी...

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, कौनसा पैमाना आपके पास है कि इन 15 महीनों में आपने किया, कोई सैम्पल सर्वे करवाया है या आपने कैसे एस्टीमेट किया कि इस एम.एम.आर. और आई.एम.आर. में कोई सुधार नहीं हुआ है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह सवाल तो मेरे को आपसे पूछना चाहिए था। अच्छा हुआ, आपने मेरे से पूछ लिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक सैकिण्ड, आप बहस के अन्तिम समय में ही जवाब देंगे या बीच-बीच में इंटरपशन करेंगे। (व्यवधान) तो आप आने दो ना, आप आखिर में इनको जवाब देना।

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, ये आपस में जानकारी ले रहे हैं। (व्यवधान) एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं, इसमें कोई इण्टरप्शन नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप कहो, जैसे ही हो जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो आपस की बात है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ग्राफ किधर जा रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको अभी भी नहीं दिख रहा है क्या?

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपने यह जानकारी चाही कि यह कौन से सर्वे का रिजल्ट है, मैं आपको जो इण्टरनेशनल लेवल की रेपुटेड सर्वे है, उस सर्वे की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। मेरे को यह निराशा हुई कि आपको इसका ज्ञान ही नहीं है। यूनिसेफ का जो सर्वे है, जो उन्होंने 16 जिलों के अन्दर किया है, एक-एक जिले का पूरा फिगर मैं आपको देने को तैयार हूं जिसके अन्दर यह लिखा है कि वेक्सीनेशन कितने बच्चों का हुआ, आई.एम.आर. कितनी रही, एम.एम.आर. कितनी रही। अब यूनिसेफ पर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अन्दर सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया कि निजी भागीदारी से कुछ मशीनों की स्थापना की जाएगी।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि टैस्ट कहां से हो रहा है। आप यह देखिये एस.एम.एस. के अन्दर घटी दरों के अन्दर जांच होने लग गयी। सरकार को मैं उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ दो-तीन चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा और वह चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल का क्या-क्या फंक्शन होता है, एक मेडिकल कालेज से जुडे हुए अस्पताल का नम्बर-एक फंक्शन होता है पेशेण्ट केयर। पेशेण्ट केयर अच्छी हो रही है, घटी दरों के अन्दर जांच हो रही है, बहुत खुशी की बात है। दूसरा मेडिकल एजुकेशन, तीसरा रिसर्च। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि रिसर्च और एकेडेमिक एक्टिविटी किसी भी हालत में कम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर यह कम्प्रोमाइज होगी तो हम अच्छे डाक्टर पैदा करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने ही यह निर्णय लिया था कि राजस्थान मेडिकल केयर सोसायटी, जिसका काम गरीब मरीजों की जांच करवाना, गरीब मरीजों के लिए दवाई दिलाना, जिसका काम उपकरणों की देख-रेख करना है, यह जो पैसा एकत्रित होता था, यह राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी में जाता था। अब इस नयी प्रक्रिया के तहत राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी का कुपोषण हो जाएगा। यह धीरे-धीरे कोलेप्स हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन यह है कि जो भी प्राइवेट आदमी एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर जांच करता है उसको यह भी निर्देश दिये जाएं कि प्रति जांच के ऊपर कुछ न कुछ पैसा राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी में डाले जिससे कि उसकी हैल्थ बरकरार रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखिये कि पिछले 15 महीनों के अन्दर ढोल और टेबल तो इसलिये पीटी जाती हैं कि बहुत कुशल वित्तीय प्रबन्धन रहा होगा। यह सरकार के आंकड़े हैं, मेरे को यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के अन्दर सबसे अकुशल वित्तीय प्रबन्धन हुआ है। आपके प्लान का आउट-ले था 116 करोड़ रुपये और इस 116 करोड़ रुपये के अन्दर से आपने सिर्फ 37

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

प्रतिशत पैसा फरवरी तक खर्च किया है। इसके अन्दर आपने सिर्फ 43 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। यह आपके सरकार के आयोजना विभाग के आंकड़ों पर आधारित मैं फिगर बता रहा हूं, 116 करोड़ रुपये में से 43 करोड़ रूपये खर्च किये हैं। स्कूल हैल्थ, अब आप देखिये कुछ इतना महत्वपूर्ण है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में और राज्यपालजी से भी आपने अभिभाषण में कहलवाया कि बच्चों की हेल्थ के बारे में, ट्राइबल एरिये में बच्चों की हैल्थ के बारे में हम पूरा ध्यान देंगे। अब आपने बजट का प्रावधान कितना रखा था, स्कूल हैल्थ आफ ट्राइबल एरिया, 10 लाख रुपये का। और आपने 10 लाख रुपये में से पिछले 15 महीनों में खर्च कितने किये, एक भी पैसा आपने खर्च नहीं किया। एक भी पैसा ट्राइबल बच्चों की हैल्थ के लिये आपने खर्च नहीं किया। फैमेली वेलफेयर, जिसके कारण वाई.बी. रेड्डी ने अपने यह रिमार्क दिये हैं, फैमेली प्लानिंग के लिये आपने प्रावधान रखा था 5 करोड़ 25 लाख रुपये का। आपने खर्च कितने किये, सिर्फ एक करोड़ 84 लाख रूपये, 33 प्रतिशत खर्च किये हैं आपने फरवरी तक। यह देखिये इससे यह जाहिर होता है, नम्बर-एक तो चिकित्सा के लिये बजट का जी.डी.पी. के आधार पर पूरा पैसा आबंटित नहीं करवा पाये, दूसरी बात, जो भी पैसे का आबंटन हुआ उस पैसे का पूरा सदुपयोग नहीं कर पाये। आप देखिये 37 प्रतिशत पैसे का ही सदुपयोग कर पाये हैं।

मेडिकल कॉलेज के लिये, एक तरफ मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि झालावाड़ के अन्दर 22 करोड़ 43 लाख का 300 बैड का हास्पिटल बनाया जाएगा। बहुत खुशी की बात है। इस तरह के अस्पताल दूसरे जिलों के अन्दर भी बनने चाहिए। लेकिन सारे मेडिकल कालेज का, जितना आपने 15 करोड़ रुपये का जो बजट रखा था उसमें खर्च कितना किया, सिर्फ 4.73 करोड़। मतलब आपने सिर्फ 31 प्रतिशत खर्च किया। बजट के आबंटित पैसे का पूरा उपयोग नहीं करने के कारण पूरे प्रदेश के अन्दर चिकित्सा की सुविधाएं धीरे-धीरे गिरावट की तरफ पहुंच रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, आप देखिये, 25 करोड़ रुपये सिर्फ मुख्य मंत्री के महिमा मण्डल के अन्दर खर्च किये गये विभिन्न विभागों द्वारा और कुपोषण की आज यह हालत है जीरो से

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

छह साल के बच्चों में 50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण से पीडित हैं और उसमें से 60 हजार बच्चे ऐसे हैं जो सिवियरली कुपोषण से पीडित हैं। उन बच्चों को अगर तुरन्त सही तरीके से पोषित नहीं किया तो जैसे सहरिया में मौतें हुई, वैसे पता नहीं कहां-कहां कितनी-कितनी मौतें हो रही होंगी। इन 60 हजार बच्चों को, जो गम्भीर रूप से कुपोषण से पीडित है, इन 25 करौड़ रुपयों से आधा-आधा किलो दूध इन सारे बच्चों को एक साल तक उपलब्ध करवाया जा सकता था। आप देखिये, राजीव गांधी पापुलेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर राजस्थान में मेडिकल एण्ड हेल्थ की जो शर्मनाक हालत है, उसका एक छोटा सा नमूना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, We are the second highest.

पूरे कण्ट्री के अन्दर जितनी भी स्टेट्स हैं, उसके अन्दर हमारा नम्बर आता है दूसरा। मेटरनल मोर्टलिटी रेट में हमारा नम्बर आता है तीसरा। बर्थ रेट के अन्दर, बर्थ रेट हमारी इतनी ज्यादा है, मेरे को यह कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारा नम्बर इन्फेन्ट मोर्टलिटी रेट में चौथा आता है। जिसकी हालत हमारी बिहार से भी खराब है। बिहार में भी यह रिजल्ट नहीं है जो राजस्थान के अन्दर रिजल्ट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक साल के अन्दर 15 लाख बच्चे राजस्थान के अन्दर जन्म लेते हैं। इन 15 लाख बच्चों में से एक लाख बच्चे ऐसे हैं जो अपने जीवन का पहला बसंत भी नही देख पाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका पूरा वेक्सीनेशन नहीं होता, उनकी जो बीमारियां होती हैं उनके हम काबू करने में सक्षम नहीं हैं। तीन सौ बच्चे प्रतिदिन मर रहे हैं। प्रतिदिन तीन सौ बच्चे मर रहे हैं। अब यह चीजें ऐसी है, इन्फेन्ट मोर्टलिटी रेट, मेटरनल मोर्टलिटी रेट, पर सब चीजों को काबू करने की जरूरत है। पार्टी पॉलिटिक्स के बेरियर से ऊपर उठकर सारे लोग मेहनत करके करेंगे, तब यह काबू में आ सकती है नहीं तो इसका काबू में आना पासिबल नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एड्स के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एड्स के अन्दर जैसा कि सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं राजस्थान में करीब-करीब 1300 एड्स से पीडित लोग हैं। जो नाको, नेशनल एड्स कण्ट्रोल

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

ओर्गेनाइजेशन का सर्वे हुआ है, उसके अन्दर यह आया है कि प्रिवेलेंस रेट एड्स की जो है वह पाइंट 2 परसेंट है, इसके आधार पर राजस्थान के अन्दर पचास हजार ऐसे लोग हैं जिनके ब्लड के अन्दर एच.आई.बी. पोजिटिव है। पचास हजार ऐसे लोग हैं और आज आपको एड्स का पैसा कहां से मिल रहा है? सारा का सारा नाको से मिल रहा है लेकिन उस पैसे का सही तरीके से सदुपयोग करने में राजस्थान सरकार विफल रही है। आज भी गांवों के लेवल पर, इनके एड्स के प्रोग्राम क्या होते हैं, फाइव स्टार होटल के अन्दर कव्वाली का प्रदर्शन कर दिया, एड्स से सबसे ज्यादा, अभी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी उठकर चले गये, मैं उनको यह कहने वाला था कि भरतपुर के पास 20 गांव ऐसे हैं जहां पर एड्स का प्रिवेलेंस सबसे ज्यादा है लेकिन वहां पर उनको चिन्ता नहीं है क्योंकि इस तरह के एजूकेशन प्रोग्राम, स्कूल एजूकेशन प्रोग्राम जो गांवों के अन्दर चलाये जाने चाहिए वह चलाने में सरकार ने अपना सारा धन जो नाको के माध्यम से......(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जो बोल रहे हो, वहां तो फैला हुआ है इसीलिए बाहर भेज दिया उनको। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : 80 परसेंट राजस्थान में, नाको का, नेशनल एड्स कण्ट्रोल ओर्गेनाइजेशन का जो पैसा आता है, वह सारा का सारा पैसा, जिसकी लागत करीब 8 करोड़ रुपये है, 80 परसेंट पैसा सिर्फ अरबन एरिया में खर्च किया जा रहा है और 20 परसेंट पैसा रूरल एरिया में खर्च किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पैसा केन्द्र सरकार के मिल रहा है, राजस्थान सरकार को सिर्फ व्यवस्था करनी है क्योंकि आज जो एड्स की स्थिति है वह टिप आफ द आइस वर्ग है। आगे आने वाले समय में यह एक पूरे एपीडेमिक का रूप लेगी। मेरा निवेदन यह है कि रूरल एरिया में भी एड्स के एजूकेशन का बहुत जोर से प्रचार-प्रसार होना चाहिए जिससे एड्स के जो इन्फिलिट्रेशन है राजस्थान में, उसको रोका जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस एक मिनट और लूंगा। कई बार प्रतिपक्ष के सकारात्मक रवैये को देखते हुए सत्ता पक्ष ने अपने बहुमत के बल पर कई निर्णय ऐसे लिये जिसके कारण आगे जाकर उनको नीचा देखना पड़ा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

या शर्मसार होना पड़ा। सी.आर.पी.सी. 167 के अन्दर बहुत जोर-जोर से यह मांग की थी लेकिन उसके अन्दर माननीय राष्ट्रपतिजी ने उसको नीचे गिरा दिया और उसको वापस लेना पड़ा। अब आप यह देखिये कि एम.आर.पी. के ऊपर जो टैक्स लगाया था, इस सदन में प्रतिपक्ष की तरफ से, हर तरफ से यह चिन्ता व्यक्त की गयी कि सरकार का यह दायित्व है कि वह रेवेन्यू को बढ़ाये, सरकार का यह दायित्व है कि जो रेवेन्यू के नेटवर्क नहीं आते हैं उनको शामिल करे। सरकार का यह भी दायित्व है कि जो करों की चोरी करता है उनको रोका जाए लेकिन सरकार का दायित्व यह नहीं है कि इण्डियन कांस्टीट्यूशन के ऊपर जाकर सेल की डेफिनेशन ही चेंज कर दे। अब इन्होंने सेल की डेफिनेशन चेंज कर दी और और माननीय हाईकोर्ट ने अभी उसको निरस्त कर दिया और उसकी परिणति क्या हुई? उसकी परिणति यह हुई कि जो जेनेटिक मेडिसन जो एक आम आदमी लेता था उसकी कीमतों में कई गुणा वृद्धि हो गयी। अब इसके बाद में जैसे-जैसे अभी इस सरकार ने यहां निर्णय लिया है कि वैट नहीं लगाएंगे। आगे आने वाले समय में जब वैट लगेगा तब जाकर उसको नल एण्ड वाइड किया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण और प्रस्तुत करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, आज एक गरीब आदमी के पास क्या है? वह सवाई मानसिंह चिकित्सालय में या किसी सरकारी चिकित्सालय में जाकर अपना इलाज करवा ले, पैसे वाला तो कहीं भी इलाज करवा लेगा लेकिन उसके पास तो दो ही अल्टरनेटिव है या तो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा ले या बाहर फुटपाथ के ऊपर अपना दम तोड़ दे। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का दो करोड़ 8 लाख 19 हजार रुपया लैप्स हो गया। यह प्रशासनिक शिथिलता की वजह से ही वह लैप्स हो गया। उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश भी दिये हैं कि इस तरह की हरकत आगे नहीं होनी चाहिए। आज अपन ई-गवर्नेन्स की बात करते हैं। एस.एम.एस. अस्पताल के अन्दर कई गरीब मरीज ऐसे आते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक गरीब मरीज को 15 दिन, 20 दिन, एक महीना इन्तजार करना पड़ता है. क्यों इन्तजार करना पडे? ई-गवर्नेन्स के थ्रू आज अगर वह भर्ती होता है तो तीन दिन के अन्दर उसका पैसा आ जाना चाहिए और पांच दिन के अन्दर उसका आपरेशन हो जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था की जानी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी अस्पताल में टॉप प्रायोरिटी अगर किसी को मिलती है तो वह बी.पी.एल. परिवार को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए।

लास्ट में एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं टयूबर-क्लोसिस के बारे में..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वी.आई.पी. और बी.पी.एल. में थोड़ा डिफरेंस करिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : जमीन-आसमान का अन्तर है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको मालूम नहीं है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : डिफरेंस को कम कर रहे हैं वह।

श्री हरिमोहन शर्मा : बी.पी.एल. की जगह वी.आई.पी. हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब उसको मेट रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : उपाध्यक्ष महोदय. राजस्थान की पापुलेशन 5 करोड़ 65 लाख है। 5 करोड़ 5 लाख में से जो भी जनगणना आयी है वह यह बताती है कि 76 परसेंट लोग रूरल एरिया में रहते हैं और बाक़ी के लोग अरबन एरिया में रहते हैं। अब रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या हो गयी 4 करोड़ 28 लाख। अब आप देखिये कि रूरल एरिया में एक आम आदमी जो गरीब आदमी है वह अपनी चिकित्सा कहां से उपलब्ध करवाता है? वह उसको या तो कम्युनिटी हैल्थ सेंटर से मिलती है या प्राइमरी हैल्थ सेंटर से या सब सेंटर से। इनकी टोटल संख्या अगर मिला ली जाए तो इनकी सख्या आती है 12160, यह एक सेंटर 3520 लोगों की चिकित्सा करता है। अब आप देखिये कि इसके अन्दर आपने जो बजट का प्रावधान रखा है और जो ऐलोपैथी दवाइयों का प्रावधान रखा है, एक मरीज को एक साल के अन्दर सिर्फ 1 रुपया 41 पैसे की दवाई आप दे रहे हैं। सिर्फ 1 रुपया 41 पैसे की दवाई एक साल में। मैं आपको एक अतारांकित सवाल के आन्सर में बताता हूं।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

बी.पी.एल. परिवार के आपने ग्रामीण एरिया में क्या चिकित्सा उपलब्ध करवायी है, कुछ भी नहीं। एक रुपया 41 पैसे तो यह एक और साथ में आपने यह कह दिया कि राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी का जो प्रोफिट होगा उसका 25 परसेंट, वह गरीब मरीजों की दवाइयों के ऊपर खर्च करेगा और 95 परसेंट जगह, मैंने पूरे आंकड़े इकट्ठे कर रखें हैं। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी डिफंक्ट है वह फंक्शनरी ही नहीं है। किसी में 11000 रूपये जमा है, किसी में 10000 रुपये जमा है, किसी में 5000 रुपये जमा है और जो बी.पी.एल. मरीजों की रेफरेंस होती है, पिछले एक साल के अन्दर चूरू जिले से सिर्फ 12 मरीजों को आफिशियली सवाई मानसिंह चिकित्सालय में रैफर किया गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण एरिया के अन्दर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वह पूर्णतया अपर्याप्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बस लास्ट है। बस कन्क्लूड ही कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं उसमें 100 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को मिलता है, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य गतिविधियां करने के लिए। वेक्सीनेशन का काम भी उसके अन्दर आता है और मैं यह नहीं समझता कि झालावाड़ से अच्छा कोई वेक्सीनेशन का प्रोग्राम कहीं हो सकता है। जहां से मुख्य मंत्रीजी आती हैं और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, वह तो अभी चले गये, मेरे से पूछ रहे थे कि यह कहां से लाये डेटा, जो मल्टी इण्डकेटर कलस्टर सर्वे हुआ है यूनिसेफ का, जो जनवरी, 2005 के अन्दर हुआ है, वह सर्वे यह बताता है कि फुल वेक्सीनेशन झालावाड़ के अन्दर जो हुआ है, वह सिर्फ 25 परसेंट है। सिर्फ 25 परसेंट है।

जब झालावाड़ जैसे जिले की यह हालत है, वह पैसा जो 100 प्रतिशत आपको केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में मिल रहा है, आपको न तो ऋण चुकाना है, न ब्याज चुकाना है उसका। सिर्फ आपको तो व्यवस्था करनी है जिससे कि आपको सारे राज्यों में बच्चों का 100 प्रतिशत वेक्सीनेशन हो सके। खाली प्रशासनिक शिथिलता के कारण हम यह वेक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लास्ट एण्ड फाइनल, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। बस इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। आज की तारीख में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के रूल्स को आप देख लें। उसके अनुसार न तो पैरा-मेडिकल स्टॉफ है, न फोर्थ क्लास है, न टीचर्स प्रमोशन हो रहा है और यह जो अलग अलग तरह की वारदातें हो रही हैं, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ठेकेदारी-प्रथा के पीछे जिन वार्ड ब्वॉय की नियुक्ति की गयी, उनका पुलिस वैरीफिकेशन अब किया जा रहा है, पहले नहीं किया गया। खाली सस्ते दाम के अन्दर जो मिला चाहे वह चोर है, उचक्का है, जेबकतरा है, सबको वहां पर एम्पलायमेंट मिल गया। यह बहुत दुखद स्थिति है और अब स्ट्रिक्टली पुलिस का वैरीफिकेशन होकर, एक पुलिस अधिकारी ने आज तक के इंटरव्यू में साफ बोला है कि यह जो ठेके के कर्मचारी हैं, वह इंजेक्शन भी लगाते हैं, मरीज को ट्रोली पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और ड्रिप भी चालू कर देते हैं तो इस तरह से मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री यह कहती हैं कि हम चिकित्सा पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। यह तो चिकित्सा पर्यावरण उल्टी दिशा में चल रहा है। पहले आस-पास के राज्यों के लोग जो इलाज करवाने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आते थे, आज यहां से निकलकर बाहर जा रहे हैं तो वह पर्यावरण दूसरी जगह पनप रहा है। यहां का नहीं पनप रहा।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सबसे इम्पोर्टेन्ट चीज कुपोषण है। कुपोषण के लिये जितना पैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी की महिमा मण्डन में खर्च हो रहा है, आम जनता उसको देख रही है कि यह महिमा मण्डन नहीं, महिमा खण्डन हो रहा है। यही पैसा अगर कुपोषण के ऊपर खर्च करें तो एडवरटाइजमेंट आप देते हैं ना "एक गिलास दूध अपने हाथ से बच्चों को जरूर पिलायें" तो वह दूध इन कुपोषित बच्चों को एक साल तक 25 करोड़ रूपये के अन्दर जो 60 हजार बच्चे हैं उनको पिला सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री केसरदेव बाबर:

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़-सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ भी ध्यान करो।

श्री केसरदेव बाबर : आपकी भी सुनी जायेगी।

श्री रामप्रताप कासनिया : दिया हुआ नहीं है, बीच का नम्बर आता है। इधर से बोल लिये, उधर से बोल लिये। (व्यवधान) वह आपके से ठीक है, इसलिये हो गया मैं एक तरफ।

श्री केसरदेव बाबर : माननीय मंत्री महोदय का सीकर जिले की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। जयपुर से बीकानेर नेशनल हाई-वे रोड है। इस पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। फतेहपुर में हमारी एक्सीडेंटल यूनिट है, परन्तु सीकर में नहीं है, लक्ष्मणगढ़ में नहीं है, रींगस में नहीं है। सीकर में ट्रोमा यूनिट स्थापित की जाये और रींगस में नहीं है। सीकर में ट्रोमा यूनिट स्थापित की जाये और रींगस में एक्सडेंटल यूनिट स्थापित की जाये। लक्ष्मणगढ़ भी एक सेंसिटिव जगह है, वहां भी आये दिन एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। वहां भी एक एक्सीडेंट यूनिट स्थापित की जाये। एक चिकित्सा में जो एक पद्धति चल रही है प्रतिनियुक्ति की, डेपुटेशन की, इसको विभाग खतम करें, क्योंकि डाक्टर और कम्पाउंडर नौकरी कहां करते हैं और डयूटी कहां देते हैं। इस तरह की जो नियुक्तियां हैं इनसे जनता की सेवा पर असर आता है तो इन प्रतिनियुक्तियों पर सरकार की शायद पाबन्दी भी होगी, लेकिन इसकी पालना पूरी तरह नहीं होती। दूसरा, गांवों में जो सब-सेंटर खोले जाते हैं, इन सब-सेंटरों पर पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। सब-सेंटर खोलने के साथ ही वहां बिल्डिंग भी होनी चाहिये और बिल्डिंग के साथ-साथ वहां पर पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। इस समय तो मौसम भी गर्मी का है। बीमारी का मौसम है तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। गांवों में पहले डी.डी.टी. पाउडर छिड़का जाता था, लेकिन आजकल यह देखने को नहीं मिलता। गांवो में मच्छर और मक्खियों की भरमार रहती है। ब्लिचिंग पाउडर तो जरूर अपने स्वास्थ्य केन्द्रों में मिलता है और जहां तक ए.एन.एम. टंकियों

(श्री केसरदेव बाबर)

में भी डलवाते हैं। इससे बीमारी की रोकथाम पर भी रोक लगती है। साथ ही बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

पहले के शासन में उपखण्ड बढ़ाये गये। लेकिन उपखण्ड बढ़ाने के साथ-साथ जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में उप खण्ड कार्यालय खोला गया लेकिन उस उपखण्ड कार्यालय में स्वास्थ्य के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिये, वह नहीं हैं। वहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें 30 बैड हैं। आज वहां हालात यह हैं कि एक भी बैड साबुत नहीं है। वहां कभी कोई पेशेन्ट भर्ती होता भी नहीं। जबकि वहां 50 बैड का अस्पताल होना चाहिये और जो बैड वहां बने हुए हैं उस अस्पताल में, जो सुविधाएं नहीं हैं, जैसे वहां मैं खुद भी गया था। एक भी बैड काम का नहीं है। वह 20-30 साल पहले खुला होगा। उसमें सुविधाएं ठीक करने के लिए मंत्री महोदय आवश्यक बजट का समायोजन करें और डिप्टी सी.एम.एच.ओ. स्तर का डाक्टर वहां रहे। इस तरह का अस्पताल वहां खुले ताकि विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फायदा हो।

पास में एक ग्राम बाडणा है वहां पर आज से 10 साल पहले प्राइवेट अस्तपाल चलता था, वह बन्द है। वहां पर अस्तपाल की बिल्डिंग बनी हुई है। बैड की व्यवस्था है और जो साधन होने चाहिये वह सभी साधन उपलब्ध हैं, अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक पी.एच.सी. खोलने का आदेश फरमाएं वैसे लक्ष्मणगढ़ में तो अस्पताल चल रहा है वह पी.एच.सी. और सी.एच.सी. दोनों अपने आप में मर्ज हैं। इसलिए वहां से भी यदि पी.एच.सी. को हटाकर वह बड़ाणा में डाक्टर शिफ्ट किया जाये, बड़ाणा बहुत बड़ा गांव है।

दूसरा, उप खण्ड स्तर पर फूड लाइसैन्स देने का जो कार्य करते हैं वह अधिकारी लक्ष्मणगढ़ नहीं है और वह समझ के बाहर है कि फूड लाइसैन्स कौन अधिकारी देगा? पहले उप खण्ड अधिकारी जहां होता था वहां पर एक फूड लाइसेन्स का अधिकारी होता था। आज जो नये उप खण्ड बनाये गये हैं उन उप खण्डों में यह लाइसेन्स कौन देगा, यह कोई तय नहीं है।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें ग्राम ढेर का

(श्री केसरदेव बाबर)

बास डूलपापट्टी, डोटासरा, रामसिंहपुरा, डूंगरवास और पुरोहित का बास, अन्य भी कई गांव हैं। विधान सभा क्षेत्र की लम्बाई करीब 100 किमी. है और दूर दूर तक इंजेक्शन लगाने के लिए आना पड़ता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र की जरूरत है वहां खोले जायें और एक-दो पी.एच.सी. भी दी जाये ताकि इससे गांवों को फायदा होगा। यही मेरा कहना है। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी, यह सीकर का मामला है इसलिए मैं दो मिनट बोलना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में नहीं बहिनजी। श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वस्थ आदमी एक देश की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकता है और उसके नाते से कल्याणकारी सरकारें हमेशा इस प्रकार का प्रयास करती रहीं है कि उनके नागरिक जितने स्वस्थ होंगे तो निसन्देह अपनी सेवाएं अपने देश के लिये, अपने समाज के लिये वह लगातार देते रहेंगे और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक अवस्था में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का बहुत ज्यादा महत्व रहा। लेकिन तात्कालिक तौर पर अन्य विधियों का भी उपयोग समय समय पर होता रहा है। वर्तमान सरकार ने जहां चिकित्सा सेवा में लगातार अपने बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि की है

वहीं इन सेवाओं में सुधार का भी लगातार प्रयास किया है और जैसा अभी सुबह चर्चा में भी आया, इन सेवाओं के कारण ही स्वास्थ्य की दृष्टि से देश के अन्य प्रान्तों के हिसाब से जो हमारा स्थान बहुत नीचे था उसमें अब उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र और दौसा जिला विशेष तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद भी जितनी चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए उतनी नहीं है। अजमेर से लेकर महुआ तक का नेशनल हाई-वे इस प्रकार से है जहां दुर्घटनाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है यदि तत्काल उपचार की व्यवस्था हो जाए, उनको जयपुर

(श्री रामकिशोर मीणा)

में आने-जाने में जो दिक्कत होती है और रास्ते में जो व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उनको तत्काल राहत पहुंचाने में विलम्ब होने के कारण कभी-कभी वो दम तोड़ देते हैं

सिकन्दरा नेशनल हाई-वे पर है और वहां पर केवल मात्र एक डाक्टर की व्यवस्था है यदि उसको उच्चीकृत कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा यहां पर एक्स-रे मशीन की भी कमी रही है, इसको भी आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। इसी प्रकार से दौसा जिले का भांडारेज कस्बा सबसे बड़ा है किन्तु वहां पर पी.एच.सी. है लेकिन वहां पर सामुदायिक केन्द्र भी होना बहुत जरूरी है, कभी-कभी मौसमी बीमारियों के कारण से तत्काल जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती।

इसके साथ-साथ अभी सरकार ने पी.एस.सी. के मार्फत डाक्टर्स की भर्ती करके उस पूर्ति को काफी हद तक दूर किया है लेकिन नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कागजों में तो उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले हुए हैं लेकिन हकीकत में वहां पर कई नर्सिंग स्टाफ नहीं होने के कारण से वो कार्यरत नहीं हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि इन उप स्वास्थ्य केन्द्र पर जल्दी से जल्दी नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए और उनके आधार पर इन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए।

इसी प्रकार से नये पी.एच.सी. और डिस्पेंसरी की भी आवश्यकता है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भांडारेज सबसे बड़ा कस्बा है। इसी प्रकार से सिकराय है, इसके अन्दर हौम्योपेथी चिकित्सा जो अभी तक शहरों में है, इनको भी यदि गांव स्तर पर दिया जाए क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति के बारे में विशेष तौर से आम जनता का रूझान बढ़ा है और इसके कारण से ऐसी गम्भीर बीमारियों का इलाज हुआ है जिनकी यहां आपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, पथरी जैसी बीमारियों को केवल दवाओं के मार्फत निकाल दिया जाता है। इसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है इन दोनों स्थानों पर हौम्योपेथी चिकित्सा सुविधा भी इसी वर्ष से खोलने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, माडा योजना के अन्तर्गत आता है लेकिन

(श्री रामकिशोर मीणा)

तुलनात्मक दृष्टि से इस क्षेत्र में जितने उप स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए, जितने चिकित्सालय होने चाहिए उतने नहीं है। बीच का क्षेत्र एक ऐसा है, ठोलीका है, गुमानपुरा है इसके बीच में, आस-पड़ौस में करीब दस-दस किलोमीटर तक कोई ऐसी चिकित्सा सुविधा नहीं है, वहां मरीजों के लिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह है और वह भी उस क्षेत्र से हमेशा गुजरते रहते हैं, उनसे भी हम बार-बार प्रयास करते हैं कि इस ओर विशेष ध्यान देकर इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। यही आग्रह है। धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलालजी।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नयी दिक्कत है कि तनख्वाह राजस्थान गवर्नमेंट से लें और हमारे डाक्टर हरियाणा में रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पड़ोसी हैं थारा।

श्री सुन्दर लाल : खुडीणा में हास्पिटल है डाक्टर नारनौल रहता है, सोली में हास्पिटल है डाक्टर महेन्द्रगढ़ में रहता है, उदामांडी में हास्पिटल है और डाक्टर महेन्द्रगढ़ रहता है। उनकी कोई व्यवस्था नहीं बैठी। कई बार कह चुके पर वह डाक्टर अपना स्थान हरियाणा से राजस्थान में नहीं करते। 11 बजे मंगलवार को आते हैं और गुरूवार, शुक्रवार के बाद फिर मंगलवार को आते हैं। दो बार लिख कर भी दे दिया। सिंघाणा में 20 हजार की आबादी है, मंहगाई बढ़े, आदमी बढ़ें और उठे डाक्टर घटें, पेली तीन था दो करया और दो में से भी एक कर दिया। मैंने दो बार इनको चिट्ठी भी लिखी है, यों कहते हैं विचार करेंगे तो क बरस मैं करेंगा यो ही कोनी बेरो विचार। सिंघाणा में तीन डाक्टर थे, 20 हजार की आबादी है उसमें तीन डाक्टरों के बजाय दो करे और अब दो के एक कर दिये। अब एक ही चल रहा है और वह कभी चला जाता है आपरेशन में, कभी कहीं चला जाता है और सूना पड़ा रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, मेरा क्वेश्चन भी यही था, कट मोशन भी यही है।

जब तक केरल की नर्स थी वह सब रहती थीं और अब ये अपने वाले लगे ये जाई कोनी, ये थैला लटकायां कित्तई डोलबो करे स और कोई बूझै न

(श्री सुन्दर लाल)

कोई बात, कोई लेना न कोई देना। इसलिए ऐसी जो खराब व्यवस्था हो रही है उसको सुधारने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसकी व्यवस्था सुधारो। आप तय तो करो, वह डाक्टर तो अपने स्थान पर रहना चाहिए। डाक्टर नारनोल रहे, डाक्टर सोळी में रहे, डाक्टर महेन्द्रगढ़ में रहे फिर उसकी क्या व्यवस्था होगी, फिर वो जायेंगे कहां। यहां जयपुर में भी, मैं हैल्थ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि बीस-बीस दिन जिनका आपरेशन नहीं हो वह तळे पड़े रहते हैं, चारपाई मिले नहीं, 15 दिन बाद में आपरेशन होगा और तळे पड़्या हाय रे, हाय रे गर्राबो करै। आप यह तो देखो जाकर, यह संभालो तो सही आप। आप उस व्यवस्था को तो देखो। आप इस व्यवस्था को देखते क्यों नहीं हो? जिसका एक महीने के बाद आपरेशन होना है उसको कह दो कि एक महीने बाद में आना। एक महीना वो टांग उपरने करयां तौबा तौबाद करवो करे, आपका जी नै रोबो करे और आप जाकर देखते नहीं, क्या तमाशा बना रखा है आपने यह, आपको उसको देखना चाहिए। आप हास्पिटल में जाकर देखो तो सही कभी जाकर के। पहले वाले हैल्थ मिनिस्टर, राजेन्द्र राठौड़ जाते थे, हम को भी ले जाते थे साथ, आप कभी पूछो तो सही, हमको साथ ले चलो, हम आपको बतायेंगे कि देखो क्या हालत है। लार लागरी है नीचै सुतया सुतया की , जी तरयां खेत मैं पूळी पड़ी अतरां तळे पड़्या है आदमी और कोई देखता है नहीं। आप जाकर उनको संभालते नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डाक्टर्स को आदेश दो कि जिसका आपरेशन हो उसको दो दिन, तीन दिन पहले वहां भर्ती करो। एक-एक महीने ऐसे पड़े रहते हैं, यह हालत है। आदमी पशुओं की तरह तळे पड़े हैं, तौबा-तौबा मारते हैं, उसके घर के भी कने बैठे हैं जैसे पूळे उतारेडे और आदमी के कने बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं। इसलिए आप यह व्यवस्था तो जरूर करो।

आज बड़े-बड़े डाक्टर हैं, कहते हैं कि आं डाक्टर कने तो उकास ही कोनी एक महीना तक तो एक महीने तक उकास नहीं है तो एक महीने पहले भर्ती क्यों करते हो?

डा. सी.पी. जोशी : नोट करो आप।

श्री उपाध्यक्ष : अब करेंगे, अब के करेंगे।

श्री सुन्दर लाल : आप एस.एम.एस. में जाकर देखिये हालत क्या हो रही है। गांवों में तो सुई लगाने वाला डाक्टर है, आजकल प्राइवेट टेम्प्रेरी दवाई इतनी चल गयी जिसकी हद नहीं, एक डाक्टर से जुखाम की दवाई लिखा लो 400 रुपये की दवाई लिखेगा और कहेगा हास्पिटल मत जा, मेरे कने ही है, थैला में से काड कर दे देता है। तो आप इसमें व्यवस्था तो करो, आपकी जिम्मेदारी है। आप इस बात को ऐसे मत टालो कि विपक्ष का है और यह पक्ष का है। इन बातों पर ध्यान मत दो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई मरीज का पता थोड़ी ही रहता है।

श्री सुन्दर लाल : एक बात और आपको बताऊं कि डाक्टर को डाक्टरों का मिनिस्टर बनाना नहीं चाहिए। यह सबसे गलत काम है। वो कहते हैं अण न बना दयो पाछै वो जाणे अरे यो भी आपणो भाई, देख आपां कदे साथ हा। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यह सारा काम गलत इस तरह हो गया। कोई कह दे आपां पार्टनर था, देख आपां साथ था, छुट्टी तेरी कितई जा। इसलिए आप इस बात की व्यवस्था करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल से यह आदेश होना चाहिए कि जो नर्स और डाक्टर हैं, जहां भी उनकी डयूटी हो वहां रहना चाहिए अगर इसमें नहीं रहेंगे तो अगले बजट में आपके और हमारा झगड़ा होगा। यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद । जय हिन्द। राम राम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मंत्रीजी खुद डाक्टर हैं और वहां भरतपुर में इनको रहना चाहिए, वहां इनकी क्लिनिक चली है, दिगम्बर हास्पिटल आज भी चल रहा है। यह यहां रह रहे हैं तो फिर बाकी डाक्टरों को क्या संदेश मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पर सुन्दरलालजी तो विभाग चैंज करा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : राठौड़ साहब, राजस्थान की जनता को मालूम है कि आपकी वापस नजर हैल्थ डिपाटमेंट पर है।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजकिशोरजी शर्मा। बैठो, आपका नम्बर है अब, नैक्स्ट आप का है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ज कटौती प्रस्ताव दिया है उसका प्रमुख कारण यह है कि पिछले बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर वित्त मं के रूप में घोषणा की थी.

मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने घोषणा की थी तो ल श कि चिकित्सा विभाग की गाड़ी थोड़ी पटरी पर आएगी लेकिन च है त टे मेडिसन की हो, चाहे उसके जरिए आधुनिक चिकित्सा का भ में पहुंचाने की हो या एक छत के नीचे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के विशे ज्ञ बिठाए जाने की घोषणा के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर सर्जरी की सुविधाओं का विस्तार व राजम पर ट्रोमा यूनिट की स्थापना की घोषणाएं भी कागजों में धरी की धरी रह ।

उपाध्यक्षजी, आज हालात यह बन गए हैं कि मं महोदय एस.एम.एस. को चिकित्सालय की जगह धर्मशाला बताने ल हैं । अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर चिकित्सा का क हाल हो । एस.एम.एस. राजस्थान का एक प्रतिष्ठित चिकित्सालय है। वहां पर रकर और पनगडिया साहब जैसे अनुभवी चिकित्सक हैं और उनके होते हुए राजस्थान के अन्दर एस.एम.एस. ने अपनी छाप बनाई है।

लेकिन आज एस.एम.एस. की हालत क्यों बिगड रही है इसको हमको सोचना होगा, हमको देखना होगा क्यों राजस्थान के अन्दर ऑपरेशन के म पर आपरेशन थिएटर में आपरेशन की तैयारी में बलात्कार हो रहे हैं और यह ब त्कार इसलिए हो रहे हैं कि पहले जब ऐसा हुआ तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लि 15.11.2004 को अजमेर के अन्दर जनाना अस्पताल में विवाहिता के स ब त्कार किया और सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह बात कोई नई नहीं है। एस.एम.एस. हास्पिटल में इतना बोझ बढ़ गया है कि उस बोझ को कम किस तरह से किया जाए यह भी एक सोचने का वि य है। डाक्टरों पर जो बोझ है उनको के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखना पड़ता है। अब वह एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर उनसे हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये कराया जाए और डाक्टरों को सिर्फ मरीज की सुविधा का ध्यान रखा जाए तो मैं समझता हूं यह इस तरह की घट एस.एम.एस में हो रही हैं शायद उनकी पुनरावृत्ति न हो।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मेरा मानना यह भी है कि एस.एम.एस. के ऊपर बोझ कम करने के लिए जयपुर और जयपुर के आसपास के शहर जैसे दौसा, शाहपुरा, चौमूं दूदू, चाकसू, निवाई ऐसे शहरों में जहां पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वहां अच्छे चिकित्सालय बनाकर अच्छी सुविधाएं देकर के वहां पर ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, ऐसे डाक्टरों की पोस्टिंग की जाए जिससे वहां पर अच्छी चिकित्सा मिले और एस.एम.एस. के ऊपर जो भार है वह कम हो।

मेरा ऐसा मानना है कि एस.एम.एस. में पिछले दस सालों के अन्दर कोई नये उपकरणों की खरीद नहीं हुई है। यह मैं समझता हूं....

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल कौन था? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : हमने क्या किया था वह आप कर लो ना (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो पहली बार आए हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : हम तो पहली बार आए हैं आप भी पहली बार ही आए हो लेकिन आप भी कुछ करो वैसे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : महावीरजी पुराने आदमी हैं ओल्ड इज गोल्ड।

श्री बृजकिशोर शर्मा : एस.एम.एस. में एम.आर.आई मशीन और कैथ लैब एम.आर.आई.मशीन को तुरन्त लगाया जाना चाहिए। सी.टी. स्कैन और सोनोग्राफी जैसे उपकरण हैं वह और लगाए जाने चाहिए। जैसा अभी मेरे साथ सुन्दरलालजी कह रहे थे कि आपरेशन के लिए 15-15, 20-20 दिन तक मरीजों को हास्पिटल में पड़े रहना पड़ता है उसका एक मेन कारण यह है कि वहां पर जो टैस्ट होते हैं वह टाइमली नहीं होते। टैस्ट के बिना आपरेशन किये नहीं जा सकते इसलिए टैस्ट मशीन को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाना चाहिए उससे डाक्टर्स को ज्यादा सुविधा मिल सके।

एस.एम.एस. के अन्दर सैण्ट्रल लैब का हाल बहुत बुरा है। वहां पर इसलिए ज्यादा हालात खराब हैं कि पेशेंट टैस्ट के ज्यादा आते हैं और टैस्ट के रिजल्ट हैं उस पर भी संदिग्धता पैदा हो गयी है और उसका कारण एस.एम.एस. के डाक्टर खुद हैं वह सैण्ट्रल लैब के रिजल्ट को न मानकर बाहर

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

से प्राइवेट टैस्ट करवाते हैं और उसके बाद मरीज का उपचार शुरू करते हैं, अगर ऐसी स्थिति रही तो कैसे सैण्ट्रल लैब के अन्दर मरीजों का इलाज होगा इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए

एस.एम.एस. की इमरजैंसी लैब का तो हाल उससे भी बुरा है। वहां तो कोई भी टैस्ट किसी भी वक्त, मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैं को पिछले दो-ढाई साल के अन्दर एस.एम.एस. में काफी रहना पड़ा और मैंने यह महसूस किया कि वहां की इमरजैंसी लैब तो किसी मतलब की नहीं है और वहां का तो कोई टैस्ट इस स्तर पर नहीं है कि जिससे मरीजों का इलाज किया जा सके

आज नकली दवाइयों का धंधा इस कदर जोरों पर चल रहा है, मैं उसके कुछ उदाहरण आपको पेश करना चाहता हूं। सरकार के पता होने के बावजूद खतरनाक खाद्य व पेय सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है। संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी पेप्सी और कोक जैसे ठंडे पेय बनाने वाली कम्पनी कानून काक उल्लंघन जारी रखे हुए हैं। मिनरल वाटर के नाम पर देश में प्रदूषित पानी बिक रहा है। नकली दवाइयां व जहरीले खाद्य पदार्थ तेजी से पनप रहे हैं। इस धंधे के कारण बहुत खतरनाक संकेत मिल रहे हैं नकली दवाइयां, खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थों के बारे में काफी दिनों से बैठकें चल रही हैं लेकिन राजस्थान की इस लचर व्यवस्था की वजह से कोई इसमें कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं नकली दवाइयों के विक्रय का एक कारण यह भी है कि एक औषध नियंत्रक छह-छह जिलों को देख रहा है ऐसी स्थिति होगी तो किस तरीके से जो नकली दवाएं हैं उन पर नियंत्रण हो पाएगा

आज डाक्टर्स की ऐसी हालत हो गयी है कि एक जो प्राइवेट लैबोरेट्री में टैस्ट होते हैं वह अपने पैसों की खातिर ऐसे टैस्ट भी दे दिये जाते हैं जैसे एक शिशु का टैस्ट दूसरे शिशु को दिया जाता है और इससे ज्यादा तो क्या डाक्टरों के लिए शर्मनाक बात होगी जो दूसरे शिशु का टैस्ट आया वह पैसे की खातिर दूसरे को इंजेक्शन लगाता है और लैबोरेट्री वाला अपने आप पैसे बढ़ा रहा है

दवाइयों के विक्रेताओं की हालत यह है कि ट्रेनिंग के बिना, लाइसैंस

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

के बिना दवा विक्रेताओं के यहां लोग दवाइयां बेचते हैं। ऐसी हालत में किस तरीके से मरीज यह उम्मीद कर सकता है कि उसको प्रोपर दवाइयां मिलेंगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब समय का..

श्री बृजकिशोर शर्मा : दो मिनट में। विकलांगता के मामले में राजस्थान छठे नम्बर पर है। आपने मुझे ज्यादा बोलने का वक्त नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बात तो पूरी आ गयी। कोई बात बाकी नहीं छोड़ी आपने।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, तीन ही हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी डिटेल में सब बातें बता दीं। आपने कोई बाकी नहीं छोड़ी (व्यवधान) बाहर नहीं जाएंगे, जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तेरह पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण का जो आबादी क्षेत्र है वहां पर सैटेलाइट हास्पिटल तुरन्त खोला जाना चाहिए। विधान सभा क्षेत्र जयपुर और एस.एम.एस. के अन्दर जो मैं बात कर रहा था, एक ऐसी स्थिति बन गयी है कि जो सीनियर सिटीजन जब जाता है तो उसको एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने खुद ने देखा है कि हमारे भूतपूर्व राजस्थान के मुख्य मंत्री बरकततुल्ला खां की पत्नी जब अपने टैस्ट कराने के लिए सैण्ट्रल लैब पहुंची तो उनको पूछने वाला तो छोड़ो उनके टैस्ट करने के लिए कोई आदमी मौजूद नहीं था।

मेरे इंटरवीन करने के बाद उनके टैस्ट की व्यवस्था की गयी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे जो सीनियर सिटीजंस है उनके लिये स्पेशल व्यवस्था की जाए।

आपने मुझे मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया...(व्यवधान) अब यह बैचेन हो रहे थे...

डा. सी.पी. जोशी : बिलकुल ठीक है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सही है बीच के आदमी का नम्बर आ रहा है

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा की डिमांड पर चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार ने सत्ता में आने के बाद चिकित्सा के सम्बन्ध में काफी कुछ सुधार किये हैं परन्तु अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से बिगड़ा हुआ काम कोई एक दो वर्ष में ठीक नहीं हो सकता.. (व्यवधान) पांच साल नहीं, कुछ समय चाहिये। जिस तरह से कांग्रेस को 45 वर्ष मिले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं भाषण सुनता हूं तो मेरा मन अन्दर ही अन्दर घुटता रहता है इस सदन में भाषण तो बहुत दिये जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिये बजट भी बहुत रखा जाता है,

राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अरबों रुपये देती है परन्तु गांव की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चाहे डिसपेंसरी खुली हो, चाहे पी.एच.सी. खुली हो, प्रथम तो वहां पद ही रिक्त रहते हैं। अगर किसी डाक्टर को लगा दिया जाता है तो हफ्ते में एक दिन पी.एच.सी. के अन्दर जाकर अपनी हाजिरी लगाकर शहर में आता है। यही हालत नर्स की है। ज्यादातर पद हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त रहते हैं

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की हालत यह है कि गांव के अन्दर आर.एम.पी. डाक्टर हैं, उनका शहरों के अन्दर जो प्राइवेट हास्पिटल हैं उससे आपस में लेन देन होता है इस कारण ग्रामीण क्षेत्र का आदमी आर.एम.पी. डाक्टर पर भरोसा करके उसके साथ प्राइवेट हास्पिटल में चला जाता है उसको बीमारी तो है जुकाम की और प्राइवेट डाक्टर वहां के दवाई दे रहे हैं निमोनिया की बिना जांच किये ही हजारों रुपये की दवाई लिख दी जाती है जिस तरह से रिसर्च सेण्टर के अन्दर कोई रिसर्च किया जाता है उस तरह से..

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल एण्ड हैल्थ के ऊपर यहां डिस्कशन हो रहा है डिमांड पर। न मेडिकल एजूकेशन मिनिस्टर हैं, न मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर हैं, न स्टेट मिनिस्टर हैं, यह क्या है? मतलब कोई गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं हाउस को ही...

श्री वासुदेव देवनानी : मैं नोट कर रहा हूं। मैं सब नोट कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसका?

श्री वासुदेव देवनानी : चिकित्सा।

श्री कनकमल कटारा : माननीय माहिर साहब, हम नोट कर रहे हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा आप बताइये हमें..(व्यवधान) हमें बताइये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक एक बिन्दु बहुत गम्भीरता से मैं लिख रहा हूं..

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बताइये पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कौनसी बीमारी का जिक्र किया है अभी, बताइये कौनसी बीमारी का जिक्र किया था इन्होंने अभी...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : आप तो पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में नहीं जानते, चिकित्सा के बारे में थोड़ी जानते हो साहब...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तमाशा बना रखा है हाउस को। बताइये कौनसी बीमारी का जिक्र किया था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो नगर से आने वाले माननीय सदस्य की बात का जवाब देना मेरे लिये कोई आवश्यक नहीं है परन्तु पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाये, सबको लिखा जा रहा है...

मोहम्मद माहिर आजाद : हां तो बताओ ना इन्होंने अभी कौनसी बीमारी का जिक्र किया था। बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने उस बीमारी का जिक्र किया जिसके जनक आप हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो आपने दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस बीमारी को आपने पैदा किया उस बीमारी का जिक्र किया इन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो आपने दी है जब आप हैल्थ मिनिस्टर थे। यह किया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बंशीलाल खटीक : आपके कहने से हमारे मंत्री महोदय जवाब देंगे क्या। आपके कहने से हमारे मंत्री महोदय जवाब देंगे नहीं, उपाध्यक्षजी के आदेश से देंगे। आपके कहने से नहीं देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह सारी बीमारी आपने पैदा की हुई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, नोन सीरियस है गवर्नमेंट। न तो इनके मंत्री उपस्थित, न राज्य मंत्री उपस्थित। आप हिदायत दीजिये एक मंत्री तो कम से कम यहां पर रहे कंसर्निंग मिनिस्टर..

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय मंत्री महोदय एक-एक प्वाइंट को लिख रहे हैं। आपके कहने से मंत्री महोदय जवाब नहीं देंगे, उपाध्यक्षजी के आदेश से ही जवाब देंगे। आप कौन होते हैं? कौनसे नियम, प्रक्रिया से आप बोलेंगे? आपके कहने से थोड़े ही वह बोलेंगे। हमारे उपाध्यक्षजी बिराजे हुए हैं, उनके आदेश से वह बोलेंगे। आप कौन होते हैं उनको जवाब देने के लिये कहने वाले? आप कौन होते हैं? कौन से नियम और प्रक्रिया से खड़े हुए हो पहले तो यह बोलो। सदन की गरिमा रखो और सदन की गरिमा सीखकर आओ और सदन में बोलो। गुमराह मत करो सदन के समय को। बिराजो-बिराजो...

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं राजसमंद सीखने आऊंगा।

श्री बंशीलाल खटीक : हां, सीख लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, मैंने उनको तो कहा नहीं..

श्री संयम लोढ़ा : आप राठौड़ साहब, यह तो बता दो यह चिराग-ए-हिन्द कहां से ढूंढकर लाये हो।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र का जो मरीज आर.एम.पी. डाक्टर लेकर आता है। उसको रिसर्च सेण्टर बना दिया जाता है। एक कहावत है "पढ़े जाट को और सीखे नाई को"

डा. सी.पी. जोशी : दुबारा बोलना।

श्री रामप्रताप कासनिया : "पढ़े जाट को और सीखे नाई को" नये नाई से शहर का तो कोई आदमी संवार नहीं कराये और गांव वाला ही कराये। उस तरह ही जब वह अनजान डाक्टर हैं, उस अनट्रेंड डाक्टर का काम गांव के लोगों को इलाज करना है। मेरा कहने का भावार्थ है कि उस मरीज के ऊपर तरह-तरह के प्रयोग किये जाते हैं। बिना कोई जांच किये, बिना कोई बीमारी पकड़ में आए तरह-तरह की दवाइयां बदल बदलकर दी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सही तरीके से अगर उसको चिकित्सा सुविधा मिले तो गांव का आदमी अपना इलाज गांव के अन्दर ही करवा सकता है। तीस वर्षों से लगातार इस देश के अन्दर चर्चाएं गांवों के लिये बहुत होती हैं। लोक सभा में, विधान सभा में बजट भी खर्च किया जाता है परन्तु उसका रिजल्ट अभी तक गांवों के अन्दर नहीं आया।

वर्तमान में अभी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो पी.एच.सी. बनी हुई हैं, अव्वल तो उनके भवन भी नहीं बने हुए हैं और भवन बन गये तो डाक्टर को रहने के लिये सुविधा नहीं है और नर्सों के लिये भी कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां डाक्टरों के रहने के लिये जगह है, नर्सों के लिये जगह है फिर भी वह लोग गांव के अन्दर नहीं रखना चाहते हैं। इसलिये नहीं रहना चाहते कि शहर के अन्दर उनको जो सुविधा मिलती है वह ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नहीं मिल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि कांग्रेस के समय में जो कुछ हुआ सो ठीक है। बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। एक-एक बात मैं यहां नहीं बताना चाहूंगा। बताऊंगा तो हो सकता है कुछ

(श्री रामप्रताप कासनिया)

सदस्य उत्तेजित हो जाएं मेरी जानकारी में है इस तरह के बहुत से उदाहरण पर मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को कोई न कोई लक्ष्य तय करना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कम से कम पांच पी.एच.सी. आप चुन लो। जितने रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। चाहे नर्स का हो, चाहे डाक्टर का हो और फिर उन पांच क्षेत्रों को चिंहित करके कोई न कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि हर माह उन पी.एच.सी. की जांच होनी चाहिये। डाक्टर वहां रहता है कि नहीं रहता है? नर्स वहां रहती है कि नहीं रहती है? मौके पर वहां मरीज को दवाई मिलती है या नहीं मिलती है?

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक बीमारी और चल पड़ी। हर गांव में मेडिकल स्टोर खोल रखें हैं। उनमें नकली दवाई जो होती है, दवाई तो एक रूपये की है, और वहां ग्रामीण क्षेत्र में दस-दस रूपये लिये जाते हैं। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी कमियां हैं सारी कमियां एक साथ ठीक नहीं की जा सकती। एक वर्ष में सब पी.एच.सी. के भवन नहीं बनाये जा सकते हैं। सभी डाक्टरों के रेजीडेंस नहीं बनाये जा सकते हैं। नर्सों के लिए रेजीडेंस नहीं बनाये जा सकते हैं। परन्तु एक-एक क्षेत्र में कम से कम एक या दो पी.एच.सी. चयनित करके उनमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाकर एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाये कि यह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद में क्या कोई डाक्टर और नर्सों की मनोवृत्ति में फर्क आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और नियम है, वर्षों से सर्वप्रथम पोस्टिंग डाक्टर की गांव में की जाती है मेडिकल कॉलेज से निकलते ही तुरन्त भर्ती होने के बाद पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। कैसी विडम्बना है शहर के अन्दर उसका पदस्थापन होना चाहिए ताकि वह चार-पांच वर्ष सीनियर डाक्टरों के नीचे काम सीखे और हो उलटा रहा है। यहां जैसे एस.एम.एस. हास्पिटल है, सीनियर डाक्टर हैं दो और उसके नीचे जूनियर डाक्टर दो-चार काम कर सकते हैं।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर सीधे ही पदस्थापन कर दिया जाता है ताकि वहां किसी मरीज का कोई नुकसान हो तो कोई शिकायत नहीं होती और कोई इलाज गलत हो जाये तो गांव का आदमी शिकायत नहीं करता। शहर के अंदर तो अगर एक गोली किसी को उल्टी दे दी और रिएक्शन हो गया तो कोर्ट तक पहुंच जाता है। गांव का आदमी मौत का शिकार हो जाये, उसके वारिस शिकायत तक नहीं करते और आये दिन गांवों में डाक्टर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बात का तो ध्यान रखें कि सर्वप्रथम पोस्टिंग करते टाइम जो बड़े हास्पिटल हैं, वहां एम.बी.बी.एस. जो डाक्टर हैं उनका पदस्थापन होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बागड़ी में कहावत है, आप जानते हैं, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ा हुआ मैं बहुत कम हूं, लेकिन मुझे भी जानकारी है।

श्री बाबूलाल नागर : आप नाड़ी वैद्य हो।

श्री रामप्रताप कासनिया : नाड़ी वैद्य हूं मैं गांवों का। ग्रामीण क्षेत्र का नाड़ी वैद्य हूं। एक-एक चीज का मैं अनुभव रखता हूं। एक-एक चीज मैं जानता हूं। लेकिन विडम्बना तो यह है कि कितनी ही जानकारी रखो, कोई असर होता मुझे दिखता नहीं है। फिर भी मोटे रूप में मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि शहर के अन्दर पांच साल तक डाक्टर की पोस्टिंग होगी तो सीनियर डाक्टरों से वह बहुत कुछ सीखेगा। हर बीमारी के लक्षण बीमारी के बारे में उसको जानकारी हो जाये और पूरा अनुभव होने के बाद में ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित करना चाहिए। बिना किसी जानकारी के सुई ही नहीं लगाना जानता है और पहली बार में ही गांव में लगा दें और फिर वहां पर नर्स और डाक्टर जो हैं मेरे जैसे वह गांव के आदमी का इलाज करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। डाक्टर तो ऐसे हैं जिनकी प्रथम पोस्टिंग गांव में की, एक गांव में एक कम्पाउण्डर था, वहां किसी व्यक्ति की बकरी बीमार हो गयी। जब वह कम्पाउण्डर बकरी के टीका लगाता तो बकरी बोकती बहुत थी, बकरी को दर्द होता था. तब बकरी चिल्लाती थी। जब वह बोकती थी तो घरवालों को बहुत दुख होता था।

डा. सी.पी. जोशी : बोके कैसे? आप बताओ बोके कैसे?

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं बोक करके ही बता दूंगा..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह रोज ही बोकते हैं

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, बकरी बोके तो घरवालों को दुख होता था और जब कमपाउण्डर छुट्टी पर चला गया और नया एम.बी.बी.एस. डाक्टर आया, उसने टीका भरा और बकरी के बाल बहुत मोटे-मोटे होते हैं, डाक्टर ने उसकी चमड़ी में लगाया नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया हुआ था। टीका कभी लगाया हुआ ही नहीं था। बालों में सुई लगाकर के टीका लगाया। बकरी नहीं बोकी तब घरवाले बहुत खुश हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य- बहस हो रही है मेडिकल एंड हैल्थ पर, आप पशु चिकित्सालय पर बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं डाक्टरों के उदाहरण दे रहा हूं... (व्यवधान) मैं उदाहरण दे रहा हूं चिकित्सा के मामले में नये डाक्टरों पर।

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह बिलकुल ठीक कह रहे हैं, आप इनको इंटरविन मत करो।

श्री रामप्रताप कासनिया : घरवाले बहुत खुश हुए और कहने लगे कि डाक्टर साहब आपने तो आज ऐसी सुई लगायी है कि हमारी बकरी रोई तक नहीं तो डाक्टर क्या कहता है कि यही तो डाक्टर कम्पाउण्डर में फर्क है। उपाध्यक्ष महोदय वही बात हो रही ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर।

डा. सी.पी. जोशी : समझ में नहीं आयी

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर नहीं है

श्री रामप्रताप कासनिया : यह आपके भी समझ में नहीं आयी। बेड़ा तो आपने ही बैठाया है। शुरूआत तो आपने ही की है सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। मैं तो साफ बात कह रहा हूं। मोटे रूप में कहने का भावार्थ है कि ग्रामीण

(श्री रामप्रताप कासनिया)

क्षेत्र में जब तक हम ध्यान नहीं देंगें, खाली इस सदन में भाषण करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को गांव का आदमी भी समझने लग गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हर सुविधा शहर में उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कुछ भी हो। शहर के अन्दर होती है। उदाहरण ही दे रहा हूं, फिर भी कहेंगे कि बिजली की चर्चा नहीं है। शहर के अन्दर पांच मिनट लाइट चली जाये तो शिकायत हो जाती है। गांव में आठ-आठ दिन चली जाये तो कोई परवाह नहीं है। गांव में डाक्टर आठ-आठ दिन बिना छुट्टी लिये चला जाता है छुट्टी पर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं उसके सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्रीजी...(व्यवधान) कोई नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई नयी दिशा प्रदान करनी है तो उसके बारे में मैं बताने के लिए आपको तैयार हूं। हर बात बताऊंगा और उसका रिजल्ट आयेगा और नहीं आये तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

डा. सी.पी. जोशी : मत करना।

श्री रामप्रताप कासनिया : मुझे विश्वास है इस्तीफा नहीं देने देंगे। एक्सपेरिमेंट मेरे कहे मुताबिक करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश चन्द्र।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य स्वस्थ शरीर और उसके माध्यम से सेवा करने का अवसर प्रभु कृपा से प्राप्त होता है। सरकार हमेशां ऐसी इच्छा रखती है कि जो मनुष्य जीवन में आयेगा वह स्वस्थ हो, उसको स्वस्थ रखने के लिए हर बार बजट आता है। बजट में नयी नयी व्यवस्थाएं होती हैं और सभी चिकित्सालयों में इस ओर ध्यान दिया जाता है। हमारे इस बार के चिकित्सा मंत्री स्वयं चिकित्सक हैं। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण व्यवस्था करें। हमारे यहां मुवेबल सर्जिकल बड़ा कैम्प 500 शैयाओं का लगा था। सैकड़ों लोगों को उससे लाभ हुआ था। इसी प्रकार अंधता निवारण सेवाओं से कई लोगों को लाभ हुआ है और हमारे यहां जो

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सब चिकित्सालयों की पूरी व्यवस्था करके इस प्रकार के कैम्पों का आयोजन करते हैं। माननीय मंत्री महोदय भी कुचामन आये थे और वह भी देखकर आश्चर्यचकित हुए थे कि यहां का चिकित्सालय एक माडल चिकित्सालय के रूप में है। जहां पर इस छोटे से स्थान पर आई.सी.यू. की व्यवस्थाएं हैं और सब लोगों का इस प्रकार का सेवा भाव है। उन्होंने हमारे यहां पर एक सिटी डिस्पेंसरी अलग से खोलने की स्वीकृति दी। उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारे यहां जो कमियां थी उसके लिए भी उन्होंने वेंटिलेटर मशीन, टीएमटी मशीन और जो-जो हमारी आई यूनिट अलग से बनी हुई है उसके लिए भी लेजर मशीन के लिए घो .णा की थी। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुचामन सिटी एफआरयू-1 यूनिट कमीशन के सहयोग से संचालित है। यह एकमात्र चिकित्सालय है जो चयनित हुआ है। वहां यूरोपियन कमीशन के माध्यम से 15 लाख रूपए स्वीकृत हुए हैं, इस राशि का भी उपयोग होगा और इसके अन्तर्गत चार चिकित्सकों के पद जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन, फिजीशियन, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे उनकी नियुक्ति शीघ्र करें।

इसी प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था ठीक प्रकार से चलते हुए भी मेरे मन में इस बात की पीड़ा है कि हमारा नावां विधान सभा क्षेत्र जो एस.डी.एम. हैडक्वार्टर भी है, वहां करीब 30 हजार की आबादी है और उसमें करीब 3 हजार नमक मजूदर भी काम करते हैं। वहां का चिकित्सालय 115 व ़ पुराना है लेकिन वह केवल एक डिस्पेंसरी के रूप में ही है, वहां पर चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं। इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने के लिए हमने पूर्व सरकार से अनुरोध किया था। इससे कम श्रेणी के गांवों में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन गए लेकिन हमारे वहां पर नहीं बना। इस बारे में सरकार से अनुरोध करने पर माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के आदेश क्रमांक 243, दिनांक 29.5.2004 एवं उप स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प. 16(4), चिकित्सा (2), दिनांक 4.6.2004 के माध्यम से प्राप्त हुआ, के क्रम में अनुरोध है कि राज्य योजनांतर्गत वर्ष 2004-05 में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान अनुमोदित किया गया है, प्रस्ताव प्रेषित करते समय राजकीय चिकित्सालय, नावां को भी

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

शामिल कर लिया जाएगा। इस बारे में इस प्रकार का आश्वासन मुझे लिखित रूप से दिया गया था और आश्वासन ही नहीं बजट में भी ऐसा प्रावधान था और यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की फोटो लगी हुई एक साल की कार्य योजना की जो पुस्तक जारी हुई है, इस पुस्तिका में भी यह इन्द्राज है कि 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। बजट में प्रावधान, आश्वासन और उसके बाद भी यह पूरा साल चला गया, वित्तीय वर्ष और हमारे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बना, यह हमारे मन में पीड़ा है।

हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी को बराबर इस बारे में पत्र दिया है, उनका जवाब भी आया है लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसी प्रकार से लूणवा जो जैन अतिशय क्षेत्र भी है, बड़ा गांव है, गांधी ग्राम में चयनित ग्राम है, 15-16 किलोमीटर दूर की परिधि में कोई चिकित्सालय नहीं है। वहां पर दानदाता भवन निर्माण करने का भी इच्छुक है, गुरू गोलवलकर योजना जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम कराया जा सकता है। लेकिन वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई जबकि इसके लिए बार-बार अनुरोध किया गया है। मैं इस ओर आपका ध्यान पुनः दिलाना चाहता हूं कि अब इस बजट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि जो साल चला गया, वह तो चला गया लेकिन अब सरकार ध्यान देकर यहां पर नावां के चिकित्सालय को क्रमोन्नत करे और नया स्वास्थ्य केन्द्र लूणवा में खोले।

इसी प्रकार से जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर ए.एम. पदस्थापित तो है लेकिन जब गांव जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ए.एन.एम. कब आती है हमें पता ही नहीं, महीने में एक बार आकर हस्ताक्षर करके चली जाती है।

इसी प्रकार से कई जगह पर उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन नहीं बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस बजट में जो प्रावधान है उनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र, सोलाया का भवन आप बनाएंगे और ठिकरिया कला में ए.एन.एम. जो लगी हुई है और आती नहीं है उसके लिए भी कारगर कार्यवाही होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

जो चिकित्सक हैं वह आकर अपनी हाजरी करके चले जाते हैं, वहां पर बराबर रहते नहीं है, उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नावां उप खण्ड का चिकित्सालय जो 115 वर्ष पुराना है, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए हमें आश्वासन दिया हुआ है, इसे पूरा नहीं करने की हमारे मन में बहुत अधिक पीड़ा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब वहां गई थी तब उन्होंने भी वहां घोषणा की थी फिर भी अब तक नहीं खुलना पीड़ादायक है। इसलिए अभी चिकित्सा मंत्रीजी तो यहां नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें भी आगाह करना चाहता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि जब तक यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुलेगा, मैं आज से अन्न त्याग करता हूं। जब तक हमारे वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला जाएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, बाकी चीजें..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : ऐसी स्थिति है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को अन्न त्याग करने की नौबत आ रही है.

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करें कि उन्हें अन्न त्याग नहीं करना पड़े। माननीय सदस्य को अन्न त्याग करना पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए, इसका जवाब दे दें।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र प्रेषित कर दिया, सब का ध्यान दिला दिया, उसके बावजूद भी यहां के अधिकारियों के पत्र आते हैं वह ठीक प्रकार से नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस ओर ध्यान दें और इस प्रकार का काम करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि सरकार बिलकुल निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगी, सारा काम करेगी, अन्न त्याग करने की बात मत कहिए, वापस ले लीजिए, वैसे ही हम तो आपके साथ हैं, कहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : त्याग किया है इन्होंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, नहीं, नहीं त्यागेंगे, बोल दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य की मांग ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार ध्यान देगी आपकी भावना पर।

श्री महिपाल मदेरणा (भोपालगढ़) : नहीं, नहीं, नहीं करना जब तक आपका काम नहीं हो, मत करना आप। दोनों मंत्री दबाव के अन्दर करा रहे हैं, आपकी सलाह नहीं मानेंगे वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जब कह दिया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कह दिया है करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : यदि इनका काम नहीं हुआ तो यह मामला विशेषाधिकार हनन में आ जाएगा।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत : माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया है तो मैं इस बात को इन पर ही छोड़ता हूं, मैं अन्न त्याग करने की बात छोड़ता हूं, सरकार इस ओर ध्यान दें।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय यह बात कह रहे हैं, अगर यह काम नहीं हुआ आश्वासन देने के बाद भी तो यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, हो जाने दो, देख लेंगे। हां, करेंगे, पूरा ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह देवड़ा-(अनुपस्थित)। श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

यहां सीकर शहर में जो पद रिक्त होते हैं उन पर दूसरे डाक्टरों को ल दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पद जिस तरह के डाक्टर का है, कान का है तो कान के डाक्टर को ही लगाया जाना चाहिए। जब पद रिक्त होता है तो इस प्रकार से वहां दूसरे तरह के डाक्टरों को लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि वह रिक्त पद भर गया है। जो और भी रिक्त पद हों उनको भी भरा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सफाई व्यवस्था बहुत ही डांवाडोल हो रही है। इस काम के लिए वहां रिलीफ सोसायटी है, उसकी मीटिंगों में मैम्बर बहुत व .ीं से वही है और उनके द्वारा जो प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, वही होता है, वहां जन प्रतिनिधि और समाज सेवकों को मीटिंगों में नहीं बुल ा जाता है, इसलिए हमारे वहां सफाई व्यवस्था बिलकुल चौपट हो रही है। सफाई व्यवस्था को क ठेके पर देते हैं क रोक लेते हैं, इसलिए सफाई व्यवस्थ चौपट है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि सीकर का चिकित्सालय बिलकुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। यहां पर गंगानगर, सूरत .ढ़, बीकानेर, चूरू और झुन्झुनूं के लोग आते हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। इसलिए यहां पर दुर्घटना होती है तब उनको जयपुर रैफर किया जाता है। मैं पहले भी मंत्री महोदय से निवेदन कर चुकी हूं यहां पर ट्रोमा यूनिट की अत्यन्त आवश्यकता है। ट्रोमा यूनिट के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं वहां पर ट्रोमा यूनिट जरूर स्थापित की जाए यह राष्ट्रीय राजमा पर है, मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी है बजट भा .ण में उन्होंने पहले भी कहा था और इस बार भी कहा है।

हमारे यहां महिला चिकित्सक के लिए पहले भी मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि गायनिक की महिला नहीं है। दंत चिकित्सक के लिए भी कहना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य है। मेरे क्षेत्र में 50 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय है। वहां की महिलाएं घूंघट प्रथा करती हैं इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को दिखाना चाहती हैं। इसलिए मेरे यहां महिल गायनिक और दंत चिकित्सक महिला ही होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

सफाई व्यवस्था के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं जब कभी भी रिलीफ सोसायटी की मीटिंग हो उसमें जन प्रतिनिधि और हमारे यहां जो बहुत सालों से लगे हुए हैं या फिर विधायकगण या प्रधान उन सबको बुलाया जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

जैसे हमारे गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, 50 साल से मेरे यहां भी धोकर गांव है वहां पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र बना है, लेकिन वहां पर अभी तक बिजली नहीं है। अब बिजली जहां नहीं हो वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का क्या औचित्य है। यह गांव श्यामगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर जब लाइट ही नहीं हो तो उप स्वास्थ्य केन्द्र कैसे खोला जाएगा। इसलिए मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पहले तो पानी और लाइट की व्यवस्था कराएं और फिर उसमें कोई अच्छा चिकित्सक लगाएं। वह गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, शाकम्भरी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां खुद जाकर आयी हैं, वहां इतनी दिक्कत है, धोकर में होस्पिटल तो बन गया है, बिल्डिंग बन गई है, लेकिन चिकित्सक नहीं होने से वह बिल्डिंग क्या करेगी। इसलिए आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं जब भी चिकित्सकों की भर्ती हो आप वहां विचार रखते हो तो बिजली, पानी और ए.एन.एम. की सुविधा उपलब्ध कराएं।

शाकम्भरी में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला है, भगवा के नाम से प्रसिद्ध है, 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर बसा गांव है। वहां पर 90 घर हैं। वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला है, लेकिन वहां ए.एन.एम. जाती ही नहीं है। कहती है हम वहां जाएंगे तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वहां के बच्चे, वहां की महिलाओं को पलंग पर डालकर सीकर तक लाने में बड़ी असुविधा होती है। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आप पाबंद करें जो ए.एन.एम. कम्पाउंडर, डाक्टर जहां लगा है वो वहां जरूर जाएं। वहां पर लोग भी रहते हैं, वे कैसे अपना जीवन-यापन करते हैं। रात को एक नर्स या कम्पाउंडर की सुविधा हो जाए तो अच्छा होगा। धोकर में यह हास्पिटल खुल गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि वहां 8-10 गांव ऐसे हैं जो इससे जुड़ जाएंगे। मेरे यहां टोडी माधोपुरा में ऐसा रास्ता है वहां पर साइकिल तो क्या और कोई वाहन भी नहीं

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

जा सकता है। लोग पैदल ही आते हैं और जिनको लाना होता है तो पलंग पर माथे पर लिटाकर ही लाते हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का विषय आएगा तब मैं बताऊंगी कि वहां पर कुछ सड़क बनायी जाए। इसी से जुड़ा हुआ मामला है। वहां पर 3-4 मंत्री महोदय का मामला है, वे सड़क बिजली और उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करा दें तो लोगों को बहुत लाभ होगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी शाकम्भरी की यात्रा पर गयी थीं तो वहां के लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि आप धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं, आप महिलाओं का दर्द समझती हैं, इसलिए हमारे यहां धोकर, भगवा और टोडी माधोपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें और उसमें पूरी सुविधा कराएं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीकर में हास्पिटल है उसमें ट्रोमा यूनिट की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीगोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब गत वर्ष का बजट रखा गया था तो बहुत जोर-शोर से इस बात का प्रचार किया गया था कि चिकित्सा में गुणात्मक सुधार किया जाएगा, लेकिन जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सरकार अपने खुद के द्वारा निर्धारित बजट भी खर्च नहीं कर सकी, कहीं 25 परसेंट, कहीं 30 परसेंट, कहीं 20 परसेंट, कहीं 50 परसेंट, तो लगता है इस बारे में सरकार कितनी गम्भीर है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है मुझे बहुत दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि एक तरफ तो हम टेलीमेडिसन की बात करते हैं, हम एक तरफ बात करते हैं इंटेंसिव केयर की और दूसरी तरफ गांव के अन्दर एक सब सेंटर नहीं दे सकते। गांव की पी.एच.सीज. के अन्दर आप स्टाफ नहीं दे सकते, आप कंपाउंडर नहीं दे सकते। और तो और गांव की किसी भी प्रिगनेंट लेडी को ए.टी.एस. का इंजेक्शन लगाने के लिए भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े इससे ज्यादा दयनीय स्थिति इस प्रांत की और क्या हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा जैसे वि.य पर कोई

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत स्पष्ट बात है "आरोग्य माध्यम खलु धर्म साधनम"। व्यक्ति को किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए आरोग्य उसका मूल आधार है, मूल आवश्यकता है। यदि हम आरोग्य भी नहीं दे सकते तो आपकी शिक्षा, आपकी कार, आपकी गाड़ी, आपके बंगले, आपकी सड़कें, आपकी बिजली सब व्यर्थ जाएंगे। जब व्यक्ति को एक छोटी सी चिकित्सा के लिए भी 20-30 किलोमीटर चलकर आना पड़े तो आप मानकर चलिए कि कोई बहुत सुखद स्थिति गांव के चिकित्सा क्षेत्र की नहीं है। अधिकांश गांवों के अन्दर यह कोमन शिकायत है कि किसी पी.एच.सी. के अन्दर डाक्टर रात्रि विश्राम गांव में नहीं करते हैं। डाक्टर तो बहुत दूर की बात है ए.एन.एम. तक रात्रि विश्राम गांव में नहीं करते हैं। क्या वजह है? क्या हमें इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या हमने कभी सोचा है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को वो सब अधिकार हैं जो शहर के व्यक्ति को हैं? यदि मुझे यह अधिकार है कि एस.एम.एस. में या एक्सकोर्ट में अपना इलाज कराऊं तो गांव के व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि गांव के व्यक्ति को फर्स्ट एड उस गांव में मिले।

इस बार सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि वे इस साल 27 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगी, 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगी, 123 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगी, 227 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 21 स्वास्थ्य केन्द्रों और 3 सामुदायिक केन्द्रों के नये भवन बनाएंगे। मेरा इसमें कहना है खोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इससे और ज्यादा खोलिए, मैंने तो बजट से पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा था एक जन-प्रतिनिधि के नाते कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अब की बार आप पूरा का पूरा बजट ग्रामीण विकास में दीजिए और मैंने उनसे समय भी मांगा था, लेकिन उनकी व्यस्तता होगी मुझे समय नहीं मिला, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र खोलने के लिए और शहरी अस्पतालों को स्ट्रेंथन करने से पहले आप यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गांव के अन्दर एक ए.एन.एम. या कंमाउंडर जरूर पोस्टेड हो ताकि उस गांव के व्यक्ति को एक सामान्य उपचार, एक पैरासिटामोल, एक इंजेक्शन लगाने की सुविधा मिल सके। स्थिति यहां

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

तक है, यह बात तो गांव की है, मैं बताना चाहता हूं पुष्कर जैसे इंपोर्टेन्ट प्लेस के ऊपर जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और पुष्कर के अन्दर प्रतिदिन बड़ी संख्या में फोरेनर्स चिकित्सा करवाते हैं, उस स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति यह है कि रात्रि पोस्टिंग के अन्दर वहां कोई कंपाउंडर नहीं होता है वहां फोर्थ क्लास का आदमी होता है, वो ही इंजेक्शन लगाता है, वो ही पट्टी लगाता है और वो ही ड्रिप लगाता है यह स्थिति आपके सरकारी अस्पताल की है तो क्वेक में, एक आर.एम.पी. में और आपमें क्या अन्तर हुआ? आप एम.बी.बी.एस. करके, एम.डी. करके, एम.एस. करके भी क्वेक हैं यदि आपकी देखरेख के अन्दर एक अनट्रेन्ड व्यक्ति इंजेक्शन लगाए, -

ड्रिप लगाए या पट्टी करे तो आप कल्पना करें कि हमारे स्वास्थ्य की स्थिति राजस्थान में क्या है आपने अभी आंकड़े देखे थे, लास्ट ईयर के जो आंकड़े आपने दिये इसके वेक्सीनेशन के अन्दर किसी भी वर्ग के अन्दर आपके आंकड़े 50 परसेंट के पास नहीं किए, आज के भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह चिंता जताई है अपने भाषण के अन्दर कि यदि हम मिलिनियम डवलपमेंट गोल्स पर नजर डालें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें विशेष प्रयास करने होंगे और यह की यह बात उन्होंने गत भाषण में भी कही थी उसके बाद भी हमने कोई वेक्सीनेशन के अन्दर खास तरक्की नहीं की है अभी आंकड़े बताए गए कि किस प्रकार मुख्य मंत्री की कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर 25 परसेंट का आपने आंकड़ा प्राप्त किया है वेक्सीनेशन का। यह सब चिंता की बात है यह बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप कितना बड़ा बजट पेश कर दें, आप कितने अच्छे डाक्टर लगा दें लेकिन जब तब आप उस व्यक्ति को चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवाएंगे जिसको उसकी आवश्यकता है और वहां डाक्टर रहे, वहां कम्पाउंडर रहे, वहां नर्स रहे, इसकी व्यवस्था आप नहीं करेंगे तब तक आपका सारा बजट बेमानी है मैं यह कहता हूं कि हमें आजादी के आधी शताब्दी से ज्यादा समय बीत गया उसके बाद भी हम गांव के अन्दर एक ए.एन.एम. उपलब्ध नहीं कर सकते तो उससे ज्यादा दयनीय और सोचनीय स्थिति क्या हो सकती है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इस मामले में यह कहना है कि सरकार इस बात को पूरी गम्भीरता के साथ ले क्योंकि मैं तो बड़ी अजीब

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बात एक और देखता हूं कि अभी आप कटौती प्रस्तावों पर सबसे बहस कराएंगे उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे हाथों-हाथ ही, अब कब तो इस पर आदेश करेंगे। मेरे ख्याल से जो उनका जवाब है वह भी आपको तैयार मिलेगा, लिखा हुआ होगा, वह पढ़ देंगे, इसका मतलब कितने गम्भीर हैं हम यह हम देखें, इन सब बातों को यदि केवल औपचारिकता मानें तो काम चलने वाला नहीं है। जिस विधान सभा में बैठकर हम पूरे राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान के अन्दर हम यदि गांव के व्यक्ति की बात नहीं करेंगे जहां पर अधिकतर जनसंख्या रहती है तो आपकी यह बहस, आपका यह बजट इसका कोई मिनिंग नहीं रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति गांवों के अस्पतालों की है, गांवों में आज भी ऐसे-ऐसे लोग तैयार हैं जो बिल्डिंग बनाकर दे सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है आपका उसके बाद भी आप वहां पी.एच.सी. या उप स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था नहीं कर सकें तो कमजोरी हमारी है। मेरा जो पुष्कर विधान सभा क्षेत्र है उसमें 210 गांव आते हैं उनकी स्थिति यह है कि उनके आधे से अधिक गांवों के अन्दर ए.एन.एम. नहीं है जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां गत पांच वर्षों में कोई पोस्टेड नहीं हैं क्योंकि जब बात करते हैं वहां के सी.एम.एच.ओ. से या दूसरे अधिकारियों से वह कहते हैं साहब, स्टाफ नहीं है, आज यहां लगा दिया, कल वहां लगा दिया, परसों वहां लगा दिया। मुझे तो इस बात का बड़ा अचम्भा आता है कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इसी विधान सभा के अन्दर अतारांकित जिसका जवाब दिया मुझे कि किसी भी पी.एच.सी. में और किसी भी उप स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर कोई स्थान रिक्त नहीं है जबकि मैं नियन्त्रण देता हूं स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि वह स्वयं पधारें या अपना आदमी भेजें और देखें कि पचारण का आदमी पुष्कर में लगा हुआ है, पुष्कर का आदमी परेल में लगा हुआ है, परेल का आदमी पिचोरिया में लगा हुआ है। यह इस तरह से करके वह आंकड़े पूरे कर रहे हैं और यह सीधा-सीधा गरीब के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इस बात को जब तक आप गम्भीरता से नहीं लेंगे और इसके अन्दर कोई अपना नया प्रयोग नहीं करेंगे या नई योजना नहीं बनाएंगे तब तक विकास की बात तो बहुत दूर है, हम एक व्यक्ति को सामान्य चिकित्सा उपलब्ध नहीं करा सकते।

गत बजट के अन्दर इन्होंने 73 करोड़ रुपये रखे थे खर्च करने को

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

और खर्च किए 24 करोड़ रूपये अब के रख रहे हैं। 154 करोड़, खर्च कितना करेंगे? यह तो सिद्ध होता है कि क्या इनकी मानसिकता है और क्या इनकी इच्छा शक्ति है? एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति इस बात की हो, मैं यह कहता हूं आपसे कि राजा अश्विनी इस देश के अन्दर हुआ था। माननीय तिवाड़ी साहब, बात सुनिए, राजा अश्विनी इस देश में हुआ था जिसने कहा था मेरे राज्य के अन्दर कोई भूखा नहीं है, कोई बीमार नहीं है और कोई अशक्त नहीं है। यह सरकार बात तो करती है राम की, बात करती है गीता उपनिषद की, बात करती है वेद की बात करती है अतीत की लेकिन यदि हम यह कहकर के आपने क्या किया पांच साल में, इससे पहले क्या हुआ, 50 हजार का काम पांच साल में ठीक नहीं हो सकता इससे काम चलने वाला नहीं है। कोई तो व्यक्ति आएगा जो शुरूआत करेगा, कोई व्यक्ति आएगा जो इस तरफ कदम बढ़ाएगा। जहां आप कदम बढाएंगे गांव के विकास की ओर तो निश्चित रूप से आप मानकर चलो कि गांव का विकास होगा और जो भेदभाव है गांव और शहर का वह समाप्त होगा।

इस अवसर पर मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और दूसरा स्टाफ गांव में ठहरे उसके लिए उन लोगों को ग्रामीण भत्ते के अलावा भी व्यवस्था की जाए, उनको भी वह सब सुविधा दी जाए जो शहर में मिलती हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खोले जाएं, उनके लिए वहां दूसरे साधन उपलब्ध कराए जायं ताकि वह रात्रि विश्राम वहां कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पांच मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका क्योंकि आप मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि जो बद स्थिति इस राजस्थान के अन्दर स्वास्थ्य की है वह बहुत दयनीय है। अभी कुछ दिनों पहले युनूस साहब ने एक गोष्ठी कराई थी मातृ शिशु मृत्यु दर के ऊपर चिंता व्यक्त की थी उन्होंने हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम कितने गम्भीर हैं, वह इस बात से पता लगता है जो लाइनें लास्ट ईयर के बजट भाषण में थी वही लाइनें अब के हैं। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब तक हम सब बातों को राजनीति से ऊपर उठकर, इस सदन में चुनने के बाद हमारा

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

लक्ष्य होना चाहिए कि सार्थक बहस करें, आरोप-प्रत्यारोप बिलकुल नहीं करें तब जाकर हम जो लोक कल्याण के काम हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी हो, चाहे ग्रामीण विकास हो उसकी बात को हम पार पा सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं अभी अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जो संभाग का बहुत बड़ा चिकित्सालय है अबके इस बजट भाषण में यह आपने लिखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अजमेर में आप कैथ लेब की स्थापना कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हालांकि यह काम तो सरकार का इतना ही सहयोग है कि आपने रिलीफ सोसाइटी को लोन लेने की परमिशन दे दी। यह तो सब के सहयोग से बन रहा है लेकिन यह कोई बात नहीं है, काम चालू हो रहा है यह। मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्डियोलोजी में आज वहां पर केवल तीन व्यक्ति हैं, एक प्रोफेसर, एक एसोशिएट प्रोफेसर और एक लेक्चरार। कैथ लेब लगाने के बाद वहां काम बढ़ेगा और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं एस.एम.एस. का जो आपका ओवर बर्डन है वह केवल और केवल अजमेर का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है वह कम कर सकता है इसके लिए आपको वहां पर और एक्स्ट्रा स्टाफ देना चाहिए। हमारे यहां के प्रिंसिपल अजमेर मेडिकल कालेज के गत पांच वर्षों से आपसे संघर्ष कर रहे हैं इस बात के लिए कि उन्हें स्टाफ दिया जाए। आज भी स्थिति वहां पर यह है कि वहां स्टाफ 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है बहुत बड़ी कि अजमेर का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ओर उसका जो मेडिकल कालेज है वह खतम होने जा रहा है। मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूं एम.सी.आई. की रिपोर्ट की।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर तक गांव की बात कर रहे थे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : एम.सी.आई. की रिपोर्ट यह कहती है कि यदि नया डाक्टर पैदा नहीं होगा तो गांव में कैसे जाएंगे, खान ही अगर बन्द कर दोगे आप तो कहां से वह गांव में जाएंगे? ये दोनों आवश्यक हैं लेकिन मैं यह

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बात इसलिए कह रहा हूं कि गांव मे चिकित्सा से ज्यादा आवश्यक है कि गांव के व्यक्ति को यदि सामान्य चिकित्सा वहां उसको मिलेगी तो क्या हाल होगा उसका? आप देखिए क्या लिखा है उन्होंने

"The post-Graduate's Committee considered the complaints together with the Council Inspector's report (August 19, 2004) and decided to reiterate its earlier decision taken at its meeting held on 23.9.2004 not approving the JLN Medical College...."

यह माननीय शिक्षा मंत्रीजी के लिए बता रहा हूं-

"...JLN Medical College, Ajmer for the award of M.S. (Orthopaedics) qualification because teaching complement is incomplete, present teaching faculty is insufficient, other deficinencies, observations as pointed out in the Inspection Report. The Committee further decided to direct the institution to stop admissions in the M. S.(Orthopaedics)."

और देखिए यहीं बात खतम नहीं होती है, आगे वह क्या लिखती है कि "You are, therefore, requested to..."

वह तो लिख दिया उन्होंने, आगे उन्होंने लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है और कोई एक दिन एक लैटर आ सकता है कि जे.एल.एन. कालेज की जो मान्यता है उसको समाप्त करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां 21 में से केवल 8 फैकल्टी ऐसी हैं जिनको उन्होंने अप्रूव किया है, 14 फैकल्टी खतरे में हैं और हम बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : राजस्थान के स्वास्थ्य के विकास की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस इन सब बातों को इम्प्रूव करने के साथ-साथ मेरी कांस्टीट्यूएंसी पुष्कर के अन्दर माननीय स्वास्थ्य मंत्री एक पी.एच.सी. दें और 5-7 उप स्वास्थ्य केन्द्र दें, यह जो फैला हुआ गांव है, गांव के लोग आपको धन्यवाद दे सकें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बातें और करनी थी लेकिन आपने घंटी बजा दी और समय दिया बोलने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इस बहस को गम्भीरता से लेकर अपने जवाब में समावेश करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह रावत। (व्यवधान) दातारामजी गुर्जर, आप बैठिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य की इस डिमांड पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

आज स्वास्थ्य चिकित्सा हमारे जीवन में अहम भूमिका रखता है। इसके अन्तर्गत वैसे हमारी सेंसेटिव, विजिलेंट और चौमुखी विकास की धनी मुख्य मंत्री काफी अग्रणीय हैं और इसके अन्तर्गत मेरा भीम विधान सभा क्षेत्र नेशनल हाईवे नं. एक पर स्थित है और वहां पर ट्रोमा यूनिट का जो प्रस्ताव दिया वह पास हुआ उसके लिए तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो बजट बनाया है। इस बजट में भी काफी अच्छे प्रावधान रखें हैं विकास के लिए। क्योंकि शिक्षा जितनी जरूरी है उतनी चिकित्सा भी बहुत जरूरी है। जब तब हम निरोग नहीं होंगे तो आगे क्या विकास कर पायेंगे। इसके अन्तर्गत सबसे पहले तो हमें देखना है कि जनसंख्या है उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आज जब हमारे देश का विभाजन हुआ या 1901 में जब जनसंख्या देखी गई तो हमारे राज्य की जनसंख्या एक करोड़ थी और आज हमारी जनसंख्या बढ़ करके 2005 तक पांच करोड़ के करीब हो गई है। तो इससे यह लगता है कि इससे काफी अवरूद्धता आयेगी और इस अवरूद्धता का निवारण करने के लिए हमें परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। जब तक हम बर्थ कंट्रोल नहीं करेंगे तक तक हम विकास के जो सपने देख रहे हैं वो नहीं देख पायेंगे। इसलिए आज हमारे राजस्थान में जो आबादी बढ़ रही है उस पर विशेष नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि हमारे हर गांव-ढाणी में स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं ताकि हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान सबके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि हमारे आर्थिक सहयोग में विशेष योगदान रहेगा।

(श्री हरिसिंह रावत)

इसके साथ-साथ हमारे एरिया में जो समस्या है उसके बारे में मैं विशेषकर बताना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र नेशनल हाईवे नं. 8 पर पड़ता है और उसमें करीब-6 हास्पिटल नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं, जिनमें डाक्टर्स के जो रिक्त पद हैं उनको भरा नहीं गया है। कहने को तो भीम और देवगढ का हास्पिटल रेफरल हास्पिटल बनाया गया है लेकिन चिकित्सकों की कमी की वजह से आज वह हमारा हास्पिटल रैफरल की जगह रेफर हास्पिटल बन गया है। आज कोई भी समस्या होती है छोटी मोटी तो या तो सीधा उनको ब्यावर भेजा जाता है या सीधा उदयपुर। मेरा क्षेत्र नेशनल हाईवे पर पड़ने की वजह से आये दिन 2-4 एक्सीडेंट वहां होते रहते हैं तो वैसे ट्रोमा यूनिट तो हमारी लग गई है लेकिन ट्रोमा यूनिट के अन्तर्गत जो व्यवस्था चाहिए वह व्यवस्था हमारी अतिशीघ्र पूरी की जाए और डाक्टर्स की जो कमी है वह पूरी की जाए। मैंने चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन भी किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने भर्ती कर दी है लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है चिकित्सा मंत्रीजी, कि 23 तारीख का जो आर्डर हुआ है वह आर्डर अभी तक मेरे सी एम एच ओ राजसमन्द तक नहीं पहुंचा है और न ही डाक्टर ने कोई ड्यूटी जोइन की है।

(15.54 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 23 तारीख का जो आपका आर्डर हुआ है वह अभी तक सी एम एच ओ हैडक्वार्टर राजसमन्द नहीं पहुंचा है तो फिर डाक्टर कब तक पहुंचेगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अतिशीघ्र भेजा जाए। मेरे यहां जो भी कनिष्ठ विशे.ज्ञ हैं, मुझे अफसोस है कि दो साल से रिक्त पद थे और मैं साल भर से निवेदन करता आ रहा हूं लेकिन 13 में से एक भी वहां पर नहीं लगे हैं जिससे कई मौतें हो चुकी हैं। गायनिक का डाक्टर नहीं होने से कई महिलाओं की अकाल मृत्यु हो गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां रिक्त पद हैं उनको अतिशीघ्र भरा जाए ताकि इस समस्या का निदान हो सके।

सभापति महोदय, हमारा देश सदियों से प्राकृतिक औषधि में विश्व में अग्रणी रहा है। इसके अन्तर्गत हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने आयुर्वेद के

(श्री हरिसिंह रावत)

सम्बन्ध में काफी अच्छा विस्तारपूर्ण बजट में दिया है और इसमें भी मैं चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वन औषधि का ऐसा सिस्टम किया जाए, खेती के माध्यम से उसको उगाया जाए तो इससे एक पंथ दो काज हो सकता है। एक तो हमारे किसानों को रोजगार मिलेगा, दूसरा वन औषधि जो हमारी धरोहर है इसकी भी उत्पत्ति होगी तो हमें काफी सहयोग मिलेगा। सभापित महोदय, वैसे मेरा क्षेत्र मेवाड़ में पड़ता है और वहां हमने एक मेवाड़ वन औषधि करके एक संस्था बनाई है। उसके माध्यम से हम काफी किसानों को इसकी शिक्षा दे रहे हैं बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस तरह वन औषधि की क्यों नहीं हमारे पूरे प्रदेश में ऐसी योजना लागू की जाए क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में कई सालों से देख रहे हैं कि बारिश की कमी है और यह वन औषधि ऐसी चीज है जो कम बारिश में भी इसकी फसल ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वन औषधि को भी इस बजट में लेकर के जैसे हर्बल गार्डन है, हर्बल गार्डन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें तो उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। हर्बल गार्डन में काफी लोग अपना धन भी अर्जन कर सकते हैं और अपनी जीविका का उपार्जन भी कर सकते हैं और हर्बल के माध्यम से हमें काफी वन औषधि भी प्राप्त हो सकती है।

सभापति महोदय, हमारे जस्साखेड़ीवली है जो नेशनल हाईवे नम्बर एक पर पड़ता है। वहां पर पी डब्ल्यू डी के अन्तर्गत एक डाक बंगला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह क्षेत्र तीन विधान सभा क्षेत्र टच करता है जिसमें एक अजमेर. एक पाली और एक राजसमंद है। मैं चाहूंगा कि उस बिल्डिंग को पी डब्ल्यू डी अगर स्वास्थ्य केन्द्र को दे दे तो वह एक अच्छा स्वास्थ्य केन्द्र बनेगा और वहां तीन विधान सभा क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो यह भी इस बजट में लें तो यह भी बहुत अच्छी बात होगी।

सभापित महोदय, हमारे भीम में एक आर्थोपेडिक सर्जन लगा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जो आर्थोपेडिक सर्जन लगा है, कहने को तो वह कहते हैं कि 10 साल से वो आर्थोपेडिक सर्जन हैं लेकिन उन्होंने 10 साल में अभी तक एक भी आपरेशन नहीं किया है। तो ऐसे डाक्टर

(श्री हरिसिंह रावत)

मेरे वहां लगायेंगे तो क्या फायदा होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां जो अच्छे डाक्टर हो, जो अच्छी प्रैक्टिस किये हुए हों, जिनको नॉलेज हो ऐसे डाक्टर को लगाया जाए तो कम से कम मेरे रेफरल हास्पिटल को जो रेफर बना रखा है वह रेफर का नाम समाप्त हो जाए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, जहां-जहां भी ए.एन.एम. नर्सेज और डाक्टर्स की कमी है उनको पूरी करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि उनको अतिशीघ्र भरा जाए। इसके साथ-साथ मेरे देवगढ़ हास्पिटल में वहां एक संस्था है जो साढे आठ लाख रुपये देना चाहती है आई सी यू वार्ड के लिए। मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि साढ़े आठ लाख रुपये देने के लिए तैयार है लेकिन कुछ समय पहले हमारी जो चिकित्सा सचिव हैं मिसेज हल्दिया, उनसे हमने निवेदन किया था कि साढ़े आठ लाख रुपये हम लोग, हमारी संस्था देना चाहती है तो वहां पर एक डाक्टर का डेपुटेशन किया जाए या डाक्टर लगाया जाए लेकिन चिकित्सा सचिव ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया कि यह सम्भव नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तो कोई आदमी पैसा देता है, आगे होकर हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो और मैडम ने जो उत्तर दिया वह बहुत ही अशोभनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साढे आठ लाख रुपये जो हमारी संस्था में आये हुए हैं और वहां एक अच्छा डाक्टर आई सी यू वार्ड के लिए लगायें तो मैं सोचता हूं कि वह काफी कामयाबी होगी और काफी लोगों को इलाज मिलेगा।

सभापति महोदय, मेरे वहां लसानी में एक आयुर्वेदिक हास्पिटल है। मुझे अफसोस है कि वहां डाक्टर नहीं है और 8 साल से एक वार्ड ब्वाय डाक्टर का काम कर रहा है और उसने कम से कम 15-20 औरतों को तो स्वर्ग की सीढ़ी दिखा दी है। जब बीच में मैंने अचानक वहां पर एस.डी.एम. और तहसीलदार को बोला कि आप जाइये वहां क्या है तो वहां भी पता चला कि वो भी इस आदमी का रिश्तेदार है। उस वार्ड ब्वाय ने कइयों की जान ले ली है। वह डाक्टर बना हुआ है, इंजेक्शन लगाता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है वहां घर पर जाकर देखो तो पूरा अस्पताल बना हुआ है। वह वार्ड बाय है और वह किसी का रिश्तेदार है और हमने सुना था कि वह रिश्तेदारी

(श्री हरिसिंह रावत)

की वजह से उस पर लीपापोती कर गये और मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दिया कहा कि साहब, वह तो कुछ नहीं है, वह तो ऐसे ही था लेकिन मुझे अफसोस है कि वह आठ साल से वहां प्रैक्टिस कर रहा है और आज तक किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस वार्ड बाय का भी वहां से इमिजियट स्थानान्तरण किया जाये और उसके ऊपर उचित कार्यवाही करके उसको वहां से हटाया जाये, ऐसी मैं आपसे आशा करूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस टाइप के हमारे एरिया में भी कई डाक्टर्स हैं जो कलकत्ता में कोई डिग्री लेकर आते हैं, पता नहीं क्या है कि इस टाइप की जो डिग्री होती है वे लोग भी गांव-गांव में फैले हुए हैं। आज इनके फैलने का कारण यह है कि हमारे वहां पर कोई ए.एन.एम. या नर्सेज प्रोपर जो होनी चाहिए, वह नहीं है तो वहां पर हमारे जैसे नर्सेज या ए.एन.एम. की जहां खाली पोस्ट है, वेकेंट हैं, अगर उनको भर देंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और कुछ ए.एन.एम. तो हमने ऐसी देखी है जो खाली जाती हैं और दो-चार औरतों के साइन करवाती हैं, और साइन तो वह जाली कर देती हैं लेकिन वह कुछ समझती नहीं है कि आप यहां साइन कर दो और वह साइन करवाकर ड्यूटी पर जाती ही नहीं है और पूरे महीने वहां खाली गांव में पड़ी रहती हैं, वहां जाती नहीं है। तो, मैं विशेष निवेदन करूंगा कि सी.एम.एच.ओ. या डिप्टी सी.एम.एच.ओ. जाकर समय-समय पर चैक करते रहे ताकि इन पर अंकुश रहे तो ये समय-समय पर शायद उनको जो गरीबों को चिकित्सा की सुविधा है वह मुहैया हो जाये।

श्री सभापति : कन्क्लूड करें।

श्री हरिसिंह रावत : विशेष तो मैं अब ज्यादा बोलकर समय आपका जाया नहीं करूंगा क्योंकि आपने घंटी बजा दी है। अब मेरा निवेदन यह है कि जो भी मैंने कटौती प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किये हैं, उन पर अविलम्ब ध्यान आकर्षित करके इनका समाधान किया जाये। इसी आशा के साथ, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय दाताराम गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, आज लोक

(श्री दाताराम गुर्जर)

स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऊपर, मांग संख्या 26 पर चर्चा हो रही है। वैसे भी सबसे बड़ा अगर किसी सुख को माना जाता है तो वह निरोगी काया माना जाता है। जीवन को चलाने के लिए स्वास्थ्य सही होना बहुत जरूरी है। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में चिकित्सा के प्रति जिस प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं, वे प्रशंसा के काबिल हैं और इस प्रकार के विचार पूर्ववर्ती सरकार भी रखती तो निश्चित रूप से आज चिकित्सा और स्वास्थ्य की किसी भी गांव और ढाणी में कमी नहीं रहती। प्रस्ताव के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विभिन्न स्तरों पर विस्तार करने हेतु कार्य योजना तैयार की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। 27 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के, 34 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरु और जनजातीय क्षेत्र में और 123 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के जो प्रस्ताव इस बजट में रखे हैं इसी प्रकार 227 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इनके भवनों के निर्माण कार्य के भी सरकार ने प्रस्ताव रखे हैं। 1000 स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों के निर्माण करने के भी जो प्रस्ताव रखे हैं, ये सब प्रशंसा के योग्य हैं। गत वर्ष के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 उप स्वास्थ्य केन्द्र इस सरकार ने खोले, उसके लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। 30 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने 17 आयुर्वेदिक औषधालयों "बी" श्रेणी को "ए" श्रेणी में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव इस बजट में रखे हैं। 35 नये होम्योपैथिक चिकित्सालय और चार नये यूनानी औषधालय खोलने के प्रस्ताव भी इस बजट में रखे हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव हर बजट में हर सरकार रखती तो निश्चित रूप से चिकित्सा सेवाओं की कोई कमी नहीं रहती। आज गांवों में सबसे बड़ी कमी है तो चिकित्सा केन्द्रों की कमी से ज्यादा वहां कार्यरत चिकित्सकों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कमी है। आज बहुत से अस्पताल ऐसे मिलेंगे जहां पर डाक्टर्स तो नियुक्त रहते हैं लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नियुक्ति नहीं होने के कारण से लम्बे अवकाश पर चले जाते हैं और उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की एक परम्परा काफी लम्बे समय से चल आ रही है कि दो साल तक भी अवैतनिक अवकाश पर रहने के बाद में उस चिकित्सा अधिकारी को वापस सेवा में ले लिया जाता है।

(श्री दाताराम गुर्जर)

आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी बेरोजगारी की कोई छोटी लाइन नहीं है। सरकार इस प्रकार का एक नियम बनाये कि सरकार में नियुक्ति देने के बावजूद कोई कर्मचारी-अधिकारी उस स्थान पर अगर अपनी ज्वाइनिंग नहीं करता है, उस क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवाएं नहीं प्रदान करता है तो उसको वापस राजकीय सेवा में नहीं लिया जायें। यह एक सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे आज भी चिकित्सालय मिलेंगे जहां पोस्टिंग होने के बाद वह चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं और जब देखते हैं या माननीय मुख्य मंत्री को लिखते हैं तो वह पद भी रिक्त नहीं पाया जाता क्योंकि आलरेडी उस पर पोस्टिंग होती है और यह चिकित्सा अधिकारी अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करता और उसका जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है, वह सेवाएं प्रदान नहीं होतीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर तक उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होते और अगर उस पर भी कोई चिकित्सक नहीं मिले तो उस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का लाभ लेनै के लिए कितनी दूर तक सफर करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साधनों का भी अभाव रहता है इसलिए इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करके नये जो डिग्री लेकर आ रहे हैं और अपनी सरकार में नियुक्ति के लिए इंतजार में बैठे हैं इसलिए नये युवाओं को रोजगार दिया जाये। चिकित्सा का पेशा ऐसा है कि कोई भी चिकित्सक अपनी सरकारी सर्विस अगर नहीं करता है तो भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करके अपना रोजगार चला लेता है इसलिए वह जनता की भावनाओं और जनता की सेवाओं को किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखते। वह एक सबसे बड़ी बाधा आती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सब डिवीजनल मुख्यालय के चिकित्सालय हैं वहां पर सारे पद सृजित नहीं है। वहां प्रतिनियुक्ति पर महिला चिकित्सक को लगायें। वैसे सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग रखी है कि कम से कम तहसील मुख्यालय पर तो हर ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी होने चाहिए चाहे डैंटल हो, महिला चिकित्सक तो होना बहुत ही जरूरी है।

ग्रामीण क्षेत्र में जैसे शिक्षा के प्रति जिस प्रकार से एक अभियान

(श्री दाताराम गुर्जर)

चलाया है, उसी प्रकार से स्वास्थ्य में भी अभियान चल रहा है कई प्रकार के जैसे पल्स पोलियो वाला अभियान भी कई दिनों से चल रहा है। इसी प्रकार से चिकित्सा सेवाओं के लिए भी गांव में हर दो किलोमीटर पर कम से कम एक क्राइटेरिया तय कर दें और उप स्वास्थ्य केन्द्र तो कम से कम दो किलोमीटर या एक किलोमीटर का एरिया तय करके सरकार को खोलने के प्रस्ताव भी इस बजट में नहीं है तो अगले बजट में रखना चाहिए और गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

एक मेरे क्षेत्र में बागोरगढ़ एक ऐसा स्थान है। अगर वहां पर सरकार टी.बी. का अस्पताल खोल दे तो क्योंकि वहां सामान्य अस्पताल की दवाई अगर कोई पेशेंट लेता है तो उस क्षेत्र का वातावरण इस प्रकार का है कि आधी दवाई से भी उसका इलाज हो सकता है। माऊंट आबू के बाद में वातावरण की दृष्टि से बागोरगढ़ इस प्रकार के वातावरण वाला स्थान है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखता हूं कि मेरे क्षेत्र में बागोरगढ़ का वातावरण इस हिसाब का है कि वहां एक टी.बी. अस्पताल अगर चालू कर दिया जाये तो निश्चित रूप से, हमारे नजदीक सीकर से कम दूरी पर कोई भी टी.बी. अस्पताल नहीं है और वहां के लोगों को इसका लाभ दिया जाये। मरू क्षेत्र में मेरा विधान सभा क्षेत्र आता है. और सरकार ने 34 स्वास्थ्य केन्द्र मरू क्षेत्रों में खोलने के प्रस्ताव रखें हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र में भी दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम लोयल और माधोगढ़ में खोलने का मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस वर्ष बजट में जो आपने रखे हैं उसमें दो स्वास्थ्य केन्द्र मेरे क्षेत्र में भी दिये जायें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी दबाने से पहले ही मै समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। अधिकतर माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की ग्रामीण चिकित्सा के सम्बन्ध में, जहां पर नर्स, कम्पाउंडर, चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं जाते हैं। मंत्री महोदय, पिछले दिनों, आप भी चिकित्सा विभाग की स्थानांतरण नीति बना रहे हैं, ऐसा मुझे पढ़ने को मिला था। मैं आपसे चाहूंगा

(श्री बाबूलाल नागर)

मंत्री महोदय, जो भी नीति आप बना रहे हैं या बना ली, इसमें दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। निश्चित रूप से चाहे आप कितने ही चिकित्सक गांवों में लगा दें, जब तक आप इस तरह की नीति नहीं बनायेंगे कि गांवों में लोगों का आकर्षण बढ़े, गांव में चिकित्सक जाएं, इस तरह की सुनिश्चितता करनी चाहिए अपने को। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, शुरू में जो आप चिकित्सक लगाते हैं, निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकताएं गांवों में लगाने की होती है और लगाते भी हैं लेकिन फिर वह महीने, दो महीने बाद अपनी तिकड़म बैठाकर, व्यवस्था करके फिर वापिस आ जाते हैं, कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं। मैं समझता हूं आपको पांच साल, दस साल, इस तरह की एक नीति बना लेनी चाहिए कि जिस भी चिकित्सक को पहली नियुक्ति देंगे उसको कम से कम दस साल तक गांवों में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको और दो साल, तीन साल उसके बाद तहसील स्तर पर, इसके बाद कहीं कस्बे में आये, तो ऐसी सुनिश्चितता करिये जिससे यह जो हम लोग रिकमण्ड कर देते हैं, राजनीतिक इच्छाशक्ति से नजदीक, दूर लगाने की बात करते हैं, आप दृढ़ इच्छाशक्ति से फैसला कर लें, समय निश्चित कर लें कि इस तरह जिसको भी चिकित्सा विभाग में सेवा देनी है उसको इसी तरह अपनी नौकरी करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, कल-परसों पढ़ने को मिला कि चार लाख टीबी मरीज मौत के साये में। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता की बात है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टैंस श्रेणी में आने वाले चार लाख तीस हजार मरीजों के लिए कोई दवाइयां नहीं हैं, अभी तक जो उनको दवाई दी जा रही है वह एम.डी.आर. जैसी खतरनाक उनको साधारण टीबी की दवा दी जा रही है। मैं चाहूंगा इतनी बड़ी तादाद में राज्य में यह मरीज हैं तो आपके विभाग द्वारा बहुत सावधानीपूर्वक नीति बनाकर एक विशेष बजट के तहत निश्चित रूप से इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री महोदय, पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल महोदय ने यूनिसेफ की रिपोर्ट का विमोचन किया जिसमें यह बताया गया कि 1357 राजस्थान में एड्स के रोगी हैं उस रिपोर्ट में, मंत्री महोदय, किन-किन कारणों से, क्या-क्या कमियां हैं, पर्याप्त सफाई की व्यवस्था है या नहीं है, पर्याप्त उचित भोजन है या नहीं है, सुरक्षित उनको अच्छा जल मिलता है या नहीं मिलता है, इस तरह उस रिपोर्ट में बताया गया है। सभापति महोदय, इस तरह 1357, मैं समझता हूं, बहुत बड़ी संख्या में हैं,

(श्री बाबूलाल नागर)

यह पूरे राजस्थान के लिए चिंता का विषय है और जिस बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल से होता है, इस तरह युद्ध स्तर पर यह बहुत तेजी से जो फैल रही है, मैं समझता हूं राज्य के लिए बहुत दुखदायी है। निश्चित रूप से इसमें सरकार को बहुत ही कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है इसी तरह हेपेटाइटिस-बी के मरीज 4.5 करोड़ लोग जिस तरह की चर्चा की गई, इसमें भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्कयता है

सभापति महोदय, संक्रमण के बारे में कहना चाहूंगा, मुझे दो महीने पहले एस.एम.एस. हास्पिटल में जाने का अवसर मिला, मेरी माताजी बीमार हो गई, मैं वहां गया, उनके एक पसली के लग गई थी उसके इलाज के लिए, तो उसमें दर्द हो रहा था तो पेन किलर इंजेक्शन लगाया, सभापति महोदय, दर्द तो उनका कम हो गया लेकिन इंजेक्शन पक गया। फिर उसके बाद काटेज में भर्ती कराया, फिर उसके बाद में श्वांस की बीमारी हो गई। एक बीमारी के लिए गया और दो महीने तक हास्पिटल नहीं छोड़ पाया। चार तरह की बीमारियां हास्पिटल में लग गई। तो मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, इस तरह एस.एम.एस. जैसे हास्पिटल में जो संक्रमित बीमारियां होती हैं, जो छोटी-छोटी असावधानियों से फैल जाती है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

सभापित महोदय, मेरे कुछ सुझाव मैं आपको देना चाह रहा हूं चिकित्सा के समबन्ध में, जहां-जहां बड़े हास्पिटल हैं, मैं समझता हूं स्थायी सदस्य आपको बनाने चाहिए। उनकी चाहे पांच हजार, चाहे दस हजार, चाहे बीस हजार आप फीस रखिये' ऐसी दुर्लभ बीमारी वाले हों, चाहे हृदय का हो, चाहे कैंसर का हो, तो राज्य में बहुत से लोग हैं जो स्थायी सदस्य बनेंगे, दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस हजार रुपये उनकी जो फीस होगी, बहुत कम बीमारी यह होती है कि और साल में जब कभी मौका भी पड़े तो वह एक बार जांच करा जाये और इस तरह से चिकित्सा में एक बहुत बड़ा बजट आपको मिल सकता है, इस बजट का गरीबों में हम काम ले सकते हैं। केरल में कैंसर के सम्बन्ध में यह इस तरह के स्थाई सदस्य का बहुत ही आवेदन किया गया, तय किया गया और बहुत सफलता से, बहुत बड़ा बजट चिकित्सा के सम्बन्ध में इन लोगों से मिल जाता है। मैं चाहूंगा, इस पर आप थोड़ा विचार करें

(श्री बाबूलाल नागर)

इसी तरह मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो आप यह उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं, चिकित्सालय खोलते हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छाशक्ति इसमें प्रभावी है फिर भी मैं चाहूंगा कि जहां आवश्यकता है, सरकार तो सब लोगों की होती है, सरकार को चाहिए जहां आवश्यकता हो वहां निश्चित रूप से खोलने चाहिए। पिछले दिनों आपने पता नहीं, नौ सौ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले। उसमें, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक भी उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले। उसमें सभापति महोदय. मेरे क्षेत्र में एक भी उप स्वास्थ्य केन्द्र का नम्बर नहीं आया। इस तरह से मैं समझता हूं कि यह आप सब जगह, कहीं हो सकता है जहां आपको ज्यादा समस्या लगे, कहीं आपके सदस्य के हित का आपको ज्यादा ध्यान भी रखना हो, ज्यादा संरक्षण भी करना हो लेकिन जहां आवश्यक हो वहां भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने का निवेदन करना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, कुछ दवाइंया जो आम बीमारी में काम आती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। मैं समझता हूं ऐसी दवाइयां निश्चित रूप से सभी हास्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और वहां नोटिस बोर्ड पर भी इंगित होना चाहिए कि यह दवाइंया उपलब्ध हैं क्योंकि ऐसी दवाएं जो बहुत सस्ती हैं और बाजार में बहुत ज्यादा कीमत पर मिलती है। यह जो दवाओं की कीमत का अन्तर है सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, मैं उसी रोज जब दो महीने पहले हास्पिटल में गया, मुझे एक चिकित्सक महोदय ने एक माह की दवा लिखी। सभापति महोदय, यह देखने के लिए कि इन दवाओं की रेट्स में इन दुकानदारों के बीच में भी क्या कोई अन्तर है, मैंने दस-दस रोज की तीन दुकानों से वह दवाइयां खरीदी। सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तीनो दुकानों पर दवाई की जो मुझसे रेट वसूल की उन्होंने, तीनों की रेट अलग-अलग, तीनों में डिफरेंस हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह से जो दुकानदार मनमर्जी दवाइयों के पैसे वसूल करते हैं, आपको खुद इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, आपकी रिलीफ सोसायटीज हैं, मैं समझता हूं, इनमें हर दवाइयां वहां उपलब्ध रहनी चाहिए। काफी तादाद में वहां रहनी चाहिए जिससे कम से कम जो सरेआम गरीब लोगों का इन दुकानदारों द्वारा लूटा जाता है उससे बचा जा सके। मैं नेशनल हाईवे पर, मेरा विधान सभा क्षेत्र दूदू है सभापित महोदय, राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में

(श्री बाबूलाल नागर)

अजमेर से जयपुर और जयपुर से अजमेर जाने वाला रास्ता ऐसा रोड है जहां सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। मैं निवेदन करूं...(व्यवधान)... सुनो आप तो वो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं अच्छा रोड बन गया मैं इस बात को मानता हूं लेकिन बहुत से मेरे विद्वान साथी ये नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा रोड़ बनने पर भी कई बार दुर्घटना ज्यादा हो जाती है, जब वाहन को तेजी से चलाना पड़ता है फिर भी आप में से अधिकतर लोग दूदू होते हुए गुजरते हैं, कई जिलों के लोग गुजरते हैं। आप देखते हैं रास्ते में किस तरह से दुर्घटना होती है। मैं चाहूंगा सभापति महोदय, आपके माध्यम से वहां एक सैटेलाइट हास्पिटल खुले वहां पर एक अच्छा ब्लड बैंक स्थपित हो। मैंने देखा है सभापति महोदय, कई बार ब्लड ज्यादा निकल जाता है और पेशेंट, जयपुर लाते-लाते वो सिर्फ इसलिए मर जाता है कि ब्लड की इमीजिएट उसको आवश्यकता थी वो ब्लड नहीं लग पाया और हजारों लोगों की इसमें जान खतम हुई। मैं चाहूंगा कि सैटेलाइट हास्पिटल दूदू में होना चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक छोटा सा निवेदन और है कि बहुत से लोगों को...।

श्री सभापति : कन्क्लूड करें आप।

श्री बाबूलाल नागर : एक मिनट, कन्क्लूड कर रहा हूं। बहुत से लोगों को चिकित्सा की सुविधा है सरकारी अधिकारियों को कर्मचारियों को और बहुत से लोगों को चिकित्सा के बिल मिल जाते हैं। मैं देखता हूं कि हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें अधिकतर दवाइयां फ्री ही दे दी जाती है। मैं चाहूंगा कि ये दवाइयां अगर गरीबों को मिले, जिन लोगों को मेडिकल के बिल मिल जाते हैं उन लोगों को अगर अस्पताल से दवाइयां फ्री मिल जाती है तो मैं समझता हूं कि कोई अच्छी बात नहीं है मंत्री महोदय, आप इसमें व्यक्तिगत रूप से देखें वो मेडिसन्स गरीब को मिले अगर हम लोग बाजार से खरीद कर उसका भुगतान उठा लेते हैं तो दवाइयां आपकी निश्चित रूप से गरीब को मिलनी चाहिए।

श्री सभापति : विराजें जाएं आप।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि एस.एम.एस. में मैंने यह देखा कि मरीजों की बहुत ज्यादा

(श्री बाबूलाल नागर)

भीड़ रहती है और मरीजों के जो अटेण्डेंट रहते हैं उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती। बहुत से अटेण्डेंट तो इसलिए वार्डों में घूमते रहते हैं कि दिन भर उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है इसलिए मैं चाहूंगा कि मरीजों के पास जो अटेंडेंट आते हैं जो मिलने-जुलने वाले आते हैं अगर कोई ऐसी पर्याप्त एस.एम.एस. में कहीं जगह हो जहां सारे लोग वहां बैठ जाएं तो इससे बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था भी हो सकती है और मरीज के पास भी कम लोग रहेंगे और चिकित्सक भी ढंग से उसका इलाज कर सकेगा।

दूसरा सभापति महोदय, मैं एक निवेदन अन्त में और करना चाहता हूं कि एस.एम.एस. हास्पिटल के बजाय बहुत से लोग बीमारी के लिए अच्छा पैसा खर्च करके प्राइवेट हास्पिटल में जाते हैं। मैं चाहूंगा कि एस.एम.एस. हास्पिटल में एक बढ़िया आपका एयरकंडीशंड वार्ड ऐसा बनाइये जिसमें कोई भी रह सके, क्योंकि हमारे यहां ज्ञान की और बढ़िया चिकित्सकों की एस.एम.एस. में कोई कमी नहीं है लेकिन सुविधा के नाम पर, अच्छी व्यवस्था के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और काफी पैसा खर्च करते हैं। अगर एस.एम.एस. में आप इस तरह का वार्ड बना दें जिसमें खूब अच्छा उनसे पैसा लिया जाए उसका पैसा उनसे कलक्ट किया जाए तो वो पैसा जो अस्पताल को मिले वो आम गरीब के काम आ सकता है। मुझे आपने बोलने की, विचार रखने की जो कृपा की उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीड़ोरा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई जैसे अति लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा हो रही है। चिकित्सा विभाग का सम्बन्ध मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जो कि काफी गम्भीर व्यक्तित्व के हैं, मैं ट्राइबल सब प्लान और ट्राइबल एरिया का जो क्षेत्र है जिस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने बजट में भी पहला बिन्दु जिसका उल्लेख किया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न सूचकांकों की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से नीचे है यदि हम मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स पर नजर डालें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें

(श्री जीतमल खांट)

विशेष प्रयास करने होंगे। यह हमारे बजट भाषण में भी चिन्ता व्यक्त की गयी है।

सभापति महोदय, आपने इस बजट में भी अच्छा प्रावधान रखा है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे वो बांसवाड़ा क्षेत्र का हो. डूंगरपुर का हो, चाहे हमारे उदयपुर, फलासियां, झाड़ोल का क्षेत्र हो, निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमारा जो एक ऐसा भू-भाग है जहां पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जिसका भौगोलिक क्षेत्र इतना फैला हुआ है कि जहां कई बिखरी हुई आबादी के अन्दर जो हम लोगों को एक चिकित्सा के सम्बन्ध में व्यवस्था मिलनी चाहिए. कई इसमें कमी और खामी रही है। मैं हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पर बांसवाड़ा जिले की कुल पापुलेशन 15 लाख समथिंग हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 14 लाख के लगभग है। बांसवाड़ा जिले में दो एम.जी. हास्पिटल हैं, 6 डिस्पेंसरीज हैं, 47 पी.एच.सी. हैं, 10 सी.एम.सी. हैं, 334 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज बांसवाड़ा जिले में जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की पी.एच.सी. हैं चाहे वो सी.एच.सी. हैं वहां पर डाक्टरों का इतना अभाव है, कुशलगढ़ हमारा बैकवर्ड इलाका और हमारे जिला हैडक्वाटर से उसकी दूरी 70 किलोमीटर है जहां पर छोटी-छोटी दवाइयों को लेकर के डाक्टरों के नहीं होने की वजह से हमको 70 किलोमीटर हमारे बांसवाड़ा जिला हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है। वहां पर हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र के सभी संगठनों ने मिलकर हमारे चिकित्सा राज्य मंत्री श्री भवानी जोशीजी को ज्ञापन भी दिया लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जहां-जहां भी हमारे ट्राइबल एरिया के अन्दर पी.एच.सी. चाहे सी.एच.सी. हो जहां पर भी डाक्टरों का अभाव है, लम्बे समय से वो पद रिक्त हैं हमें मजबूर होकर के महंगी चिकित्सा लेने के लिए गुजरात जाना पड़ता है हर आदिवासी गरीब परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति इतनी महंगी दवाइयों को नहीं झेल पाता है या इतना खर्चा नहीं उठा सकता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लम्बे समय से जो पद रिक्त पड़े हैं इनको माननीय चिकित्सा मंत्रीजी शीघ्र भरने का प्रयास करें। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जो मांग है उसमें जो आयुर्वेद को सम्मिलित नहीं किया गया है लेकिन मैं मंत्री

(श्री जीतमल खांट)

महोदय आपका विशेष ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग का आपके पास में आयुर्वेद विभाग भी है, प्रशिक्षित आयुर्वेदिक नर्स और कम्पाउण्डर उपयोजना क्षेत्र जनजाति उदयपुर के माध्यम से एक मदन मोहन मालवीय वहां पर हमारा प्रशिक्षण केन्द्र था जिस पर 1993 से लगाकर 2001 तक वहां पर नियमित 40 स्टूडेंटों का विशेष बैच जनजाति उपयोजना क्षेत्र के माध्यम से चलता रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और आप जवाब दें तब उसमें इसका उत्तर देने का भी प्रयास करें कि कम से कम ट्राइबल क्षेत्र में 212 ऐसे स्टूडेंट हैं जो नर्स कम्पाउण्डर का कोर्स किए हुए आज 12-12, 13-13 साल बीत गये, इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछली सरकार के माध्यम से इस विषय को उठाया गया था, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह सारे गरीब परिवार से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं। उनको प्रशिक्षण लिये हुए करीब 14-15 साल हो गये हैं मैं चाहूंगा ऐसे बेरोजगारों के लिये कोई न कोई आप निश्चित मानदेय की व्यवस्था करें, ऐसा कोई प्रावधान करें।

इसी के साथ मैं पुनः हमारे चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का पी.एच.सी. जिसका आउट डोर दिन का कम से कम 100 के करीब है मैं चाहूंगा कि उक्त पी.एच.सी. को क्रमोन्न्त करने का श्रम करेंगे। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदन राठौड़ (अनुपस्थित) माननीय श्री अर्जुन लाल जीनगर (अनुपस्थित) माननीय श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर ज्यादा विशेष लम्बी चर्चा नहीं करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मेरे विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में जो समस्याएं हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा जो कि मेवाड़ और मालवा के मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पर बसा हुआ है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हुए वहां पर कई वर्षों से चिकित्सा सम्बन्धी जो सुविधाएं होनी चाहिये उन सुविधाओं का अभाव रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इस विधान सभा

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

क्षेत्र में चिकित्सा की दृष्टि से काम करने का प्रयास जरूर किया है लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप आज भी चिकित्सा सेवाओं का वहां नितान्त अभाव दिखता है। महोदय, निम्बाहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र की आबादी करीबन 70 हजार हो चुकी है और वहां पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और वहां जो कार्यरत स्टाफ है जो नगर पालिका क्षेत्र और आसपास लगने वाले ग्रामीण अंचल है, जो खनिज प्रधान क्षेत्र है उन सबको देखते हुए वह काफी छोटा पड़ता है। मैंने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से और हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी से हमारे यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामान्य चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर 50 बैड के हास्पिटल को 100 बैड में करने की मांग की है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि निम्बाहेड़ा क्षेत्र की जनता ने हमारे इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर करीबन 3 करोड़ रुपये जन सहयोग से राशि लगाकर एक भव्य चिकित्सालय भवन का निर्माण किया है और जिसका कार्य भी लगभग प्रगति पर है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इस छोटी सी मांग को आप मद्देनजर रखते हुए इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामान्य चिकित्सालय 100 बैडेड करने का कष्ट करेंगे तो इस क्षेत्र की जनता पर काफी उपकार रहेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इसी विधान सभा क्षेत्र में करीबन 40 किलोमीटर दूर उप खण्ड मुख्यालय के पहाड़ी पर एक कनेरा घाटा क्षेत्र बसता है। वहां करीबन 6 पंचायतों के 38 गांव लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है लेकिन वहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां केवल मात्र एक चिकित्सक है। उससे उनकी चिकित्सा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होती है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी चाहूंगा कि कनेरा के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें तथा वहां पर एक महिला चिकित्सक की व्यवस्था जरूर करें।

माननीय सभापति महोदय, निम्बाहेड़ा जो क्षेत्र है वह 3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित है। यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113, यह तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से यह क्षेत्र जुड़ता है। मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, खनिज प्रधान क्षेत्र है। आये दिन इन सड़कों पर दुघर्टनाएं वगैरह होती रहती है। राज्य सरकार ने

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

अपने बजट में ट्रोमा यूनिट की व्यवस्था की है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के संगम क्षेत्र पर और मध्य प्रदेश के इस सीमावर्ती क्षेत्र में आप ट्रोमा यूनिट की व्यवस्था जरूर कराएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटी सादड़ी तहसील लगती है लेकिन छोटी सादड़ी तहसील मुख्यालय पर आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि छोटी सादड़ी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्था कराने की कृपा करायें।

सभापति महोदय, इस पूरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 400 गांव लगते हैं लेकिन आज भी 62-63 स्थानों पर ही चिकित्सा संस्थान स्थापित हैं। जिसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र भी आ गये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी आ गये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी आ गये। 62-63 स्थानों पर यह व्यवस्था है। कई पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर आज भी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से जो क्रान्तिकारी और द्रुतगामी विकास हो रहा है उसी दृष्टि से चिकित्सा क्षेत्र में विकास करने की आप योजना बनायें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत मुख्यालय है वहां पर कम से कम उप स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था हो जाये तो राजस्थान की जनता पर आपका बड़ा उपकार रहेगा। हमारे क्षेत्र में अभी 63 जो चिकित्सा केन्द्र चलते हैं उसमें करीब 16 स्थानों पर आज भी भवन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्थानों पर भवनों की व्यवस्था करें तो इस क्षेत्र पर मेहरबानी रहेगी।

दूसरी ओर निम्बाहेड़ा मे जो आयुर्वेदिक अस्पताल चलता है, आज 70 हजार के करीब आबादी होने के बावजूद भी वहां पर "बी" श्रेणी का आयुर्वेदिक हास्पिटल चलता है उसको भी आप क्रमोन्नत करेंगे तो उचित रहेगा। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी दोनों तहसीलों में निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र चलते हैं। लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होकर दोनों शहरी क्षेत्र में है। यदि आप इन दोनों ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को निम्बाहेड़ा के परिवार कल्याण केन्द्र को निम्बाहेड़ा शहर में और छोटी सादड़ी के ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र को जो छोटी सादड़ी शहर

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

में है, इन दोनों को ग्रामीण क्षेत्रों में आप स्थापित करें तो दो स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा की सुविधा लोगों को मिल पायेगी। मैं यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुन लाल मीणा

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य की मांग संख्या-26 पर भाग लेते हुए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराराजेजी को धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित करता हूं। इन्होंने जनजाति उप योजना क्षेत्र में 1119 ए.एन.एम. को जो पोस्टिंग दी है इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही इन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर में अतिरिक्त 570 ए.एन.एम. की वैकल्पिक व्यवस्था का जो प्रस्ताव रखा है इसके लिये भी मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विशेषकर के जनजाति उप योजना क्षेत्र है उदयपुर डिवीजन है उसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में जो ए.एन.एम. डाक्टर्स और पैरा मेडिकल का स्टाफ है, जहां रिक्त पद है उनको भरने के लिये माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां ग्रामीण क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में पिछले काफी लम्बे समय से एडहोक बेस पर, फिक्स बेस पर जो डाक्टर की व्यवस्था की जाती थी मंत्री महोदय के प्रयास से, मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से 340 आर.पी.एस.सी. से चयनित कर जो डाक्टरों की भर्ती की जा रही है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के लिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सलूम्बर में वर्तमान में 50 बेड का हास्पिटल है। सलूम्बर में ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर है जहां 60 छात्राएं ट्रेनिंग प्राप्त करती है। मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि उस हास्पिटल को जो सलूम्बर उदयपुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है वहां पर सलूम्बर में जो सुविधाएं मिलनी चाहिये वह सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और जनजाति बहुल क्षेत्र है। आस पास के 70 किलोमीटर के लोग सलूम्बर मुख्यालय पर इलाज कराने के लिये आते हैं। उस हास्पिटल को क्रमोन्नत कर 100 बैड का करने की मैं मांग करता हूं और

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा में जो आमूलचूल परिवर्तन कर जो सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं, निश्चित रूप से सलूम्बर में 100 बैड का हास्पिटल खोला जाये। साथ ही हमारे वहां जो नर्सिंग सेंटर है वर्तमान में नर्सिंग अधीक्षक का एक पद रिक्त है। नर्सिंग ट्यूटर के 3 पद रिक्त हैं। पी.एस.एन. के तीन पद रिक्त हैं। इस तरह के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में 7 पद रिक्त हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पद रिक्त हैं इनको शीघ्र भरा जाए।

उदयपुर जिले में, उदयपुर जिला मुख्यालय बड़ी में टी.बी. का एक बड़ा हास्पिटल है जो पूरे डिवीजन को कवर करता है। बड़ी में जो टीबी सेन्टर है वहां गुजरात, एम.पी. से भी लोग आते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि सलूम्बर में भी एक बड़ा टीबी हास्पिटल खोला जाए जिससे वहां के आसपास के ज्यादातर आदिवासी बहुल टीबी के पेशेंट हैं, ज्यादा संख्या में लोग हैं, वहां अगर टीबी सैन्टर खुलता है तो निश्चित रूप से उनको उदयपुर मुख्यालय पर नहीं जाना पड़ेगा।

वहां पर हमने जमीन की व्यवस्था की है, भवन की भी व्यवस्था की है, निश्चित रूप से सुविधा के लिए ग्रामवासी, जनता भी तैयार है। मेरा निवेदन है कि वहां एक टीबी सैन्टर खोला जाए।

हमारे पास इटालिखेड़ा, ओखडिया और उथरड़ा तीन पीएचसी हैं वहां फिक्स बैसेस पर डाक्टर्स लगे हैं वहां स्थाई रूप से डाक्टर्स की भर्ती की जाए। नये पीएचसी की, पीएचसी डाल और गांव खरका दोनों जगह काफी बड़ा गांव हैं, पांच-पांच हजार की आबादी और पंचायत मुख्यालय है, आसपास कोई पीएचसी नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां पीएचसी खोली जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले से भी प्रस्ताव भेज रखा है और लिखा भी जा चुका है, जैतपुरा ग्राम पंचायत गुडैर, ग्राम फरोड़ा, ग्राम पंचायत इटालिखेडा दो ऐसे गांव हैं जो बहुत बड़े गांव हैं, जनजाति बहुल है, वहां सब सैन्टर खोला जाए।

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

उदयपुर जिले में बहुत से नीम हकीम हैं जिनको मद्रासी डाक्टर कहते हैं, इस तरह से फैले हुए हैं जो आदिवासी भाइयों को लूट रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से विशेषकर तिवाड़ी साहब से भी निवेदन है कि ऐसे नीम हकीमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सरकार ने बहुत बार कार्यवाही, पता नहीं अधिकारी लेवल पर क्या होता है, लीपापोती हो जाती है और फिर छोड़ देते हैं। आदिवासियों का शोषण भी होता है और जिन्दगी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि नीम हकीमों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

मेरा यह भी निवेदन है कि एस.एम.एस. मेडीकल कालेज और आर.एन.टी. मेडीकल कालेज जो उदयपुर में है, एमसी आई के नोर्म्स के आधार पर टीचिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए। यही बात कहते हुए आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री कैलाश त्रिवेदी। माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, आज यह सदन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग संख्या 26 पर विचार कर रहा है। मुझसे पहले कई माननीय सदस्य अपनी बात और अपने सुझाव सदन के समक्ष रख चुके हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करके, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा, शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और चिकित्सा मंत्रीजी भी सुन रहे होंगे, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा और सुनामी के समय एक चिकित्सक होने का फर्ज निभाया और चिकित्सकों की टीम ले जाकर बेसहारा लोगों के उपचार की व्यवस्था की तथा चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के समय तो मंत्रियों की संख्या बहुत थी, 46 मंत्री थे। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश भी नहीं है, यहां विधायकों की संख्या भी 200 ही है तो पहले तो अलग-अलग विभाग बन जाते थे, फिशरिज डिपार्टमेंट अलग था, पशुपालन अलग था, डेयरी अलग था, कृषि विपणन अलग था। आज पहली बार राजस्थान में चिकित्सा विभाग से चिकित्सा शिक्षा को यानि मेडिकल कालेज को जो अलग करने का काम किया है उसके क्या रिजल्ट रहे कृपया अपने उत्तर में सदन को बताने की कष्ट करें।

मैं मेरी राय में ऐसा समझता हूं कि कोई भी असाध्य रोग या नई बीमारी हैपेटाइटिस आई, उसका मेडिकल कालेज में इन्वेस्टीगेशन होता है और उसके आधार पर फिर वह रिजल्ट देते हैं और फिर डाक्टर उसको लागू करते हैं। अगर यह दोनों विभाग एक ही जगह, जैसे आज तक रहे वैसे रहते या कोई नया उसमें सुधार हुआ तो वह आप अपने उत्तर में कृपया बताएंगे ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी चिकित्सालय ज्यादा स्ट्रेन्थन है। वहां आधुनिक उपकरण हैं, दूसरी चीजें हैं लेकिन आम आदमी, जिसके लिए हम यहां बात कर रहे हैं वह वहां नहीं जा सकता, वह उसकी पहुंच से बहुत दूर है।

क्या सरकारी अस्पतालों को, जैसा आपने सवाई मानसिंह अस्पताल में किया, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं और आज मैंने कुछ लिटरेचर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को उपलब्ध भी कराए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी दे दूंगा।

कई ऐसे निजी और स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो ऐसे उपकरण चाहे गामा कैमरा हो, चाहे एमआरआई मशीन हो, चाहे सीटी स्केन हैं, जो आर्थिक संसाधनों के अभाव में आप स्थापित नहीं कर सकते, वह तैयार हैं कि हमको आप स्वीकृति दें हम आपके मेडिकल कालेज और हास्पिटल के अन्दर एस्टेबिलश कर देंगे, उसकी शर्तें और रेट आप तय कीजिए, आप तय कीजिए जो आप तय करना चाहे। उसमें वह 20 प्रतिशत बी.पी.एल. के हैं या वीकर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सैक्शन है उनको भी फ्री करने के लिए तैयार है। वह एक्सपेरीमैंट हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यह एक्सपेरीमैंट दिल्ली के अन्दर अभी किया है। परफेक्ट मेडिकल सिस्टम ने किया है और उन्होंने अपना आवेदनं राज्य सरकार को भी किया है। उसकी एक कापी मैं हैल्थ सेक्रेटरी साहब को भी दे दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें इस चीज को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।

सारे सदस्यों ने स्टाफ की बात कही। यह बात सही है कि कई कारण हो सकते हैं, चिकित्सकों के पद यह नहीं कि आज ही खाली रहे, काफी समय से मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं। चाहे सत्ता पक्ष के साथी हो, चाहे हम प्रतिपक्ष के हो, सबकी मांग यह है कि यह पद शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने चाहिए ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिले चाहे वह पैरा मेडिकल स्टाफ हो चाहे एएनएम।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसमें कंजूसी भी नहीं करना चाहता कि आपने पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है वाकई सराहनीय कदम है। यह समय की आवश्यकता थी। इसके लिए आपको धन्यवाद।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों को पूर्व में चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध थी, जिसको आपने खतम कर दिया पिछले काफी समय से। आज कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई इंवेस्टीगेशन कराने जाता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं भले ही फिर वह रिएम्बर्स हो जाएं। तो कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। वहां लाइन में लगे, पैसा जमा कराये, खून की जांच कराये, पेशाब की कराये, एक्सरे कराये। मेरा आपसे सुझाव है, पत्रकारों को किया उसके लिए स्वागत, माननीय सांसदों को विधायकों को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम कितने भी अस्पताल खोल दें, कितने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दें, आप उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कर दें और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आप रैफरल अस्पतालों में क्रमोन्नत कर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दें, आप कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए, आप आम आदमी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते जब तक आप बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाएंगे।

आज क्या स्थिति है, आपकी रिपोर्ट का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी आज स्थिति यह है कि नसबन्दी के मामले में, मेल नसबन्दी एक प्रतिशत और फीमेल नसबन्दी 99 प्रतिशत। आपने लोकल बाडीज के और पंचायतों के चुनाव लड़ने वालों के लिए तो कानून बना दिए कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा, अयोग्य है। है हिम्मत तो आप। विधान सभा के सदस्यों के लिए संकल्प लाइये। मैं जानता हूं कानून तो पार्लियामैंट बनाएगा। एम.एल.एज. पर भी लागू कीजिए जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं वह चुनाव लड़ने के अयोग्य है। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" दूसरों के लिए हम कानून बना दें और स्वयं के ऊपर हम उसको लागू नहीं करना चाहे, यह कैसे चलेगा? आज स्थिति हमारी क्या है, आज आप चाहे बढ़ती हुई आबादी को देख लें।

आज 1991 से 2001 को आप देखें। भारत की जनसंख्या वृद्धि 21.34 और राजस्थान की 28.33 । आप जन्म दर देख लें एस.आर.एस. के मुताबिक इण्डिया की तो 25 प्रतिशत और राजस्थान की 30.6 प्रतिशत। शिशु मृत्यु दर देख लें, इण्डिया की 63 और राजस्थान की 78 । आप मातृ मृत्यु दर देखें, इण्डिया की 4.08 और राजस्थान की 6.77 । प्रजनन दर देख लें, इण्डिया की 3.2 और राजस्थान की 4.8 । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि आप दूसरे देशों की बात छोड़ दें, दूसरे प्रदेशों से भी स्थिति यह है कि जो टार्गेट आंध्र प्रदेश 2011 में अचीव करेगा राजस्थान वह टार्गेट 2021 में अचीव करेगा। तो आज इस स्थिति को अगर हमने नहीं सुधारा तो आप खुद इसमें 2011 में देख रहे हैं, कि आपकी 18.4 प्रति हजार जनसंख्या है और राजस्थान की हो जाएगी 30.6 । इसी तरीके से शिशु मृत्यु दर 56 रहेगी और आपकी हो जाएगी 78, तो मैं आपसे कुल मिलाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जो हमारे साधन हैं उन साधनों से आम आदमी तक, गरीब तक हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहें तो आपको जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर प्रभावी कार्यवाही करनी पड़ेगी। आपने पहले एक हाई-पावर एन.जी.ओ.

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की एक कमेटी बना रखी थी जो फैमेली वेलफेयर के बारे में मॉनिटरिंग और सलाह मशविरा करती थी। वह कमेटी 2-3 साल से खतम पड़ी हुई है। राजीव गांधी पापुलेशन मिशन बनाया था, पूर्व मुख्य सचिव श्री मीठालालजी मेहता की अध्यक्षता में, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी। मैं भी उसका मेम्बर था। आपने जन मंगल जोड़ों का कार्यक्रम लगाया। उसकी स्थिति हुई है वह आपसे छिपी नहीं है।

इसलिये मैं निहायत अदब के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर हम राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जितने भी काम हम चिकित्सा क्षेत्र में कर रहे हैं, यह सब जनसंख्या बढ़ती जाएगी और काम कम पड़ते चले जाएंगे। आज जो माननीय सदस्य यहां चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे यहां डाक्टर नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, वह स्थिति बनी की बनी रहेगी। उसमें आप कितना भी कर लें, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यूनानी पैथी भी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। जरा आप माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, इसका अध्ययन करिये कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, आजादी के बाद यूनानी चिकित्सालय कितने थे और कितने यूनानी चिकित्सक थे और आज कितने हैं। बार-बार यह बात कही जाती है कि यूनानी का अलग से विभाग भी नहीं बनाएंगे तो एक अतिरिक्त निदेशक यूनानी विभाग का बना देंगे। बजट में यहां पिछले वर्षों में घोषणा की गयी कि 50 यूनानी चिकित्सालय खोले जाएंगे। आज तक एक भी चिकित्सालय यूनानी खोला नहीं गया। जो चिकित्सक, यूनानी हकीम रिटायर्ड हो गये उनकी जगह पोस्टें जो खाली हुई हैं, हमने उसको भी, एक भी भरने का काम नहीं किया। मैं आपको एक सुझाव और देना चाहूंगा। आज जिस तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज बढ़ रही है और चीजें बढ़ रही हैं। इनका एलोपेथिक, यूनानी और आयुर्वेद इलाज कितना ही करा लें, यह तो बाडी का अपना जैसे टेम्प्रेचर होता है इस तरीके से, आज इसके लिये सारे लोग प्राकृतिक चिकित्सा ही तरफ जाते हैं। योग, आपका व्यायाम डाइट कण्ट्रोल, यह सारी चीजे हैं, लेप, भाप, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम राजस्थान में हर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जिले में एक-एक प्राकृतिक चिकित्सालय की आप स्थापना कीजिए ताकि वहां प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर ऐसी बीमारियों का इलाज हो सके। यह आज समय की आवश्कयता है। इस तरफ आपको जाना चाहिए।

(16.53 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज शुद्ध खाद्य पदार्थ लोगों को मुहैय्या हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। केवल खाद्य विभाग की नहीं बनती है, मेडिकल एण्ड हेल्थ डिपार्टमेंट की भी बनती है। आज सिंथेटिक दूध के किस तरीके के परिणाम हो रहे हैं, यह आप से छिपा नहीं है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप और मैं जिस क्षेत्र से आते हैं वह क्षेत्र इसका मेन अड्डा बन चुका है। आज मिलावटी घी के खिलाफ पहले अभियान चलाया और खूब आपने उसको पकड़ने का काम किया। खाद्य पदार्थ और नकली दवाएं और अप्रशिशित फर्मेसिस्ट्स मेडिकल स्टोर्स पर बैठे रहते हैं। लेकिन मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने नकली दवाओं को पकड़ने का एक अभियान चालाया। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि खुद चिकित्सा मंत्रीजी के जिले में और जिस जिले से मैं आता हूं वहां पर 17 मार्च को आनन्द मेडिकल स्टोर, कमला रोड़ पर ड्रग निरीक्षक, अनिल अग्रवाल के निर्देशन में 24 घंटे तक छापा-मार कार्यवाही चली और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ड्रग तस्कर का भण्डाफोड़ हुआ। इस कारोबार में लिप्त मेडिकल स्टोर के संचालक को गिरफ्तार किया, जो दवाइयां कई देशों में भेज चुका था। लाखों रुपये की कीमत की अवैध दवाइयां बरामद हुई। 24 घंटे तक यह कार्यवाही चली। दवाओं के अवैध भण्डार की जांच हुई। पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जप्त की दवाइयों के नमूने लिये। औषधियों का जखीरा पकड़ा गया और अवैध दवाइयां रखने के आरोपी को डिमाण्ड पर लिया गया। यह सारी कार्यवाही आपको मुबारकबाद और आपकी प्रशंसा करने और धन्यवाद देने के लायक है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बजाय इसके कि जिन लोगों ने नकली दवाइयां रखीं, जिन लोगों ने इस तरीके का घृणित और मानवता के प्रति अपराध करने का काम किया उनको सजा मिलने के बजाय आपने उस ड्रग निरीक्षक, अनिल अग्रवाल को, जिसने 24 घंटे दिन-रात मेहनत करके इतना बड़ा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

स्कैंडल पकड़ा, आपने 31.3.2005 को उस ड्रग निरीक्षक को ए.पी.ओ. कर दिया और आज क्या स्थिति हो रही है। आज कह रहे हैं, नकली दवा तस्करों का प्रशासन में दबदबा और औषधि निरीक्षक को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया। इसके क्या कारण हैं, क्या नहीं हैं, यह तो माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप जानें लेकिन जरनल इम्प्रेशन यह गया कि छापे मारने की कार्यवाही की गयी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 2 घंटे बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया गया।

मांग संख्या 26 पर विचार

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके प्रयासों से और सरकार ने माननीय विधायकों की अहमियत को देखते हुए, उनके प्रोटोकाल को देखते हुए राजस्थान विधान सभा में भी चिकित्सा के लिये एक जूनियर स्पेशलिस्ट का पद सृजित किया। इसके लिये माननीय अध्यक्षजी, आप भी और चिकित्सा मंत्रीजी भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम रोना रो रहे हैं राजस्थान में डाक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, डेढ़ महीना, दो महीना जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट क्रिएट किये हो गये, आज तक विधान सभा में भी जूनियर स्पेशलिस्ट की आपने पोस्टिंग नहीं की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी चेतेंगे और यह पोस्टिंग करने का काम करेंगे।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सुखाडियाजी मुख्य मंत्री बने, उन्होंने उदयपुर को स्वर्ग बनाने का और विकसित करने का काम किया। आज महारानी वसुंधरा राजे जी, चाहे महारानी वे धौलपुर की हैं लेकिन झालावाड़ से हैं।

श्री अध्यक्ष : आप महारानी शब्द का प्रयोग न करें तो उचित रहेगा। वह मुख्य मंत्री हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह पसन्द करती हैं इस चीज को। मैंने एक दिन आब्जेक्शन किया था कि राजस्थान में महारानियां तो 10-12 थीं, मुख्य मंत्री एक ही हो। तब भी वह महारानी कहलाना पसन्द करती हैं। इसलिये कह रहा हूं मैं तो।

श्री अध्यक्ष : आपको यह क्या पता कि वह पसन्द करती हैं। यह कैसे कह सकते हैं आप, यह कैसे कह सकते हैं आप? गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनके नजदीक के सारे लोग उनको इसी नाम से सम्बोधित करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको यहां पर उन्हें मुख्य मंत्री कहना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, मैं सदन की नेता कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की नेता कहिये, मुख्य मंत्री कहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन की नेता महोदय ने झालावाड़ के लिये इतने स्पेशल पैकेज दिये हैं, बारां जिले के लिये किये हैं। इसलिये माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप जिस जिले से आते हैं, भरतपुर जिले ने क्या बिगाड़ा है। आज राजस्थान में पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, सारे मेडिकल कालेज कोटा में हैं, अजमेर में हैं, जोधपुर में हैं, उदयपुर में हैं, जयपुर में हैं। आपके यह जो पूर्वी राजस्थान के 7 जिले हैं, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा क्या कहां यहां आदमी नहीं रहते हैं। यहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, यहां पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, यहां पर कोई गवर्नमेंट का इंजीनियर कॉलेज नहीं। इसलिये और कुछ तो हो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं हो, आपके पूर्ववर्ती हरिसिंह कुम्हेर, जो कुम्हेर से आते थे, उन्होंने रारे के पास में डेयरी का एक बड़ा संयंत्र लगाने का काम किया। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम भरतपुर में मेडिकल कालेज खुलवाने का तो प्रयास करेंगे ईमानदारी से।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह तो घनश्यामजी के पास है। मेडिकल कालेज वाला डिपार्टमेंट घनश्यामजी के पास है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने कहा, प्रयास करेंगे। सामूहिक प्रयास नहीं हो सकते हैं क्या। हम तो अपनों से ही करेंगे। शेखावाटी में खोलना होगा तो घनश्यामजी खोल देंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : उच्च शिक्षा मंत्रीजी आपके नहीं हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, वह भी सुने रहे हैं। दिगम्बर सिंहजी डिमाण्ड तो रखें उनसे। वह तो एक मिनट में मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : घनश्यामजी से उतनी आत्मीयता नहीं है उनकी, जितनी दिगम्बर सिंहजी से है।

मोहम्मद माहिर आजाद : दिगम्बर सिंहजी का इनको पता नहीं है। दिगम्बर सिंहजी मेरे वोटर हैं। वह नगर विधान सभा क्षेत्र के मतदाता हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आपका अधिकार बनता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : घनश्यामजी हमारे मेहरबान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं मेरे नगर विधान सभा क्षेत्र की बातें आपसे कहूं। स्थिति यह है कि पैथोलॉजिकल लैब जो है वह तो नगर अस्पताल में और लैब टेक्निशियन की पोस्ट है नदबई के अन्दर। आप बताइये कि कैसे काम चलेगा? वह बन्द रहती है और जो डाक्टर है, उन्होंने प्राइवेट खोल रखा है, वहां सारी जांच पड़ताल होती है। यह मैं नगर की स्थिति बता रहा हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वहां पर एम्बुलेंस हमारे पास है और ड्राइवर कामां में है। तो एम्बुलेंस पड़ी रहती है इसलिए जहां पर ऐसी स्थिति है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको सुधारने का काम कीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया, समाप्त करें। 17 मिनट हो गये आपको बोलते। जो जरूरी बात हो अब वह आप बता दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो बहुत जरूरी है वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में निजी चिकित्सकों और निजी चिकित्सालयों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आपको कोई कानून बनाना चाहिए। आज स्थिति यह है कि मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि एक डाक्टर के पास मुझे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने ही भेजा। मेरी जांच के लिए मैं वहां पर गया। उन्होंने मुझे देख लिया, वहां पर लाइन लगी हुई थी। बीस पेशेंट उन्होंने देख लिये। इक्कीसवां पेशेंट बोला, साहब, पीलीबंगा से आया हूं, कल मेरी कोर्ट की तारीख है, आप मुझे देख लीजिए। वे बोले, बीस से इक्कीसवां नहीं देखता हूं। मेरे सिद्धान्त के खिलाफ है। वह उनके पांव में पड़ता रहा है और फीस भी दे रहा था तो यह प्राइवेट हास्पिटल की स्थिति है। मेरे झुंझुनूं जहां से माननीय अध्यक्ष महोदय आती हैं, एक बानू बैगम आयी, संतोकबा हास्पिटल गयी, उन्होंने कहा कि यहां पर आई.सी.यू. में कमरा खाली नहीं है। यहां पर एक हास्पिटल है, टोंक रोड के ऊपर, उस हास्पिटल में उसको भेज दिया। उन्होंने कहा कि साहब, बाहर से डाक्टर चैक करने आयेंगे, दो हजार उसके दो, यह फलानां आएंगे, उसके पैसे दो, उससे पैसे ले लिये और रिजल्ट यह निकला कि उसकी डेथ हो गयी। उसका मेरे पास फोन आया कि साहब कोई गाड़ी की व्यवस्था करवा दीजिए मुझे डेड बोडी ले जानी है और यह डाक्टर साहब यूं कह रहे हैं कि बारह हजार रुपये तो आपको और देने ही पड़ेंगे। दस तो मेरे जमा है तो यह स्थिति प्राइवेट हास्पिटल की हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पतालों में पूरे आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं। प्रावइेट हास्पिटलों में लोगों को शोषण हो रहा है आर्थिक रूप से, उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। सरकारी डाक्टरों पर आप एक बार छापामार कार्यवाही कराकर देख लीजिए। आपके डिपार्टमेंट की जो जांच की हरी, नीली, पीली पर्चियां हैं, वे प्राइवेट डाक्टर अपने हास्पिटल में रखते हैं और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वहां पेशेंट देखते हैं और तब इन्वेस्टीगेशन की भरकर, फ्री की मोहर, आपने हैड आफ द डिपार्टमेंट को फ्री की सुविधा और अलाउ करा दी और वे हास्पिटल के अन्दर भेज देते हैं इसलिए इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

जो नीम-हकीम हैं, उन नीम-हकीमों पर एक बार तो आपने पहले कार्यवाही शुरू की थी लेकिन पता नहीं किस दबाव में क्या होता है, वह कार्यवाही वापस बन्द कर दी जाती है इसलिए निजी चिकित्सकों और निजी चिकित्सालयों के नियंत्रण के लिए आपको प्रभावी कानून बनाना चाहिए और चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति भी, जो एक हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। जिसके दोनों मेडिकल कालेज जो थे, राजपूताना और राजस्थान तिब्बी कॉलेज और जोधपुर का जुबेरिया, उनकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। आप सरकारी यूनानी मेडिकल कालेज राजस्थान में नहीं खोल सकते लेकिन कम से कम जो रिक्त पद हैं उनको शीघ्र भरने का काम कीजिए और यूनानी के लिए आप पृथक निदेशक नहीं बनायें तो कम से कम अतिरिक्त निदेशक बनाकर यूनानी पैथी के साथ न्याय करने का काम करेंगे और एक जो सरकारी कर्मचारी चिकित्सा के लिए, चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसा मांगे और चाहे आपसे दूसरा मांगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 23 तारीख को एक सरकारी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक हाथ कट गया, वह कोमा में चला गया। नेता प्रतिपक्षजी ने खुद ने भी सिफारिश की और कहा कि गरीब आदमी है इसके इलाज के लिए पैसा दिया जाए। 29 तारीख को आदेश हो गये। 4 अप्रैल को उसका चैक बना और अखिर वह पैसा अस्पताल तक पहुंच पाता अपोलो हास्पिटल के अन्दर, यह महेश शर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती था और रिजल्ट यह निकला कि पैसा नहीं पहुंचा और यह तड़प-तड़प कर मर गया इसलिए कोई सिस्टम ऐसा बनाये कि जिस दिन उसका एस्टीमेट और उसके सारे कागज मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में, चिकित्सा मंत्रीजी के कार्यालय में आये, उसके दो या तीन दिन के अन्दर उसका डिस्पोजल होना चाहिए या आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां जहां वह भर्ती है, जिसने एस्टीमेट दिया है, आप इस तरीके का प्रावधान कर दें कि वह उसी रोज से उसका उपचार या आपरेशन करना है, वह करना शुरू कर दें और उसका पेमेंट बाद में रिएम्बर्स हो जाए तो मैं समझता हूं कि आप

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे और मृत्यु से बचा पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 में मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक जितने भी माननीय सदस्यों ने जो बातें रखीं, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर रखी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र बचा है, जिसके अन्दर चिकित्सा सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव है। रिकार्ड पर और अस्पतालों के खोलने के नाम पर और चिकित्सक लगाने के नाम पर और पैरा मेडिकल स्टाफ लगाने के नाम पर तो मैं समझता हूं कि अधिकांश पद भरे हुए मिल जाएंगे लेकिन स्थिति दयनीय है।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, सच्चाई को स्वीकार करना और उस पर अमल करना और अमल करने के बाद आम आदमी का लाभ पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति क्या हो रही है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे और जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप जिस स्टाफ को गांव में तैनात करने की बात कर रहे हैं, यह बात केवल बेमानी हो जाएगी। आज अस्पतालों की हालत दयनीय है। वहां पर रहने के लिए कमरों की व्यवस्था नहीं है। वहां पर बिजली की व्यवस्था, कनेक्शन नहीं है। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर डाक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो वहां ठहरेगा, उन कमरों की हालत यह है कि नीचे से सांप-छछूंदर निकल रहे हैं उसमें और हालात इतनी बदतर हो रही है कि कोई भी चिकित्सक और कोई भी पैरा-मेडिकल स्टाफ गांवों के अन्दर इन कारणों से नहीं रहना चाहता। बहुत सारे डाक्टर और बहुत सारे पैरा-मेडिकल स्टाफ इस प्रकार के हैं जो चाहते हैं इस बात के लिए कि जहां उनकी ड्यूटी लगे वे वहां पर रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात के

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

लिए कि कि उन अस्पतालों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उन अस्पतालों में कोई भी आदमी किसी प्रकार नहीं रह सकता। चूना गिर रहा है, छत टूट रही है, पट्टी टूटी पड़ी है, दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियां नहीं हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हालत यहां तक हो रही है और हम यह कहते हैं कि सब चिकित्सक और डाक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ हमारा वहां रहना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिनकी जिस जगह ड्यूटी ली जाती है, वहां पर पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था करें। उनसे ड्यूटी लें लेकिन साथ में इस पहलू पर भी हम विचार करें कि क्या जिस जगह हम उनसे ड्यूटी ले रहे हैं उस ड्यूटी के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी भी बनती है? आप चाहते हैं कि रात को वहां ए.एन.एम. रहे तो उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं। रात में आप इस बात के लिए चाहते हैं कि वहां चिकित्सक कोई रहे लेकिन उसके पास वहां कोई टेलीकम्युनिकेशन का साधन नहीं है। गाड़ी का उसके पास साधन नहीं है। उसके बच्चे वहां पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। वह सब चीजों को देखने के कारण फिर वह शहर की तरफ भागता है और हालत यह है कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि सात दिन में एक बार जाता है, तीन दिन में एक बार जाता है, मैं तो यह कहता हूं कि एक-एक महीने में एक-एक बार जाता है और एक-एक महीने में भी यह शर्त तय हो जाती हैं, नीचे से ऊपर तक अधिकारियों से यह तय हो जाता है इस बात के लिए कि मेरी हाजरी आप कर देना और मेरे महीने की जितनी तनख्वाह है वह हिस्सा बांट कर ले लेना। इससे ज्यादा बदतर स्थिति चिकित्सा की कोई नहीं हो सकती क्योंकि वह जिस जगह शहर में बैठा कमा रहा है, जिस जगह शहर में बैठकर अपनी प्रैक्टिस चला रहा है, उससे वह इतना पैसा कमा रहा है कि वह तनख्वाह भी छोड़ देता है और उसके अलावा भी उसमें अगर कहीं देना पड़ता है तो देकर अपनी हाजरी पूरी पुख्ता करवा लेता है। यह बहुत चिन्ता का विषय है।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी और माननीय उच्च चिकित्सा मंत्रीजी, दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात के लिए कि सरकारें तो आती रहती हैं और चली जाएंगी लेकिन इस बात के प्रति संवेदनशील रहे। जब तक हम पुख्ता जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम आम आदमी को लाभ नहीं दिला पाएंगे। आज हास्पिटलों की दयनीय स्थिति है। अभी एक चिकित्सक, मैं

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

कहना नहीं चाहूंगा, बड़े-बड़े और जो ग्रामीण क्षेत्रों के हास्पिटलों की हालत यह है कि डाक्टर जो वहां पर तैनात हैं वह सही रूप से मरीजों से व्यवहार नहीं करते। इनकी हालत यह है कि बिना कुछ लिये-दिये जब तक उनको सुविधा शुल्क नहीं मिलेगा तब तक उन मरीजों का आपरेशन नहीं होगा। एक दयनीय स्थिति, घटना मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एस.सी. की महिला, ब्लीडिंग उसको हो रही है। अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया गया। ऑपरेशन टेबल पर उसको लिटा दिया और सम्बन्धित चिकित्सक ने, एनेसस्थिसिया के डाक्टर ने यह कहते हुए उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि जब तक मुझे हजार रुपये नहीं दोगे, आपका आपरेशन नहीं करूंगा। उसकी शिकायत हुई। एस.डी.ओ. की जांच हुई। कलक्टर के माध्यम से सरकार के ध्यान में जांच लायी गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात की गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तुरन्त उस पर एक्शन लेकर उस डाक्टर को ए.पी.ओ. करवाया। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की भी जानकारी में है। आपने आदेश दिया था लेकिन वह पेशेंट उस ग्रामीण अस्पताल में से चलकर जब एस.एम.एस. अस्पताल में आया, उससे भी दयनीय स्थिति में एस.एम.एस. में उस महिला के साथ व्यवहार हुआ। वहां पर डाक्टर ने 1500 रुपये उससे ले लिये और 1500 रुपये लेने के बाद उसका आपरेशन किया और जब माननीय मुख्य मंत्रीजी से पुनः शिकायत की गयी तो जांच कमेटी बैठायी। जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी बिठाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये लेकिन हुआ क्या? "ढाक के तीन पात" कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। उसी पर लीपापोती करके उस महिला को तीन-चार बार कहलवाकर बयान बदलवाने की, उसके बच्चों को बयान बदलवाने की और उस चिकित्सक के खिलाफ कुछ भी लिखकर देने की बात नहीं करके उस बात पर लीपापोती कर दी। मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौन से वार्ड में हुआ?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सर्जिकल वार्ड में, सर्जिकल डाक्टर है। नाम चाहे तो मैं नाम बता दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलो।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : नाम, डा. के. के. डंगायच थे एस.एम.एस. अस्पताल में और आज तक इन बातों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक के.के. डंगायच की ही बात नहीं कहना चाहता, मैं यह कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी चिकित्सा व्यवस्था की हालत खराब है और वही चिकित्सा व्यवस्था के लिये शहर में आकर हमारे साथ यह हालात रहेंगे तो हम ग्रामीण जनता को जो लाभ दिलाने की बात कर रहे हैं, यह सब बेमानी हो जायेगा। ज्यादातर सदस्य यहां पर जो आज बिराजमान हैं या सदन के अन्दर आये हुए हैं, 80 प्रतिशत तो गांवों से आये हुए हैं और बहुत सारे गांव पृष्ठभूमि से हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हम गांव की बात करते हैं और गांव की बात करने के बावजूद आज तक गांव के लोगों को हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाये। कितनी दयनीय स्थिति हमारी है। इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगी? आज गांव में हमारी महिलाओं के लिये गायनोकोलोजिस्ट नहीं है। हमारी महिलाओं के लिये सही प्रसव की व्यवस्था हो जाये, वह व्यवस्था नहीं है। आज हालत यह है कि जो नीम-हकीमों की बात चल रही है, नीम-हकीम के बल पर ही हमारी वह ग्रामीण महिलाएं और ग्रामीण बच्चियां जितनी भी हैं, वह डिलीवरी करवाकर अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूलकर भगवान भरोसे बच जाती हैं। कौनसी सरकार आयेगी, कौन से मंत्री आयेंगे, कौन मुख्य मंत्री आयेगा जो इस व्यवस्था को बदलेगा। बजट के प्रावधान की करोड़ों-अरबों की बात हो रही थी कि अब तक अरबों रुपये हम लगा चुके लेकिन उन अरबों रुपयों के लगाने का जो रिजल्ट है, वह हमें क्या मिल रहा है? आज हम केवल 2-5-20 स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक केन्द्र देने की बात कर रहे हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के लिये कि सरकार को इस प्रकार के बजट लाने चाहिये कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए और प्रत्येक पांच पंचायतों के ऊपर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना चाहिये जिससे कम से कम वहां के लोगों को लाभ मिल सके। यह सोच कब आयेगी हमारी? हम कब तक बदलेंगे? एक ढर्रा चला आ रहा है 50 सालों से, हम उससे बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं। एक सरकार ने पांच अस्पताल खोल दिये दूसरी सरकार ने दस अस्पताल खोल कर अपनी इतिश्री कर ली। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और चिकित्सा

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, ग्रामीण परिवेश का भला होने वाला नहीं है।

जिस तरह से शिक्षा में महिलाओं की बात कर रहे हैं, बालिकाओं को शिक्षा देनी है और गांवों में स्कूल नहीं हैं। चिकित्सा की बात कर रहे हैं हम और चिकित्सा गांवों में है नहीं। महिलाओं की दयनीय स्थिति है। बच्चों के कुपोषण की स्थिति है। अभी हमारे माननीय सदस्य बाल विकास से सम्बन्धित बात कर रहे थे आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में, कि किस प्रकार से हम पौष्टिक आहार देने के लिये बालिकाओं को, कुपोषित महिलाओं को गांवों के अन्दर हम उनको पौष्टिक आहार देकर उनकी स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं। क्या हालत हमारी हो रही है? कौन देखेगा इनको? मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अध्यक्षजी से कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के विकास की सोच बनाकर और पुख्ता व्यवस्था करके और जो चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ जिस जगह उसको डयूटी दी जा रही है, उसकी पुख्ता व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे तब तक यह हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा इस बात के लिये कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, इस बात के लिये पूर्ण रूप से विशेष ध्यान देकर व्यवस्था करेंगे। माननीय सुंदरलालजी, मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम नहीं ले पा रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : सूरजगढ़।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी थी कि डाक्टर को चिकित्सा मंत्री बना दिया और जो दूसरे चिकित्सक हैं वह भी साथ हो जाते हैं। मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखता। व्यवस्था करने वाला और मजबूरी से प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति कोई भी हो तो निश्चित रूप से वह न्याय कर सकता है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो भाई-भतीजावाद या समझौते वाली जो बातें हैं और यह एक -दूसरे को देखकर, शर्म करके हम रास्ते में भटक करके उस व्यवस्था को वापस बिगाड़ने में सहायता जो प्रदान करते हैं उस चीज से हटकर काम करने की आवश्यकता है।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्पतालों के खोलने की और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जयपुर से दिल्ली के बीच में, शाहजहांपुर के बीच में रास्ते के अन्दर कोई ऐसा अस्पताल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट हो गये, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैं दो मिनट में कन्क्लूड करूंगा मेरी बात को। नेशनल हाईवे है। दिल्ली जाते हैं यहां से सब वी.आई.पी., वी.वी.आई.पी. लोग गुजरते हैं लेकिन जयपुर से शाहजहांपुर के बीच में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें न्यूरो सर्जरी और रोड एक्सीडेंट के मामले में कोई बचाव का साधन किया जा सके। विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी बात पिछले सत्र में रखी थी। अभी कुछ सदस्यों ने यह बात रखी। जयपुर ग्रामीण के माननीय सदस्य ने भी बात रखी कि जयपुर जिले के आस-पास के जो अस्पताल है, उनको सुधारा जाये। मेरा विशेष तौर से एक निवेदन है इस बात के लिये कि आप जयपुर से चलकर शाहजहांपुर तक जब पहुंचते हैं रास्ते में 150 बैडेड अस्पताल कोटपतूली का है। मैंने पिछली बार भी इस बात के लिये कहा था यह कब सोच आयेगी हमारी इस बात के लिये उस 150 बैडेड अस्पताल में हर तरह का इलाज सम्भव है वहां, लेकिन न्यूरो सर्जरी यूनिट के सम्बन्ध में, रोड एक्सीडेंट के सम्बन्ध में 200 किमी. से चलकर जब आदमी यहां पहुंचता है तो उसकी डैथ हो जाती है अस्पताल में पहुंचते-पहुंचते। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे चिकित्सा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय कि कोटपूतली के अस्पताल में हार्ट यूनिट और न्यूरो सर्जरी की यूनिट के बारे में आप विचार करके निश्चित रूप में अगर कुछ इस प्रकार का प्रस्ताव कर पाते हैं तो जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, वह दबाव आपका कम हो जायेगा और बहुत सारे लोगों का जीवन हम बचा सकेंगे और नेशनल हाइवे के ऊपर कितनी समस्याएं आ रही हैं, उन लोगों को फर्स्ट-एड की सुविधा वहां पर मिल जायेगी। दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा निवेदन मत करें आप।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : बस इसी में पावटा और नारेडा प्राथमिक

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

स्वास्थ्य केन्द्र हैं। पावटा नेशनल हाईवे पर है। उसमें विराटनगर पंचायत समिति के भी कम से कम 18 गांव पड़ते हैं और कोटपूतली पंचायत समिति और विधान सभा क्षेत्र के कम से कम 40 गांव आते हैं। इसके ऊपर दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं लेकिन मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने खुद विजिट करके, खुद वहां की जानकारी लेकर इस बात के प्रति जागरूक लगे कि वह खुद इस बात के प्रति इच्छुक हैं। उस अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने का जो मैंने निवेदन किया था, मैं उम्मीद करता हूं इस बात के लिये कि आप शीघ्र अपने प्रावधानों में शामिल करके और पावटा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेंगे जिससे विराटनगर और कोटपूतली की जनता को लाभ मिल पायेगा। इसके साथ ही नारेडा का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसको भी आप क्रमोन्नत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करेंगे और कोटपूतली के जनाना अस्पताल में एक गायनोकोलोजिस्ट की नियुक्ति आप शीघ्र कर दें तो आपकी मेहरबानी हो जायेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, और ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिये इस सदन को सोचना पड़ेगा। अगर देरी की तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की जनता हम सबको माफ करने वाली नहीं है। इन सब बातों के साथ आपका बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को परबतसर हास्पिटल में यूरोपियन कमीशन के 65 लाख रुपये जो भवन बनाने और मशीनीकरण के लिये और सौन्दर्यकरण के लिये दिये, उसके लिये तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1993-98 तक मैं सदन का सदस्य था। उस समय भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री थे और राजेन्द्रजी राठौड़ चिकित्सा मंत्री थे। हमारा परबतसर का अस्पताल रेफरल अस्पताल था। पिछले राज में उस अस्पताल को डीग्रेड कर दिया। कोई भी क्रमोन्नत किया हुआ अस्पताल, पहली बार परबतसर को उच्चीकृत को

(श्री राकेश मेघवाल)

नीचीकृत में बदल दिया। इसलिये माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मैंने कई बार निवेदन किया, पत्र भी लिखा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी लिखा है कि जो पिछले राज में क्रमोन्नत हुआ इस राज में वापस उसी अस्पताल को रेफरल अस्पताल बनायें। जब आपातकालीन वार्ड का उदघाटन किया था चिकित्सा मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ ने तो एक एम्बुलेंस परबतसर हास्पिटल में दी थी, एक बागोट में दी थी, एक बंडू में दी थी। तीनों एम्बुलेंस एक्सीडेंट होकर भंगार की तरह पड़ी हैं परबतसर अस्पताल में।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय सदस्य, थोड़ा हमको समझ में नहीं आया कि उच्चीकृत और नीचीकृत क्या है, यह हमें समझा दें।

श्री राकेश मेघवाल : यह तो मंत्री महोदय बता देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : कॉमनसेंस की बात है। आप तो पढ़े-लिखे हो, समझना चाहिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : समझ में नहीं आया तभी तो पूछ रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल : बुद्धिमान फेर गिने जाते हैं तो बुद्धिमान को तो इशारा ही काफी है। तीन एम्बुलेंस दी थी तीनों ही भंगार में खड़ी हैं। मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन भी किया था कि या तो विभाग की तरफ से वापस जहां-जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, ग्रामीण अंचल में हैं वहां कभी भी किसी तरह की दुर्घटना होती है, अगर वहां से शहर में लाया जाता है तो एम्बुलेंस नहीं है, समय पर गाड़ी-घोड़े वहां नहीं मिलते हैं तो चिकित्सा विभाग की तरफ से या तो एम्बुलेंस दें, फिर भी इन्होंने कहा कि बजट का प्रावधान करेंगे उसमें हो सके। तो आप एम.एल.ए. कोटे से दे दीजिए। तो, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर 50 परसेंट आप विभाग से दें, 50 परसेंट एम्बुलेंस के लिए विधायक कोटे से देने की अनुमति दे दें तो भी यह वापस हर अस्पताल में एम्बुलेंस ला सकते हैं।

श्री दिगम्बर सिंह : 100 परसेंट।

श्री राकेश मेघवाल : 100 परसेंट तो फिर आप क्या करेंगे विभाग से, सब 100 परसेंट हम ही कर लेंगे तो आप भी तो कुछ करो।

श्री जुबेर खान : ड्राइवर कहां से रखेंगे, देखरेख कौन करेगा? चलो एम.एल.ए. कोटे से दे दें, आप ड्राइवर के लिए और देखरेख की जिम्मेदारी लीजिए।

श्री राकेश मेघवाल : ड्राइवर तो बैठे हैं न पहले से, वह तीन एम्बुलेंस जो खराब पड़ी हैं उनके ड्राइवर तनख्वाह ले रहे हैं न।

श्री जुबेर खान : उसे भी खराब कर देगें इसीलिए तो। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : आपां पड़ोसी हां, आ बात तो बी-10 और बी- 11 में करलयां तो ठीक रेई, अबार म्हारो क्यों टाइम खराब करो।

अध्यक्ष महोदय, गच्छीपुरा एम.सी.डब्ल्यू; सेंटर था, वहां एक डाक्टर और एक लेडी डाक्टर, वह लेडी डाक्टर की पोस्ट तोड़ दी। बडू में भी ऐसा ही था, बागोट में भी ऐसा ही था। जहां-जहां लेडी डाक्टर की पोस्ट थी, अध्यक्ष महोदय, आज तो राजस्थान की मुख्य मंत्री महिला है, विधान सभा की अध्यक्ष भी महिला है और राज्यपाल महोदय भी महिला हैं तो प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लेडी डाक्टर की पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि गांवों में भी महिलाओं को सुविधाएं मिल सकें। डाक्टर बैठा है और महिला आती है तो फिर वह किसको दिखायेगी समय पर, वह नर्स पूरी जानकर रहती नहीं है इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला डाक्टर लगायी जाए, और बडू, बागोट, गच्छीपुरा जो पोस्ट तोड़ी हैं, नयी लेडी डाक्टर की पोस्ट सृजित करके लेडीज डाक्टर लगायी जाए।

परबतसर शहर में सर्जन का पद रिक्त हैं, कई डाक्टर्स और नर्सो के पद रिक्त हैं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैंने आपसे निवेदन भी किया है कि वहां पद भरने की कृपा करावें। गांवों में आज प्राइमरी स्कूलें तो शिक्षा मंत्रीजी बहुत खोल रहे हैं, उच्च प्राथमिक भी बहुत क्रमोन्नत कर रहे हैं, माध्यमिक में क्रमोन्नत कर रहे हैं लेकिन क्या गांव में ऐसी कोई नीति चिकित्सा विभाग की बनायी कि 500 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे? तो कम से कम कोई ऐसी नीति तो बनायें जहां गांव की आबादी 500 या 250 है, आज है कि एक किलोमीटर में स्कूल खोलेंगे तो क्या आप एक किलोमीटर में कहीं

(श्री राकेश मेघवाल)

ए.एन.एम. का पद सृजित करेंगे, ऐसी कोई नीति बनायेंगे? या तो जनसंख्या का आधार लीजिए या एक किलोमीटर, दो किलोमीटर का आधार लीजिए जहां हम ए.एन.एम. लगा सकें।

अध्यक्ष महोदय, जगह-जगह, ए.एन.एम. की जहां पोस्ट है वहां भवन नहीं है किराये का भवन लेना पड़ता है या गांव वाले अपना चंदा करके किराया देकर एक कमरा देते हैं तो वह महिला नर्स कहां रहेगी? इसलिए कम से कम उप स्वास्थ्य केन्द्र जहां है, भवन की व्यवस्था करावें और भवन के साथ-साथ में उसमें पानी, बिजली की भी व्यवस्था कराने की चिकित्सा मंत्रीजी व्यवस्था करावें।

जगह-जगह यही मांग है कि चिकित्सा विभाग शिक्षा विभाग की तरह काम करे तो आम जनता को सहायता मिलेगी, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी और जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई मांग रहती है तो वह चिकित्सक की, दवाई की है। हर गांव में दवाई और दाई की व्यवस्था करें, एम्बुलेंस की व्यवस्था करें।

चिकित्सा मंत्रीजी, जो यूरोपियन कमीशन का पैसा 65 लाख मिला है, एक साल हो गया अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ इसलिए यह काम जल्दी चालू किया जाए जिससे हास्पिटल में सुधार हो। एक निवेदन यह है कि हास्पिटल में समय पर डाक्टर रहते नहीं हैं, हास्पिटल में जितने भी डाक्टर हैं वह अप-डाउन करते हैं। हमारे अजमेर और पुष्कर की सीमा लगती है, किशनगढ़ की सीमा लगती है तो पूरे क्षेत्र में, अजमेर से, किशनगढ़ से, पुष्कर से अप-डाउन करते हैं तो हास्पिटल में यह तय किया जाए कि जहां जिसकी पोस्टिंग है वह वहां रहे। अप-डाउन करने के समय न तो चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से दे सकते हैं खाली बस कितने बजे जायेगी, बस की लाइन में समय पूरा निकल जाता है, एक-दो घंटे आये, हाजरी दी और चल दिये। इसलिए यहां पुख्ता व्यवस्था करें, जिसकी जहां पोस्टिंग है वहां वह रहे।

गांवों में चिकित्सा की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि डेजर्ट गांव हैं और दूर-दूर गांव हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 210 गांव हैं 150 किलोमीटर, इधर पुष्कर में बाड़ी घाटी और उधर आता है नावां, 150 किलोमीटर की परिधि

(श्री राकेश मेघवाल)

में छोटे-छोटे गांव हैं इसलिए वहां चिकित्सा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की जाए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

जैसे शिक्षा विभाग में क्रांति लाये हैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी उसी तरह चिकित्सा मंत्रीजी, आप तो खुद डाक्टर रहें हैं..

श्री अध्यक्ष : आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया, शिक्षा मंत्रीजी, आपको तो दे दिया सर्टिफिकेट। क्रांति ला दी आपने तो।

श्री राकेश मेघवाल : क्रांति लायी है, अध्यक्ष महोदय, बहुत क्रांति लायी है। इनकी वजह से हम गांव में जाने जैसे रह गये, आज फीता काटने जैसे रह गये, स्वागत करने लायक रह गये। कहीं भी गये कि गांव में स्कूल प्राइमरी से अपग्रेड कर दी उच्च प्राथमिक विद्यालय तो गांव में कम से कम जाकर फीता तो काट दें, उसी तरह, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप..

श्री रामप्रताप कासनिया : सच्चाई है, मैं समर्थन करता हूं इस बात का।

श्री राकेश मेघवाल : इसी तरह मैं, चिकित्सा मंत्रीजी, आपसे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूरे मंत्रिमण्डल से और हाउस के सारे 200 माननीय सदस्यों की तरफ से निवेदन करता हूं कि जिस तरह शिक्षा विभाग में क्रांति आयी है उसी तरह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसी क्रांति लायी जाए जो आने वाले युग युगों तक चिकित्सा मंत्रीजी, दिगम्बर सिंहजी को याद रखे और जब तक सूरज चांद रहेगा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे रहेंगी और आप चिकित्सा मंत्री रहेंगे। ऐसी आप एक क्रांति लाइये।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। अब सूरज चांद तो रह गया।

श्री राकेश मेघवाल : दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, पीलवा एक ऐसा गांव है जिसके आस-पास 25 गांव हैं और मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जब राजेन्द्रजी राठौड़ उस समय चिकित्सा मंत्री थे....

श्री अध्यक्ष : आपका दस मिनट का समय पूरा हो गया।

श्री राकेश मेघवाल : जब हमने एक मांग रखी थी कि आप हास्पिटल की परमिशन दे दीजिए, आप हास्पिटल वहां खोल दीजिए बिल्डिंग हम दानदाता से बना देंगे, उस समय वह व्यापारी पांच करोड़ की लागत से बड़ा हास्पिटल खोलना चाह रहे थे पर उस समय वह परमिशन नहीं दे पाये और लास्ट में चुनाव आ गये। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां उप तहसील है, थाना है, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है और 45 गांव के बीच में पीलवा पंचायत मुख्यालय है वहां एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री राकेश मेघवाल : जिस मार्बल की दुनिया से हम आते हैं, राजस्थान सरकार को टैक्स मिलता है, रायलटी मिलती है और करोड़ों का मिलता है वहां औद्योगिक क्षेत्र है मकराना में विदयाद, 1000 फैक्ट्रियां हैं, हजार गांव के लोग, आसपास पूरे जिले के लोग वहां मेहनत मजदूरी करने आते हैं वहां उद्योग विभाग की तरफ से रीको का पूरा डवलपमेंट किया हुआ है, उद्योग विभाग का आफिस है, बैंक, सब कुछ सुविधा है वहां रीको एरिया में लेकिन एक हास्पिटल की व्यवस्था नहीं हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र विदयाद है रीको के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलें और शिक्षा मंत्रीजी, रीको में भी आप एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलें ताकि आसपास के मेहनत-मजदूरी करने वाले जो लोग रेते में रहते हैं....

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा की बात करते-करते आप शिक्षा पर आ गये।

श्री राकेश मेघवाल : दोनों का ही तो है। थोड़ी बड़ाई तो कर ही दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई की मांग संख्या-26 पर चर्चा हो रही है। जब से इस विषय पर माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हों, सभी माननीय सदस्यों की मूल चिंता इस बात को लेकर चर्चा में सामने आयी कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। सभी ने इस विषय पर सामान्य बात के साथ-साथ अपने क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्थाओं की भी चिन्ता व्यक्त की। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ही यह बहुत गम्भीर विषय है। जिस मांग पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसका सम्बन्ध केवल चिकित्सा व्यवस्था से नहीं है। लोक स्वास्थ्य समाज की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और सामाजिक व्यवस्था में गिरावट किसी भी गतिशील राष्ट्र की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है।

मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर इस विचार को ध्यान में रखकर चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। 1982 में केन्द्र में स्वास्थ्य नीति बनी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आम आदमी तक पहुंचाना। मैं इसके बाद की बात की अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। 1982 से लेकर 1990 तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का शासन था। तत्समय दिल्ली में भी जब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण हुआ उसी विचार की सरकार थी। राजस्थान में उस विचार को कागजों में तो स्वीकार किया गया लेकिन आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं की। इस महत्वपूर्ण विषय पर जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत का राज आया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारा राजस्थान जानता है माननीय शेखावतजी के राज में सबको शिक्षा और सबको चिकित्सा इसका बुलंद नारा था। अब जो काम पचास साल में नहीं हुए वह अप्लकाल में तो सम्भव नहीं थे लेकिन एक विस्तृत कार्य योजना बनायी कि राजस्थान का कोई पंचायत मुख्यालय नहीं बचेगा जिस पर उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं होगी। सार्थक प्रयास हुए, कारगर कदम बढ़े, राजस्थान को लगा कि कोई सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में गम्भीरता के साथ काम करना चाहती है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लेकिन आठ साल के शासन के बाद प्रदेश का राजनीतिक भूगोल बदल गया। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, आंकड़े सबके सामने हैं। जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार उन आठ सालों में हुआ उसकी गति रुक गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष दिसम्बर, 2003 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है। वैसे तो यह विषय राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है। इस पर सार्थक चर्चा होकर एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और जब यह सरकार आयी तो फिर एक चिन्तन खड़ा हुआ कि राजस्थान के एक बहुत बड़े भू-भाग में जहां शिक्षा चिकित्सा नहीं, आवागमन के लिए भी किलोमीटर तक लोगों को इन्तजार करना पड़ता है साधनों का और ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां सड़क के किनारे पहुंचने के लिए किलोमीटर आदमी को पैदल चलना पड़ता हो वहां स्वयं के लिए अपने बारे में चिकित्सा की कल्पना करना एक खयाल होगा, काल्पनिक खयाल होगा।

पिछली सरकार ने यह तय किया कि उस समूचे रेगिस्तान के अन्दर 461 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे और 461 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले। अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य जो चिन्ता व्यक्त कर रहे थे मैं उनसे सहमति मिलाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि सीमित संसाधनों में अगर आम अवाम को चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमको डाइवर्ट होना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण की ओर। सीमित संसाधनों में आबादी के असन्तुलन के चक्र को रोकना पड़ेगा और इस बारे में भी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी, खान-पान के साधनों में गिरावट और...

श्री अध्यक्ष : आप अपने कट मोशन पर तो आइये।

श्री प्रहलाद गुंजल : उस पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कारण हैं कुपोषण से लेकर जिनके कारण लोक स्वास्थ्य में गिरावट आती है और इसके लिए खाली हम चिकित्सा सेवा की चर्चा करें और सारा का सारा समाधान उसमें खोजना चाहें यह असम्भव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समग्र रूप से हम समाज के लोक स्वास्थ्य में सुधार की कल्पना करते हैं तो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सम्पूर्ण रूप से मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जब तक किसी कच्ची बस्ती की झोपड़ी में नाली सड़ती रहेगी और गरीब का बच्चा रेंगकर उसमें खेलता रहेगा, उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा। आवश्यकता इस बात की है जब तक मिलावटी वस्तुएं बाजार में बिकती रहेंगी, इनके नियंत्रण के लिए बने हुए कानून को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को दण्डित नहीं किया जाएगा, हम लोक स्वास्थ्य सुधार की कल्पना नहीं कर सकते। इस सरकार ने मजबूत इच्छाशक्ति व्यक्त की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों के लिए सम्पूर्ण मानव संसाधन विकास के लिए सामाजिक सेवाओं में पहली बार योजना मद में बजट पिछले कई सालों से ज्यादा रखा है और इसका उदाहरण है, चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि योजना व्यय का आकार बजट अनुमान 2004-05 में 72.34 करोड़ से बढ़कर 154.53 करोड़ इस बार रखा है।

श्री अध्यक्ष : यह तो जवाब देंगे चिकित्सा मंत्री आप तो अपने कट मोशन पर आइये।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं उसी पर आ रहा हूं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे समाने विशेष प्रकार की चुनौती है। चुनौती यह है कि मैं समझता हूं निश्चित रूप से सरकार की सारी संवेदनशीलता के बाद भी गरीब को उचित चिकित्सा मिले, इस मंशा के बाद भी आज जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा दवाइयों की कम्पनियों कर रही हैं वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम इस विषय को नजरअंदाज नहीं कर सकते आज चाहे गांवों का मामला हो चाहे शहरों का मामला हो, चिकित्सक प्रोपोगेन्डा कम्पनी की दवाइयों की इस्तेमाल करने लगे हैं। और उसके पीछे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइये, चर्चा सुन लीजिये। जिस डाक्टर की प्रेक्टिस अचछी है, मेडिकल कम्पनी ने किसी को सिएलो भेंट की. किसी को थाउजेंड भेंट की और उसकी किश्त जमा करा रहा है स्टाकिस्ट। किस बात के लिये उपकार और उस उपकार को चुकाने का अवसर कौनसा होगा चिकित्सक के सामने। उसकी मार पड़ेगी गरीब के ऊपर। महंगी दवाइयां लिखी जावेंगी, प्रोपोगेंडा दवाइयां लिखी जायेंगी। एक बहुत जोर से सारे राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण बना और आज मैं समझता हूं कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चिकित्सा की मांग के अवसर पर हमको इस बारे में भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि जिस प्रकार की प्रोपोगंडा दवाइया चल रही हैं निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार के बजट प्रावधानों में एलोपेथी के साथ-साथ आयुर्वेद के बारे में भी चिंता की है सरकार ने और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का उन्होंने हमारी वैदिक कालिक चिकित्सा पद्धति की ओर ध्यान देने का प्रयास किया है। चिकित्स मंत्रीजी का तो मैं इस बात के लिये भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हाल ही में देश के भू-भाग में जब सुनामी लहरों का कहर बरपा...

श्री अध्यक्ष : आपने 12 मिनट ले लिये, अब आप एक-दो मिनट में बात समाप्त कर दें...

श्री प्रहलाद गुंजल : 20-20 मिनट भी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं भी संक्षिप्त में अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : शुरू में ही यह बात हो गयी थी दस मिनट से अधिक समय किसी को नहीं मिलेंगे। प्रारम्भ ही कह दिया गया था। आप अपने कटमोशन पर तो आ नहीं रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं अभी कनक्लूड कर रहा हूं। आपने चिकित्सा मंत्री के साथ एक चिकित्सक का दायित्व भी निभाया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

आयुर्वेद के बारे में जो आपका सोच हैं मैं इसके लिए भी आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको यह भी विचार करना पड़ेगा कि एलोपेथी की तुलना में आयुर्वेद का बजट कितना कम है। क्या इस बजट को बढ़ाये जाने की आवश्यकता नहीं ? जब हम इसके बारे में चिन्ता करते हैं तो लोग कहते हैं एलौपेथी में तुरन्त उपचार संभव है। आज इस सदन में मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं बात, लोग कहते हैं किसी के सर्जरी की आवश्यकता पड़ गयी तो आयुर्वेद में क्या इसका उपचार है। हिन्दुस्तान में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एलोपैथी 1908 में आयी और 1908 से पहले हमने इतिहास पढ़ा है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। कौनसी एलोपैथी से उसका उपचार हुआ। हमने आयुर्वेद की उपेक्षा की है और पहली बार इस सरकार ने आयुर्वेद के बारे में कुछ अस्पताल खोलने की अपनी बात तय की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं केवल आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने के प्रावधान से काम नहीं चलने वाला। आयुर्वेद के बारे में अनुसंधान की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। वैदिक काल में जिस प्रकार से गम्भीर सर्जरी जैसी चोटों को भी आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जाता था, आखिर इस अनुसंधान के क्षेत्र में जहां हमको एक ओर आगे जाना चाहिये था, आयुर्वेद के क्षेत्र में इतना कैसे पिछड़ गये। आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पार्किन्सन रोग से मृत्यु हुई और जब रिसर्च हुआ तो दुनिया के लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि यह जो पार्किन्सन रोग है जिसके कारण शरीर में थक्का जम जाता है या मस्तिष्क की शरीर पर नियंत्रण की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, भारत में यह रोग नहीं है। न के बराबर है और चिकित्सक इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका मूल कारण यह है कि भारत के भोजन तत्व में आयुर्वेद विद्यमान है। हम भोजन में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे सामने हमारे घर में हमारे भोजन तत्व में आयुर्वेद विद्यमान है तो फिर हमें उस पुरानी कल्पना की ओर वापस जाना पड़ेगा। आज दुनिया के देश आयुर्वेद के कंसेप्ट को बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद के फायदों के बारे में चिन्तन कर रहे हैं। आज इस सारे मूल विषय पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। मैं कनक्लूड करने से पहले एक-दो बात रखना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप 14 मिनट ले चुके हैं, एक मिनट में बात समाप्त कर दीजिये। फोर्टीन मिनट ले चुके हैं। आप एक मिनट में बात समाप्त कर दें...

श्री प्रहलाद गुंजल : सभी सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में चिन्ता व्यक्त की मैं तो केवल, इतना ही कहना चाहता हूं अभी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने गांवों में चिकित्सकों की भर्ती की है...

श्री अध्यक्ष : शिक्षा कहां आ गयी वहां चिकित्सा से होते होते..

श्री प्रहलाद गुंजल : चिकित्सा मंत्रीजी कह रहा हूं..

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री कहा आपने..

श्री प्रहलाद गुंजल : चिकित्सा मंत्री कहा है..

श्री अध्यक्ष : अच्छा। सॉरी।

श्री प्रहलाद गुंजल : चिकित्सा मंत्रीजी ने चिकित्सकों की भर्ती की है लेकिन हम देखते हैं गांवों में पहले भी चिकित्सक मौजूद हैं। हालात क्या है? कोई गांवों में रहना नहीं चाहता। ट्रांसफर डिजायर्स के लिये दवाब बनाने का प्रयास किया जाता है। मैं एक सबमिशन देना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार अगर चाहती है कि गांवों के व्यक्ति को वास्तव में ही सच्ची सुविधा मिलनी चाहिये तो सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिये कि चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रामीण बेस कैडर अलग से बनाया जाना चाहिये और उस ग्रामीण बेस कैडर का इंसेंटिव आप अलग दीजिये। आप उनके वेतनमान में बढ़ोत्तरी कीजिये। जब गांवों में सेवा करने वाले चिकित्सक को यह लगेगा कि उसको एक कैडर मिल रहा है गांव की सेवा करने के एवज में तो उसका वहां पर काम करने में मन लगेगा। आज चिकित्सक गांव में रहना नहीं चाहते। उनके सामने गांव के मरीज की सेवा से ज्यादा अपने बच्चों का भविष्य है। अच्छे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, रोज की उसकी सार संभाल करना, नित प्रतिदिन की उसकी जिम्मदारियों का निर्वहन करना, बहुत सारे सामाजिक दायित्वों के कारण डाक्टर आज गांवों से मुंह मोड़ते हैं। इन परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है...

श्री अध्यक्ष : अब कृपया समाप्त करें। अब आपको यह चिट दे दी...

श्री प्रहलाद गुंजल : यह चिट नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं मूल बात कह रहा था कि हमारे यहां आयुर्वेद के बारे में हमारे घर गौ पलती है। गौमूत्र के माध्यम से असाध्य बीमारियों का इलाज होता है। यह सारे कंसेप्ट हमारे हैं..

श्री अध्यक्ष : आपका कटमोशन नहीं है...

श्री प्रहलाद गुंजल : इसके बारे में हमें विचार करना चाहिये। मैंने कटमोशन दिया है कि रामगंजमंडी में.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री का काम यह नहीं होता कि आप जाकर उनको चिट पकड़ा कर आए..(व्यवधान) क्या करें। व्यवस्था तो आप लोग ही बिगाड़ते हैं सब। मैंने आपको 17 मिनट दे दिये, अब प्लीज आप समाप्त कर दें।

श्री प्रहलाद गुंजल : रामगंजमण्डी के अन्दर सौ बैड का चिकित्सालय खुलना चाहिये। कनक्लूड कर रहा हूं। मेरे कटमोशन पर आ गया हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 50 बैड अस्पताल कार्यरत है। पिछली बार जब मैंने कटमोशन लगाया तो सरकार की तरफ से जवाब आया सारे बैड अभी निर्धारित मापदंडों के अनुसार भरे नहीं रहते। वहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्जरी की सुविधा नहीं, एनस्थीसिया नहीं, गायनिकी सुविधा नहीं, चाइल्ड स्पेशिलिस्ट नहीं, किस आधार पर अस्पताल की सारी शैयाएं भरी रहेंगी।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को। पहली बार उन्होंने यह तय किया कि प्रत्येक पंचायत समिति के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यह सारी सुविधाएं होंगी। स्वागत योग्य कदम है लेकिन मैं उम्मीद करूंगा, आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि रामगंजमंडी कोटा जिले का कोटा के बाद सबसे बड़ा दूसरा कस्बा है और वहां की जनता की वर्षों से मांग रही है वहां सौ बैड का सर्व सुविधायुक्त अस्पताल होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। दूसरी मैं मांग करता हूं..

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री प्रहलाद गुंजल : चेचट मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना चाहिये..

श्री अध्यक्ष : अब आप मेहरबानी करें। 20 मिनट ले चुके आप। मेहरबानी करें.. (व्यवधान) इनके बाद दूंगी। आपको दूंगी... (व्यवधान) श्री मंगलाराम।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैंने साथ ही अलोद और गणपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग की है। मैं समझता हूं कि इस बार कुछ नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का बजट में प्रावधान किया है...

श्री अध्यक्ष : तो मैं आपकी सुनुंगी नहीं इस बार। मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुकी। आप आसन की उपेक्षा कर रहे है..

श्री प्रहलाद गुंजल : निश्चित रूप से मैंने बस कनक्लूड कर दिया है। यह मेरी मंशा नहीं है। बस कनक्लूड कर रहा हूं। कतई मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरह से सब करने लग जायेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं केवल अंतिम बात कहकर बात खतम कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कतई मंशा नहीं है..

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात आप अपने कटमोशन पर आए नहीं, दुनिया भर के सुझाव दे डाले हैं, आपने दुनिया भर की बात कर डाली है। अपने कटमोशन पर अब तक नहीं आए आप और अब आप प्लीज बैठ जाएं। मैंने नाम पुकार लिया। श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री प्रहलाद गुंजल : रामगंजमंडी में हंडरेड बैड का अस्पताल और चेचट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनका बजट में आपने प्रावधान किया है..

श्री अध्यक्ष : बस अब वह ठीक है, सब ठीक है..

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं उम्मीद करता हूं आप खोलेंगे और क्षेत्र की जनता को न्याय मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या- 26 चिकित्सा पर आज चर्चा हो रही है मैं भी मेरी बात आपके माध्यम से मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं। बात ग्रामीण क्षेत्र की है... ग्रामीण क्षेत्र में चाहे पहले किसी की सरकार रही हो, चाहे अभी किसी की सरकार हो, वहां की स्थिति यह है कि आज भी कोई सब सेंटर है तो वहां ए.एन.एम. नहीं है और कहीं स्वास्थ्य केन्द्र है या उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं तो वहां डाक्टर नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के बिग्गा में स्वास्थ्य केन्द्र है वहां एक कम्पाउंडर से ही पूरा स्वास्थ्य केन्द्र चलता है। डूंगरगढ़ में भी यही हालत है और नेशनल हाइवे पर डूंगरगढ़ का स्वास्थ्य केन्द्र पड़ता है और आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद में वह पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर में ही रेफर किये जाते हैं क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं हैं। न तो एम्बुलेंस की सुविधा है, प्राइवेट एम्बुलैंस से कोई बीमार आदमी, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको बीकानेर तक पहुंचने में अगर टाइम लग गया तो वहीं खतम हो जाता है। आये दिन वहां एक्सीडेंट होते हैं और एम्बुलेंस पुरानी है वह अगर उसको बीकानेर ले जाना चाहते हैं तो कम से कम दो ढ़ाई घंटे में वह पहुंचती है। 70 किलोमीटर का फासला है और दो घंटे वह बीच में ले लेती है और रात के टाइम में अगर एक्सीडेंट हो गया तो वह व्यक्ति उस व्यवस्था में ही खतम हो जाता है। इसलिए मैं मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि कम से कम आप डूंगरगढ़ में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था तो जरूर करें। इस स्वास्थ्य केन्द्र के अंदर पूरी सुविधा दें। जिससे कि आये दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे वह आदमी बच सके और पी.बी.एम. अस्पताल तक सही हालत में पहुंच सके।

अध्यक्ष महोदय, बिग्गा में सामुदायिक स्वासथ्य केन्द्र है उसमें डाक्टर नहीं है और गांवों में आज स्थिति यह है कि गांव का आदमी चाहे छोटी-मोटी बीमारी हो तो वह पी.बी.एम. अस्पताल या उससे ज्यादा कोई बीमार हो तो वह सवाई मानसिंह अस्पताल तक पहुंचता है। वहां भारी भीड़ रहती है और किसी आदमी को पैर टिकाने तक के लिए जगह नहीं है। बैड मिलते नहीं है, हालत यह है कि गांव का आदमी अपना जो सामान लेकर जाता है, जितना पैसा

(श्री मंगलाराम गोदारा)

लेकर आता है उससे पूरा इलाज नहीं होता है और उसको निराश ही गांव लौटना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो बड़े-बड़े गांव हैं, पुराने टाइम में कोई औषधालय खुले हुए थे, आज स्थिति यह है कि औषधालयों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, वहां वैद्य नहीं रहते हैं, ए.एन.एम. नहीं रहती है, आप इन बिल्डिंगों को सुधारें। वहां जो पिछले टाइम में औषधालय खोले थे उनमें कम से कम नये वैद्य लगाये जायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोमासर है। वहां आज से तीन साल पहले एक एक्सरे मशीन के लिए एम.एल.ए. कोटे से तीन लाख रुपये दिये थे। वह मशीन आज तक नहीं आयी। काफी बड़ा गांव है, कस्बा टाइप गांव है और उसके आस पास काफी बड़े गांव हैं और एक्सरे मशीन पहले उसमें लगी हुई थी, कोई दानदाता ने दी हुई थी; वह मशीन पुरानी हो गयी, खराब हो गयी और आज हालत यह है कि वहां एक्सरे कराने के लिए डूंगरगढ़ या बीकानेर जाना पड़ता है। बीकानेर वहां से 110 किलोमीटर पड़ता है और आने-जाने का किराया लगता है। मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि एम.एल.ए कोटे से जो पैसा दिया हुआ है उनसे आप एक्सरे मशीन खरीदकर मोमासर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे बड़े गांव हैं जिनकी आबादी किसी भी चार हजार है, किसी की पांच हजार है, किसी की छह हजार है। आपने इस बजट में जो नये पाथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है, मैं भी यह चाहता हूं कि हमारे इन बड़े गांवों में आप कम से कम दो स्वास्थ्य केन्द्र, चार उप स्वास्थय केन्द्र देने की कृपा करें। गांवों की स्थिति तभी सुधरेगी जब आप गांवों में ध्यान देंगे। आज स्थिति यह है कि अगर गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे पी.बी.एम. अस्पताल है, उसमें मरीजों को बैठने के लिए जगह नहीं है और गांव के अन्दर अगर पंचायत हैडक्वार्टर पर स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जायें तो वहां का दबाव कम हो सकता है। जैसे तहसील हैडक्वार्टर पर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। वहां ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना डाक्टर की व्यवस्था है और ना कोई और व्यवस्था है। वहां बिल्डिंग जर्जर हो हो चुकी है। वह बिल्डिंग किसी दानदाता की बनाई हुई है। आज स्थिति यह है कि वह

(श्री मंगलाराम गोदारा)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एकदम जर्जर अवस्था में है। यही हालत बिग्गा की है और यही हालत लालगढ़ की है। वहां भी डाक्टर की कमी है तो मैं यह चाहता हूं कि गांवों में जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, सब सेन्टर्स हैं, इनमें डाक्टर और ए.एन.एम. लगाने की कृपा करें। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। नहीं बोलना चाहें तो मत बोलें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बोलना चाहते हैं। मैं शुरू कर दूं क्या।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत। आ गये वह।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या- 26 जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वह पूरा उदयपुर डिवीजन ट्राइब्ल से सम्बन्धित है और उस टाइब्ल एरिये में 15 प्रतिशत से ज्यादा टाइब्ल टी.बी. ग्रसित हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन टी.बी. के मरीजों के लिए...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, क्या करते हैं आप। ध्यान नहीं रखते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : इन टी.बी. के मरीजों का परीक्षण हो और सरकार की ओर से उन्हें दवाइयां उपलब्ध करायी जायें।

अध्यक्ष महोदय, जितने लोग एक्सीडेंट से घायल हो जाते हैं या बहुत सीरियस घायल हो जाते हैं उन्हें भी सरकार की तरफ से उस समय तत्काल दवाइयां दी जायें। कौन कहां से आया है इसका तुरंत पता नहीं चल पाता है और जब तक उसके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्ज का पता लगाया जाता है तब तक वह लोग कालकवलित हो जाते हैं। इन लोगों के लिए फ्री मेडिकल फेसेलिटी हास्पिटल में उपलब्ध करायी जायें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेडिकल कालेजेज का सवाल है। हमारे यहां जितने मेडिकल कालेज हैं, वह इस शताब्दी के अनुसार पूरे वैल इक्विप्ड होने

(श्री शांतिलाल चपलोत)

चाहिए। वहां पर सभी प्रकार के इलाज हों। वहां पर किडनी ट्रांसप्लाटं का इलाज हो, वहां पर आखों का अच्छा इलाज हो, आथोपैडिक का अच्छा इंतजाम हो और उसके साथ-साथ एम.आर.मशीन अधिकांश मेडिकल हास्पिटल में नहीं है इसलिए वे मशीन सभी मेडिकल कालेज के हास्पिटल जहां है वहां हों।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में बहुत अच्छा जनरल हास्पिटल है उसमें आर्थोपैडिक तो है पर उसको वैल इक्विपड कराया जाये। आज की तारीख में उदयपुर में इंदौर, मंदसौर नीमच सारे मध्यप्रदेश से इलाज कराने आते हैं। लेकिन वहां कई बार आर्थोपैडिक के मामले में देखा जाता है कि वह सीधे अहमदाबाद जाते हैं। वहां उनको ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी मुद्रा भी बचे, इकानामिकली भी वह उसको कियर कर सकें, इसलिए इस मामले में वहां पर पूरी फैसलिटी उपलब्ध कराई जाये। इसके साथ-साथ कई बार देखने में आता है कि किडनी ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल काम है, वह केवल गुजरात में है और राजस्थान में नहीं के बराबर है, जहां पर भी मेडिकल कालेज अस्पताल हैं वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा काम होना चाहिए जिससे लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। वरना लोग उदयपुर की तरफ से नडियाद और अहमदाबाद में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। यह बड़ा श्रम साध्य है और पैसा भी बहुत लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए जितने भी मेडिकल कालेज अस्पताल हैं वहां हार्ट के ऑपरेशन की सारी की सारी सुविधाएं, वाल्व वगैरह बदलने की सुविधाएं भी होनी चाहिए।खून और पेशाब की जांच भी छोटे-छोटे अस्पतालों में हो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधवाओं और परित्यक्तओं को जो पहले ही मुसीबत की मारी होती है, उन्हें पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से देखने में आता है और यह कहा जाता है कि आपके तो बच्चा है, बच्चा है 18 साल का, 20 साल का लेकिन वह उसकी केयर नहीं कर रहा है तो उस मां का क्या होगा? इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध

(श्री शांतिलाल चपलोत)

है कि उन विधवा और परित्यक्ता महिलाओं का सामान्य अस्पतालों में सरकार के खर्चे से इलाज हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर और उसके आस-पास के जंगलों में कई प्रकार की जड़ी-बूटियां हैं, जिनको हमने नजरन्दाज कर रहा है जबकि उनसे बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदया कोटड़ा पधारी थी, वहां पर उन्होंने देखा कि इस प्रकार की जड़ी-बूटियां वहां अवेलबल हैं, सांप काटने पर किसी जड़ी बूटी के लगा देने पर सांप के जहर का असर कम हो जाता है, दूसरी से सुंघाने पर एनेस्थिसिया का काम होता है। इस प्रकार की कई ज़ड़ी-बूटियां वहां पर बड़े जंगलों में मिल जाती है, उनकी खोज का काम कराया जाना चाहिए, इसमें वन विभाग और चिकित्सा विभाग मिलकर काम करे तो मैं समझंता हूं ठीक होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां तीन हजार की आबादी पर एक नर्सिंग स्टाफ है सारे राजस्थान में जो नाकाफी है। विकसित देशों में चार सौ पर एक नर्सिंग स्टाफ है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और हमारी इकोनोमिक परिस्थिति के अनुसार कम से कम दो हजार पर तो एक नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करें।

हमारे यहां मावली तहसील में सनवाड़ में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें चिकित्सक के पहले ज्यादा पद स्वीकृत थे लेकिन बाद में पता नहीं किन कारणों से उनको कम कर दिया गया, मुझे समझ में नही आ रहा है। हमारे यहां सुदूर में सालेराकलां गांव है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए मैंने कटमोशन दिया है। रेलमगरा, जहां पर अनुसूचित जाति की ज्यादा आबादी है और धनेरियागढ़, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर-चित्तौड़गढ़ स्टेट हाइवे हैं, वहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि फतेहनगर में ट्रोमा हास्पिटल खोला जाए और वहां पर घायलों के इलाज के लिए व्यवस्था हो।

कहने के लिए तो बहुत बातें हैं पर मैं आपके माध्यम से अनुरोध

(श्री शांतिलाल चपलोत)

करता हूं कि हर हालत में जितने भी मेडिकल कालेज अस्पताल हैं उनमें सभी प्रकार का इलाज हो, वैल इक्विप्ड हो, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीलक्ष्मीनारायण बैरवा। कालीचरण सर्राफ (अनुपस्थित) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या–26 पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। जयपुर के बाद दूसरे नम्बर पर जोधपुर है। जोधपुर शहर में तीन बड़े अस्पताल हैं, गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल और मथुरादास माथुर अस्पताल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग है कि गांधी अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया जाए। इसके जिला अस्पताल बनने से वहां की जनता को काफी राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि अस्पतालों के अंदर असुविधाओं का अम्बार है लेकिन सारे राजस्थान के अस्पतालों से जोधपुर के अस्पतालों में ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, खराब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों की कमी है, उनकी पूर्ति की जाए। आप जब कुर्सी पर विराजमान नहीं थी तो सामने के एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप लोग यह कहते हो कि आपने पांच साल में क्या-क्या किया, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपने पांच साल राज किया, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, ''हाकम बदल जाता है लेकिन हुकुम नहीं बदलता है।'' मगर कांग्रेस का राज आते ही तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने हाकम भी बदल दिया और हुकुम भी बदल दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि हमको बहुत घमण्ड था, राज तो आता है और चला जाता है, हमारे जोधपुर के मुख्य मंत्री थे लेकिन मुझे इस बात का भारी दु:ख है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने चिकित्सा के क्षेत्र में मालूम नहीं कितने काम किऐ थे। उनकी सरकार में रहे मंत्री राजेन्द्र सिंहजी जब जोधुपर के अस्पताल का

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निरीक्षण करने गए, हमने उन्हें जोधपुर शहर चलने के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने तुरन्त हां भर ली। यह वर्ष 1993-94 की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर नवचौकिया में सबसे बड़ी और पुरानी डिस्पेंसरी है जो जोधपुर किले के नीचे आती है और आसपास की आबादी लगभग 20-25 हजार है। वहां पर सारे मौहल्ले वालों ने आकर राजेन्द्र सिंह जी से रिक्वेस्ट किया कि आप यहां पर प्रसूति गृह की घोषणा करो, फाइनेंस हम सब करेंगे और हम बनाएंगे। उन्होंने तुरन्त वहां पर यह व्यवस्था कर दी और उसके बाद उसका शिलान्यास भी करवा दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत जो आज उच्च पद पर विराजमान हैं, वहां पर चलकर उन्होंने उसका उदघाटन किया किया और वहां पर यह व्यवस्था की कि सीनियर डाक्टर रहेंगे, प्रसूति गृह होगा, डिलीवरी होगी। मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वहां आते ही सारा पाटिया साफ कर दिया। जिन डाक्टरों को वहां नियुक्ति दी गई थी उनको कैंसिल कर दिया, यह मुझे बड़ी भरी पीड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में बैठे चिकित्सा मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी, दोनों से मांग करती हूं कि इसको तुरन्त लागू किया जाए। हमारे वहां महिला बाग अस्पताल है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने वहां जाकर उदघाटन किया और यह तय किया कि यह सेटेलाइट अस्पताल होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात हुई। मगर अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां पर हुआ कुछ भी नहीं, स्टोन जरूर अशोक गहलोत का लगा, हमारे पूर्व एम.एल.ए. थे उनका नाम भी लिखा गया वहां पर लेकिन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं और मैंने इस बात की जानकारी हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया और सदन की नेता को दी। मैं यह चाहती हूं कि हाकम बदल जाए लेकिन हुकुम नहीं बदले। हमारे सदन की नेता भी यह नहीं चाहेगी और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी भी यह नहीं चाहेंगे कि उनका वहां केवल स्टोन ही लगा रह जाए, उनको क्रियान्वित करने के लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं, कि उन्होंने घोषणा कर दी और स्टोन लगा दिया, अब आप इसकी पूर्ति जरूर करें, इसका मैं आपके माध्यम से विश्वास रखती हूं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी कहना है कि हमारे यहां जितने पद हास्पिटल के अंदर खाली हैं उनको तुरन्त भर दिया जाए।

कार्डियालोजी विभाग में आचार्य के दो पद रिक्त हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य चयनित हो गये हैं। मैं यह उम्मीद करती हूं कि जोधपुर में सहायक आचार्य के रिक्त पद भरे जाएं जिससे कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा। साथ ही कार्डियालोजी थोरेसिक सर्जन का पद भी रिक्त चल रहा है.उसको भी पदस्थापित करने से कैथ लैब का कार्य सुचारू रूप से चलेगा एवं ह्रदय रोगियों को एंजियोग्राफी की सुविधा का लाभ मिल जाएगा। इसलिए समुचित स्टाफ, उपकरण एवं आवश्यक जांच सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। एम.आर.आई. मशीन को तुरंत स्थापित करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अभी रोकना मत, मुझे दो-चार बात ही कहनी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक बात और कहना चाहूंगी कि पूर्व में जब भाजपा सरकार थी और भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार थी तब गांधी होस्पिटल कें अंदर एक आपरेशन का बीड़ा उठाया था कि वहां पर बाल्व का आपरेशन हो सके। वहां पर आज की तारीख में जो एम.पी. साहब हैं कर्णसिंह जी यादव, वे उस समय डाक्टर थे उन्होंने जोधपुर में आकर वाल्व का आपरेशन किया था, वे सक्सेस भी हो गये, वहां पर सारी व्यवस्था भी हो गई। पूर्व भाजपा सरकार में मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे, उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं वहां सारी व्यवस्था कर दूंगा। कुदरत का खेल था राज बदल गया और कांग्रेस का राज आ गया। उन्होंने आकर उसको बिलकुल ड्राप कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि चिकित्सा मंत्रीजी,उच्च चिकित्सा मंत्रीजी उस बात को लागू करें ताकि वो याद ताजा हो जाए। मैंने पहले भी बात कही है हाकिम बदलता है हुकुम नहीं बदलता, मगर हाकिम और हुकुम दोनों बदल गये। अब मैं चाहती हूं आप सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं..

श्री अध्यक्ष : अब तो हाकिम आपका आ गया ना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी बोलती हूं, अब मैं यही तो कहना चाह रही हूं कि अब तो आप भी उच्च पद पर बैठी हैं, महिला हैं और मुख्य मंत्रीजी भी महिला हैं।

श्री अध्यक्ष : हाकिम आपका आ गया ना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी सभी बातों को आप प्राथमिकता देंगे और मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो 5 मिनट ही नहीं हुए और आपने रोक दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने 6 बजकर 5 मिनट पर बोलना शुरू किया था।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अभी तो 10 मिनट ही नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : आप रोज यों ही करती हैं। समय का तो ध्यान रखें। समय की पाबंदी रखें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं आपकी भावना का पूरा ध्यान रखती हूं, आपके आदेश की पालना करती हूं। मैं दो-चार बातें कहना चाह रही हूं। हास्पिटल के अंदर जहां नर्सों की कमी है उसको पूरा करने के लिए सदन की नेता ने घोषणा कर दी दी है, लेकिन वह होगा तब देखेंगे, अभी माननीय सदस्य ने सही कहा था कि मरीज चिल्लाते रहते हैं। वास्तव में सही कह रहे थे मरीज चिल्लाते रहते हैं। जहां एक वार्ड होता है वहां चार नर्सों की जरूरत होती है तो वहां एक होगी। अब वो बाईजी-बाईजी चिल्लाते रहेंगे, उनकी कौन सुनेगा। वो भी क्या-क्या देखेगी। इसलिए मैं चाहती हूं जो कोई भी कमी हो उसकी पूर्ति की जाए। हास्पिटल में मरीज जाता है तो मरीज यह आशा लेकर जाता है डाक्टर मेरा भगवान है। मैं चाहती हूं इस व्यवस्था को सुधारें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो एम्बुलेंस की तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रोला ले जाने की बात है, मैं सही बता रही हूं, .के नीचे पेड़ी तक भी वो नहीं होती है, कैसे ले जाते हैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भगवान जाने। वो तो भगवान की कृपा है और जोधपुर में देवी की कृपा है जो कुछ होता नहीं है। बाकी हास्पिटल की देखा जाए तो यह स्थिति है। इनकी जो मशीनें वगैरह हैं उसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से आपके माध्यम से चाहती हूं ज्यादा से ज्यादा फण्ड जोधपुर में दिलाकर वहां व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अंदर डिस्पेंसरीज हैं, लेकिन डिस्पेंसरीज की स्थिति बहुत दयनीय है और खराब है। वहां मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पैसा भी नही लग रहा है। भगवान जाने सरकार का पैसा कहां जाता है, क्या करते हैं। पूर्व सरकार पांच साल रही, एक भी डिस्पेंसरी के अंदर एक पैसा तक नहीं लगा। मैं यह दावे के साथ कहती हूं क्योंकि मैं तो खुद भ्रमण करती रहती हूं और जाती रहती हूं, मगर मैं इस सरकार से यह उम्मीद करती हूं वह इसके बारे में जरूर ध्यान देगी क्योंकि डिस्पेंसरी में इधर-उधर के लोग आते हैं और उनको सहूलियत मिलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे आपके माध्मय से एक बात चिकित्सा मंत्रीजी से कहनी है..

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर शहर के परकोटे के अंदर कबूतरों का चौक है वहां पर हमारी जमीन पड़ी है हम दे देंगे मगर आप डिस्पेंसरी खोलने की परमिशन दें। परमिशन आप देंगे, जमीन हम देंगे, भवन बनाकर हम दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे फण्ड में से मथुरादास माथुर हास्पिटल के अंदर 10 लाख रुपये दिये,मगर आज तीन-चार महीने हो गये अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हमारे फण्ड का पैसा देकर क्या करें। कोई उस पर ध्यान तो दे, कोई ध्यान नहीं देता है। पी.डब्ल्यू.डी. का जो पैसा दिया उन्होंने भी अभी तक कोई तैयारी नहीं की।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मेद

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हास्पिटल के अदर 5 लाख रुपये गैस पाइपलाइन के लिए दिया. उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर तीन-तीन, चार-चार महीने बाद पैसा देने के बाद ये कुछ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपने मुझे जो बोलने का समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं और चिकित्सा मंत्री और उच्च चिकित्सा मंत्री दोनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं हमें इस काम में सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–26 पर आज जा चर्चा हो रही है इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 27 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 34 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 123 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया इसके लिऐ तो वो बधाई की पात्र है। कुछ नये भवनों के लिए भी किया। 227 उप स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन एक हजार उपस्वास्थ्य केन्द्र का नवीनीकरण। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट प्रस्ताव में लिया यह बहुत अच्छी बात है। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के रायपुर में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय है उस चिकित्सालय का भवन सेठ दुर्गाप्रसाद खटोड़ ने करीब एक करोड़ की लागत का बनाकर राज्य सरकार को दिया। उस भवन में एक्सरे मशीन जो 3-4 लाख की आती है वो भी दानदाताओं के द्वारा दी गई है। हालत यह है कि इधर तो मुख्य मंत्री बजट भाषण में घोषणाएं कर रही हैं और उधर दानदाताओं ने जो भवन बनाकर दिया जिसमें सामुदायिक चिकित्सालय चल रहा है उस चिकित्सालय की वो दुर्गति हो रही है। आज भी कई माननीय सदस्य कह रहे थे गुरू गोलवलकर में हम यह बनाना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय, हम यह कर दें, हमारे 8.5 लाख रुपया फलां देना चाहते हैं, हम वहां वो बना रहे हैं आप एक डाक्टर दे दें, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं , मेवाड़ी में कहते हैं पुरानी बाटियों को भिगोने के लिए दाल नहीं तो नई बाटियों के लिए क्यों आटा गीला कर रहे हो। सरकार व्यवस्था क्यों बिगाड़ने जा रही है यह

(16.19 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

समझ में नहीं आता। वहां 5-6 डाक्टरों के पद हैं, लेकिन आज की तारीख में वहां एक भी डाक्टर नहीं है। तहसील हैडक्वार्टर है, एस.डी.एम. का कैम्प कोर्ट चलता है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, सारी व्यवस्था होते हुए कलक्टर को ज्ञापन दिया, लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, बाजार बंद कर रहे हैं, इस राजस्थान के अंदर मुख्य मंत्रीजी ने एक चिकित्सक को चिकित्सा मंत्री बनाया और उस चिकित्सक को यह समझ नहीं आयी कि तहसील हैडक्वार्टर पर चिकित्सा की यह व्यवस्था है तो आम गांव और गरीब आदमी की क्या व्यवस्था कर रखी है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि तुरंत रायपुर के सामुदायिक चिकित्सालय के अन्दर सारे पदों को भरा जाय इस सदन के माध्यम से और उस सेठ ने उसको सामुदायिक चिकित्सा और उस क्षेत्र की चिकित्सा के लिए पैसा लगाया है। उस सेठ से मेरी फोन पर बात हुई तो उसने यह कहा कि एम.एल.ए. साहब, अगर मुझे मालूम होता है कि यह सरकार इस तरह से काम करेगी तो मैं यहां चिकित्सालय नहीं बनाकर अगर धर्मशाला बनाता या किसी भगवान का मंदिर बनाता तो अच्छा रहता, मैंने इस चिकित्सा को भगवान का मंदिर मानकर एक करोड रुपये खर्च किये हैं। आज यह दुर्गति एक चिकित्सक के चिकित्सा मंत्री होते हुए हुई है। इसका बड़ा दुर्भागय है और इस पर मैंने चिकित्सा मंत्रीजी से खुद से बात की. चिकित्सा मंत्रीजी ने मुझे यह कहा कि 14 मार्च को आपके डाक्टर लगेंगे लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कलक्टर ने कोट गांव का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का पांच तारीख को पूरी जनता ने जब हड़ताल की तो एक डाक्टर को लगाकर डेपुटेशन पर वहां बैठाया तो इस तरह की व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा

दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप और पुरानी सरकार जो भी रही समय-समय पर चिकित्सकों को सी.एम.ओज को आपने आदेश दिये। आपने आदेश दिये कि आप पंचायत समितियों की मीटिंग अटेंड करें, आप पंचायतों की मीटिंग अटेंड करें, आप जिला परिषदों की मीटिंग अटेंड करें, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे आपके डाक्टर हो, बड़ा दुर्भाग्य है, मुख्य मंत्रीजी का यह धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक चिकित्सक को चिकित्सा मंत्री बनाया और चिकित्सा मंत्री का यह दायित्व बनता है कि वह अपने साथियों को यह कहे

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

कि अपनी सोच में बदलाव लायें और सोच में बदलाव यह लायें कि उपचार की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करें, बचाव की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित करें और इस राजस्थान को बचाव की जरूरत है न कि उपचार की, बचाव हो जाएगा तो उपचार की जरूरत भी रहेगी और आपको हास्पिटल खोलने की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। जो केन्द्र सरकार पैसा देती है सारा पैसा मिलता है उन सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपके अधिकारी कर्मचारी पूरी लिलिएंसी बरतते हैं उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान राज्य में 49 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया रोग से पीडित हैं, आज आपकी 43 प्रतिशत शादीशुदा औरतें किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, आज आपके राज्य में 26.3 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में होते हैं उसमें 59.5 प्रतिशत प्रसव आपके शहरी अस्पतालों में होते हैं और गांवों में सिर्फ 18 प्रतिशत। (व्यवधान) हमारे ही हैं वह, आप और हम एक ही हैं, आप और हम मिलेंगे तो सदन चलेगा और अपने आप में कभी सदन नहीं चलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हमारे हालात बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे हैं, 23 प्रतिशत बच्चों को टीकाकरण के अभियान में अभी तक जोड़ नहीं पाए, मात्र 17 प्रतिशत बच्चों को पूरे टीके लगा पाए, 52 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यह जो सोच में बदलाव है, मैंने जो अभी आपको निवेदन किया कि हमको उपचार की तरफ कम ध्यान और बचाव की तरफ ज्यादा ध्यान, हमारे डाक्टर का यह सोच है कि मैं सर्जन हूं, मुझे सिर्फ आपरेशन करना है और वह आपरेशन जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जैसे ही चीरा लगाया कि टेबिल पर लक्ष्मी पूजन होगा तो उसके टांके लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे, यह बिलकुल सिद्धांततः और सही है पूरे राजस्थान की स्थिति है। आर्थोपेडिक का डाक्टर इंतजार करता है, अगरबत्ती लगाता है कहीं एक्सीडेंट हो और हाथ पैरं तोड़कर उसके पास आए, फिजिशियन देखता है कि किसको उल्टी दस्त हो और क्या बीमारी हो और वह मेरे पास आए। मैं यह कहता हूं कि जलदाय विभाग की मीटिंग में आपके अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं जाते हैं और आज गर्मी का मौसम आ रहा है क्यों गांवों में लोंगों को उल्टी और दस्त हों, क्यों उनको बीमारी लगे, क्या आपके विभाग के पास ब्लीचिंग नहीं, क्या डी.डी.टी. छिड़कने का काम आपके विभाग का नहीं आज हालत यह है किस जो डी.डी.टी. छिड़कते हो तो मच्छर नहीं हो तो और ज्यादा

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

पैसा हो जाएं। इस तरह का कौन सा डी.डी.टी. आप लेकर आए जो यह मशीनें छांटते हो इसका भी कोई अंदाजा नहीं। (व्यवधान)

नहीं, वह स्टॉक, वह मैं आपका बता रहा हूं, स्टॉक कौनसा है। वह बिना टेंडर वाला आया है न वह है, जो बिना टेंडर वाला चल रहा है यह जो छिपकलियां निकल रही हैं यह भी आपके उस बिना टेंडर वाले की हैं तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप पेयजल के ऊपर समय पर ब्लीचिंग डलवाएं, अपने आदमियों को भेजें, समय पर सारी मीटिंग आपके आदमी अटेंड करें, आगनबाडियों का निरीक्षण करें, आपके डाक्टर की यह सोच हो कि सर्जरी के काम के अलावा इस राजस्थान के अन्दर रोग कम पैदा हों, उसके उपचार के लिए मेरे को काम करना चाहिए, उस दायित्व को समझे या फिर आप एक अलग टीम बनायें। वह कम से कम बचाव के कार्यक्रम करे, उस उपचार के कार्यक्रमों को टीम अलग बनायें जो खाली उपचार के काम करें और बचाव का काम एक अलग गुप करे। अभी माननीय रामगंजमंडी से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि राणा सांगा को 80 घाव लगे और आयुर्वेदिक औषधि से उनके घाव भर गये, बहुत खुशी की बात है कि राणा सांगा का इलाज उस जमाने में हो गया। उस जमाने के वैद्य हकीम अलग ही थे और उस जमाने के मुख्य मंत्री अलग ही थे और इस जमाने में इसके लिए गत बजट में आयुर्वेद विभाग पर आप लोगों ने 6 करोड़ 27 लाख रुपये बजट में रखे और खर्च किये आयुर्वेद में सिर्फ 14 प्रतिशत पैसा, क्यों मुख्य मंत्री कोटड़ा में औषधियां ढूंढ रही हैं, आप लोग इतने चिंतित हो और राणा सांगा की तर्ज पर सरकार काम करना चाह रही है तो यह स्थिति क्या है। हालात यह हैं कि कुल मिलाकर इस राज के पास तो सिर्फ बजट के आंकड़े हैं और जैसे किसी की भैंस के खाने के लिए काकड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। काश्तकार की भैंस तो काकड़े खाती है तो दूध देती है और यह राज इन कर्मचारियों के धक्के मारकर चलता रहेगा। यही कहकर मैं अपनी बात खतम करता हू। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणधीर सिंह भिण्डर।

श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की मांग संख्या – 26 पर आवश्यक चर्चा में सम्मिलित होते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र किशनगढ़ का जो एकमात्र सबसे बड़ा चिकित्सालय राजकीय एकनाथ चिकित्सालय है यहां पर सम्पूर्ण उपखण्ड के रोगी अपना इलाज कराने हेतु आते हैं। गत वर्ष चिकित्सालय में लगभग 1500 मेजर आपरेशन , 4000 माइनर आपरेशन एवं 1500 महिलाओं की डिलीवरी कराई गई हैं। इस हास्पिटल में मुख्य आपरेशन थियेटर और गायनी के थियेटर पुराने भवन में संचालित किये जा रहे हैं जिसकी स्थिति लगभग जीर्ण शीर्ण है। इस चिकित्सालय में जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत समय-समय पर भवन निर्माण कराया जाता रहा है और वर्तमान में पर्याप्त भवन भी उपलब्ध है लेकिन आपरेशन थियेटर की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः क्षेत्र की जनता को सुलभ चिकित्सालय प्रदान कराने की उद्देश्य से नवीन आपरेशन थियेटरों के निर्माण हेतु सक्षम स्वीकृति प्रदान कराने हेतु आवश्यक बजट आवंटन कराने की कृपा करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र जो पंचायत समिति किशनगढ़ में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रूपनगढ़ और पंचायत समिति अराई मुख्यालय पर स्थित चिकित्सा विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आसपास के ग्रामवासियों की चिकित्सा आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ है इसलिए ग्राम पंचायत रूपनगढ़ के आसपास स्थित नावां, त्योद, भदून, नोसल, सनोदिया, पनेर, जाजोता, कोटड़ी आदि पंचायतों के ग्राम एवं पंचायत समिति मुख्यालय अराई के आसपास स्थित भामोला और सिरांज, करसुरा, भोगाती, देवपुरी, कालानाडा, छोड़ालामा, डस्सू आदि ग्राम पंचायतों के निवासियों को अपनी मौसमी बीमारियों हेतु छोटी मोटी दुर्घटनाओं में अपना इलाज कराने हेतु 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करके किशनगढ़ या जिला मुख्यालय अजमेर जाना पड़ता है।

अतः आप क्षेत्र की जनता को सुलभ चिकित्सा सुविधा दिलाने हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय रूपनगढ़ एवं अराई मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इस वित्तीय वर्ष 2005-06 को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की कृपा करावें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग संख्या – 26 में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में एकमात्र राजकीय चिकित्सालय में इन्डौर रोगियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस उपखण्ड की जनसंख्या ढ़ाई लाख के लगभग है जिसमें शहरी क्षेत्र की जनसंख्या करीबन डेढ़ लाख है और उप खण्ड के आस-पास नागौर जिले के परबतसर क्षेत्र, जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र एवं टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के अनेक गांवों के लोग अपने परिवारजनों का अच्छा इलाज कराने के उद्देश्य से राजकीय चिकित्सालय, किशनगढ़ में आते हैं जिससे इस हास्पिटल में वर्षभर अत्यधिक भार बना रहता है। गत वर्ष लगभग सवा लाख आउटडोर रोगियों एवं लगभग 25 हजार इन्डोर रोगियों ने इलाज कराया है। इस प्रकार क्षेत्रवासियों को जो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वह रोगियों का अत्यधिक दबाव होने की वजह से इस अस्पताल में परेशानी बनी रहती है। अत: उप खण्ड की आम जनता को राहत दिलाने हेतु इस चिकित्सालय को हण्ड्रेड बैड से 150 बैड में क्रमोन्नत कर इसकी आवश्यक स्वीकृति इस बजट वर्ष 2005-06 में दिलाने की कृपा करावें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसी वर्ष इसकी स्वीकृति दिलाने की कृपा करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मेरे क्षेत्र किशनगढ़ की राजकीय चिकित्सालय में गत वर्ष से आई.सी.यू. यूनिट का सफल संचालन स्थानीय स्तर पर कार्यरत डाक्टरों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है जिसका ही परिणाम है कि वह यूनिट अजमेर जिले में अपने अच्छे परिणाम प्रदर्शित कर रही है लेकिन धीरे-धीरे इसके संचालन में अब कठिनाई आ रही है जिसमें मुख्यत: चिकित्सालय में ह्रदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर एवं आवश्यक नर्सिंग स्टाफ की कमी है। अत: अनुरोध है कि इस यूनिट के सफल संचालन हेतु आवश्यक ह्रदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के पद इस वित्तीय वर्ष 2005-06 में बजट में स्वीकृत कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि समय की पाबन्दी है इसलिए मैं इधर-उधर की बातें न कर इस मांग के जरिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे किशनगढ़ उप खण्ड की नगरीय सीमा

(श्री भागीरथ चौधरी)

क्षेत्र में किशनगढ़ शहरवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक सिटी डिस्पेंसरी का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें दो चिकित्सक कार्यरत हैं जो अपनी आउटडोर सेवा दे रहे हैं। किशनगढ़ क्षेत्र में नगरपालिका के लगभग 10 वार्ड, परिसीमन के बाद 13 वार्डों में जनता निवास कर रही है। अतः यह चिकित्सालय अपनी पर्याप्त सेक देने में असमर्थता प्रकट कर रहा है। इस चिकित्सालय में प्रसूति गृह और उसके संचालनार्थ एक महिला चिकित्सक की नितांत आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं इस बजट अनुदान मांगों में भी आपसे निवेदन किया जा चुका है। अतः आप इस चिकित्सालय को कुछ सुविधा उपलब्ध करायें ताकि शहरी क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों जैसे सरगावं, नौगांव, मालियों की ढ़ाणी, सिलोरा, बरनाभीती एवं टिकावड़ा जो कि 8-10 किलोमीटर की दूरी पर बसे हैं, के निवासियों को विशेषकर महिलाओं को अपना इलाज हेतु महिला चिकित्सक, गायनिक की आवश्यकता एवं सिटी डिस्पेंसरी में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पदों का आबंटन एवं प्रसूित गृह सुविधा की स्वीकृति इस वर्ष के बजट आबंटन में प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे चिकित्सा मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र में जो हास्पिटल हैं उनक लिए स्टाफ की कमी थी उसको पर्याप्त रूप से पूरा किया है परन्तु मैं इस मांग के जरिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो जरूरी इस क्षेत्र की समस्याएं है उनके बारे में बताया है। मुझे विश्वास है कि उसको पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता । श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

Thomas Jefferson said that if there is one wealth, that is health. And then what is health? It is a comprehensive state of the mental, physical and social well being of the species called human being. And mere absence of diseases and informity does not tell that the individual or the human species enjoy good health.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, 100 करोड़ की जनसंख्या का देश है, 5 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का प्रदेश है,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहे कितने भी आंकड़े दे दिये जाएं, आजादी के पश्चात इन 5 दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। अपेक्षाओं के अनुरूप प्रगति नहीं हुई हो, अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था न हुई हो। उसमें कारण हम चाहे सरकार में ढूंढ लें, सरकार की व्यवस्था में ढूंढ लें लेकिन एक कारण बहुत महत्वपूर्ण है और वो कारण यह है कि चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, काम्प्रिहेंसिव डैथ रेट हो, हर चीज में कमी आई है लेकिन मैनेजमेंट किस अर्थमेटिक्स से होता है, मैनेजमेंट का स्केल अर्थमेटिक के रेशियों में एडिशन में है। पापुलेशन की स्केल है वह multiply. You add but they multiply.

कितने भी सिस्टम आप लेकर आइये, कितना भी अच्छा मैनेजमेंट आप करिये, जब तक पापुलेशन का प्रेशर इसी तरीके से मेन्टेन रहेगा, At every level, there will be hundred and ten questions put forward. So to ask one government how well they have performed, to ask one individual system how well they have achieved, it is wrong.

आज आप, हम सौभाग्यवश उस सिविलाइलजेशन की संताने हैं, Our sages and forefathers, even with less materialistic assets, lived a better and healthier life. Our sages have gone beyond that. Their vision was not simply confined to the physical, mental and social well being. Their vision was translated into spiritual well being also. We belong to that civilisation. But we have confined and restricted our selves with the modern vision of applying instant remedies and instant remedies are limited to the Allopathy, which is going to lead to lots of other questions. How do you do it? Where do you get if from? You get if from the most developed nations, whether it is the multinationals producing the medicines or whether it is the developed countries giving you the best of the instruments. आखिर आयेगा कहां से? You incorporate it, you import it. And you forget what you have!

There were luminaries in the history. Let us take, for example, Mahatma Gandhi. Not a single speech of mahatma Gandhi is devoied of the human value called health. His few sentences in every speech were limited to the human health because he knew that this mass asset, this human asset, if provided with human protein. work miracles. We make good doctors, we make good engineers but we don't produce good atheletes. Why? 100 crores of people with good mental brains but no able body to support. That is where the crux is. You have to have able body to put into execution the applicability of intelligence and intellectual values which this body or the brain can translate. अब उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए। I will go one step ahead. In the field of education. we have now asked for and realised that there is a possibility of put-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ting a primary school at every one kilomotoere. But have we graduated today to putting at least a P.H.C. at every Panchayat Headqurter? We are asking for it. You have to support a population of 5 crores. You can't expect this population of 5 crores. When suffering from disease, to go to the nearest hospital or come to SMS Hospital. If you Keep on doing like that, you will find statements like that coming from our so called nothing public leaders that the SMS will be reduced to less than a 'dharamshala' people coming in and getting out. If we have a primary school, why can't at Panchyat Headquarter, we have Primary Health Centre? Because this is where we will put a stop to the pressure on these district headquartes. And the target of proper health care system can only be achived from the Primary Health Centres.

The doctors who is recruited in the government service should be sent to serve at least for 10 years into these Primary Health Centres. And if this Primary Health Centre is not 100 to 150 kms. away from the district level. then he should be asked to serve even more. When you can expect primary school teachers to tech these. Children. Why can't you expect a primary Health Centre doctor to cure the population? Why should there be influx into the cities? The affluent class will go anywhere. What about it?

Let us look at the statistics the other way round. In developed countries you have 3 nurses to a doctor. In your country, Because of the intellectual ratio, you have 3 doctors to a nurse! That's the statistics that is saying it. It is like having more Generals and less soldiers to fight. The war has to be fought by the soldiers. The General is going only to put the plan in shape. The doctor will do the surgery. Who is going to do the first aid? If you don't have the compounders, if you don't have the nurses, all these sub-centers all these other medical aid centers will not run because they will lack the human value. Where is the human face of medicine? Human face of Medicine is in the compounders who nurse and give first aid. The doctor is there for only a specific period of time. For the rest of the period that the patient spends In the dispensary or the hospital, it is this medical staff that nurse. This is the human value of our medical science. And if this is missing, You will find lots of complaints. We will find people digging up the history to find out where lies the remedy. आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात के लिए अर्ज करना चाहूंगा के पापुलेशन का प्रेशर है फिर मेकेनाइजेशन का और माडर्नाइजेशन का प्रेशर है। आज की तारीख में हमने राजमार्ग सुधार लिये। मैंने पिछली बार भी यह बात अर्ज की थी कि इन राजमार्गों पर दुर्घटनाओं का क्या रेशो है? संसार के सारे देशों की तुलना में हमारे पास में मोटर वाहन सिर्फ एक प्रतिशत है। लेकिन संसार के सारे देशों की तुलना अगर हमसे की जाये तो छह प्रतिशत एक्सीडेंटस रेश्यो है। प्रत्येक 1000 पर दूसरे विकसित देशों में जहां हमसे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ज्यादा मोटर वाहन हैं, 10 एक्सीडेंटस होते हैं और हमारे इन राजमार्गों पर 35 एक्सीडेंटस होते हैं और इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि इन राजमार्गों पर बड़े से बड़ा नेता, बी.आई.पी. भी चलते हैं और आम नागरिक भी चलता है और जब भी एक्सीडेंट होता है तो उनको निकटतम जिला अस्पतालों या फिर एस.एम.एस. में लाया जाता है। इन राजमार्गों को हमने विकसित कर दिया लेकिन राजमार्गों के विकास के साथ में हमें यह भी सोचना चाहिए था कि इस पर पड़ने वाले बड़े-बड़े कस्बों, जहां ऐसे अस्पताल आ सकते हैं, वहां उन अस्पतालों का निर्माण हो। मैं इस बात के लिए इस सरकार का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि ट्रोमा अस्पताल शाहपूरा में खोला गया लेकिन शाहपूरा तो एक कस्बा है। ऐसे कितने ट्रोमा अस्पतालों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी कितनी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात और करना चाहूंगा कि वक्त पर अगर यह चीज खुल जाये और वक्त पर अगर इसका इलाज हो जाये तो वह कोई मायने रखता है और वक्त गुजर जाये और फिर चीज खुल जाये, फिर चाहे आप कितना भी कुछ करो, उसका वह फायदा नहीं हो सकता।

मैं आदरणीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हमने अस्पताल स्थापित किये या पी.एच.सी. स्थापित की, एक चीज आज हर अस्पताल में होनी चाहिए। एक छोटी सी डिस्पेंसरी से लेकर बड़े से बड़े रिसर्च हास्पिटल में होनी चाहिए, सफाई। आप यह बताइये कि कितनी ऐसी पी.एच.सी. हैं जहां आपके पास सफाई की व्यवस्था है?

You don't have the sweepers. You can't expect that compounder to go and sweep. It is below his dignity. There are no rules which will make it mandatory for them.

मरीज अपने शरीर का इलाज कराने आ रहा है, शरीर की गन्दगी को साफ करने आ रहा है। वह जाता है तो एक ऐसे अस्पताल में और ऐसी डिस्पेंसरी में, ऐसी पी.एच.सी. में जाता है, ऐसे उप स्वास्थ्य केन्द्र में जा रहा है जहां महीनों से झाड़ू नहीं लगी हो। किस तरह से इलाज हो, किस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं? Best of the cars needs a proper driver to drive it. You may be a luxurious occupant but who drivers it? Best of these buildings will require somebody to sweep it. Somebody to keep it clean, somebody to

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

make it more hygienic. Our system has to work from there. आपके पास में हैल्थ डवलपमेंट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है। आप अगर हैल्थ मैनेजमेंट करेंगे तो हैल्थ मैनेजमेंट को कहां से लायेंगे? हैल्थ मैनेजमेंट की आपको एक मामूली सी शुरूआत करनी पड़ेगी. Let us see if you can keep your toilets clean. Let us see if you can keep the public facilities Clean. These are part of the hygenic values today. And if we don't and if we ignore them, you may bring an MRI machine, you may bring a sonography machine, it will be made available to those who can afford it, they will be made available to those who are suffering from the rarest of the diseases. What about the common individual who has to take first aid. Every disease may not be referred but every disease just requires a doctor to attend to it. How does that man get the benefit of it? No doctor is going to go and stay in a PHC which does not even have a proper system of hygiene. You Can't expect these doctors who are coming from colleges and universities. They now come from affluent Class. You expect them to remain like Rishies and sages? They will not do it in this 21st century. Give them the proper benefits, give them the proper environment, give them the proper infrastructure. Then you can expect the doctors also to perform. It is both ways. You will have to provide the system and then you will have to provide the human value to make the system work.

और यह मेरे इस पूरे कथन में प्रस्ताव था क्योंकि एक विधान सभा क्षेत्र को मैं भी रिप्रजेन्ट करता हूं इसलिए मेरा कर्तव्य भी बन जाता है और यह एक तरीके से मेरा मौलिक अधिकार भी है।

मैं सबसे पहले तो इस सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1967-68 के अन्दर शाहपुरा अस्पताल का उदघाटन उस वक्त के राज्यपाल मोहन लालजी सुखाड़िया के हाथों हुआ था और पहली बार पिछले साल 2004-2005 के अन्दर उस अस्पताल की मरम्मत हुई और उस अस्पताल के रख-रखाव का जिम्मा राजस्थान सरकार ने लिया है लेकिन 35 साल से जो चीज नहीं हो पाई है, मैं यह एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि 12 महीनों के अन्दर सरकार कर देगी। शुरूआत आपने अच्छी की है लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि ट्रोमा अस्पताल की यूनिट आपने स्वीकृत कर दी, मशीन आपने खरीद ली हैं। हम यह चाहते हैं कि भवनों की व्यवस्था जितनी और तुरन्त हो जाये वरना एक-एक दिन निकल रहा है तो किसी ने किसी व्यक्ति को हम, आज एक खुशहाल परिवार के अन्दर कहीं न कहीं मातम जैसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये यूनिटस चालू हो जायें, उतना ही पब्लिक के लिए और दुर्भाग्य से जिनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उनके लिए हम कम से कम कुछ राहत पहुंचाने की स्थिति में आयेंगे।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि हमने व्यवस्था सारी कर रखी है, हमारे आंकड़ों में व्यवस्था है और वितीय संसाधनों की भी व्यवस्था है। हम यह चाह रहे थे, लोग टिप्पणी करते हैं, पता नहीं शहरों के अन्दर आप कैसा करना चाहेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है, एस.एम.एस. जैसे अस्पताल के अन्दर आप अपनी मशीन लगायें, लेकिन छोटे-छोटे कस्बों के अन्दर अगर एन.जी.ओज. हैं या पर्सनल एसोसिएशन हैं, वह अगर सोनोग्राफी की मशीन लगाना चाहते हैं, वह अगर एम.आर.आई. की मशीन लगाना चाहते है तो निश्चित मापदण्ड के आधार पर नियम बना लीजिये, फीस निर्धारित कर लीजिये। इन मशीनों को, इन उपकरणों को वहां ग्रामीण क्षेत्र में लगने दीजिये। आप नहीं लगा पायेंगे, हरेक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आप यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा पायेंगे लेकिन अगर कोई प्राइवेट संस्था आती है, कोई एन.जी.ओज. आते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं आती हैं जो आपके मापदण्ड आपकी प्रक्रिया और कानून की भीतर रहकर। वह सुविधा उपलब्ध कराएं सकें तो हरेक व्यक्ति जयपुर के लिए नहीं भागेगा। अब ये व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आप करिये। एस.एम.एस. के अन्दर जो आपको लाख हजार दानदाता मिल जायेंगे। आपकी जितनी हैल्प लाइन चल रही हैं, बड़े -बड़े शहरों में चल रही हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैल्थ लाइन चलते हमने तो नहीं देखा। इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या माध्यम मिलेगा, किस ढंग से करेंगे, यह व्यवस्था और यह सुविधा अगर ग्रामीण इलाकों में की जायेगी तो यह जो प्रेशर है सिटीज का, जो बड़े-बड़े अस्पतालों का है, वह दूर हो जायेगा और जब प्रेशर दूर हो जायेगा, मरीज वहां तक चला जायेगा तो ये डाक्टर्स भी वहां चला जायेगा। इसकी भी यहां प्राइवेट प्रेक्टिस करने की व्यवस्था नहीं होगी। वातावरण को हमें सुधारना पड़ेगा, व्यवस्था को हमें सुधारना पड़ेगा। एक ऐसा जामा पहनाना पड़ेगा कि जिससे दृष्टिकोण बदले, व्यवहार बदले और इसीलिए कहते हैं - Health is not limited to just disease, it is confined not only to disease. Health in a wider spectrum, it is of the social well being. It is better well being of a society, of which human element is the most important component.

आज इस अवसर पर मैं सिर्फ इतनी बातें आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मरीज के मर्म से ज्यादा उसकी स्वयं की आत्मा और उस व्यक्ति का स्वयं का स्वाभिमान है और प्रजातंत्र के अन्दर अगर स्वाभिमान

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और स्वावलम्बी असैटस को अगर हम नहीं तराशेंगे और जिस वक्त वह मरीज अस्पताल में चलकर आये या डाक्टर्स पास में चलकर आये, अगर उसका स्वाभिमान और स्वावलम्बन को कहीं हम आखेट कर देते हैं तो प्रजातंत्र का पूरा का पूरा रवैया बिखरकर रह जाता है।

आज की तारीख में आस्था इस बात की नहीं कि उसका मर्ज ठीक होगा या नहीं, आस्था इस बात की है जिस वक्त डाक्टर के पास मरीज आये, डाक्टर उस मरीज के मर्ज को अपनी ममता से सुधारे और उसका उपचार करने के लिए वह सारे कृत्य करे जो कि एक इंसान की इन्सानियत में जैसे देखा जाता है। आपने मुझे समय दिया उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या – 26 के वाद-विवाद और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पूरा उत्तर होने तक, क्वेश्चन भी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा ही होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उत्तर हो, पारित होने का, हां, पारित होने के बाद क्या अब...

श्री सी.पी. जोशी : उत्तर हो और वह पास करने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय मांग संख्या- 26 के पारण करने तक बढ़ाया जाय?

श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग संख्या–26 पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, दो के बाद फिर एक..

श्री उपाध्यक्ष : अब यहां तो एकाध आदमी ही रहा है आपका तो। (व्यवधान) कर लेंगे बुलाकर बाद में। अभी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अति लोक महत्व के विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पक्ष-प्रतिपक्ष के अधिकतर सदस्यों ने ग्रामीण चिकित्सा की चिंता व्यक्त की। बिलकुल कटु सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है वह बहुत ही नगण्य के बराबर है। आज भी ग्रामीण का आदिवासी चाहता है कि मुझे अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले। यह भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, हृष्ट–पुष्ट रहें लेकिन वहां पर जिस प्रकार की चिकित्सा सुविधा है, व्यवस्था है उनसे दुखी होकर आधी बीमारी लेकर चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाके में दूर-दूर का क्षेत्र है और कम से कम पन्द्रह, बीस किलोमीटर की दूरी पर कहीं स्वास्थ्य केन्द्र है और उसके बाद में भी तहसील मुख्यालय पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें भी सुविधाएं नगण्य है। एक एक्स रहे- मशीन है, वह भी भगवान भरोसे चलती है। दुर का आदमी आता है, वहां जाने के बाद में कुछ सुविधा उपलब्ध होगी, और मेरा इलाज होगा लेकिन आता है तो वहा पर पूरी व्यवस्था नही होने की वजह से निराश होकर के वह अपने घर को वापस लौट जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इन चीजों को सुधारने के लिए जैसे अभी राव राजेन्द्र सिंहजी ठीक कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए वहां पर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

होनी चाहिए, जैसे सोनोग्राफी है, एक्स-रे मशीन है, यह सारी सुविधाएं होंगी तो उन लोगों को कहीं पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और वह मिलने के कारण वह वहीं जाकर चिकित्सा करायेगा अन्यथा वहां जाने के बाद में उनको रेफर किया जाता है जनरल हास्पिटल में और वहां जाने के बाद में क्या होता है, वह आदरणीय माननीय सदस्य ने यह बात कही थी, ठीक कही थी, वहां जाने के बाद में डाक्टर उसको एडमिट कर लेता है और करने के बाद में यह कहता है कि मेरे घर पर आना दिखाने के लिए घर पर जाने के बाद में डाक्टर अपनी फीस लेकर के ही उसका सरकारी हास्पिटल में इलाज करता है। यह कटु सत्य है, इसको कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर लगाम लगे, इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जितने भी सरकारी अस्पताल में डाक्टर हैं उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, तभी जाकर के यह व्यवस्था सुधरेगी अन्यथा यह व्यवस्था बढ़ती जायेगी। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदयजी, कि जितने भी डाक्टर हैं, एक ही अस्पताल में जिला मुख्यालय पर लम्बे समय से वह पदस्थपित रखा हैं। और वह कभी भी जाते नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां पर ठेका जमा रखा है। आज गांव का आदमी भी चाहता है कि मुझे एम.डी. की सुविधा मिले, एम.एस. की सुविधा मिले, लेकिन एम.डी., एम.एस. गांवों में नहीं जायेगा जिसके पीछे कारण है कि वह वहां पर अपनी दुकानदारी चलाता है, सरकारी पेमेंट तो कम होता है, उससे कहीं ज्यादा वह घर पर बैठा-बैठा प्रेक्टिस करके कमाता है, इसलिए वह नहीं जाना चाहता है। दूसरा पक्ष, जैसा स्तर वैसी उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, इसमें कोई किन्तु-परंतु नहीं है लेकिन अच्छे डाक्टर गांवों में भी रहें, इसकी चिंता में मैं इस सरकार को मेरे सुझाव देना चाहूंगा और निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी क्योंकि जनहित की सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है। हमें पिछली बार भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कोटड़ा और झाड़ोल सी.एच.सी. के पैसा आवंटित किया है हास्पिटल के रखरखाव के लिए, निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत करता हूं, और वह धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन वहां पर रोग विशेषज्ञ रहे, यह आवश्यकता है। आज कोटड़ा सी.एच.सी. है, एक भी रोग विशेषज्ञ नहीं है जिसका कारण है कि वहां पर एक एम.बी.बी.एस. लगा देते हैं और वह एम.बी.बी.एस. पर्ची लिख देता है और कहता है कि मेडिकल से दवा ले लो। गांव का गरीब आदमी है, उसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, वह तो आता है कि

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

सरकारी दवाखाने में मुझे दवा मिल जायेगी, मेरा उपचार हो जायेगा लेकिन उसके लिए वह लिखता है दवाई, कितनी लिखता है, सौ पचास की नहीं लिखता है, दो सौ, तीन सौ, चार सौ रुपये की दवाई लिखता है, वह पर्ची, पर्ची को देखकर मेडिकल पर पूछता है कि कितना पैसा है, इतना पैसा, पर्ची जेब में डालकर के वापस घर को चला जाता है। इस प्रकार से गांव का आदमी चाह कर भी इलाज नहीं करवा पाता है और आधी बिमारी लेकर चलता है।

उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गांव का आदमी आज भी पन्द्रह-पन्द्रह, किलोमीटर पैदल चलकर के मरीज को कैसे लाता है। वहां सड़कें नहीं है, उस क्षेत्र को कई लोगों ने देखा हुआ है, वहां से आज भी पुरानी परम्परा के अनुसार एक लकड़ी के अंदर कपड़ा बांध कर दो आदमी कन्धे पर ढो करके पन्द्रह-बीस किलोमीटर मरीज को ले जाते हैं और उसके बाद भी उसकी दुर्दशा यह होती है कि वहां उसका कोई धणी-धोरी नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उनका ट्रीटमेंट नहीं है। क्या करेगा वह? इसलिए आगे लोग तो मौत के घाट उतर जाते हैं, चाह कर भी कि हम जिंदा रहें। कहां से मरीज इलाज करायेगा, उसके पास पैसा नहीं गरीब के पास और कोटड़ा अति संवेदनशील और बहुत गरीब और पिछड़ा एरिया है। ऐसे एरिया में यह सम्भव नहीं उपाध्यक्ष महोदयजी। इसके लिए आवश्यकता है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र जगह-जगह हो और वहां सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हो, यह आवश्यकता है। दूसरे मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्षजी, कोटड़ा जैसे एरिया में महिला डाक्टर नहीं है। महिला डाक्टर नहीं है तो हमारे आदिवासी, वनवासी तो बिलकुल शर्मिन्दा होते हैं, अपनी बीमारियां छिपाते हैं और औरते जाती हैं, मेल डाक्टर को यह पता नहीं पातीं कि मेरे बीमारी क्या है। तो वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है तो कम से कम एक लेडी डाक्टर तो निश्चित रूप से वहां लगनी चाहिए ताकि महिला अपनी पीड़ा उनको बता सके और वह समझ सके उनकी तकलीफ को। इसी प्रकार झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में है, पोस्टेड है महिला डाक्टर लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिनियुक्ति उदयपुर करा रखी है अपनी सुविधा के लिए जबकि उदयपुर में कई महिला डाक्टर उपस्थित हैं फिर भी उन्होंने प्रतिनियुक्ति करा रखी है। उपाध्यक्ष महोदय दूसरा, मैं कहना चाहूंगा हमारे कोटड़ा और झाड़ोल में कई पोस्ट रिक्त हैं, कई कम्पाउंडर की पोस्ट रिक्त हैं, कई ए.एन.एम. कि पोस्ट रिक्त हैं और लम्बे समय से है क्योंकि उस एरिया में किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं चाहूंगा सरकार से

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

आपके मार्फत की निश्चित रूप से जितने भी पद रिक्त हैं उनको अतिशीघ्र भरने की कृपा करेंगे। दूसरे, मैं कहना चाहूंगा जैसे माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि वहां पर डाक्टर कैसा व्यवहार करता है, निश्चित रूप से यह तय है कि करप्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार से मैं चाहूंगा कि रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को खतम करूंगा कि कोटड़ा की पंचायत समिति की सामान्य बैठक में, साधारण सभा की बैठक में जैसे ही अपनी सरकार बनी और पिछली सरकार के कारनामे को सदस्य ने उठाया कि डाक्टर ने किसी मरीज से पैसा मांगा एक मरीज से नहीं कई मरीजों से और उस डाक्टर के विरुद्ध सब सदस्यों ने आम राय से निन्दा प्रस्ताव पारित किया और उसकी कॉपी कलक्टर और राज्य सरकार को भी शायद प्रेषित की थी, उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई और वो डाक्टर आज भी पैसा लेता है। इस प्रकार के डाक्टरों के खिलाफ अगर किसी प्रकार की किसी भी सदस्य की, किसी भी सामान्य जनता की भी शिकायत आये और उस पर इमिजिएट कार्यवाही हो तो इस पर लगाम भी लगायी जा सकती है। आज आपने समय दिया इसके लिए तो आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं, जितने भी मैंने सुझाव दिये उन पर सरकार अमल करेगी यह कहते हुए स्थान ग्रहण करता हूं। जय भारत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; एक सेकंड।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं अब नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। मेरे पास तब पुख्ता समाचार नहीं आये थे अब मेरे पास इत्तला आ गयी है, बाहर जाकर फोन से पता करके आयी हूं इसलिए कहना चाहती हूं और कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब को दे देना आप। मैंने कहा न डाक्टर साहब को दे देना आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलकर बता दूं न आपको इसमें क्या बात हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वो डाक्टर साहब के पास ही जाएगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : डाक्टर साहब के पास ही कैसे रहेगा। जो मैसेज है वो बताऊं सही बात बता रही हूं एक सैंकड की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स उच्च चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं और यह भी साथ ही कहना चाहती हूं कि आर.एस.एम. ने जोधपुर मेडिकल कालेज को 35 लाख रुपये की घोषणा की है और उसके साथ-साथ 25 लाख रुपये कैथ लैब के लिए दिये हैं और 10 लाख जनरल वार्ड के लिये दिये हैं यह एक बहुत बड़ी भारी बात है कि इसने दिये हैं। मेरी उच्च चिकित्सा मंत्रीजी को भी बधाई और राजस्थान की सदन की नेता और मुख्य मंत्री को बधाई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित)

श्री रामप्रताप कासनिया : अचानक सूचना कहां से आयी?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया। (अनुपस्थित)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, इधर से भी तो बुलवाइये साहब।

श्री उपाध्यक्ष :... कर देते हैं अभी खतम कर देते हैं। श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई पर आज मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चिकित्सा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जितनी भी फर्जी दवाइयां बाजार में बिकती हैं और आपको मालूम भी हो जाता है कि फर्जी दवाइयां बेच रहे हैं उसके बावजूद भी आज तक आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो सरेआम फर्जी दवाइयां बैचने वाले दवा विक्रेता से पैसे लेते हैं और अगर कोई पकड़ा भी जाए, भरतपुर में एक नारकोटिक्स ड्रगस को बेचते हुए पकड़ा गया। उसमें वो दवा बेचने वाला इतना पावरफुल था कि उस इंस्पेक्टर को जिसने पकड़ा था उसको ए.पी.ओ. करवा दिया। आप देखिये जो दवा फर्जी बेचते हैं और उनको कोई पकड़ भी ले तो वो दवाई बेचने वाला इतना सशक्त है कि उस इंस्पेक्टर को ए.पी.ओ. करवा दिये। तो मैं सबसे

(श्री श्रवण कुमार)

पहले यह कहना चाहता हूं कि आज जितना रोटी, कपड़ा और मकान मानव के लिए जरूरी है उसी तरह से चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और पानी आवश्यक है. चिकित्सा जैसा महत्वपूर्ण जिस मांग पर हम बोल रहे हैं, आप देखिये।

उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी दवाई सरेआम डाक्टर उसी दवाई को ज्यादा लिखते हैं जिसमें कमीशन ज्यादा आता है और उनको मालूम है कि इस बात का हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को क्योंकि जो स्वयं डाक्टर के पेशे से हैं. हमने इस बात को महसूस किया था कि अबकी बार राजस्थान सरकार में एक नया परिवर्तन आएगा क्योंकि चिकित्सा विभाग का डाक्टर ही चिकित्सा मंत्री बना है पर सुधार कुछ नहीं हुआ। चाहे भले ही इनको इस बात का बुरा लगे पर सुधार के नाम पर कोई चीज नहीं है। वो ही ड्रग्स इंस्पेक्टर, सरेआम रिश्वतखोरी मचा रखी है वो ही फर्जी दवाइयां जिनका कोई अस्तित्व हैं केवल मात्र दवाई लेना ने लेना उसका कोई अस्तित्व नहीं है सरेआम फर्जी दवाई बिक रही है। इस पर सबसे पहले सरकार को, यह नहीं है कि मैं कांग्रेसी हूं इसलिए बोल रहा हूं या बी.जे.पी. का इसमें कोई, भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। मेडिकल जैस सेंसटिव पाइंट पर पार्टी पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी व्यक्ति फर्जी दवाई बेचता है तो वो चाहे किसी का दोस्त हो चाहे किसी का दुश्मन हो उसकी इस बात को कतई बदार्शत नहीं करना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि फर्जी दवाई बेचता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसको सजाए मौत हो या उसके हाथ काट दिये ज़ाएं इस तरह की सजा लागू नहीं करेंगे जब तक, तब तक फर्जी दवाई है बेचना बंद नहीं करेंगे और जब तक फर्जी दवाई बिकनी बंद नहीं होगी तब तक इलाज के ऊपर कोई गारंटी नहीं होगी कि इस मरीज का इलाज पक्का हो जाएगा।

एक बात यह है, कि अभी तक साथी कह रहा है कि डाक्टर भर्ती कर लेते हैं और भर्ती करने के बाद उसका गारंटी कार्ड है कि जब तक उसके घर पर वो नहीं दिखायेगा तब तक उसका पक्का पेशेंट नहीं बन पाएगा। सबसे पहले माननीय घनश्यामजी, से निवेदन करूंगा कि आप उच्च चिकित्सा मंत्री हो, आप डाक्टरों पर इस बात की पाबंदी लगायें कि घर पर जो इस तरह के क्लिनिक खोल कर इस तरह की लूट-खसोट मचा रखी है, आज भारत का पैसा

(श्री श्रवण कुमार)

खतम नहीं होगा इनको बता दो आप कि भारत जब तक रहेगा तब तक पैसा को करेंसी हिन्दुस्तान की चलती रहेगी। इतना पैसा डाक्टारों के पास हो गया कि इनको रखने के लिए जगह नहीं है। अब इनको इस बात की चिन्ता हो गयी ज्यादातर डाक्टरों के शुगर हो गयी इस बात के लिए कि मैं यह पैसा कहा रखूं। जमीन इन्होंने खरीद ली, सब कुछ कर लिया लेकिन उसके बाद में पैसा रखने के लिए, ईमानदारी से कह रहा हूं कि जगह नहीं है। एक-एक डाक्टर 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 हजार रुपये डेली कमाता है और जयूरिस्ट डाक्टरों की यह हालत है कि अगर किसी के सिर में चोट आ गयी तो पांच हजार रुपये दो तो चोट हाथ की दिखा देंगे। जूरिस्ट डाक्टरों की तो हालत यह है कि अगर पांच हजार रुपये दे दो तो तार ऊपर रख कर फैक्टर दिखा देंगे और अगर पांच हजार रुपये नहीं दिये तो टूटा हुआ भी सीधा हाथ दिखा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपको क्या मालूम?

श्री श्रवण कुमार : मेरे को मालूम है न आप भी जब मंत्री थे तो मैं बोलता था यह बात तो आप कहते थे कि कार्यवाही जरूर करेंगे दोषी मुक्त नहीं करेंगे दोषी को अपराध से मुक्त नहीं करेंगे सजा जरूर देंगे पर हुआ कुछ नहीं वहीं ढाक के दो पत्ते हो गये।

श्री धनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रवण लालजी बोलते हैं तो बिलकुल हैं तो बिलकुल प्रैक्टिकल बात बोलते हैं।

श्री श्रवण कुमार : प्रेक्टिकल बात है इसलिए कह रहा हूं कि मैं बी.जे.पी. का राज देख चुका और मैं हमारे कांग्रेस का राज देख चुका और फिर बी.जे.पी. का देख रहा हूं तो मुझे सारे राजों का मालूम है जो कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं केवल भाषण दूंगा इसकी एन्ट्री कहीं नहीं करेंगे आप। कांग्रेस में बोलता था तो कहते थे कि श्रवण कुमार कांग्रेस के खिलाफ बोलता है। बी.जे.पी में बोलूं तो बी.जे.पी. के खिलाफ, खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं वो बात कह रहा हूं कि 5 करोड़ 70 लाख जनता आस लगाकर बैठी है कि घनश्यामजी जाकर हाउस में बैठे हैं जरूर अबकी बार हमारा सुधार होगा और पांच सौ दिन तो चले गये दो हजार में से 1500 दिन और बचे हैं। अगर

(श्री श्रवण कुमार)

1500 दिन में यही पहले तुम पहले तुम करते रहोगे तो ट्रेन निकल जाएगी और आप प्रतीक्षा करते रह जाओगे। मैं कहता हूं कि जब तुम दुनिया में आये थे, दुनिया हंस रही थी मगर तुम रो रहे थे। ऐसे कर्म कर चल बंदे दुनिया रोये मगर तुम हंसते चले जाओ। ऐसा काम करो तो घनश्यामजी कर दो। जो लोग याद करें कि चिकित्सा में आमूल-चल परिवर्तन कर दिया।

दूसरा मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारे चिड़ावा बहुत ही सेन्टर का शहर है उसमें केवल 25 बैड का एक हास्पिटल है और पिलानी तो मैं आपको बता देता हूं कि साइंटिस्टों का सबसे बड़ा सेन्टर है उसमें हास्पिटल नहीं है मैं माननीय अशोकजी से बार-बार कहता रहा, बोले कि बिरलाजी का है न तो बिरलाजी का तो इंजीनियरिंग कालेज है पर गरीबों के क्या काम आता है। वहां तो मेडिकल हास्पिटल मैं मानता हूं कि बिरलाजी का है पर हमारे क्या काम आता है। मैं कहता हूं कम से कम बी.जे.पी. की सरकार में एक आमूल-चल परिवर्तन तो कर दो पिलानी में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोल दो। वहां केवल एक नर्स की पोस्ट है। पिलानी में दो नगरपालिकाएं हैं और 30 हजार वोट हैं और उसमें क्या है एक नर्स की पोस्ट है। मगर किसी के वहां लग भी जाए।

ज्यूरिस्ट कहां करवाएगा उसका चिड़ावा में। अबकी बार घनश्यामजी हिम्मत करके पिछली बार हमारी सरकार ने... (व्यवधान) वो है नहीं तो किसको कहूं, कुर्सी को कहूं क्या? लिख रहे हो क्या? कुर्सी को थोड़े बोलूंगा। कुर्सी तो है ही नहीं। कुर्सी तो भाग गयी। आपको कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 30 हजार वोट जिस शहर में हो और जिसमें एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं हो, दोनों सरकारों के लिए कांग्रेस की हो चाहे बी.जे.पी. की हो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इसका मतलब जनता के प्रति आपका कोई उत्साह नहीं है इसलिए कम से कम हिम्मत करके, जिस दिन राजेन्द्रजी ने हमारे रोड को बाई पास बी.ओ.टी. रोड को बाहर एक आदेश पर, मैं हरेन्द्रजी कहता रहा तो हरेन्द्र जी ने कहां कि प्लान बन चुका है अब प्लान में हट नही सकती और मेरा मौका पड़ा तीसरी बार आने का इस विधान सभा में और राजेन्द्रजी ने एक बात कही अब की बार बी.ओ.टी. बनेगी तो बाहर से ही बनेगी. शहर के अन्दर से नहीं बनेगी एक आदेशे में बी.ओ.टी. बाहर से बन गयी। इसी तरह

(श्री श्रवण कुमार)

से आप आदेश लिख दें कि न खात न वही अबकी बार पिलानी में हैल्थ प्राइमरी सेन्टर सही। लिख द अबकी बार।....(व्यवधान)।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : ....(व्यवधान).. धन्यवाद तो दो।

श्री श्रवण कुमार : धन्यवाद देते रहते हैं. हमारे तो हार्ट इज वन पार्ट इज टू आपको मालूम नहीं है क्या' हार्ट इज वन पार्ट इन टू रे कह रहे हैं, कि धन्यवाद दें तो धन्यवाद देने की जरूरत कहा है कि दिल में जगह है तो धन्यवाद तो कृत्रिम थोड़े है।

एक माननीय सदस्य : आप इधर आ जाओ ये लिख देंगे।

श्री श्रवण कुमार : यह बात बाद में सोचेंगे। आएंगे जब समस्या आएगा तब आएंगे। समय आता है, अब नहीं आ सकते शर्माजी कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, समय से पहले नहीं आ सकते। आपको मालूम है कि यह सारे जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से 75 प्रतिशत गांव के लोग हैं और गांव में डाक्टर की स्थिति है, घनश्यामजी मैं आपको प्रेक्टिल बात बता रहा हूं कि एक भी डाक्टर शहर को छोड़कर गांव में नहीं रहता है और जब तक इस पर धारा-144 नहीं लगाई जायेगी तब तक आपका एक डाक्टर गांव में नहीं रह सकता और जब तक गांव में डाक्टर नहीं रहेगा तब तक गांव के लोगों को इससे फायदा नहीं मिल सकता। अभी मेरा एक पेशेंट दोस्त कह रह था कि बीमार हो जाते हैं और गाड़ियों नहीं होती है तो कंधे पर रख कर लाना पड़ता है और कोई इस बात के लिये चैलेंज करे कि एक गांव को डिस्पेंसरी में डाक्टर क्वार्टर में रहता है तो आप सर्वे करवा लें मैं आपको बताना चाहता हूं एक भी डाक्टर नहीं रहता है। इसमें हर व्यक्ति को सोच बदलनी पड़ेगी और इस बात पर अंकुश लगाना पड़ेगा कि डाक्टर ड्यूटी करेगा तो पांच साल तक गांव में रहेगा। कोई भी डाक्टर सुबह 8 बजे जाता है दो बजे गांव से वापस आ जाता है उसके बाद शाम को नहीं जाता है और कोई कहता है कि जाता है तो आप अपनी एक टीम भेज दें और मेरे क्षेत्र में तो कम से कम 10-15 हास्पिटल है एक भी डाक्टर वहां नहीं जाता है। यह बात आपको मालूम है पर अपन इस बात को पीकर बैठे हैं और दर्द है हर व्यक्ति को इस बात का पर दर्द पता नहीं क्यों दूर हो जाता है। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि इस बात के लिये सोच

(श्री श्रवण कुमार)

बदलनी होगी कि गांव के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिये और उस रूप में मिलनी चाहिये कि गांव का गरीब व्यक्ति जो छोर और उस रूप में मिलनी चाहिये कि गांव का गरीब व्यक्ति जो छोर में रहता है उसके लिये मेडिसन का डाक्टर वहां रहना चाहिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : भैंस के दूध तो खूब होता है पर पाडियों को क्या हमेशा होता है। पोस्टिंग तो गांव में होती है पर वहां काम नहीं करते हैं।

श्री श्रवण कुमार : यही तो मैं कह रहा हूं। मैं बात बता रहा हूं कि सोच न इधर बदली न उधर बदली फिर कहां जायेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डाक्टर का जो सब्जैक्स हैं उसी का डाक्टर लगाना चाहिये। मेडिसिन का डाक्टर है उसको अगर अपनी सुविधा चाहिये तो वह जूरिस्ट की जगह लग जाता है। एनेस्थीसिया का डाक्टर है वह सर्जन की जगह लग जाता है, इससे फायदा क्या। तनख्वाह ही देनी है तो उनको घर बैठाकर दे दो। जो डाक्टर मेडिसिन का है वह मेडिसन पर ही लगना चाहिये, जूरिस्ट है तो ज्युरिष्ट पर लगाना चाहिये, एनेस्थीसिया का है तो एनेस्थीसिया पर लगना चाहिये। डाक्टरों की स्थिति मैंने हास्पिटल में देखी है। अगर मेडिसन का वह सर्जन की जगह लगा हुआ है। सर्जन का है वह एनेस्थीसिया की जगह लगा हुआ है। नाक, कान, गले का है वह आंख पर लगा हुआ है। इससे फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सोच बदलनी पड़ेगी और सोच नहीं बदलते हो तो सिर्फ भाषणबाजी रह जायेगी और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस बात के लिये हर आदमी को दर्द होना चाहिये कि एनेस्थीसिया का डाक्टर नाक, कान गले को देख रहा है वह क्या जाने इस बात को। इस बात के लिये घनश्यामजी मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कुछ कर सकते हो इसलिए मैं कह रहा हूं। जो नहीं करने वाला है उसको मैं कहता भी नहीं हूं। इसमें आपको सोच बदलनी पड़ेगी कि एनेस्थीसिया का डाक्टर नाक, कान, गले का कहां से देख पायेगा।

नीम हकीमों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। नीम हकीमों की इस तरह से बरसात हो गई जिस तरह से अबकी बार ओलो की बरसात हुई। आप देखेंगे 15 तो नीम हकीम मिलेंगे और 2 डाक्टर मिलेंगे एम.बी.बी.एस.। पता नहीं यू.पी. से आ गये बिहार से आ गये, कोई मिलिट्री से कम्पाउंडर आ गया और कोई पता नहीं डाक्टर के पास दो-चार महीने कम्पाउंडर रह गया तो वह सुई

(श्री श्रवण कुमार)

लगाने लग गया, वह डाक्टर बन गया। 15 गोलियों के नाम जानते है, कोई 3-4 कैप्सुलों के नाम जानते हैं और डाक्टर नाम लिखवा लेते हैं और गांव में इस तरह बेदर्दी से बीमारी फैला रहे हैं। ऐसी ऐसी गोलियां दे देते हैं कि एक गोली सारे शरीर पर एक्शन कर देती है और गुर्दे तक खराब कर देती है। मैंने मेरे सी.एम.एच.ओ. से यह बात कही कि सी.एम.एच.ओ. साहब जिंदे जागते बैठे हो और मरी हुई आत्मा के रूप में बैठे हो। गांव में जाकर देखिए जगह जगह नीम हकीम बैठ हैं इनको आप बंद नहीं कर सकते। बोले ऐसा कोई कानून नहीं बना कि इसको रोक सके। जो फर्जी डाक्टर लगाते हैं अपने आपको और जो आदमी 5 साल तक डिग्री करता है, दो साल तक एम.डी. करता है, 7 साल तक पढ़ता है.. (व्यवधान) कल्लाजी को नहीं मैं आपको कह रहा हूं समय आयेगा तो कल्लाजी को कहेंगे पर कल्लाजी अभी इस समय नकारात्मक जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी डाक्टर हैं, उन्होंने पी.एच.ई.डी. की है आप समझो बात को।

श्री श्रवण कुमार : कल्लाजी यहां बैठते थे तो राजेन्द्रजी आप इस तरह टूट टूट कर पड़ते थे। मैं देखता था आपको कि कुर्सी आगे आ जाती थी वरना ऊपर से कूद कर आ जाते आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : इस हाउस में 50 प्रतिशत डाक्टर हैं।

श्री श्रवण कुमार : है कौनसे डाक्टर?

श्री रामप्रताप कासनिया : डाक्टर तो मेडिसन के ही हैं, वह आप समझते हो।

श्री श्रवण कुमार : मेडिसन के नहीं है। यह पता नहीं काहे के हैं। किसी ने महिला पर डिग्री कर रखी है, कोई न किसी पर कर रखी है हमें मालूम नहीं है पर ओरीजिनल डाक्टर 2-4 ही है उनकी कोई चलती नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : मार्स टेली ने कहा है कि "Every Indian is doctor"

भारत का प्रत्येक व्यक्ति डाक्टर है।

श्री श्रवण कुमार : यह मैं मानता हूं हर तीसरा व्यक्ति इण्डिया में डाक्टर है। घनश्यामजी, एक बहुत जरूरी बात है टी.बी. का यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है इसके ऊपर आप देखिए शहरों में भले ही कोई पेशेंट डाक्टर के पास चले जाये तो वह दवाई दे दे गांव में कोई डाक्टर इस बात को नहीं मानता कि टी.बी. का पेशेंट हैं और फ्री दवाई मिलती है। इस प्रोग्राम को नकारात्मक कर दिया, इसका अस्तित्व ही खतम कर दिया। आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए। गांव में रहने वाला गरीब आदमी आज भी टी.बी. का पेशेंट है वह गांव से शहर तक जा नहीं सकता, सरकारी दवाइयां खरीद नहीं सकता। उस आदमी के लिये जब आपके पास राष्ट्रीय प्रोग्राम है और टी.बी. के पेशेंट को फ्री दवाई मिल रही है फिर भी उसके पास नहीं पहुंचती है इससे बड़ी दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। मेरा आपको यह सुझाव है मेरे को मालूम है कि सुझाव कुछ होने वाला नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उस पर कार्यवाही नहीं होगी पर कहने के बगैर मैं रुक नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : होगी इस पर, घनश्यामजी पूरी गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : घनश्यामजी पर मेरी आशा है इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर अबकी बार नहीं करेंगे तो मैं नहीं कहूंगा। मैं इसी आशा पर तो बोल ही रहा हूं। जिस पर मेरी आशा नहीं होती है मैं बोलता ही नहीं हूं केवल सुनता ही सुनता हूं।

हमारी कांग्रेस सरकार ने पिछली बार एक प्रोग्राम रखा था 200 डिस्पेंसरी खोलेंगे और सारे एम.एल.ए. खुश हो गये कि हर बड़े गांव में कम से कम एक डिस्पेंसरी मिलेगी और लास्ट में क्या कहा कि वित्त के अभाव में कैंसिल की जाती है। आपके क्या आशा रखे, कुछ रखोगे। खोलोगे या वित्त के अभाव में आप भी कैंसिल ही करोगे यह बता दो। (व्यवधान) सरप्लस है तो अबकी बार एक तो पिलानी में खोल दो। अगर आप यह घोषणा करते हो कि सरप्लस बजट है..(व्यवधान) मैं बात आपसे कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे से तो कोई कालेज खोलना है तो बात कर सकते हो।

श्री रामप्रताप कासनिया : आप केन्द्र से बजट लाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह दूंगा इनको।

श्री श्रवण कुमार : एजुकेशन के बारे में मैं आपसे बोलूंगा। एजुकेशन में तो आपने बिहार बना दिया। एक कमरे में ला कालेज चल रही है और एक कमरे में बी.एड. कालेज चलेगी। मैं आपको ला कालेज की बात बताना चाहता हूं कि 4-5 नोट्स होते हैं उन पर एल.एल.बी. हो रही है।

श्री रामलाल शर्मा : जो एन.ओ.सी. दी गई थी सरकार की उनको रद्द किया है हमने तो, वह सारी फर्जी थी।

श्री श्रवण कुमार : भाई लोगों मैं भी ऐसे ही चमचागिरी करता था पर मुझे कुछ नहीं मिला। बैठे रहो कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं कह रहा हूं मैं चमचागिरी करता हुआ उधर से चला था और चलते चलते यहां आया हूं, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप तो वह बात करो जो जमीन पर टच हो। मैं घनश्यामजी के ज्यादा पक्ष में हूं पर मैं वह बात कहना चाहता हूं कि कुछ हो इस चमचागिरी में कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे कुछ लोग कहते थे अशोक बड़ा महान है, यह देवता है और अबकी बार एक भी नहीं आया, चाहे देख लो। यह मत कहो, आप तो प्रैक्टिक्ली बात कहो कि जो दिल में जाकर लगे और जनता के प्रति जागरूकता पैदा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रवणजी, अब आपने आखिरी बात कह दी।

श्री श्रवण कुमार : मैं सही-सही बात कह रहा हूं, पीड़ा कहां हो गई। मैं तो कितनी बढ़िया बात कह रहा हूं हर व्यक्ति के दिल पर टच हो रही है और आपको तकलीफ हो रही है। आप बुजुर्ग आदमी हो आपकी भावनाओं की कद्र करूंगा।

"खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले

खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।"

श्री अशोक नागपाल : आपकी रजा तो बता दो पर मानी नहीं गई आप खुद स्वीकार कर रहे हो, काफी समय से मानी नहीं जा रही है आप स्वीकार भी कर रहे हो।

श्री श्रवण कुमार : नहीं मानी जायेगी तो मेरो इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मेरे को जनता ने भेजा है इसलिए मैं मेरे आदमियों को कम से कम यह आगाह करूं और मैं आपसे कह रहा हूं इस हाउस में तिबारा आ गया, चौबारा भी आऊंगा, क्यों आऊंगा क्योंकि मेरे को वहां की जड़ मालूम है कि हमें क्या करना चाहिये। इसलिए मेरे कहने का फर्ज है मैं कहकर रहूंगा घनश्यामजी मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे।

"जंगल में पक्षी अनेक होते हैं ठिकाना एक होता है,

"जंगल में शिकारी अनेक होते है निशाना एक होता है,

भाषाएं अलग-अलगह होती है पर तराना एक होता है,

दिल में हो प्यार तो जमाना एक होता है"।

श्री रामप्रताप कासनिया : वाह-वाह, खूब मारा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या – 26 में मैं आपने आपको सम्मिलित करते हुए, आशा को थोड़ी कम थी कि नम्बर आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्रवणजी की मेहरबानी से।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : श्रवणजी की मेहरबानी से, श्रवण जी घनश्यामजी के ऊपर मेहरबानी करते-करते नये सदस्यों पर बहुत मेहरबानी करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और लोक कल्याण एक ऐसा विषय है इसके साथ साथ जब तक जनता में इसके प्रति आत्म विश्वास नहीं जगाएंगे हम कितने भी हास्पिटल खोले, कितनी भी दवाइयां दें, उसका सही उपचार नहीं होगा। सबसे पहला चाहे चिकित्साकों के लिए हो, या मरीजों के लिए हो काम के प्रति, उपचार के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में जिस प्रकार से मुख्य मंत्री

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

महोदया ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आपमें एक ऐतिहासिक जो कदम लिया है चाहे वह 27 नये सामुदायिक केन्द्र के लिए हों, प्राथमिक पीएचसी सेन्टर के लिए 34 हो, 123 उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए हो । सबसे बड़ी चीज, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा देश की जो सीमा है पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा का जो क्षेत्र है जैसलमेर और बाड़मेर, कांग्रेस के शासन में गाजी फकीर जैसे तस्करों के द्वारा नशीली दवाइयों से वहां की पूरी जनता को खोखला कर दिया गया था पहली बार वसुन्धराजी की सरकार ने 570 एएनएम सेन्टर वहां के लिए स्थापित करके बहुत बड़ा न्याय सीमा के साथ किया है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। गाजी फकीर एक बहुत बड़ा तस्कर हुआ है जिसने सीमा की जनता को अपने आप में खोखला किया है।

श्री जुबेर खान : तस्कर ऐसे भी है जो आपके अगल-बगल में बैठते हैं, उनका भी नाम ले दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : अगर यह तो किनारे चाहे तो अभी तो एक य दो-तीन बचे हैं वह भी नहीं बच पाओगे इतना ध्यान रखिए। कांग्रेस की सरकार के समय गाजी फकीर का इतिहास सुनना चाहोंगे तो फिर हम एक घंटा बोल सकेंगे और आप सुन नहीं सकोंगे, इतना भंयकर इतिहास है उसका। (व्यवधान) छेड़िए मत। देखिए सुन नहीं पाओगे भई श्रवणजी। मैं अपने एरिया की बात पर आकर तुरन्त अपने विषय को संयमित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि विषय चला ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर, चिकित्सक काम कैसे करें, चिकित्सा सेवा में जो भी कर्मचारी है काम कैसे करें इसके लिए मैं चिकित्सा मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों में जाने वाले चिकित्सकों को एक विशेष उपहार योजना जिससे वह उस गांव में अपने आपको रखकर, उनको प्रोत्साहित किया जा सके जिससे गांवों में उपचार का माध्यम बराबर तरीके से हो।

मेरा विधान सभा क्षेत्र आहोर, जालौर जिले में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा और बड़ी खुशी के साथ, कई बार कई

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि डाक्टर ड्यूटी पर नहीं आते वगैरह-वगैरह लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं हमारा, भी कोई दायित्व होता है। आप अपने आपको अगर वहां पर पेश रखेंगे।

मैं आपके माध्यम से एक बड़ी खुशी जाहिर करना चाहता हूं, आहोर, जालौर जिले में, एक छोटा सा क्षेत्र है लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में हाइएस्ट ओपीडी मेरे आहोर में होती है। आहोर में, पूरे जालोर जिले में, यह खुशी का विषय है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आहोर के सामुदायिक चिकित्सा भवन को रैफरल हास्पिटल बनाया जाए जिससे अपने आप में एक अच्छी सेवा बहुत दूर दराज तक, ग्रामीण क्षेत्र बाड़मेर जिला भी लगता है इसमें वह भी लाभान्वित हो सके।

दूसरा, गोरडा बाड़मेर का इंटीरियर क्षेत्र है। धोरों से भरा हुआ क्षेत्र हैं वहां भी पीएचसी सेन्टर खुलवाने की मैं मांग करता हूं। चिकित्सा मंत्रीजी से, साकरना और बीसावाड़ी स्टेट हाईवे पर आया हुआ, मेरे गांव का, 8-10 गांवों की बस्ती है उसमें भी पीएचसी सेन्टर के लिए मैं मांग करता हूं।

उप स्वास्थ्य केन्द्र में एक बड़ी हास्यास्पद बात यह हुई कि बोहड़ा में मैंने मांग की थी, बिजली की मांग की थी, बोहड़ा में जबकि उप स्वास्थ्य केन्द्र है और वहां के लिए आदेश दे दिए हैं। उसके संशोधन के लिए भी मैंने कहा हुआ है।

मुख्य बात यह है कि मेरे आहोर में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर, जो किराये की जगह में चलाया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान जानना चाहूंगा कि उस किराये की जगह के लिए इस बार 8 महीने पहले 20 लाख रुपये निर्माण के लिए उसके रिपयेरिंग के लिए, अब किराये की जगह में क्या रिपयेरिंग करेंगे। इस प्रकार से सरकार के पैसे की अवमानना होती है। यह का यह आज से 8 साल पहले 10 लाख रुपये भी आया था। इस बार चिकित्सा मंत्री का मैंने ध्यान चाहा है कि 20 लाख रूपये अस्पताल में हमारे, पास जगह है, उस जगह को ट्रेनिंग सेन्टर के लिए, निर्माण के लिए आप 20 लाख रुपये हमें दे जिससे एक ट्रेनिंग सेन्टर खुद का वहां बना सकें।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

अस्पतालों के विकास के साथ-साथ चतुर्थ श्रेणी एवं सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था बराबर नहीं होगी तो अस्पताल की व्यवस्था, चाहे चिकित्सा अधिकारी कितने ही बढ़िया हम से ले आये लेकिन अस्पताल का रूप सही नहीं होगा।

सबसे अन्त में आपके माध्यम से एक बात, मैंने लास्ट बार, पिछले बजट के समय डिमाण्ड में कहा गया था कि जिस भामाशाह ने 15,20,25 साल पहले 25 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, करोड़ो की आज की जो जमीन, आज के समय में कीमत है उन्होंने देकर हमारी सरकार और हमारी जनता के ऊपर जो उपकार किया है उन भामाशाह को धन्यवाद पत्र कम से कम वर्ष में एक बार चिकित्सा विभाग के द्वारा लिखना चाहिए, जिससे उन भामाशाहों के मन में और भावना जगेगी और वह अपने क्षेत्र में सेवा के लिए पैसा खर्च कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री समरजीत सिंह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जुबेर भाई तो कह रहे थे हो गया।

श्री जुबेर खान : आहोर का मामला आया ना, तो वह भी पड़ोसी है। (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जल्दी नहीं करें क्षेत्र की समस्या है थोड़ी आपके सामने रख दें। (व्यवधान) तसल्ली से सुनना भी चाहिए। हैल्थ की डिमाण्ड पर आज सुबह से काफी चर्चा हुई और सभी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। काफी बातें सामने आई। सभी चर्चाओं में मुख्य जोर दिया गया एस.एम.एस. की व्यवस्था पर। बड़े अस्पतालों में क्या कमियां है उन पर। मैं उन सब बातों पर नहीं जाकर वैस्टर्न राजस्थान में जालौर, सिरोही जिले की समस्या पर जाना चाहूंगा जहां के मरीजों को शायद एस.एम.एस तक पहुंचाने में 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और अगर जोधपुर भी जाना चाहे तो 250 किलोमीटर से कम नहीं है। ऐसे हालात में जिला मुख्यालय जालोर और भीनमाल में रैफरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण ज्यादातर हमारे वहां के मरीजों को गुजरात की तरफ मुंह करना पड़ता है जो वहां से काफी नजदीक है।

(डा. समरजीत सिंह)

उसका परिणाम यह है कि आप गुजरात बोर्डर में चले जाए भानेरा, डीसा, पालनपुरा, वहां के कामर्शियल भवन में लगभग एक मार्केट की तरह खुल गया है, मेडिकल मार्केट और आप ज्यादातर वहां पर देखेंगे तो राजस्थान के ही लोग पीड़ित हैं और वह ही इलाज कराते हुए वहां पर मिलेंगे। आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि भीनमाल, जालौर के यही के रेफरल अस्पताल में जैसे भीनमाल के अन्दर जेएस. गाइनिक का पद खाली पड़ा है। पीडिएट्रिक्स का खाली पड़ा है, जे.एस. आंखों के डाक्टर का है, एम.एम.ओ, के दो पर खाली पड़े हैं, एक एम.ओ. का पद खाली पड़ा है। भीनमाल हास्पिटल में, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको भी विदित है कि वहां दानदाताओं की कमी नहीं है और आज से 22 साल पहले दानदातानाओं ने लाखों रुपये लगा कर बड़े भव्य चिकित्सालय बनाये पर आज स्थिति यह है कि डाक्टरों की कमी की वजह से आज अगर वो पैसा लगाना भी चाह रहे हैं, एक्स-रे मशीन भी खराब पड़ी है और लोग उत्साहित नहीं हो पाते क्योंकि व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था नहीं है तो आउटडोर भी नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्ष में और पिछले डेढ़ साल में आपके शासनकाल में भी ग्रामीण एरिया में तो हमारे यहां चिकित्सालयों की कमी नहीं है पर जो कस्बे हैं, जहां पर एक्सपर्ट डाक्टर की जरूरत है वहां पर कमी है और इसकी वजह से डाक्टर की तलाश में गुजरात की तरफ मुंह करना पड़ता है। आप जानते भी हैं कि मरीज तो डाक्टर को भगवान के रूप में मानता है और उसके बाद वह कोई बार्गेनिंग पावर में भी नहीं होता और इन दुकानों पर उसका किस तरह से शोषण होता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि जालोर हैडक्वार्टर पर और भीनमाल रैफरल हास्पिटल में डाक्टर की व्यवस्था अतिशीघ्र करवाने की सरकार से गुजारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ब्लैड बैंक की भी कमी है औरे ब्लैड बैंक स्टोरेज यूनिट की भी व्यवस्था की जाए। इसके लिए भी ज्यादातर पेशेंट को इमरजेंसी में गुजरात की तरफ जाना पड़ता है।

इसके अलावा मैं सबसे बड़ी चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जालोर, सिरोही की समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ज्यादातर यहां के लोग साउथ में, मुम्बई और इस तरफ धंधे और व्यापार के लिऐ जाते हैं और वहां दुर्भाग्य से एक ऐसी बीमारी का हमारे क्षेत्र में ज्यादा

(डा. समरजीत सिंह)

प्रचलन हो गया एड्स का जिसके शायद आपके पास आंकड़े होंगे उससे भी हकीकत में बहुत ज्यादा है गांवो में और अगर इसको सही ट्रेस आउट किया जाए तो आज गांवों में एक गजब की बीमारी की तरह से फैल रहा है, इसके लिए मेजर्स लिये जाने चाहिए ताकि इस इस समस्या का भी निदान किया जा सके और लोगों में रोकथाम की जा सके।

भीनमाल में ब्लाक पी.एच.सी. और सी.एच.सी. सेंटर साथ में हैं, इसका भी मैं अनुरोध करूंगा कि इनको सैपरेट किया जाए ताकि क्लीनिकल कार्य प्रभावित नहीं हो और अस्पताल के अन्दर ज्यादा से ज्यादा मरीजों की देखभाल की जा सके।

इन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था और क्षेत्र की इन समस्याओं के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे और इन समस्याओं को सलटायेंगे। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. दिगम्बर सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : फिर कह देना कन्हैयालालजी, डाक्टर साहब को कह देना। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : शोर्ट एण्ड स्वीट ही होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत सुखद एक इत्तेफाक के रूप में है। आज सात अप्रैल का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस और आज के ही दिन स्वास्थ्य से सम्बन्धित, परिवार कल्याण और आयुर्वेद से सम्बन्धित एक कैराथन चर्चा, बहुत लम्बी चर्चा सदन में रही। माननीय सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस संवेदनशील विभाग के बारे में बहुत अच्छे और सार्थक सुझाव भी दिये हैं। मैं बहुत आभारी हूं उन सभी मानवीय सदस्यों को जिन्होंने आज सुबह से और इस समय तक बहुत ही सार्थक चर्चा इस विभाग के बारे में सुधार के लिए मुझे मार्गदर्शन देने की कोशिश कि और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप सब लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिलेगा तो निश्चित रूप से इस विभाग में परिवर्तन, इस विभाग में सुधार निश्चित रूप से लिया जाएगा।

(डा. दिगम्बर सिंह)

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग कर प्राथमिकता के आधार पर आपके इन सुझावों पर अमल ईमानदारी से करूंगा।

मैं आज की अपनी इस बात की शुरूआत इन चारा लाइनों के साथ करना चाहता हूं, सी.पी. जोशी साहबः-

"एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी,

यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है,

इक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तो,

इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है।"

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की पीड़ा स्वास्थ्य सम्बन्धी कही, कहीं स्टाफ की वेकेंसीज को लेकर, कहीं भवन की परेशानी को लेकर और कहीं दवाओं की बात, कहीं अस्पताल व्यवस्थाओं को सुधारने वाली बात है। कुल मिलाकर जितने भी मुख्य कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनको मैंने चार भागों में बांटा है। नम्बर एक, नये संस्थान खोले जाने के बारे में करीब 54 माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है। रिक्त पदों को भरने के बारे में करीब 49 माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा की है, निर्माण की आपूर्ति के लिए करीब 12 माननीय सदस्यों ने औरे अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए करीब-करीब 24, 25 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव आज सदन में रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान में जो वेकेंसी की पोजिशन है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञ, जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं उनके राजस्थान में कुल 229 पद स्वीकृत हैं और उनमें से 204 पद स्थापित हैं, 25 रिक्त हैं। यह परसेंटेज वेकेंसी के मार्च, 2004 मे इट वाज 23.83 और मार्च, 2005 में 10.92 है। इसमें काफी कमी आयी है। जूनियर स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे कुल पद स्वीकृत हैं 1540 जिसमें से पदस्थपित हमारे जूनियर स्पेशलिस्ट हैं 1195, रिक्त 345 हैं। मार्च 2004 में यह परसेटेंज वेकेंसीज का 28.7 और मार्च, 2005 में 22.44 घट कर रह गया है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(समय 19.38 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

इसमें भी निश्चित रूप से पहले से सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे कैडर सीनियर मेडिकल ऑफिसर का है उसमें टोटल जो हमारी पोस्ट सेंक्शंड है वह 768 हैं और 768 में से 654 एस.एम.ओज. पोस्टेड हैं इसमें हमारे 114 पद रिक्त हैं। मार्च, 2004 में वेकेंसी का परसेंटज 23.66 था, मार्च, 2005 में यह घट कर 14.84 रहा है। इसी तरह से चिकित्सा अधिकारियों की बात करूं, कुल स्वीकृत पद 3335 हैं और 3023 मेडिकल आफिसर पोस्टेड हैं, कुल वेकेंसी 312 हैं, मार्च, 2004 में 12.45 परसेंट थी आज 9.39 है। डेंटल मेडिकल आफिसर्स के कैडर को लें, 111, पोस्ट सैंक्शड हैं उसके अगेंस्ट में 96 पोस्टेड हैं, 15 पद रिक्त हैं।

पिछले वर्ष मार्च में 21.81 प्रतिशत रिक्तियां थीं, अब 13.51 प्रतिशत हैं। जो हमारे विभाग की रीड की हड्डी है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनको हम ए.एन.एम कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, 12520 कुल पद, ए.एन.एम. के राजस्थान में हैं उनमें से 12309 ए.एन.एम. पोस्टेड हैं। मात्र 211 वेकेंसीज हैं जो 1.68 प्रतिशत है डेफिसिट है। इतना इस फीलड में सुधार अभी तक आया है। हमारे नर्स ग्रेड सैकिण्ड में निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने की वजह से अभी हमारी रिक्तियां ज्यादा हैं, 9891 कुल हमारे पद स्वीकृत हैं, 8791 पोस्टेड हैं, 1100 पद रिक्त हैं, जो इस वर्ष 11.12 प्रतिशत हैं, पिछली बार भी 11.12 प्रतिशत थीं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को भरने के बारे में सरकार निश्चित रूप से शुरू से चिन्तित रही है और जब से यह सरकार आयी है डी.पी.सी. की 93 बैठकें हुई हैं और लगभग 1040 चिकित्सकों को पदोन्नति हमने दी है, नियमित वेतन श्रृंखला में राजस्थान लोक सेवा आयोग से 340 मेडिकल आफिसर्स का चयन किया गया और आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सलेक्शन किया है आर.पी.एस.सी. ने This purely of rural areas.

हमने एक भी चिकित्सक का पोस्टिंग सब तहसील लेवल पर भी नहीं

(डा. दिगम्बर सिंह)

किया। सारे के सारे रूरल एरियाज में हमने पोस्टिंग दी है। अभी तक 247 मेडिकल आफिसर्स को पोस्टिंग दी है, बाकी पोस्टिंग देना अभी प्रक्रिया में है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण स्वास्थ्य की तरफ हमारी सरकार की चिन्ता, मेरी खुद की चिन्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चिकित्सा अधिकारी के 369 पद हमने अभी और रिक्वीजिशन आर.पी.एस.सी. को भेज रखी है तो निश्चित रूप से आर.पी.एस.सी. से 369 हमको और मेडिकल आफिसर्स मिल जाएंगे। पिछली बार जब विधान सभा क्षेत्र की शुरूआत हुई, मैंने इस सदन के सामने यह बात कही थी कि शायद पहली बार ऐसा मौका आयेगा कि मेडिकल आफिसर का कैडर है, हमारे राजस्थान में शायद कोई वेकेंसी नहीं रहे और उसका पूरा-पूरा प्रयास मैं कर रहा हूं। चिकित्सा अधिकारी जो पोस्ट ग्रेजुटस हैं क्योंकि इतनी डी.पी.सी. करने के बावजूद भी अभी हमारे स्पेशलिस्टस का कैडर पूरा नहीं हुआ है। स्पेशलिस्टस में निश्चित रूप से कमी है। तो इसमें काम ढंग से चले और उस फील्ड में कम से कम स्पेशलिस्ट नहीं है तो पोस्ट ग्रेजयुएट एक मेडिकल आफिसर मिल जाए तो उससे स्पेशलिटी का काम चलता रहे तो इस तरह के हमने पद विरुद्ध लगा रखे हैं। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कान की जगह नाक और नाक की जगह टांग का डाक्टर लगा रखा है।

श्री अध्यक्ष : नाक और कान का तो एक ही होता है।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसा नहीं है। हमने कोशिश यह की है कि अगर जनरल सर्जरी में एम.एस. है, मेडिकल आफिसर है और कहीं जूनियर स्पेशलिस्ट सर्जरी की पोस्ट खाली है तो उस पोस्ट के अगेंस्ट में उसको लगायें। ऐसी व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया है। जैसा मैंने अभी आपको निवेदन किया कि ए.एन.एम. जो हमारी धुरी हैं, हमारे रिमोट एरियाज में जो सर्विसेज ए.एन.एम. देती हैं उस ए.एन.एम. की वेकेंसीज तो बिलकुल 2 प्रतिशत से भी कम है जो कि बहुत अच्छा सुधार का सूचक मुझे लगता है। नर्स ग्रेड सैकण्ड के 9891 पदों में से 1100 पद रिक्त हैं और जैसे ही जल्दी भर दिये जाएंगे। मेरे ख्याल से पहली बार इस सरकार ने मृतक आश्रित जो कोटा है उसमें 254 आश्रितों को 2004-05 में नियुक्ति दी गयी है। आयुर्वेद विभाग में भी निवेदन करना चाहता हूं कि वेकेंसीज आयुर्वेद में भी है 573 पद आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त है और कम्पाउंडर 575 पद रिक्त है। आयुर्वेद में भी मृत आश्रित कोटे में अभी तक

(डा. दिगम्बर सिंह)

करीब 57 आश्रितों को हमने नियुक्ति दी है। अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर जिला कलक्टर और सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक रेशनलाइजेशन कमेटी का गठन हमने किया है और क्रमशः जिला और सम्भाग स्तर पर रिक्त पदों को भरने पर, जहां आवश्यक हो, अति आवश्यक स्थिति में, वह अपने सम्भाग में या जिले में इन पदों को भर सकते हैं। इस तरह का हमने इस बार प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, आधारभूत जो ढांचा है इसकी स्ट्रेंथिनंग के लिये मैं बात कहना चाहता हूं। राजस्थान में पिछले 20 वर्षो में हमारे इन्फ्रट्रक्चर में काफी विकास हुआ है। परन्तु अभी भी निश्चित रूप से कमियां बहुत हैं। काम बहुत करने हैं। चिकित्सा संस्थानों के बारे में काफी क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बेलेंस भी बहुत है। हमारी सरकार ने उन्हें चिन्हित कर जिन क्षेत्रों में कमियां रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया है और आगे भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का सृजन एवं उन्नयन, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय, झालावाड़ को 150 शैय्याओं से बढ़ाकर 300 शैयाओं से युक्त अस्पताल में प्रवर्तित किया गया है। वर्ष 2003-04 व 2004-05 में 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों की स्थापना कि गयी थी। वर्ष 2005-06 में 27 सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झालरापाटन को 30 शैय्याओं से 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, 2003-04, 2004-05 में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी। इस वर्ष 2005-06 में 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों कि स्थापना किया जाना प्रस्तावित हैं। वर्ष 2004-05 में मरु क्षेत्र में 411 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी और वर्ष 2005-06 में 123 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। आयुर्वेद विभाग में वर्ष 2004-05 में 35 आयुर्वेदिक एवं 10 युनानी औषधलियों को आरम्भ किया गया है। माननीय अध्यक्षजी, नगर से आने वाले माननीय सदस्य. आज हमारे बीच में नहीं हैं। मुझे दुख है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो सुनने के लिये नहीं उपस्थित हैं उनकी बात क्यों करो, जो हैं उनका जवाब दीजिए ना।

डा. दिगम्बर सिंह : आपने कहा था कि मुख्य मंत्री महोदय ने 5(यूनानी अस्पतालों की घोषणा की थी और उसमें से एक भी नहीं खोला अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने 1(यूनानी अस्पतालों को खोलने की घोषणा की थी और 10 यूनानी अस्पताल यह सरकार खोल चुकी है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 30 आयुर्वेदिक

(डा. दिगम्बर सिंह)

औषधालय 35 होम्योपेथिक औषधालय और 4 नवीन यूनानी औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव इस वर्ष में है। वर्ष 2004-05 में...

श्री श्रवण कुमार : पिलानी की तो घोषणा करवा दो, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की। (व्यवधान) कह दिया क्या। पिलानी में है ही नहीं ना।

डा. दिगम्बर सिंह : जिस हिसाब से बोले हो उस हिसाब से घोषणा तो बिलकुल नहीं करूंगा।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी कम से कम एक बार करवा दें, किस प्रकार से। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से ये बोले उस हिसाब से तो घोषणा नहीं करूंगा।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक उप स्वास्थ्य केन्द्र, पिलानी जैसे शहर में, जहां बिड़ला आवास करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई कटमोशन तो था नहीं, आप तो खड़े होकर यूं ही बोल दिये। (व्यवधान) कटमोशन तो था नहीं।

श्री श्रवण कुमार : जो कटमोशन दे वही बोलते हैं क्या।

डा. दिगम्बर सिंह : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो बात रखी, कटमोशन के टाइम पर भी जो कटमोशन से सम्बन्धित नहीं था, उसका भी मैं जवाब आपको दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कटमोशन तो अपने दिया ही नहीं। कटमोशन दिया ही नहीं ना। बिना कट-मोशन के कुछ नहीं होता।

डा. दिगम्बर सिंह : वर्ष 2004-05 में 5 बी श्रेणी के औषधालयों को क्रमोन्नत किया गया था। वर्ष 2005-06 में 17 बी श्रेणी के औषधालयों को क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।

आधारभूत ढांचे में सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत भवन निर्माण की योजना

(डा. दिगम्बर सिंह)

में, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिला चिकित्सालय झालावाड़ के नवीन भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, वर्ष 2005-06 के लिए उक्त भवन हेतु 22.23 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

श्री बाबूलाल नागर : कितने परसेंट झालावाड़ के लिए है? दूदू के लिए भी करो।

डा. दिगम्बर सिंह : आगामी वर्ष में (व्यवधान) आप भी चिन्ता मत करो। किसी कोने में कमी नहीं रहेगी।

आगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के तहत 227 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा तीन सामुदायिक स्वास्थ्यों केन्द्रों के नये भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 1000 सब-सैंटर्स के भवनों का नवीनीरकण भी किया जाना प्रस्तावित है। 69 चिकित्सा संस्थानों में से 26 जिला अस्पतालों में व अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अस्पतालों का रिनोवेशन कार्य करवाया जाएगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल 26 और इसके अलावा सी.एच.सी. में, टोटल 69 में इस वर्ष रिनोवेशन का काम होगा।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग में कचरा निस्तारण, हास्पिटल वेस्ट का प्रोपर डिस्पोजल भी एक बहुत इम्पोर्टेण्ट फैक्टर है और हमारी सरकार, 401 इंस्टीटयूशंस में कचरा निस्तरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। यह हमारा काम भी प्रोग्रेस पर है।

श्री अध्यक्ष : कब करेंगे?

डा. दिगम्बर सिंह : अब शुरू हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शीघ्रातिशीघ्र, अध्यक्ष महोदय।

डा. दिगम्बर सिंह : हमने हमारी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने में जो नवीन पद सृजित किये हैं या जिनको करना है, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उप खण्ड मुख्यालय पर स्थापित चिकित्सा संस्थानों में वर्ष 2004-05 में चिकित्सा अधिकारी, एनेस्थिसिया का, निश्चेतन के नये दस पद सृजित

(डा. दिगम्बर सिंह)

किये गये 2004-05 में और वर्ष 2005-06 में भी दस पद चिकित्सा अधिकारी निश्चेतन के सृजित किये जाएंगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 2004-05 में चिकित्सा अधिकारी, आर्थोपेडिक्स के दस पद सृजित किये गये हैं, इससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरन्त चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वर्ष 2005-06 में दस पद चिकित्सा अधिकारी जो पी.जी. आर्थोपेडिक्स का होगा,वह सृजित किये जाएंगे वर्ष 2005-06 में पांच पद चिकित्सा अधिकारी जो पी.जी. आर्थोपेडिक्स का होगा, वह सृजित किये जाएंगे। वर्ष 2005-06 में पांच पद चिकित्सा अधिकारी नेत्र जो एम.एस. आई के सृजित किये जाएंगे। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पूर्व में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद नहीं है कई हमारी पी.एच.सीज. ऐसी हैं जिनमें ए.एन.एम. की पोस्ट नहीं थी, वहां पर 2004-05 में 10 पी.एच.सीज. ऐसी थी जहां ए.एन.एम. की पोस्ट स्वीकृत की, वर्ष 2005-06 में भी 10 ए.एन.एस. के पद सृजित किये जाएंगे।

स्थानीय एवं भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष जनजाति क्षेत्रों में उप केन्द्रों में 1119 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद सृजित किये गये हैं। 1119 ए.एन.एस. के तथा इस वर्ष मुझे बहुत खुशी है इस बात को सदन में कहते हुए कि मरू क्षेत्र के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में 570 अतिरिक्त ए.एन.एस. के पद अभी सृजित किये जाएंगे क्योंकि जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति इन दो जिलों की है, उसमें निश्चित रूप से मुझे बहुत आवश्यक लगता था और मेरे ख्याल से बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में एक बहुत अच्छा काम वहां की ग्रामीण जनता के लिए उनके पथ में हो जाएगा।

सहरिया, जो अपने आप में काफी बड़ी, चिकित्सा के लिए भी हमारे विभाग के लिये बड़े परेशानी का एक क्षेत्र है। प्राब्लम है, जो एरिया है वह.. (व्यवधान) तगारामजी के ध्यान में अब आया है कि मैंने क्या कहा है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : जो जिला बड़ा है उसका नाम पहले आना चाहिए। उसका नाम पहले अपना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर शहर में थोड़ा ही होगा। गांव में होगा। वह तो आप तो बाड़मेर शहर को रिप्रजेंट करते हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहरिया क्षेत्र में हमारे वर्कर्स को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको समझना बहुत मुश्किल होता है तो हमारी सरकार ने यह तय किया है कि उसी गांव की स्थानीय एक शिक्षित महिला जो कम से कम आठवीं क्लास पास हो, वह सहायिका के रूप में एन.एन.एम. के साथ काम करेगी जिससे हम अपने सारे प्रोग्राम्स को सहरिया क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, 11 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत हमने काफी कुछ अपनी व्यवस्थाओं को सुदढ़ किया है। राज्य के दस जिलों में जिसमें, भरतपुर, अलवर, सीकर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, बारां, ब्यावर और सवाईमाधोपुर इनमें, दस जिला चिकित्सालयों में हमने सी.टी. स्केन भी दी है। हमने सोनोग्राफी मशीन दी है, हमने ई.ई.जी. मशीन दी है, पैथोलॉजी लेब के लिए वहां पर आधुनिक उपकरण भी जांच के लिए हमने दिये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू के लिए और कह दो आप।

डा. दिगम्बर सिंह : जब आप खुद रहे तब ही नहीं दिया तो अब मैं कैसे दूं?

श्री अध्यक्ष : झुंझुनूं को शामिल क्यों नहीं किया? तो यह अन्याय आपने झुंझुनूं के साथ कैसे कर दिया, झुंझुनूं को शामिल क्यों नहीं किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : झुंझुनूं और चूरू दोनों के लिए कह रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह : अब करेंगे। कार्डिक पेशेंटस की जांच के लिए ट्रेड मिल की सुविधाएं 10 जिलों में दी हैं तो यह कुछ ऐसे इन्वेस्टीगेशंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर नहीं थे, इस बार हमने इस 11 वें वित्त आयोग में यह 10 जिलों में, और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में हमारे जिले के

(डा. दिगम्बर सिंह)

जो अस्पताल हैं उनमें आगे और भी अच्छी सुविधाएं देने में सक्षम होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एम्बुलेंस के बारे में चर्चा हो रही थी। वर्ष 2004-05 में हमने जो ट्रोमा, यूनिट स्थापित कि, शाहपुरा, किशनगढ़-अजमेर, भीम-राजसमंद, सोजत-पाली, महुवा-दौसा में और देवली-टोंक में इनमें हमने एम्बुलैंस नई दी हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो हमारे नेशनल हाइवेज पर हैं उनमें शाहबाद -बारां, में, हमीरगढ़-भीलवाड़ा में, तालेरा-बूंदी में, लक्ष्मणगढ़-सीकर में और रोहट -पाली में एक-एक रोगी वाहन शीघ्र उपलब्ध कराये जायंगे।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 में 14 रोगी वाहन जिला अस्पतालों में इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिये जाना प्रस्तावित है।

श्री बंशीलाल खटीक : राजसमंद हाई-वे पर है। कृपया, हमारे साथ ऐसा नहीं करें। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : बस्सी में जो हालात है और पेपरों में रोजाना पढ़ते हो बस्सी की और एकदम आगरा रोड के ऊपर है। आठ-आठ, दस-दस व्यक्तियों की मौत हुई है। आपके क्षेत्र के लोग थे। आपको भी पता है। दो-तीन बार एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपकी भावना से अच्छी तरह से परिचित हूं

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय मंत्री महोदय, जिला मुख्यालय है। हाइवे के ऊपर है। मार्बल क्षेत्र है। कई दुर्घटनाएं होती हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी आप..(व्यवधान) अभी आप अपने वक्तव्य पर कह दीजिए। मेरा मार्बल क्षेत्र है। आये दिन कई फैक्चर होते हैं और मर जाते हैं। आज ही करें।

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सदस्य, अभी अगर मैं कहने लगा तो जितनी डिमांटस आयी हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान की पूरी सरकार की पांच साल का बजट खतम हो जाएगा पर डिमाण्डस पूरी नहीं होगी परन्तु निश्चित रूप से आपकी जरूरत के हिसाब से इसको विचार करने की मंशा मेरी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये-सुनिये।

डा. दिगम्बर सिंह : 2005-06 के लिए 78 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिसके अन्तर्गत 69 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का रिनोवेशन का कार्य करवाया जाएगा। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक उपकरण दिये जाएंगे। इन चिकित्सा संस्थान में से 26 जिला अस्पतालों एवं अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में रिनोवेशन का काम करवाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा 7048 चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग कराने पर काफी कन्सेसिस किया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा चिकित्सा संस्थानों में ड्रग और मेडिसिन उपलब्ध कराने में भी सहयोग दिया जायेगा।

क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट सर्विसेज में, मेडिकल सर्विसेज में आज इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने चार्ज लिया, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना राजस्थान के सारे अस्पतालों का समय एक टाइम खोलने का था और मेरे ख्याल से यही एक गलत डिसीजन था जिसकी वजह से डाक्टर्स हो, चाहे वह नर्सिंग स्टाफ हो, उनके अप-डाउन करने की प्रवृत्ति बढ़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये दो समय अस्पताल चले, यह व्यवस्था हमने दी है। इस समय राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से लेकर सारी पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. यह सब दोनों समय सुबह-शाम खुलते हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सुपरवीजन के लिये स्ट्रिक्ट मोनीटरिंग फ्लाइंग स्क्वॉड बनाई हुई है वह निश्चित रूप से क्षेत्र में दौरा करके इन पर सुपरवीजन करते हैं और डायरेक्ट्रट के 18 अधिकारियों को हमने जिला प्रभारी बनाया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट के लिये रेस्पांसिबल हैं। उनके खुद के दौरे भी जिलों में होते रहते है तो एक डायरेक्ट्रेट से लेकर नीचे तक का सुपरवीजन का एक सिस्टम हमने तैयार किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने जिला कलक्टरों को भी कहा है कि उनके रेवेन्यू आफिसर जब भी दौरे पर जायें तो हमारे चिकित्सा के जो भी संस्थान हैं चाहे आयुर्वेद के हैं चाहे एलोपैथ के हैं उनमे एक बार जरूर चैक करें वह, जिससे वास्तविक स्थिति का हमको पता

(डा. दिगम्बर सिंह)

लग सके और उन पर एक स्ट्रिक्ट मानिटरिंग भी हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमने इसको और स्ट्रांग बनाने के लिये जिला कलक्टर को 17 सीसी के अधिकार प्रदान किये हैं जिससे एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जिले में सही काम हो सके।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी पीड़ा कई माननीय सदस्यों ने रखी और वास्तविक भी यह है। हमारा सुरक्षित मातृत्व और शिशु सेवा। इसके अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रयास हमारे यह हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का नम्बर बढ़ाया जाये। हमने इसमें 200 सब-सैंटर्स में लेबर रूम का निर्माण कराने का प्रावधान किया और चिकित्सा संस्थानों में 150 बेसिक इमरजेंसी ओप्थेमैटिक केयर यूनिट और 50 काम्प्रीहेन्सिव इमरजेंसी ओप्थेमैटिक केयर यूनिटस को विकसित किया है। इसमें मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इमरजेंसी ओप्थेमैटिक केयर यूनिट जो हमारी है, वह यह इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हमने जिला हैड क्वार्टर के अलावा इस इंस्टीट्यूशंस को डवलप किया, जहां इमरजेंसी अवेलबल हो सके और यहां पर हम ब्लड स्टोरेज की जो हमने बात की थी कि ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था, क्योंकि खून की कमी से किसी भी डैथ नहीं हो तो इसमें ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था भी इन सेंटर्स पर होगी। हमने 97 माडर्न पी.एच.सी. का चयन करके और इन पर निर्माण की कार्यवाही आरम्भ हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले वर्ष 10 हजार दवाईयों को ट्रेण्ड करने का लक्ष्य रखा था और हमने 10,185 दाइयों को प्रशिक्षण पिछले वर्ष दिया है, और इस वर्ष भी 10 हजार दाइयों को प्रशिक्षित करने का हमारा प्रस्ताव है, प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशलिस्ट की सुविधाएं मिलें, एक गरीब आदमी को उसके घर पर नहीं तो घर के नजदीक स्पेशलिस्ट की सुविधाएं मिल जायें। उसकी छोटी-छोटी परेशानियों का इलाज हो जाये इसके तहत "संजीवनी योजना" का शुभारम्भ 2004-05 में किया गया और मुझे बहुत खुशी है अध्यक्ष महोदय, कि प्रथम वर्ष में 38 "संजीवनी शिविरों" का आयोजन किया गया था जिसमें लाभार्थियों की संख्या 70 हजार से अधिक रही। सरकार ने इस योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए शिविरों की संख्या का लक्ष्य वर्ष 2005-06 में 92 हजार रखा। मैंने खुद ने यह संजीवनी

(डा. दिगम्बर सिंह)

शिविर देखें। मैंने खुद ने गांवों में जाकर संजीवनी शिविरों का निरीक्षण किया है। इतनी दुआएं, गरीब मरीज, गांव के जो गरीब मरीज हैं, किसान हैं जो पैसे की कमी की वजह से शहर में जाकर इलाज नहीं करवा पाते, जब उनके घर पर इलाज मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनके दिमाग में हुआ था। मैंने जिस-जिस कैम्प को विजिट किया है, वास्तव में बहुत ही लाभदायक यह योजना हमारी रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा ब्लाइंडनैस कंट्रोल में हमने दो लाख 54 हजार मोतियाबिन्द ऑपरेशन किये हैं। 1590 कैम्प्स का हमने आयोजन किया। वर्ष 2005-06 में मोतियाबिन्द ऑपरेशन का लक्ष्य हमने तीन लाख निर्धारित किया है और प्रयास करेंगे कि इसको हम पूरा करें। अध्यक्ष महोदय, कई बार मुझे लगा कि कोई तो ऐसा माननीय सदस्य होगा जो हमारी अच्छाइयों को भी सामने रखेगा।

मलेरिया नियंत्रण के बारे में बात करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हम निश्चित रूप से मलेरिया के केसेज में बहुत कमी लाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा 25,361 हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सैंटर हैं मलेरिया के, 13,704 ज्वर उपचार केन्द्र हैं, 1514 मलेरिया क्लिनिक हैं एवं लगभग 200 मोबाइल इकाइयां एवं ग्राम सम्पर्क अभियान तथा स्वंय सेवी संस्थाओं एवं जन सहयोग से रोगियों की संख्या में 26 प्रतिशत की कमी आई और जो सबसे खतरनाक मलेरिया के स्ट्रेन्स हैं प्लाजमोडियम फालसीपरम, अध्यक्ष महोदय, उसमें 56 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है।

मौसमी बीमारियों, क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह सजग है। हमारे इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह तैयार हैं और जिलास्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक हमने तुरन्त कार्यवाही टीम के माध्यम से अपना काम कराने की तैयार पूरी कर ली है और निश्चित रूप से इस वर्ष की हमारी जो योजना है प्रिवेन्शन के लिये, उसमें भी हम पूरी तरह सजग हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा माइक्रो न्यूट्रेन्स सप्लीमेंट के बारे में, जो सहरिया क्षेत्र के निवासी एवं जनजाति उप योजना क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिये

(डा. दिगम्बर सिंह)

स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषक तत्व हेतु क्रमशः 1.80 करोड़ एवं 2.68 करोड़ व्यय किये जा रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रेन्स सप्लीमेंट के लिये अध्यक्ष महोदय, हर स्तर पर प्रयास जारी है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। दो लाइन मैं बीच में, क्योंकि मुझे लगता है कि सी.पी. जोशी...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : टेली मेडिसन के बारे में आपको बोलना चाहिये। डेढ़ साल हो गया। टेली मेडिसिन ही यह तरीका है जिससे हम कम पैसे में ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। आपने जो किया है उस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाने की बात करें तो यह ठीक होगा।

डा. दिगम्बर सिंह : बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह पहले शेर सुनायेंगे, उसके बाद करेंगे टेली मेडिसन की बात।

डा. सी.पी. जोशी : शेर तो, मुख्य मंत्रीजी ने एक ट्रेण्ड प्रारम्भ कर दिया। काम नहीं करना है तो सुर सुदा दें। गांव का आदमी टेली मेडिसन से, आप भी खुद डाक्टर हैं, सब जानते हैं। यह कोई एस.एम.एस. का मामला नहीं है, इसको लिंक करें गांव से। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : विधान सभा में शेर शुरू हो गये।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी, मैं तो आपको इसलिये कहना चाहता हूं कि आपका जो पैसा आया वर्ल्ड बैंक का, उसमें आप इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर रहे हैं। यह आउटडेटेड कोन्सेप्ट है। नया कोन्सेप्ट है "ई-गवर्नेन्स" तो हम कितने ज्यादा लोगों को सुविधा उपलब्ध करायें, आप डाक्टर हैं, आपके होते हुए यह काम नहीं हो सकता है तो फिर राजस्थान में भाषण नहीं करना चाहिये कि इस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। आपको इनीशियेट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने शेर से तो साइट्रेक कर दिया उनको।

डा. दिगम्बर सिंह : इस बात के लिय आपको आश्वासन दे सकता हूं सदन में, यह निश्चित रूप से – "टेली मेडिसन" का काम राजस्थान में होगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : जंगलो से तो शेर गायब हो गये, विधान सभा में शेर आ गये।

डा. दिगम्बर सिंह : सी.पी. साहब, कौन कहता है मेरी आंख में नमी नहीं है, कोशिशें जारी हैं अवसरों की कमी नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहें।

श्री अध्यक्ष : वाह।वाह

डा. दिगम्बर सिंह : कई माननीय सदस्यों ने एड्स के बारे में चर्चा की और यह कहा कि वास्तव में जो दिखने में लगता है कैसेज उससे बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एड्स के बारे में हमारी सरकार बराबर चिन्तित है। हम जानते हैं कि राजस्थान एक लो प्रिवेलैंस वाली स्टेट है परन्तु राजस्थान में माइग्रेटिव पापुलेशन इतनी ज्यादा है, डर यह रहता है कि कहीं तो प्रिवेलैंसी हाई प्रिवेलैंसी में कन्वर्ट नहीं हो गए। इसके लिए हम पूरी तरह से सजग हैं और इनके रोगियों के उचित निदान और उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 36 एस.टी.डी. क्लिनिक एच.आई.वी. संक्रमण मुक्त रक्त एवं मेडिकल कालेज एवं जिला अस्पतालों पर जांच की सुविधाएं उपलब्ध है।

भविष्य में हमारी जो योजना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 8 को एक रेड रिबन हाई वे के रूप में प्रचारित करने की है। जिसमें जयपुर से दिल्ली के मध्य विभिन्न स्थानों पर सघन आई.सीज के द्वारा हम इस रोग के बारे में निश्चित रूप से जानकारी जनता को देंगे। हमने पिछली बार 100 कंडोम मशीनें लगाई थी जयपुर में परन्तु इस बार 100 और संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें 100 कंडोम मशीन्स और लगाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जोशी साहब हमारी ग्राम सैट योजना के अन्तर्गत...

श्री रामप्रताप कासनिया : यह कंडोमों का मिसयूज हो रहा है। बच्चे निकाल कर भूकणे बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप किसी व्यक्ति को सम्बोधन नहीं करेंगे। आप आसन को सम्बोधित करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप विपक्ष के नेता जोशीजी को ही मान रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सैट परियोजना, रिमोट सैन्सिंग एप्लीकेशन सैंटर जोधपुर के माध्यम से स्थापित 19 जिलों को राजकीय राजधानी से, टी.वी. नैटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है और इस हेतु 338 लाख की राशि आबंटित की जा चुकी है। गैर सरकारी संगठनों एवं निजी चिकित्सालयों की परिवार कल्याण कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हमने पंजीबद्ध जो संस्थाएं हमारी हैं उनको नसबन्दी आपरेशन पर 400 रुपये और आई.यू.डी. इन्सर्शन पर 75 रुपये प्रति केस देना तय किया है। बीस प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों को नसबन्दी आपरेशन एवं महिलाओं के आई.यू.डी. निवेश निःशुल्क उनको भी करने होंगे जो प्राइवेट सैक्टर में हैं।

अध्यक्ष महोदय, संचारी एवं गैर संचारी रोगों की...

डा.सी.पी. जोशी : .. वी कांट वेट (व्यवधान) सर्जरी आ जानी चाहिए।

डा. दिगम्बर सिंह : नहीं, मैं सारे पर ही आ रहा हूं। संचारी एवं गैर संचारी रोगों की प्रभारी निगरानी हेतु 32 जिलों के 297 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत निगरानी की योजना और इसके लिए 14.69 करोड़ व्यय करने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद भी हमारी सबसे पुरानी है पद्धति है चिकित्सा की और मुझे लगता है काफी समय से आयुर्वेद एक तरह से उपेक्षित सा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने संस्कार मत भूलो, हर ग्रंथ यही कहता है अपने संस्कार मत भूलो, जो जड़ से जुड़ा रहता है पेड़ वही हरा रहता है। अध्यक्ष महोदय, 350..

श्री हरिमोहन शर्मा : आयुर्वेद पर इसीलिए चौदह पर्सेण्ट खर्च किया बजट का।

डा. दिगम्बर सिंह : यह आपके पास रिपोर्ट गलत है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सही है। यह नहीं कह सकते आप। आपका चैलेंज स्वीकार है मुझे। फरवरी तक चौदह पर्सेण्ट खर्चा किया है छह करोड़ सत्ताइस लाख रुपए में से आपने।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 350 आयुर्वेद चिकित्सकों व 150 नर्स, कम्पाउंडर्स को अनुबंध पर हमने नियुक्ति दी है आयुर्वेद औषधालयों का दो पारी में संचालन जैसे एलोपैथी का इनका भी दो पारी में संचालन हो रहा है संभाग स्तर पर प्रभावी निरीक्षण हेतु उड़नदस्तों का गठन किया हुआ है.

अध्यक्ष महोदय, पहली बार पंचकर्म आयुर्वेद फार्मेसी व हर्बल फार्मिंग के नवीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी सरकार ने प्रारम्भ किए हैं, झालावाड़ व अजमेर जिला मुख्यालयों पर पंचकर्म व क्षार सूत्र चिकित्सा की स्पेशिलिटी क्लिनिक प्रारम्भ की हैं अध्यक्ष महोदय, एक ही छत के नीचे एलोपैथी, आयुर्वेद व होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सा सभी संभाग मुख्यालों पर प्रारम्भ कर दी है' कुल साठ केन्द्रों पर एक छत के नीचे योजनाएं आरम्भ हो चुकी हैं। रसयानशालाओं के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की योजना के तहत भवनों का निर्माण व मशीनें क्रय की हैं जड़ी बूटियों एवं आयुर्वेदिक औषधियों की अधिक पैदावार के लिए हर्बल गार्डन्स की स्थापना हेतु समिति का गठन हो चुका है डाइरेक्ट्रेट इंटरनेट से जुड़ चुका है आयुर्वेद का भी और स्वास्थ्य सेवाओं की वेब साइट भी शुरू हो चुकी है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आर.सी.एच. फेज 2 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राज्य में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों का द्वितीय चरण अप्रैल 2005 तक लागू होना प्रस्तावित है. यह कार्यक्रम आगे भी पांच वर्ष 2005 से 2010 तक के लिए है द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य से सम्बन्धित कुछ विशेष योजनाओं को सम्मिलित किया गया है इस द्वितीय चरण का प्रस्तावित आउट-ले लगभग 636 करोड़...

श्री अध्यक्ष : आप तो आयुर्वेद से वापस एलोपैथी कर आ गये आयुर्वेद की बात करते-करते फिर एलोपैथी पर आ गये

श्री जुबेर खान : घनश्यामजी कहिए कुछ पास कराएं

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रमुख जो एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिसके लिए माननीय सदस्य बहुत चिन्तित थे, राष्ट्रीय

(डा. दिगम्बर सिंह)

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रूरल हैल्थ मिशन का शुभारम्भ होने वाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा सात वर्ष के लिये यह योजना शुरू की जा रही है और इस मिशन के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समस्त कार्यक्रम एक छत के नीचे क्रियान्वित किये जाएंगे। इस मिशन मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, विकेन्द्रीकरण करना एवं जन भागीदारी को बढ़ाना है। मिशन की मुख्य गतिविधियों में ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य की वार्षिक योजनाएं बनाना, हर ग्राम में आशा का चयन करना, आशा एक वहां की लेबल वर्कर उस गांव की एक महिला होगी, उसका चयन करना, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विभिन्न योजनाओं का समायोजन करना एवं परिवार परियोजना के प्रबन्धकीय ढांचे को सुदृढ़ करना व दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय मिशन का गठन होगा, जिला स्तर पर कलैक्टर की अध्यक्षता में एक जिला ग्रामीण मिशन का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब जो मैंने सदन के समक्ष रखा है यह राज्य की योजना ही नहीं बल्कि इस सरकार की गरीबों, किसानों, मजदूरों और अल्प आय वर्ग के हमारे भाई-बहिनों, वृद्धों और माताओं के प्रति संवेदना और अपनत्व की भावना है और यह घोषणा है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने के लिए कटिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उपयुक्त सेवाएं समय पर उपलब्ध हों यह हमारी पहली प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बाजूद भी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आवश्यक खर्चों तथा दवाइयों के मद में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गयी है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को वर्ष 2004-05 के लिए वहां 888.59 करोड़ का प्रावधान रखा गया था वहां इस वित्तीय वर्ष में 2005-06 में बढ़ाकर 1035.04 करोड़ प्रस्तावित है। इस प्रकार 146.45 करोड़ की वृद्धि प्रस्तावित है जो गत वर्ष की तुलना में 16.48 प्रतिशत अधिक है।

मैं एक और निवेदन अध्यक्ष महोदय करना चाहता हूं कि जो हमारे

(डा. दिगम्बर सिंह)

डिफिकल्ट एरियाज हैं उनमें निश्चित रूप से हमारे आदेशों के बावजूद भी कई बार क्योंकि आजकल प्राइवेट सैक्टर में भी बहुत डवलपमेंट हो चुका है, मेडिकल आफिसर्स की पोस्टिंग करते हैं, प्राइवेट सैक्टर में ज्वाइन कर लेते हैं, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन नहीं करना चाहते.. डिफिकल्ट एरियाज में तो हमारी सरकार अलग से इंसेटिव हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को देने की बात सोच रही है, प्रस्तावित है। इसमें इनको फाइनेंशियल इंसेटिव भी दिया जायेगा। अगर गवर्नमेंट का वहां रेजीडेंस है तो उनको फ्री रेजीडेंस दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि ऐसे एरिया में डाक्टर, नर्स या कम्पाउंडर को कम से कम तीन साल की अवधि के लिये वहां पर काम करना अनिवार्य कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय से हटकर दो बिन्दु मेरे सामने आए। अब नगर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, पिलानी वाले बैठे हैं। आपने भरतपुर में एक मुद्दा जो दवाई को लेकर हुआ उसके बारे में जिक्र किया था तो मैं चाहता हूं कि सदन के सामने इसकी सही पिक्चर मैं रखूं। श्रीमती ज्योति, वाइफ आफ राकेश गुप्ता, कमला रोड़, भरतपुर, दिनांक 17 व 18 मार्च, 2005 को डी.सी.ओ. भरतपुर द्वारा पुलिस साथ लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण दिनांक 17.3.2005 सांय 9.15 से प्रारम्भ कर दिनांक 18.3.2005 सांय 5.30 बजे तक चला। निरीक्षण के दौरान डी.सी.ओ. को एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आने वाले दवाइयां मिलने पर उनका प्रकरण पुलिस को संभलवा दिया गया। इस संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 के अनुरूप मौके पर उपलब्ध दवाओं एवं दस्तावेज को सीज कर लिया गया और नमूने जांच हेतु ले लिये गये। मुख्यालय को अतिरिक्त स्टाफ हेतु डी.सी.ओ. भरतपुर ने दिनांक 17.3.2005 को देर रात मांग की कि मुझे और एडिशनल चाहिये, मैं अकेला हूं, अतः श्री राजकमल छीपा, डी.सी.ओ. जो धौलपुर में है, उनको उक्त निरीक्षण में अनिल अग्रवाल का साथ देने के लिये हैड क्वार्टर से निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान जब्त औषधियां एवं दस्तवेजों को अभिरक्षा में रखने हेतु श्री अग्रवाल द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर से 19.3.2005 को आदेश प्राप्त किये गये। डी.सी.ओ. द्वारा जो आपत्तिजनक दवाइयां व दस्तावेज जब्त किये, यह सभी न्यायिक अभिरक्षा में रखे गये हैं। पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. और अवहेलना का अनुसंधान जारी है। उनमें डी.सी.ओ. भरतपुर द्वारा आवश्यक

(डा. दिगम्बर सिंह)

सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण विभाग द्वारा उनके चाहे अनुसार सूचना उपलब्ध करवायी जा रही है। हैड आफिस से मुख्यालय द्वारा डी.सी.ओ. की रिपोर्ट को एग्जामिन कर उन्हें जयपुर कॉल किया रिपोर्ट एग्जामिन करने के लिये। वह आयं परन्तु सक्षम अधिकारियों और आवश्यक व मिसिंग सूचनाएं उपलब्ध कराए बिना ही वापस भरतपुर चले गये, जो राज्य कार्य के प्रति लापरवाही दर्शाता है। इस प्रकार उनके द्वारा इस प्रकरण में सहयोग न प्रदान करके प्रोसीक्यूशन के लिये स्वीकृति में विलम्ब किया जा रहा था जो राज हित में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, इतने संवेदनशील प्रकरण में इस स्थिति पर आकर लापरवाही की रिपोर्ट प्राप्त होने व पुलिस को आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराने के मद्देनजर डी.सी.ओ., भरतपुर को दिनांक 30.3.2005 को तुरन्त प्रभाव से शासन उप सचिव के कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थित, क्योंकि उन्होंने काम तो ठीक किया पर एक बार अपना यह सारा करने के बाद की जो प्रक्रिया मुझे लगी उसमें मुझे कुछ नीयत ठीक नहीं लगी इसलिये मैंने उसको वहां से हटाना आवश्यक समझा और 17 तारीख के निरीक्षण के बाद 1.4 को थानाधिकारी अटलबंद द्वारा चिट्ठी लिखी गयी है। उसमें लिखा है कि इनको अलवर में डी.सी.ओ. को इनकी आवश्यक सूचना हमको उपलब्ध करवाएं। हमारे भरतपुर के जो निरीक्षक हैं, उन्होंने अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवायी है इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में जरूरी समझता था कि इतना बड़ा काम करने के बाद अगर फिर कहे, दिमाग में कोई उसके परिणाम न आए तो वह बात इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा, अध्यक्ष महोदय आज जो..

श्री अध्यक्ष : वैसे तो सदन काफी संतुष्ट हो गया आपके जवाब से, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन काफी संतुष्ट है।

श्री रामप्रताप कासनिया : एक ही कमी रही है अगर आप उपलब्ध करवा सको तो नसबंदी की सुविधा हर ग्राम में उपलब्ध करवा दो तो सारा कुछ सही हो जायेगा। अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो आप कुछ भी करते जाओ कम पड़ेगा।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज एक अखबार की सूचना के ऊपर काफी सदस्यों ने बहुत बड़ी चिन्ता टी.बी. के बारे में यहां सदन में रखी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि पूरे देश में हमारा टी.बी. कण्ट्रोल प्रोग्राम जो डाटस का प्रोग्राम है वह अव्वल नम्बर पर है आज की तारीख में पूरे नेशन में। आज अखबार में था कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस के 4.30 लाख मरीज बिलकुल मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में 4.21 लोग ही एम.डी.आर. के नही हैं, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारम्भ से दिसम्बर, 2004 तक 43,04,353 क्षय रोगियों को डाटस पद्धति से ट्रीट किया है। राज्य में डाटस पद्धति से सफलतापूर्वक उचारित होने वाले रोगियों का प्रतिशत 88 है.. (व्यवधान) राज्य में क्षय रोगियों को डाटस पद्धति से उपचारित कर अब तक लगभग 78,000 रोगियों के जीवन को बचाया गया है। इसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व आर्थिक लाभ लगभग 2808 करोड़ रुपये लगाया जा सकता है। तो मैं तो निवेदन यही करना चाहता हूं कि केवल एक अखबार में कोई सूचना आयी तो उसके ऊपर तो बहुत अच्छा है राजस्थान का नाम कम से कम टी.बी. कण्ट्रोल प्रोग्राम में हिन्दुस्तान में अव्वल नम्बर पर है। अगर उस प्रोग्राम को ही बदनाम किया जाए तो थोड़ा सा ठीक नहीं है।

मैं एक बार क्योंकि मुझे लगता है कि सब काफी परेशान से भी हो चुके हैं...

श्री अध्यक्ष : अब आप तो मांग को स्वीकार करने के लिये कह दो। मांग को स्वीकार करने के लिये कह दो...(व्यवधान) आप तो रखोगे श्री..

श्री जुबेर खान : इसलिये परेशान हैं मंत्री महोदय काफी सो रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : प्रस्ताव तो यह करेंगे..

श्री अध्यक्ष : आप तो समाप्त करें। अब तकनीकी...

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय मांग संख्या - 26 पर जिन लोगों ने सुझाव दिये, उन सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद के साथ कि आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा, मैं सदन से अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो चिकित्सा कि बारे में डाक्टर दिगम्बरह सिंहजी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सारा बता दिया है। दो-चार बात पांच मिनट में बताना चाहूंगा। दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे चिकित्सा शिक्षा के बारे में उठे हैं..

श्री अध्यक्ष : शिक्षा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस पूरे विचार व्यक्त किये हैं। 8 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव आए हैं, कल ही मैं उनके कटौती प्रस्तावों का जवाब भिजवा रहा हूं। मैं प्रारम्भ कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान ने तय किया है कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि चिकित्सा शिक्षा का अलग से यह क्यों रखा गया है? मुझे भी पता नहीं क्यों रखा गया है, पर सबसे पहले पिछली सरकार के समय में रखा गया था और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं और अधिकांश राज्यों में धीरे धीरे अब यह प्रवृत्ति होती जा रही है कि उच्च शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, एग्रीकल्चर व अन्य सारी शिक्षाएं, उसका एक अलग से विभाग बनाकर रखा गया है। उसी के अनुसार यह किया गया और इसीलिये राज्य सरकार ने तय किया है कि राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा का निदेशालय अलग से कायम किया जाए। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और अब इसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा का अलग से निदेशालय कायम कर दिया जायेगा जो अपना यह काम करेगा। उसको इसी साल से लागू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा नगर से आने वाले माननीय सदस्य को कि उन्होंने पहली बार एक बात उठायी, इसी सदन में हम चर्चा कई बार देख चुके हैं अब प्राइवेट मशीन लगाने की बात आयी सी.टी. स्केन की। उसमें बहुत आलोचनाएं हुई, वह आलोचनाएं सब समाप्त हुई और अब मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि जो नयी सी.टी. स्केन मशीन लगी है उससे 90 से 100

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तक प्रतिदिन सी.टी. स्केन हो रहे हैं। एम.आर.आई. की मशीन इसी महीने में लग जायेगी और इससे जो डेढ़-डेढ़ महीने की क्यू लगी हुई थी हमारे यहां पर कि आज जो सी.टी. स्कैन कराने आता था उसको डेढ़ महीने का टाइम देते थे क्या क्यू समाप्त हो गयी है इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि 40 से 50 प्रतिशत तक बाजार में दरें कम हो गयी है। इससे जो गांव वालों को नुकसान हो रहा था उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिशिपेट की नीति को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा और मैं घोषणा करना चाहूंगा कि राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में यह मशीनें लगायी जायेंगी और यह बढ़ाई भी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, यह केवल यहीं तक नहीं है आज एक आदमी बाहर लूटता है उसे लूट से बचाने का काम भी सरकार का है इसलिए हमने तय किया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में आज एम.आर.आई की मशीनों की आवश्यकता है, 57 साल बाद भी हमारे यहां आज एम.आर.आई की मशीन नहीं है। पहली एम.आर.आई. की मशीन इसी महीने में एस.एम.एस. में लग जायेगी उसके बाद में छहों मेडिकल कॉलेजों के लिए हम एक पैकेज बना रहे हैं कि एम.आर.आई. की मशीन, सी.टी. स्कैन की मशीन है और भी जो मशीने हैं कैथ लैब यह जो सारे आवश्यक काम हैं इस ढांचे के अन्तर्गत हम करेंगे और इसके लिए हमने पैसे की व्यवस्था भी की है और यह आवश्यक नहीं है कि हम केवल एक नीति के आधार पर लगायेंगे। हमने तय किया है, कि अलग अलग प्रकार से समीक्षा करके, कई कंपनियां हैं वह डेफर्ड पेमेंट के आधार पर मशीनें देती हैं, अगर डेफर्ड पेमेंट के आधार पर मिलेंगी तो उसमें लगायेंगे, कई कंपनियों लोन पर देती हैं या बैंक से लोन लेकर लगानी पड़े तो बैंक से लोन लेकर लगायेंगे और पब्लिक और प्राइवेट के पार्टिशिपेसन के आधार पर लगी तो उस आधार पर लगायेंगे। हम कोई लकीर के फकीर नहीं हैं। हमने यह तय कर लिया है कि हमको सारे राजस्थान में मेडिकल कालेजज में इस प्रकार के जो आधुनिक संयंत्र हैं, उन संयंत्रों को लगाना है और उसके आधार पर चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ चिकित्सा सेवा का काम है उसको भी ठीक से करना है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने इस सदन में घोषणा की थी कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज और एस.एम.एस. हास्पिटल की मास्टर प्लान बनाया जायेगा, मास्टर प्लान बना लिया गया है, उसको पारित कर दिया गया और उसके हिसाब से कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि राजस्थान के छहों मेडिकल कालेजों का इस बार मास्टर प्लान बना दिया जायेगा, पी.डब्ल्यू.डी से उसका सर्वे करा लिया गया है और सबमें मास्टर प्लान लागू कर दिया जायेगा। इस प्रकार से सभी मेडिकल कालेजों के हास्पिटलों को पढ़ाई का भी और एक्सीलेंस का सेंटर हम बनायेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में इस प्रकार की कार्यवाही प्रारंम्भ हो।

अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने तय किया है कि महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में विकास कार्यों पर 35 करोड़ रुपये हम अलग से व्यय करेंगे। यह हमने काम चालू किया है। ई-गवर्नेंस के लिए 10 करोड़ रुपये की योजना बनाकर भारत सरकार को भेज दी है। उसकी स्वीकृति आते ही उसका काम करेंगें। इसी प्रकार के चिकित्सालय के प्रबंधंन में सुधार हेतु उप अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक पदों के लिए चिकित्सालय प्रबंधन में डिग्री और डिप्लोमा धारकों को लगाने के लिए देंगे ताकि इसकी व्यवस्था में सुधार हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा मुझे तकलीफ है कहते हुए, दो माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया था। एस.एम.एस. हास्पिटल में कुछ दिनों पहले एक घटना घटी। बहुत दुःखद घटना है। इससे बहुत ग्लानि हुई। लेकिन उसके बाद में हमने तय किया जब मुझे पता लगा इस बात का तो कहा गया है कि वह केस नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि वह कैस रजिस्टर्ड कराना है। हम छुपाना चाहते तो घटना छुप सकती थी। हमने कहा कि इसको नहीं छुपाना है। केस रजिस्टर्ड कराया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और मैं स्वयं दिल्ली में डी-लिमिटेशन कमीशन की मीटिंग छोड़कर आया, पांच घंटे तक अस्पताल में रहा उसके बाद तय किया जिनकी भी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस हुई हैं, सरकार किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाली नहीं है। हमने इसलिए कमिश्नर को नियुक्त किया है। उसकी रिपोर्ट आयेगी और इसके साथ ही सरकार ने यह भी काम किया, वह बहुत ही गरीब है, हार्ट के दो वाल्व नहीं है। हमने तय किया कि सारा का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, तुरंत उसका इलाज करायेंगे और अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार की कमी किसी प्रकार से एस.एम.एस. हास्पिटल में या कहीं भी मेडिकल कॉलेजों में नहीं रहे। मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि यह घटना घटित हुई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य के अन्तर्गत हमने दो काम किये हैं, वह जो व्यवस्थाओं की कमी थी, कुछ लोग ठेके पर एस.एम.एस. अस्पताल में काम करते हैं। उनकी किसी भी प्रकार की पहचान नहीं थी। हमने उनका पुलिस वैरीफिकेशन कराने का तय कर दिया है। उनकी वर्दी तय कर दी, आईडेंटिटी कार्ड तय कर दिया है, और इस प्रकार से मैं चाहूंगा और मैंने अस्पताल के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जिन-जिन लोगों को इसमें गलती है उसको किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जायेगा और राज्य सरकार से इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं सदन को कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का कलंक का काम फिर कभी नहीं हो इसका सरकार पूरा प्रयत्न करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेजों के बारे में जो बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है..।

श्री अध्यक्ष : आपका कटमोशन तो सिर्फ एक आया है, कटमोशन तो सिर्फ एक है आपका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आठ हैं। आठ माननीय सदस्यों के हैं और कुछ बोलते हैं। मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां आप कहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से हमने एक दूसरा काम किया है, कोशिश की है कि वह काम करेंगे, इलाज की बढ़ती लागत को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक दवा सूची को सख्ती से लागू करें और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक हैं। उन दवाइयां को पहली किश्त के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको खरीदकर एस.एम.एस. अस्पताल में रखें और दस प्रतिशत के आधार पर उनको वितरित करें। जिस प्रकार से जारी डायग्नोस्टिक जांच का पैसा कम हुआ है उसी प्रकार से एसेंशियल दवाइयों का पैसा कम हो, कम लगे। अस्पताल में दवाइयां मिलें इस प्रकार की हम व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न यहां अजमेर मेडिकल कालेज के बारे में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बाहेती जी उठाया था। वह माननीय सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि वहां दो डिपार्टमेंट हैं जिनके कारण से मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त हो गयी, ऐसा नहीं है, अजमेर मेडिकल कालेज में आर्थोपैडिक डिपार्टमेंट की स्थिति इस प्रकार है, प्रोफेसर का एक स्वीकृत पद है, दो रीडर हैं दोनों पद भरे हुए हैं। तीन लेक्चरर के हैं, दोनों पद भरे हुए हैं। एम.सी.आई. नार्म्स के अनुसार एक लेक्चरर का पद कम है, जो 2005 में सृजित कर दिया जायेगा। इस प्रकार से आर्थोपैडिकल डिपोटमेंट की स्थिति वहां ठीक रहेगी। एम.एस. आथोपैडिक में पुनः प्रवेश की अनुमति के लिए एम.सी.आई को लिखित में अनुरोध कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कार्डियायोलाजी डिपार्टमेंट में भी एक रीडर है, दो लेक्चरर हैं, एक प्रोफेसर है, चार पद हैं। इसमें भी दो, लेक्चरर और एक रीडर का पद कम है। वह भी इस साल सृजित कर दिया जायेगा। इस प्रकार से अजमेर मेडिकल कालेज में ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, जो पुनः चालू हो जायेंगे। उनका एडिमिशन भी इसी वर्ष हो जायेगा। उसमें किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात माननीय सदस्यों के सामने लाना चाहूगां। चिकित्सा शिक्षा में भी हमने भर्ती की प्रक्रिया में कमी नहीं की है। कुल स्वीकृत पद 1497 हैं राज्य सरकार के गठन के समय 431 पद रिक्त थे प्रोफेसर्स के, लेक्चरर के, रीडर्स के सबके राजस्थान में मेडिकल शिक्षा में, वर्तमान सरकार ने अल्प समय में 238 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है। 238 प्रोफेसर, लेक्चरर को भर लिया गया है और इनको नौकरी पर लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 86 पदों की पदोन्नति से भरा गया है। यह भी एक कीर्तिमान अपने आप में है जो एक साल में किया गया है। शेष रिक्तियां के लिए 269 पदों के लिए आर.पी.एस.सी. से भरे जाने के लिए उनको लिख दिया गया है। इस प्रकार इस साल सभी मेडिकल कालेजों में सभी प्रकार के पद भरने के बाद में मेडिकल कालेजों में रिक्तियां राजस्थान में नहीं रहेंगी। मैं यही कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इन कालेजों में पढ़ाई के लिए पहली बार हमने पी.जी. का कोर्स प्रारंभ किया है। पहले इन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोर्स में पूरी कार्यवाही नहीं थी। वह कार्यवाही हमने पूरी कर दी है। मेडिकल कालेजों में परीक्षाएं पारदर्शी व समयबद्ध करने हेतु एक कैलेंडर तैयार करके उसको लागू कर दिया गया है। पचास चिकित्सकों को देश में व पच्चीस को देश के बाहर प्रशिक्षण की अनुमति दी गयी है। विभिन्न विषयों पर पच्चीस चिकित्सक सम्मेलन कराकर कार्यशाला के अन्तर्गत आयोजित किये गये हैं जिसमें लगभग एक हजार चिकित्सकों ने भाग लिया है। नेत्र प्रत्यारोपण के 80 से अधिक आपरेशन हुए हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक कक्षाओं को नियमित रूप से लेने सम्बन्धी उच्च स्तर पर नियमित मानटिरिंग का काम होता है। अन्य जो बातें हैं इंटर्नशिप के लिए उनके लिए भी हमने कार्यवाही कर दी है। एक प्रश्न को कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने डा. डंगायच के बारे में उठाया था मैं कहना चाहूंगा कि डा. डंगायच इस मामले में दोषी पाये गये हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। उनके खिलाफ ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा बहुत बार मेरे पास शिकायत आयी, चिकित्सा सेवा का माध्यम है लेकिन वहां पर जो मरीज बीमार हैं उनको किसी वार्ड ब्वाय के द्वारा या किसी के द्वारा यह कहलाया जाता है कि डा. साहब के घर पर दिखा लो तो आपरेशन टाइम पर हो जायेगा। कुछ शिकायतें मेरे पास आयी हैं. माननीय सदस्यों ने कहा है मैं इसकी जांच करा रहा हूं। दवाइयों का इतना बड़ा बैग उसको लिखकर दे दिया जाता है लाने के लिये, वह दवाइयां कितनी लिखता है और कितनी उसके काम आती है, वह मैं कहना नहीं चाहता। मैं कहना चहाता हूं कि यह मरीज के साथ ही नहीं, यह मानवता के साथ भी उस डाक्टर का खिलवाड़ है। इस प्रकार की गलती करते हुए डाक्टर पाए गए तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, मैं आपको साफ-साफ बताना चाहता हूं। हम इस पर विचार करेंगे और राज्य सरकार ने, हमारे जो उच्च शिक्षा सचिव हैं रामलुभायाजी, उनको मैंने आज ही निर्देश जारी किए हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्राइवेट पेक्टिस के बारे में क्या नीति मेडिकल कालेजों में है, उसकी जानकारी पास करें। जहां तक मुझे इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है, यदि अधिकांश राज्यों में ऐसा है और राजस्थान में भी आवश्यकता पड़ी तो हमने डाक्टर रामेश्वर शर्मा, जो भूतपूर्व प्रिंसिपल थे और वाइस चांसलर थे,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनकी अध्यक्षता में एक कंमेटी का गठन किया है कि प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट दे और हम कोशिश करेंगे कि एक दो महीने में उनकी रिपोर्ट आ जाए और राज्य सरकार उस रिपोर्ट के आने के बाद इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और आवश्यका पड़ी तो प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद भी किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह सारे के सारे जो अस्पताल हैं और मेडिकल कालेज हैं वह चिकित्सा शिक्षा के लिए हैं और इसलिए सरकार पूरी कोशिश करेगी कि राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।

इसी प्रकार से बीकानेर में हमने लीनियर एक्सीलेटर मशीन का काम हमने चालू किया, अजमेर में कैथ लैब का काम चालू कर रहे हैं, सभी काम चालू कर रहे हैं। संक्षेप में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में मेडिकल शिक्षा का विस्तार हो, राष्ट्रीय लेवल के बराबर आए, मेडिकल यूनिवसिर्टी का काम पूरा हो गया है, वाइस चांसलर की नियुक्ति का काम प्रक्रियाधीन है, यह काम प्रारम्भ हो जाएगा और इस प्रकार से राजस्थान में इसका विकास और विस्तार होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप मांग को स्वीकार कराने के लिए तो कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी :वह तो कह दिया साहब, एक ही मांग है।

श्री अध्यक्ष ; उन्होंने कहा नहीं था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि इस मांग को स्वीकार कराया जाए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने ए. डी. बी. के अन्तर्गत पांचों मेडिकल कालेजों के लिए डवलपमेंट के

(डा. सी. पी. जोशी)

लिए पैसों की व्यवस्था की थी। क्या सरकार उस पैसे को उनमें खर्च करेगी, नम्बर एक। नम्बर दो, क्या यह सही है कि स्टेट प्लान का खर्चा एलोपैथी और ग्रामीण चिकित्सा में पिछले चार साल से लगातार घट रहा है। आप जो बातें कर रहे हैं उसमें सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कष्ट करेंगे कि 146 करोड़ रुपए का जो ज्यादा प्रोविजन किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रोविजन किया है। पिछले आंकड़े यह बताते हैं कि आपका मैक्सिमम खर्चा लोन प्लान पर हो रहा है। और प्लान पर आज जीतना दे रहे हैं उतना खर्च ही नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें, आपने जितनी बातें कही हैं, उसमें स्टेट प्लान का खर्चा पिछले समय से कम हो रहा है, नोन प्लान में खर्चा बढ़ रहा है, उसको रोकने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ए. डी. बी. के सम्बन्ध में पिछली सरकार ने 60 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन किया, सरकार उसको खर्च करने के सम्बन्ध में कमिटेड है या हम उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं?

तीसरा, हायर एजूकेशन अलग कर दी। माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि टेली मेडिसन है, बिकाज आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का बहुत पैसा आ रहा है। टेली मेडिसन की व्यवस्था करने के लिए क्योंकि सबसे कम खर्च में गरीब आदमी को बेस्ट कौंसलिंग मिला सकती है वह टेली मेडिसन के माध्यम से मिल सकती है। तो मेडिकल कालेज और गाव में जो हास्पिटल हैं उनके बीच में टेली मेडिसन की व्यवस्था करने के लिए पिछले एक साल मैं सरकार का जितना पैसा था, 20 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, सरकार ने खर्चा किया 10 लाख, अब वापस हमने पैसा बढ़ाया है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है, मंत्री महोदय, आप स्वयं डाक्टर हैं, कैसे का आर्डिनेशन बैठाएंगे हायर एजूकेशन और रूरल सर्विसेज के बीच में टेली मेडिसन के माध्यम से हम ज्यादा से जयादा लोगों को सुविधा उपलब्ध का सकें, इसके सम्बन्ध में क्या कदम उठाएंगे?

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज हास्पिटल और पैराफरी के हास्पिटल के बीच में समन्वय करने में कोई खास दिक्कत नहीं है। टेली मेडिसन का आज बहुत ज्यादा डवलपमेंट हो रहा है और आज के जमाने में तो टेली मेडिसन एक बहुत इम्पोर्टेण्ट पार्ट है और मैं

(डा. दिगम्बर सिंह)

समझता हूं कि मेडिसन कालेज हास्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और पैराफेरी के हास्पिटल का निश्चित रूप से अच्छा कोम्बीनेशन होगा। मुझे तो ऐसी कोई शंका नहीं लग रही है कि इसमें कोई परेशानी आएगी। कार्डियक सेंटर निश्चित रूप से मेडिकल कालेज में यही पर बनेगा। कार्डियालाजिस्ट की सुविधाएं जो मेडिकल कालेज में उपलब्ध हैं तो निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा इसी से मिल पाएगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पायलट प्रोजेक्ट झालावाड़ से शुरू होने वाला है, इसमें काफी कुछ प्रोग्रोस इस टेली मेडिसन में होगी। क्योंकि हमने यह भी तय किया है कि हमारा जो हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम कहीं न कहीं इन्क्लूड करना चाहते हैं इस टेली मेडिसन वाले को भी, जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा इन्स्टीट्यूशन्स जुड़ जाएं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो प्लान और नोन प्लान के खर्चे की चर्चा की, हमारा जो प्लान और नोन प्लान में रिवाइज एस्टीमेट था (व्यवधान) 39 करोड़...।

डा. सी.पी. जोशी : मेरा निवेदन है कि नोन प्लान का खर्चा कम करने के सम्बन्ध में विभाग को कदम उठाने चाहिए। I am not concerned about all this आप आंकड़े उठा कर देख लीजिए पिछले पांच साल में चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, नोन प्लान का एक्सीपेंडीचर बढ़ रहा है, प्लान का आप हमसें पास करवाते हो और प्लान का एक्सीपेंडीचर आपका होता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यक्तिगत या सरकार पर कोई आब्जेक्शन नहीं है। मोटा प्रश्न यह है कि सरकार ऐसे क्या कदम उठाएंगे जिसे नोन प्लान का एक्सीपेंडीचर कम हो और प्लान का एक्सीपेंडिचर ज्यादा हो और जो हम पास कर रहे हैं, उसका ठीक ढंग से यूटिलाइजेशन हो, यह मेरा प्रश्न है। मैं आंकड़ों में आपसे उलझना नहीं चाहता। मैं तो मोटा सा या पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे कौनसे कदम उठाएंगे जिनसे नोन प्लान का खर्च कम हो?

श्री अध्यक्ष : हर स्टेट में हर साल यही है, नोन प्लान का तो बढ़ता है और प्लान का घटता है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष, महोदय राजस्थान सरकार कैपिटल

(डा. सी. पी. जोशी)

आउटले को डबल कर रही है, आप इन दोनों को अलग-अलग कीजिए, आपके नोन प्लान का एक्सीपेंडीचर बढ़ रहा है। आपके कैपिटल आउट- ले का उपयोग तभी हो सकता है जब हम प्लान का एक्सपेंडिचर मीट आउट करें मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन हम जब तक इस बारे में कदम नहीं उठाएंगे, यह बात समझना नहीं चाहते तो अलग बात है बाकी सब चीजें जो बताई जो कुछ भी करे लेकिन जब तक सरकार नोन प्लान का एक्सीपेंडिचर कम करने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करेगी तब तक हम जो बजट पास कर रहे हैं वह आल फिक्टिशियस और आल मैनुपुलेटेड और आपके आर ई की जगह ए. ई. आता है। अभी तो आपके 2003-04 का ए.ई. उपलब्ध है, 2004-05 को ही उपलब्ध नहीं है। जब एक्चुअल फीगर्स आएंगे तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, उस अच्छे काम को रिफलेक्ट नहीं कर पाएंगे। कृपया कोशिश करें, आप इस नोन प्लान एक्सपेंडिचर को कम करके जो अच्छा काम कर रहे हैं उस काम को और बढ़ाए।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप 300 बैड का हास्पिटल बनाएं झालावाड़ में हमें कोई तकलीफ नहीं है। वहां आउटडोर पेशेंट कितने हैं? But there has to be some relationship.

और किसके आधार पर आप वहां हास्पिटल बना रहे हैं, यह तो बताना ही पड़ेगा। मुख्य मंत्रीजी अपने इलाके में करे, हमें खुशी होती है लेकिन यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कि आउटडोर कितना है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने आपके बोलने के लिए निवेदन किया तो आपने कहा कि बहस बहुत हो गई, यह हमारा हो गया और अब यह नई बहस शुरू हो गई?

डा. सी.पी. जोशी : नई बहस तो हमें करनी पड़ेगी, आपको राज करना है तो। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की कार्यप्रणाली पर मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं

(डा. सी. पी. जोशी)

है लेकिन उसे रेशनल बनाना पड़ेगा। 300 बैड का हास्पिटल, 25 करोड़ रुपए राजस्थान के बजट से आप झालावाड़ पर लगा रहे हैं। How much outdoor you are having in Jhalawar? aware you aware about this?

यदि आउटडोर उपलब्ध नहीं है और 300 बैड का हास्पिटल बना रहे हैं तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। (व्यवधान) यह आपकी मर्सी पर नहीं है, पैसा हमारे टैक्स का भी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। इसलिए मंत्रीजी खड़े होकर बताएं कि 300 बैड का हास्पिटल जो आप झालावाड़ में बना रहे हैं How much outdoor you are having in Jhalawar? दूसरे डिस्ट्रिक्टस से उसका आउटडोर ज्यादा है, इसलिए बना रहे हैं यह भी जनता को अवगत कराने की आवश्यकता है। अन्यथा हम जो बात कर रहे हैं उससे पोलिटिकल मैसेज ठीक ढंग से नहीं जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गरीब आदमी के साथ न्याय नहीं हो..। गरीब आदमी अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर सके, वहां 300 बैड का हास्पिटल नहीं बना हुआ है और हास्पिटल वहां बनाया जाए तो कोई न कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए। झालावाड़ में बनाएं, मुबारक बाद हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप क्या आधार बनाएंगे जिससे 32 डिस्ट्रिक्टस में और डिस्ट्रिक्टस में भी 300 बैड का हास्पिटल बनाये पर बता दे आप। मैं झालावाड़ के खिलाफ नहीं हूं। आप अगले कौनसे डिस्ट्रिक्ट में 300 बैड का हास्पिटल बनाएंगे उसका आधार क्या होगा, इस आधार के बारे में बता दें आप।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्षह महोदय, माननीय सदस्य, इस समय चाहें कि वहां आउटडोर, इनडोर पेशेंट की क्या संख्या है वो तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, परन्तु इतना बता देता हूं कि उस क्षेत्र की घोर उपेक्षा होती रही है और उसमें निश्चित रूप से एक 300 बैडेड हास्पिटल की आवश्यकता है और निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को इससे फायदा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : क्या आउटडोर से मतलब है?

डा. सी.पी. जोशी : कमिटेड लाइबिलिटी के 90 परसेंट के बाद 10 परसेंट जो पैसा बचा हुआ है वो 10 परसेंट पैसा पूरा का पूरा आप (व्यवधान) यह व्यवस्था के साथ न्याय नहीं है। आपको एक आधार बनाना पड़ेगा। (व्यवधान) आप झालावाड़ में 500 बैड का हास्पिटल बनाएं हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आने वाले समय में और क्या आधार बनेगा यह जानकारी राजस्थान की जनता को होनी चाहिए। क्या किसी का मुख्य मंत्री बनेगा उस स्थिति में हास्पिटल बनेगा या आउटडोर के आधार पर बनेगा यह आधार तो आपको बताना पडेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस जिले के गौरव हैं, उस जिले ने राजस्थान का मुख्य मंत्री दिया और राजस्थान के मुख्य मंत्री के क्षेत्र में काम होंगे, और विकास के काम होंगे।

डा. सी.पी. जोशी : राजस्थान के मुख्य मंत्री तो भरतपुर से भी रहे हैं, बांसवाड़ा से भी रहे हैं, भीलवाड़ा से भी रहे हैं, कल को झुंझूनूं से भी रहेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुखाड़ियाजी थे तो उदयपुर का किया। (व्यवधान) वसुंधराजी झालावाड़ का विकास कर रही है, करेगी।

डा. सी.पी. जोशी : यह करेगी या नहीं करेगी, राजेन्द्रजी, घर का मामला, नहीं है। (व्यवधान) जनता को बताना पड़ेगा। (व्यवधान) ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान) यह करेंगे तो लोकतंत्र है। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में ऐसी भाषा नहीं चलती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं। वे जवाब दे रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप संसदीय मंत्री को कहें लोकतंत्र की भाषा बोलें। यह राजशाही की भाषा नहीं चलेगी। लोकतंत्र में वोट से जीतकर आये हैं, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, वो चलने वाला नहीं है। आपको आधार बताना पड़ेगा। (व्यवधान) आप 5 साल तक यहां बैठे थे भूले गये क्या? (व्यवधान) फिर यहीं बैठना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी : हमारे रेगिस्तानी और सीमावर्ती जिलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं के हमारे अध्यक्ष रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मंत्रीजी। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार : हमारे झुंझुनूं जिले के अध्यक्ष बने हैं तो कितने बैड का बनेगा?

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुनना चाहते नहीं। आप न तो सुनना चाहते नहीं कहे चले जा रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने झालावाड़ में आउटडोर, इनडोर पेशेंटस के बारे में बात कही, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं झालावाड़ में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं 300 बैड वाले उनसे किसी से कम आउटडोर, इनडोर की स्थिति नहीं है। झालावाड़ में आउटडोर पेशेंट टोटल 6,39,230 और इनडोर (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : 32 जिले हैं, बाकी जिलों का बताओ। झालावाड़ बता रहे हो, बाकी जिले बताओ ना आप।

श्री जुबेर खान : आप तो झुंझुनूं का ही बता दो। अध्यक्ष महोदय के जिले का आउटडोर क्या है?

डा. सी.पी. जोशी : ऐसा कोई जिला हो जिस जिले में झालावाड़ से कम हो। झुंझुनूं का बता दें। खाली अपनी बात बता रहे हैं।

श्री जुबेर खान : आप तो झुंझुनूं का बता दीजिए और आपके खुद के भरतपुर का बता दो। (वयवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप तो झुंझूनूं का बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : आपके कार्यकाल में 150 बैड का हास्पिटल नाथद्वारा में कैसे खुल गया? बाली में आपसे भी ज्यादा आउटडोर है।

डा. सी.पी. जोशी : आप यही जवाब दीजिए कि मुख्य मंत्री बना है इसलिए हम वहां चाहते हैं। यह जवाब दीजिए। (व्यवधान) यह कहिए ना आप। (व्यवधान) साफ कहिए। मंत्रीजी कहिए। कल घनश्यामजी तिवाड़ी और गुलाबजी कटारिया मुख्य मंत्री बनेंगे तब आप 300 बैड का करवाएंगे वहां पर? जवाब दीजिए आप। यह रिकार्ड में आना चाहिए कि मुख्य मंत्री का क्षेत्र है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप सुन ही नहीं रहे, अपनी कहे चले जा रहे हैं। जवाब तो दे रहे हैं मंत्रीजी आपको। बताया 6 लाख वहां पर आउटडोर पेशेंट हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, 32 जिलों का हिसाब बताएं, एक झालावाड़ थोड़े ही होता है।

श्री अध्यक्ष : आज तक मांगो के सम्बन्ध में आपने अपनी बात कह दी, दर्ज करा दी, अब मांग को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

डा. सी.पी. जोशी : मांग तो अध्यक्ष महोदय, पास करा रहे हैं। रिकार्ड में लिया जाए मुख्य मंत्री बनेंगे वहां 300 बैड का बनेगा। घनश्यामजी बनें, कटारियाजी बनें वहां पर 300 बैड का बनेगा, यह रिकार्ड में आना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इससे ज्यादा आउटडोर है वहां।

डा. सी.पी. जोशी : हम तो रिकार्ड में लाना चाहते हैं कि जहां से मुख्य मंत्री बनेगा वहां 300 बैड का बनना चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : परिपाटी सुखाड़िया के टाइम से चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनकी बात अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार : XXX

मांग संख्या- 26 का पारण

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,55,28,50,000/- (बारह अबर पचपन करोड़ अट्ठाइस लाख पचास हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकारं की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2005 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थागितं की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.56 बजे, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले के कृषकों हेतु संकर बीज का निर्धारित मूल्य

279. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषकों को खेती हेतु संकर बीज उपलब्ध करवाये जाते हैं? यदि हां, तो जिला नागौर में पिछले दो वर्षों में किस-किस को कितना बीज उपलब्ध करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बीज उपलब्ध करवाते समय उसका उचित मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? क्या सरकार द्वारा उचित मूल्य की वसूली की गई? यदि हां, तो कितनी?

(3) सरकार द्वारा और कौन-कौनसी सहायता किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिनिकट एवं फसल प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को सीधे संकर बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। नागौर जिले में वर्ष 2003-04 में 152 किसानों को 2.43 क्विंटल संकर बाजरे का बीज फसल प्रदर्शन हेतु एवं 4000 किसानों को 20.00 क्विंटल संकर बाजरे के बीज, 980 किसानों को 9.8 क्विंटल संकर ज्वार के बीज, 540 किसानों को 10.8 क्विंटल संकर अरण्डी के बीज मिनीकट के रूप में उपलब्ध कराये गये। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में 300 किसानों को 6.0 क्विंटल संकर अरण्डी के बीज मिनीकट के उपलब्ध कराये गये। किसानों की सूची, जिन्हें संकर बीज उपलब्ध कराये गये, परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदर्शनों हेतु उपयोग में लिये गये संकर बाजरा के बीज की कोई कीमत वसूल नहीं की गयी क्योंकि प्रत्येक प्रदर्शन में होने वाला व्यय निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ही किया गया है। मिनीकट नि:शुल्क वितरित किये गये हैं।

(कृषि मंत्री)

(3) कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में किसानों को उपलब्ध करायी जाने वाली सहायता का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(सूची/ विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

बन्द लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनर्संचालन

283. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में बहुत-सी लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द हैं? यदि हां, तो संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बन्द इकाइयों को पुन: संचालित करने हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 तक पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की तृतीय गणना नवम्बर, 2002 से फरवरी. 2003 की अवधि में सम्पादित की गई, जिसमें प्रदेश में 36847 लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द पाई गई। संख्या सूची संलग्न है।

(2) बन्द पड़ी रुग्ण इकाइयों को पुन: संचालित करवाने हेतु कार्य योजना तैयार कर राज्य की बन्द रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करने के प्रयास किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक रुग्णता को एक गम्भीर चुनौती मानते हुए दिनांक 31.8.2004 को चालू/बन्द रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत एक विशिष्ट सहायता पुंज घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा घोषित उक्त सहायता पुंज के अन्तर्गत रुग्ण इकाइयों के लिये निम्न सुविधाएं देय है :-

1 पुनर्वास हेतु प्राप्त किये गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान।

(उद्योग मंत्री)

2 सात वर्षों के लिये विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।

3 पूर्व के बिजली बिल बकाया दायित्वों पर प्रभारित ब्याज व शास्ति माफ तथा मूल दायित्वों को 6 अर्द्धवार्षिक किस्तों में भुगतान की सुविधा।

4 बन्द रुग्णता की अवधि के बिजली बिल के न्यूनतम प्रभार की माफी।

5 पूर्व के बिक्री कर दायित्वों पर प्रभारित ब्याज एवं शास्ति माफ एवं मूल दायित्वों को 6 अर्द्धवार्षिक किस्तों में भुगतान की सुविधा।

जिलों में तृतीय गणना के दौरान बन्द पाई गई इकाइयां		
क्र. सं.	जिला उद्योग केन्द्र	संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	1506
2.	अलवर	2445
3.	बांसवाड़ा	995
4.	बारां	260
5.	बाड़मेर	471
6.	भरतपुर	1664
7.	भीलवाड़ा	2269
8.	बीकानेर	1376
9.	बूंदी	605
10.	चित्तौड़गढ़	810
11.	चूरू	824
12.	दौसा	464
13.	धौलपुर	435
14.	डूंगरपुर	400

1	2	3
15.	हनुमानगढ़	387
16.	जयपुर	5419
17.	जैसलमेर	223
18.	जालौर	635
19.	झालावाड़	818
20.	झुंन्झुनूं	727
21.	जोधपुर	2309
22.	करौली	417
23.	कोटा	1401
24.	नागौर	1376
25.	पाली	1235
26.	राजसमन्द	977
27.	सवाईमाधोपुर	911
28.	सीकर	1349
29.	सिरोही	433
30.	श्रीगंगानगर	727
31.	टोंक	584
32.	उदयपुर	2397
	योग	**36847**

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

भीम की अपूर्ण सड़कें

285. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कितने मिसिंग लिंक एवं डब्ल्यू.टी.ओ. सड़कें अपूर्ण हैं? क्या सरकार इनको पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत 9 सड़कें मिसिंग लिंक की श्रेणी में आती हैं, जिनको वर्तमान में राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उक्त विधान क्षेत्र में डब्ल्यू.बी.एम. की कुल 16 सड़कें हैं, जिनमें से 7 सड़कों के डामरीकरण का कार्य नाबार्ड के आरआईडीएफ-X के प्रथम चरण के तहत स्वीकृत होकर प्रगति पर है तथा एक सड़क का कार्य आरआईडीएफ के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। शेष सड़कों का डामरीकरण विभाग की सड़कें न होने के कारण वर्तमान में डामरीकरण कराना प्रस्तावित नहीं है।

सूरतगढ़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्र

286. श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सूरतगढ़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्र कार्यरत है? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अन्य स्थानों पर भी दुग्ध अवशीतन केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों पर एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सूरतगढ़ के अन्य स्थानों पर दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन के अधीन उपलब्ध स्वयं के एक अवशीतन केन्द्र तथा घड़साना में किराये के एक अन्य अवशीतन केन्द्र के माध्यम से सूरतगढ़ क्षेत्र के पशुपालकों की आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

जयपुर जिले के विद्यालयों में अध्यापकों का समानीकरण

287. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र दूदू, सांगानेर, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी व चौमूं में सभी स्तर के विद्यालयों में कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने-कितने पद रिक्त चल रहे हैं? विधान सभा क्षेत्र दूदू, सांगानेर व आमेर में गत एक वर्ष में कितने अध्यापकों के पद स्थानान्तरणों के आधार पर पदस्थापित व रिक्त हुए? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में कौन-कौन से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्वीकृति से ज्यादा अध्यापक कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को ऐसे विद्यालयों में लगाने का विचार रखती है जहां पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र दूदू, सांगानेर, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी व चौमूं में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में संवर्गवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण एवं विधान सभा क्षेत्र दूदू, सांगानेर तथा आमेर में गत एक वर्ष में स्थानान्तरण के आधार पर पदस्थापित एवं रिक्त हुए अध्यापकों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में 45 अध्यापक स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत हैं

(शिक्षा मंत्री)

जिनके विवरण का परिशिष्ट "ख" संलग्न है। इनमें से अधिकांश अध्यापक माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान करने के कारण स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

प्रश्न के भाग संख्या 1 की सूची

विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत पद					रिक्त पद				
	प्रारम्भिक		माध्यमिक			प्रारम्भिक		माध्यमिक		
	II	III	I	II	III	II	III	I	II	III
दूदू	81	922	65	164	81	29	162	20	52	23
सांगानेर	74	916	102	178	99	16	60	07	03	04
आमेर	85	841	79	210	129	26	29	16	21	20
जमवारामगढ़	108	1091	54	146	61	33	224	15	30	25
बस्सी	65	804	66	44	67	27	46	10	31	16
चौमूं	70	884	121	214	121	19	21	20	29	28

विधान सभा क्षेत्र दूदू, सांगानेर एवं आमेर में गत एक वर्ष में स्थानान्तरण के आधार पर पदस्थापित एवं रिक्त हुए अध्यापकों का विधान सभा क्षेत्र वार विवरण निम्नानुसार है

विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्षेत्र से हटाये गये अध्यापकों की संख्या		क्षेत्र में लगाये गये अध्यापकों की संख्या		क्षेत्र में स्थानान्तरण से पदस्थापित अध्यापकों की संख्या		क्षेत्र में स्थानान्तरण से रिक्त पदों की संख्या	
	प्रार.	माध्य.	प्रार.	माध्य.	प्रार.	माध्य.	प्रार.	माध्य.
दूदू	75	23	28	08	—	—	47	15
सांगानेर	—	27	46	30	46	03	—	—
आमेर	34	25	46	25	12	—	—	—

परिशिष्ट (ख)

क्र. सं.	नाम विद्यालय/कार्यालय	पद नाम	अधिशेष कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4
1.	राबाउमावि बगरू	व्या. हिन्दी	1
2.	राउमावि दुर्गापुरा	व्या. हिन्दी	1
3.	राउमावि मीनावाला	व्या. हिन्दी	1
4.	राउमावि रामपुरा रूपा	व्या. हिन्दी	1
5.	राउमावि माणकचौक	व्या. संस्कृत	1
6.	राउमावि मोती कटला	व्या. उर्दू	1

1	2	3	4
7.	राबाउमावि महाराजा	व्या. जीव वि.	1
8.	राउमावि दुर्गापुरा	व्या. अंग्रेजी	1
9.	राउमावि मुरलीपुरा बीड	व्या. अंग्रेजी	1
10.	राउमावि पौद्धार	व्या. गणित	1
11.	राउमावि मीनावाला	व. शा. शि.	1
12.	राउमावि मुरलीपुरा बीड	व. शा. शि.	1
13.	राउमावि रोजवाडी	व. शा. शि.	1
14.	राबाउमावि बनीपार्क	व. अ. विज्ञान	1
15.	राबाउमावि कमला नेहरू	व. अ. विज्ञान	1
16.	राबाउमावि मानसरोवर	व. अ. विज्ञान	1
17.	रामावि दवाबखाना	व. अ. विज्ञान	1
18.	रामावि चन्दलाई	व. अ. विज्ञान	1
19.	राउमावि बोराज	व. अ. विज्ञान	1
20.	राउमावि बांसखोह	व. अ. विज्ञान	1
21.	राउमावि माधोराजपुरा	व. अ. विज्ञान	1
22.	राबामावि दुर्गापुरा	व. अ. विज्ञान	1
23.	राउमावि हीरापुरा	व. अ. विज्ञान	1
24.	रामावि नागल बोहरा	व. अ. सामान्य	1
25.	राउमावि बोराज	व. अ. सामान्य	1

1	2	3	4
26.	राउमावि बजाज नगर	व. अ. सामान्य	1
27.	राउमावि रामपुरा रूपा	व. अ. सामान्य	1
28.	रामावि भम्भोरिया	व. अ. सामान्य	1
29.	रामावि चकवाठा	व. अ. सामान्य	1
30.	राउमावि बीलवा	व. अ. सामान्य	1
31.	राबाउमावि कमला नेहरू	व. अ. अंग्रेजी	1
32.	रामावि कलवाड़ा	व. अ. अंग्रेजी	1
33.	राबाउमावि गणगौरी बाजार	व. अ. गणित	1
34.	राउमावि चाकसू	व. अ. गणित	1
35.	राउमावि आमेर	व. अ. गणित	1
36.	राबामावि सी-स्कीम	शा. शि. III	1
37.	राबाउमावि बगरू	शा. शि. III	1
38.	राउमावि निमेड़ा	शा. शि. III	1
39.	रामावि घाटगेट	अध्यापिका	1
40.	रामावि सोड़ाला	अध्यापिका	1
41.	राउमावि खेजरोली	व. अ. सामान्य	1
42.	रामावि बीलवाड़ी	व. अ. विज्ञान	1
43.	रामावि तेवड़ी	व. अ. सामान्य	1
44.	राउमावि साईवाड़	व. अ. विज्ञान	1
45.	राउमावि बिलान्दरपुर	अध्यापक	1

चौरासी के चिकित्सालयों हेतु मूलभूत सुविधाएं

288. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी जिला डूंगरपुर में कितने रैफरल चिकित्सालय हैं एवं प्रत्येक रैफरल चिकित्सालय में कितने-कितने बैड हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी के रैफरल चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं चिकित्सालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौरासी के रैफरल चिकित्सालय, सीमलवाड़ा के मुख्य भवन का निर्माण कब कराया गया? क्या सरकार उपखण्ड स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के अनुसार एक मात्र रैफरल चिकित्सालय उपयुक्त मानती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नया चिकित्सालय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सीमलवाड़ा रैफरल चिकित्सालय में एक्सरे मशीन, ई.सी.जी., सैक्शन इन्सीनेटर, मुर्दाघर व मोटर गैरेज का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी जिला डूंगरपुर के अन्तर्गत दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वीकृत शैय्याओं की संख्या
1. बिच्छीवाड़ा	30
2. सीमलवाड़ा	50

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौरासी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा के मुख्य भवन का निर्माण वर्ष 1984 में कराया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा में स्वीकृत शैय्याओं में से वर्ष 2004 में 43 प्रतिशत शैयाओं का ही उपयोग हुआ है। वर्तमान में शैयाओं में वृद्धि किया जाना विचाराधीन नहीं है।

आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमलवाड़ा के भवन का रिनोवेशन/एडीसन/अल्ट्रेशन के कार्य हेतु वर्ष 2006-07 में राशि रु. 21.00 लाख प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त यूरोपीयन कमिशन समर्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेक्टर, इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमलवाड़ा में पानी/बिजली/मरम्मत/ओवर हैड टैंक इत्यादि हेतु राशि रु. 15.00 लाख की अधिकृत सीमा तय किया जाना प्रस्तावित है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा में एक्सरे मशीन, सैक्शन मशीन उपलब्ध है एवं वर्तमान में चालू हालत में है, ई.सी.जी. मशीन उपलब्ध है परन्तु वर्तमान में तकनीकी कारणों से खराब है, मुर्दाघर निर्मित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीमलवाड़ा में आर.एच.डी.पी. परियोजना के अन्तर्गत 2000 में कराये गये सर्वे के अनुसार जिन उपकरणों का अभाव है उन उपकरणों को उक्त परियोजना के द्वितीय वर्ष 2005-06 से नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना में चिकित्सा संस्थानों के भवनों का नवीनीकरण कर फर्नीचर एवं उपकरण, ड्रग्स एवं हास्पिटल सप्लाई उपलब्ध करवाकर कचरा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था कर, कार्यरत स्टाफ को आधुनिकी तकनीकी से प्रशिक्षित कर संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
सीमलवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग, शिशु रोग, सर्जरी, नेत्र रोग, मेडीसिन)	5	—	5
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	—
	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1 पदस्थापन आदेश जारी (कार्य ग्रहण नहीं किया गया)
बिच्छीवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडीसिन)	2	—	2
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	2	—
	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1

औद्योगिक निवेश में वृद्धि हेतु नीति

289. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनाने के लिए क्या नीति बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनाने के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2003 तैयार की गई है जिसकी घोषणा वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.7.2003 को की गई है। यह नीति जुलाई, 2003 से प्रभावी है। निवेश नीति 2003 संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सांगोद तहसील (कोटा) में सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहीत भूमि

290. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील सांगोद में नये व पुराने सीलिंग कानून के तहत कुल 3500 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण की गई है?

(2) क्या यह सही है कि जिन गरीब कृषकों को यह भूमि आबंटित की गई है उनसे नियमानुसार शुल्क वसूला गया है लेकिन इसका भुगतान उन कृषकों को नहीं किया गया है जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है? अधिग्रहीत की गई भूमि की एवेज में पूरा मुआवजा प्राप्त करने वाले कृषकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कृषकों का मुआवजे का भुगतान मय ब्याज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील सांगोद, जिला कोटा में नये सीलिंग कानून के तहत 35 किसानों से 1131 एकड़ तथा पुराने सीलिंग कानून के तहत 75 किसानों से 2476 एकड़ कुल 110 किसानों से 3607 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है।

(2) जी हां। परन्तु यह सही नहीं है कि मुआवजे का भुगतान उन कृषकों को नहीं किया गया जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है। तीन किसानों को मुआवजे राशि की दो किश्त का भुगतान किया गया है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां। नियमों में प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित किसानों द्वारा सक्षम

(राजस्व मंत्री)

न्यायालय में क्लेम प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

अधिग्रहीत की गई भूमि की एवज में किए गए भुगतान की सूची

नाम खातेदार	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि (दो किश्त)
1. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ढोटी	17621/-	3524/-
2. श्री पन्ना लाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा	3338/-	1336/-
3. श्री मथुरा लाल जाति मीणा निवासी सांगोद	3758/-	1504/-

श्रीडूंगरगढ़ में पेचवर्क कार्य

291. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष 2003 से जनवरी, 2005 तक किन-किन सड़कों का कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत का पेचवर्क का कार्य करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में कराये गये पेचवर्क कार्य घटिया किस्म के होने के कारण उखड़ गये या करवाये ही नहीं गये? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पेचवर्क के कार्य को सम्पूर्ण करवाने की कोई समय सीमा निर्धारित होती है? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या सरकार उक्त पेचवर्क कार्य प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष 2003 से जनवरी, 2005 तक संलग्न परिशिष्ट "क" में वर्णित 27 सड़कों पर राशि 22.68 लाख के पेचवर्क करवाये गये।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में करवाये गये पेच कार्यों में बीदासर से श्रीडूंगरगढ़ सड़क पर कुछ पेच वर्षा के कारण उखड़ गये थे जिसे सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा पुन: ठीक कर दिया गया है।

(3) उक्त पेच कार्य की समय सीमा अनुबन्ध के अनुसार दो माह थी एवं माह नवम्बर, 2004 तक पेच वर्क पूर्ण करवा लिये गये थे।

(4) जी नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष 2003 से जनवरी, 2005 तक करवाये गये पेच वर्क का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3
2003-04		
1.	एन. एच. 11 से बिग्गा गांव	0.02
2.	बिग्गा गांव से बिग्गा रेल्वे स्टेशन	0.06
3.	धरमास से इन्दपालसर	0.15
4.	ए.आर. से धनेरु	1.44
5.	बाड़ेला से बरजांगसर	0.05
6.	बरजांगसर से कुलपालसर	0.17
7.	बाना से उपनी	0.38
8.	उपनी से कल्याणसर	0.14
9.	कल्याणसर से बापेउ	0.18

1	2	3
10.	सालासर से पुन्दलसर	0.16
11.	लखासर से दुलचासर	2.38
12.	सेरुणा से सूढसर	1.76
13.	सांवतसर से राजेड़ू	0.53
14.	सेरूणा से पुनरासर	1.16
15.	गुसाईसर से डेलवा	0.29
16.	ठुकरियासर से लिखमादेसर	0.21
17.	कीतासर से धीरदेशर चोटियान	0.48
18.	बीकानेर-दिल्ली सड़क	2.57
19.	बीदासर से कालू	0.51
2004-05 (जनवरी, 2005 तक)		
20.	सेरूणा से सूढसर	1.06
21.	बाना से उपनी	0.79
22.	उपनी से कल्याणसर	0.15
23.	नौसरिया से बाडेला	0.89
24.	बाडेला से बरजांगसर	0.23
25.	सेरूणा से पुनरासर	0.89
26.	लखासर से दुलचासर	0.26
27.	बीकानेर-दिल्ली	5.77
कुल योग		22.68

फलासिया की क्षतिग्रस्त सड़कें

292. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों के रख-रखाव, निर्माण के क्या मानदण्ड हैं? क्या वन क्षेत्रों में बसे आदिवासी जनजाति कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए भी कृषि उपंज मण्डी वन क्षेत्रों में सड़कें बनाती है?

(2) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में वर्ष 2000 से 2005 तक कृषि उपज मण्डी उदयपुर द्वारा कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कें कब किस ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा बनवाई गई? स्वीकृत व खर्च राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उचित गुणवत्ता निर्माण सामग्री व पर्याप्त निर्धारित मोटाई व निर्माण प्रक्रिया में बरती गई लापरवाही से अधिकांश सड़कें टूटी-फूटी गड्ढेयुक्त व क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क कहां-कहां से एवं कब से क्षतिग्रस्त हैं तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

(4) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में कौन-कौनसी सड़कें कृषि उपज मण्डी उदयपुर के माध्यम से बनवाया जाना प्रस्तावित है?

(5) क्या सरकार उक्त टूटी-फूटी क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण मरम्मत व प्रस्तावित सड़कों के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी सड़कों के निर्माण के मानदण्डों के राज्य सरकार द्वारा आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। रख-रखाव का कार्य पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कें हस्तान्तरण किये जाने के फलस्वरूप मण्डियों द्वारा नहीं किया जाना था। वन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य कराए जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में वर्ष 2000 से 2005 तक कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर के मण्डी कोष से दो सड़कें, जिनकी लम्बाई 5.60 कि.मी. लागत 33.25 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके विरुद्ध 5.35 कि.मी. लम्बाई

(कृषि विपणन मंत्री)

में सड़कों का निर्माण कराया जाकर रुपये 30.20 लाख का व्यय किया गया था। सड़कों की स्वीकृति/ठेकेदार व निर्माण की सूचना प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जारी विशिष्ठियों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए गुणवत्ता के अनुसार किये गये हैं। वर्ष 2002-03 तक निर्मित सड़कों का रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था अत: राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से रख-रखाव करने का कोई प्रावधान सड़कों के मानदण्डों के आदेश में नहीं लिया गया था। वर्ष 2003-04 में भी मात्र एक सड़क पर ही वार्षिक मरम्मत के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर रख-रखाव कार्य किया गया। पूर्व में निर्मित सड़कें जो कि पहाड़ी एवं अत्यधिक ढलान वाले क्षेत्र में होने के फलस्वरूप सड़क पर पानी बहने से एवं उनका रख-रखाव का प्रावधान नहीं होने से ही सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसका कारण निर्माण कार्य में कोई कमी अथवा किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही नहीं है। जिन सड़कों पर गड्डे एवं पेच पड़े हैं, उनका विवरण प्रपत्र "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुर के पास बचत राशि उपलब्ध नहीं होने से नवीन सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(5) क्षतिग्रस्त सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु मण्डी समिति के पास बचत राशि उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त इनके पुर्निनिर्माण व प्रस्तावित सड़कों के निर्माण कराने का कोई विचार नहीं है। बचत की स्थिति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(प्रति/सूचना आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटड़ा पंचायत समिति (उदयपुर) में साक्षरता कार्यक्रमान्तर्गत नियोजित शिक्षक

293. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(1) पंचायत समिति कोटड़ा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कहां-कहां, किस-किस योजना में वर्ष 2004 तक कक्षा कक्ष निर्माण कार्य अपूर्ण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति गोगुन्दा व कोटड़ा में मुक्तांगन विद्यालयों में शिक्षा मित्र केन्द्रों पर एवं सहज शिक्षा केन्द्रों पर किस-किस स्थान पर कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे एवं वर्तमान में ये कहां-कहां पर अध्ययनरत हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लोक जुम्बिश द्वारा लगाये मुक्तक, शिक्षा मित्र व सहज शिक्षा केन्द्रों पर अध्यापन कराने वाले व्यक्तियों को पुन: किसी भी योजना में लिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटड़ा पंचायत समिति के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत 30 कक्षा कक्षों तथा एन पी ई जी ई एल में 02 कक्षा कक्षों इस प्रकार कुल 32 कक्षा कक्षों का निर्माण अपूर्ण है जिनकी कार्यवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति कोटड़ा में मुक्तांगन विद्यालयों शिक्षा मित्र केन्द्रों एवं सहज शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं वर्तमान में अध्ययनरत की सूचना परिशिष्ट-ख पर एवं पंचायत समिति गोगुन्दा में मुक्तांगन विद्यालयों में शिक्षा मित्र केन्द्रों एवं सहज शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं वर्तमान में अध्ययनरत की सूचना परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची/सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पीलीबंगा में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद

294. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? इनमें किस-किस श्रेणी के कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कई जगह उक्त केन्द्र गैर सरकारी भवनों में चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे केन्द्रों के लिए सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ती अवधि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, मलेरिया निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक एवं बी एच एस (मेल) के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, जिनको विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिये जाने के समय भरे जाने के प्रयास

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

किये जायेंगे। शहरी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा पर भरने के लिए माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है। अब राज्य सरकार से 100 नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है, जिनकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त करवाने के प्रयास जारी हैं। संगणक का रिक्त पद निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा भरा जाना सम्भव हो सकेगा। एवं कनिष्ठ लेखाकार का रिक्त पद निदेशक कोष एवं लेखा विभाग के द्वारा भरा जाना सम्भव हो सकेगा। लेबटेक्नीशियन, प्रसाविका, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में से चार उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है

नाम चिकित्सा संस्था	पद का नाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से रिक्त
1	2	3	4	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा (आर.एफ. डब्ल्यू.सी.)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	8/2004
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	—	
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1/2005
	नर्स ग्रेड-प्रथम	1	—	
	मेलनर्स-2	6	1	6/02
	मलेरिया निरीक्षक	1	1	3/01
	बी एच एस (मेल)	1	1	3/02
	बी एच एस (फिमेल)	1	—	
	संगणक	1	1	7/01
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	6/02
	प्रसाविका	2	1	12/04
	सहायक रेडियोग्राफर	1	—	
	लेब टैक्नीशियन	1	—	
	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	10/04
	कनिष्ठ लिपिक	1	1	10/03
	वाहन चालक	1	—	

1	2	3	4	5
	वार्ड ब्वाय	3	1	10/04
	सफाई कर्मचारी	1	—	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोलूवाला	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स ग्रेड-2	1	—	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	—	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	—	
	प्रसाविका	1	—	
	लेब टैक्नीशियन	1	—	
	वाहन चालक	1	1	8/03
	वार्ड ब्वाय	3	—	
	सफाई कर्मचारी	1	—	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोथावाली	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स ग्रेड-2	2	1	11/04
	प्रसाविका	1	—	
	लेब टेक्नीशियन	1	—	
	वार्ड ब्वाय	2	—	
	सफाई कर्मचारी	1	—	1/00
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाखडावाली	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	नर्स ग्रेड-2	2	1	9/02
	प्रसाविका	2	—	
	लेब टैक्नीशियन	1	1	8/03
	वार्ड ब्वाय	1	—	
	सफाई कर्मचारी	1	1	7/00

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारगढ़	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	मेलनर्स-2	2	1	3/97
	लेब टैक्नीशियन	1	—	
	प्रसाविका	1	—	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाइम)	2	—	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाया	चिकित्सा अधिकारी	1	1	6/04
	मेलनर्स-2	2	1	3/97
	लेब टैक्नीशियन	1	1	3/97
	प्रसाविका	1	—	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाइम)	2	—	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोमासर	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	मेलनर्स-2	2	1	3/97
	च. श्रे. कर्मचारी	3	—	
	प्रसाविका	1	—	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठुकराना	चिकित्सा अधिकारी	1	—	
	मेलनर्स-2	2	1	3/97
	लेब टैक्नीशियन	1	1	3/97
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पार्ट टाइम)	2	—	
	प्रसाविका	1	—	

1	2	3	4	5
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, लखासर	नर्स ग्रेड-2	1	—	
	प्रसाविका	1	—	
	वार्ड ब्वाय	2	—	
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, सदासिंहवाला	नर्स ग्रेड-1	1	—	
	प्रसाविका	1	—	
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डितवाली	नर्स ग्रेड-2	1	—	
	प्रसाविका	1	—	
उप स्वास्थ्य केन्द्र				
1 पीलीबंगा गांव	प्रसाविका	1	—	
2 कालीगंगा (45 एसएस डब्ल्यू)	प्रसाविका	1	—	
3 सूरावाली	प्रसाविका	1	—	
4 हरदयालपुरा	प्रसाविका	1	—	
5 कान्हेवाला	प्रसाविका	1	—	
6 18 एस पी डी ए	प्रसाविका	1	—	
7 प्रेमपुरा	प्रसाविका	1	—	
8 हंसलिया	प्रसाविका	1	—	
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ोपल	नर्स ग्रेड-2	1	—	
	प्रसाविका	1	—	

1	2	3	4	5
9 33 एलएलडब्ल्यू	प्रसाविका	1	—	
10 42 एस एस डब्ल्यू	प्रसाविका	1	—	
11 लोगेवाला	प्रसाविका	1	—	
12 36 एस जी रामपुरा	प्रसाविका	1	—	
13 सरायावाला	प्रसाविका	1	—	
14 दुलमाणा	प्रसाविका	1	—	
15 लिखमीसर	प्रसाविका	1	—	
16 खरलिया	प्रसाविका	1	—	
17 अमरपुरा राठान	प्रसाविका	1	—	
18 अयालकी	प्रसाविका	1	—	
19 उमेवाला	प्रसाविका	1	—	
20 मानकथेडी	प्रसाविका	1	—	
21 3 टी दौलतावाली	प्रसाविका	1	—	
22 डीगवाला	प्रसाविका	1	—	
23 बहलोल नगर	प्रसाविका	1	—	
24 ठेठार	प्रसाविका	1	—	
25 ऐठा	प्रसाविका	1	—	
26 भोजेवाला	प्रसाविका	1	—	
27 8 एसएचपीडी	प्रसाविका	1	—	
28 लालपुरा	प्रसाविका	1	—	
29 निरवाणा	प्रसाविका	1	—	

1	2	3	4	5
30 मानेवाला	प्रसाविका	1	—	
31 5 एफ एन डब्ल्यू एन	प्रसाविका	1	—	
32 13 एसडी	प्रसाविका	1	—	
33 रघुनाथपुरा	प्रसाविका	1	—	
34 भोपालपुरा	प्रसाविका	1	—	
35 भगवानसर	प्रसाविका	1	—	
36 संधर	प्रसाविका	1	—	
37 गुरूसर मोडिया	प्रसाविका	1	—	
38 सरदारपुरा बीका	प्रसाविका	1	—	
39 सरदारपुरा खुर्ता	प्रसाविका	1	—	
40 रंगमहल	प्रसाविका	1	—	
41 2 एफडीएन	प्रसाविका	1	—	
42 भगवानगढ़	प्रसाविका	1	—	
43 कालूसर	प्रसाविका	1	—	
44 3 ए एस	प्रसाविका	1	1	3/2003
45 बख्तावरपुरा	प्रसाविका	1	1	7/2002
46 घमडिया	प्रसाविका	1	1	6/2002
47 गुसाईसर	प्रसाविका	1	1	6/2002

टिब्बी में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

295. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में फ्लोराइडयुक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को फ्लोराइडयुक्त पेयजल की समस्या से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के कुल 606 गांवों में से 71 गांव ऐसे हैं जहां विभाग की कोई योजना नहीं है। 446 गांव विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए हैं जिनमें पेयजल निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप उपलब्ध हो रहा है। 89 गांवों में हैण्डपम्प/डी.सी.बी. है जिनके पानी में फ्लोराइड की मात्रा परिमाप से अधिक है। स्थानवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रान्त में स्वीकृत "राजस्थान इन्टीग्रेटेड फ्लोराइड मिटीगेशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत इस क्षेत्र के गांवों को भी लिया जाना प्रस्तावित है।

नहरी क्षेत्र होने के कारण योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

टिब्बी के फ्लोराइड युक्त पेयजल वाले ग्रामों की सूची

जिला : हनुमानगढ़

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 2001 अनुसार	वर्तमान स्त्रोत
1	2	3	4	5	6
1.	टिब्बी	8 एफटीपी-बी	3271	143	हैण्डपम्प
2.	टिब्बी	11 एफटीपी	3269	174	हैण्डपम्प
3.	टिब्बी	6 केएचआर	3225	147	हैण्डपम्प
4.	टिब्बी	12 जीजीआर	3307	12	हैण्डपम्प
5.	टिब्बी	11 जीजीआर	3309	60	हैण्डपम्प
6.	टिब्बी	1 बीआरडब्ल्यू	3350	247	हैण्डपम्प
7.	टिब्बी	2 केएचआर	3206	121	हैण्डपम्प
8.	टिब्बी	18 एनजीसी	3282	2418	डी.सी.बी. बैल
9.	टिब्बी	5 आरडब्ल्यूडी	3406	56	हैण्डपम्प
10.	टिब्बी	22 एन जी सी	3286	4462	डी.सी.बी. बैल
11.	टिब्बी	21 एन जी सी	3287	18	डी.सी.बी. बैल
12.	टिब्बी	19 एनजीसी-ए	3283	163	डी.सी.बी. बैल
13.	टिब्बी	14 जीजीआर	3306	1676	डी.सी.बी. बैल
14.	टिब्बी	10 एनजीसी	3280	612	हैण्डपम्प
15.	टिब्बी	1 एचएमएच	3260	274	हैण्डपम्प
16.	टिब्बी	7 आरडब्ल्यूडी	3429	44	हैण्डपम्प

1	2	3	4	5	6
17.	हनुमानगढ़	2 एलके	3837	270	हैण्डपम्प
18.	हनुमानगढ़	7 एमडब्ल्यूएम	3797	145	हैण्डपम्प
19.	रावतसर	5 के के एम	4425	56	हैण्डपम्प
20.	रावतसर	1 एस पी एम	4354	57	हैण्डपम्प
21.	रावतसर	10 एस पी एम	4368	374	हैण्डपम्प
22.	रावतसर	4 के के एस एम	4433	31	हैण्डपम्प
23.	रावतसर	3 के के एम	4426	119	हैण्डपम्प
24.	रावतसर	2 केकेएसएम-ए	4429	129	हैण्डपम्प
25.	रावतसर	1 के बी एम	4204	36	हैण्डपम्प
26.	रावतसर	19 आरडब्ल्यूडी	4274	110	हैण्डपम्प
27.	रावतसर	2 एसपीएम-ए	4360	75	हैण्डपम्प
28.	रावतसर	2 केकेएम	4427	91	हैण्डपम्प
29.	रावतसर	5 केकेएसएम	4434	70	हैण्डपम्प
30.	रावतसर	4 केके एम	4430	67	हैण्डपम्प
31.	रावतसर	122 1/2 आरडी	4219	129	हैण्डपम्प
32.	रावतसर	5 ए एम	4260	93	हैण्डपम्प
33.	रावतसर	4 आर पी एम	4404	216	हैण्डपम्प
34.	रावतसर	1 एन जी एम	4238	150	हैण्डपम्प
35.	रावतसर	13 के डब्ल्यूडी-ए	4246	91	हैण्डपम्प
36.	रावतसर	1 ए एम	4258	67	हैण्डपम्प
37.	रावतसर	1 आर पी एम	4401	11	हैण्डपम्प

1	2	3	4	5	6
38.	नोहर	5 के एम	4492	73	हैण्डपम्प
39.	नोहर	18 आरडब्ल्यूडी	4487	71	हैण्डपम्प
40.	नोहर	1 के एम	4483	231	हैण्डपम्प
41.	हनुमानगढ़	8 एमडब्ल्यूएम	3805	26	हैण्डपम्प
42.	टिब्बी	27 एनजीसी	3263	17	हैण्डपम्प
43.	टिब्बी	8 आरडब्ल्यूडी-ए	3435	191	हैण्डपम्प
44.	टिब्बी	15 जीजीबार	3302	68	हैण्डपम्प
45.	टिब्बी	28 एनजीसी	3256	64	हैण्डपम्प
46.	टिब्बी	2 एसबीएन	3208	124	हैण्डपम्प
47.	टिब्बी	1 एनजीआर	3217	112	हैण्डपम्प
48.	टिब्बी	2 जीजीआर	3326	367	हैण्डपम्प
49.	रावतसर	2 पीपीएम	4390	218	हैण्डपम्प
50.	रावतसर	3 पीपीएम	4392	130	हैण्डपम्प
51.	रावतसर	6 के डब्ल्यूडी	4250	54	हैण्डपम्प
52.	रावतसर	13 केडब्ल्यूडी-बी	4207	78	हैण्डपम्प
53.	रावतसर	2 केकेएसएम	4428	136	हैण्डपम्प
54.	रावतसर	3 ए एस एम	4256	86	हैण्डपम्प
55.	टिब्बी	2 आरके	3316	154	हैण्डपम्प
56.	टिब्बी	5 टीएलडब्ल्यू	3319	192	हैण्डपम्प

1	2	3	4	5	6
57.	टिब्बी	3 आरके	3317	238	हैण्डपम्प
58.	टिब्बी	1 आरके	3318	467	हैण्डपम्प
59.	टिब्बी	5 आरके	3314	146	हैण्डपम्प
60.	टिब्बी	16 जीजीआर	3305	10	हैण्डपम्प
61.	टिब्बी	3 जीजीआर	3327	478	हैण्डपम्प
62.	रावतसर	3 के डब्ल्यू डी	4254	116	हैण्डपम्प
63.	रावतसर	6 ए एम	4263	190	हैण्डपम्प
64.	रावतसर	9 के एम	4350	104	हैण्डपम्प
65.	रावतसर	2 एस पी डी	4184	35	हैण्डपम्प
66.	रावतसर	2 के डब्ल्यु डी	4196	286	हैण्डपम्प
67.	रावतसर	4 बी डब्ल्यु एम	4333	23	हैण्डपम्प
68.	रावतसर	7 एस पी डी	4173	44	हैण्डपम्प
69.	रावतसर	2 बी पी एम	4329	68	हैण्डपम्प
70.	रावतसर	2 ए एस एम	4257	143	हैण्डपम्प
71.	रावतसर	10 बी पी एम	4343	91	हैण्डपम्प
72.	रावतसर	15 एन डब्ल्यु डी	4284	144	हैण्डपम्प
73.	रावतसर	2 के एच डी	4215	48	हैण्डपम्प
74.	रावतसर	3 के डी एम	4168	74	हैण्डपम्प
75.	रावतसर	5 एस पी एम	4369	142	हैण्डपम्प

1	2	3	4	5	6
76.	रावतसर	1 ए एस एम	4198	65	हैण्डपम्प
77.	रावतसर	11 केडब्ल्युडी	4248	66	हैण्डपम्प
78.	रावतसर	2 आरडब्ल्युएसएम	4269	88	हैण्डपम्प
79.	रावतसर	6 केडब्ल्युडी	4255	133	हैण्डपम्प
80.	रावतसर	1 आरडब्ल्युएसएम	4270	90	हैण्डपम्प
81.	रावतसर	3 ए एम	4259	85	हैण्डपम्प
82.	रावतसर	2 सी वाई एम	4323	85	हैण्डपम्प
83.	रावतसर	6 डी डब्ल्यु डी	4310	136	हैण्डपम्प
84.	रावतसर	9 ए एम	4264	181	हैण्डपम्प
85.	रावतसर	7 ए एम	4262	214	हैण्डपम्प
86.	रावतसर	8 ए एम	4266	93	हैण्डपम्प
87.	रावतसर	1 डी डब्ल्यु एम	4313	29	हैण्डपम्प
88.	रावतसर	75 आर डी	4191	414	हैण्डपम्प
89.	रावतसर	3 जैड डब्ल्यु एम	4178	357	हैण्डपम्प

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बल्लभनगर में औद्योगिक भूमि का बेचान

468. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में औद्योगिक उपयोग के लिये कितनी भूमि लीज पर दी गई है?

(2) क्या इस प्रकार की जमीन बेचने का अधिकार लीजधारी को होता है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकार की जमीन के बेचान को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में औद्योगिक उपयोग के लिये कुल 20 उद्योगों को 62.5874 हैक्टेयर भूमि लीज पर दी गई है।

(2) औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन एवं विनियमन के लिए राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) के प्रावधानों के अनुसार लीज पर आबंटित भूमि का नियमों के अन्तर्गत (अभिनिर्धारित) अवधि में औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना अपेक्षित है तथा आबंटित भूमि का उस प्रयोजनार्थ जिस प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित की गई थी विनिर्दिष्ट अवधि में उपयोग कर लिया गया हो तो पट्टाधारी राज्य सरकार या आबंटन अधिकारी की लिखित अनुमति से भूमि में अपना हित या अधिकार हस्तान्तरण कर सकता है।

(3) जी नहीं। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन एवं विनियमन के लिए नियमों में समुचित प्रावधान है।

सेमकौर ग्लास लिमिटेड कोटा का अग्नि दुर्घटना प्रकरण

469. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा सेमकौर ग्लास लिमिटेड में दिनांक 1 जनवरी, 2005 को आगजनी की घटना हुई? यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण रहे?

(2) क्या कारखाना प्रबन्धकों द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो इसके लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.2005 को कारखाने में आगजनी की कोई घटना घटित नहीं हुई है। दिनांक 2.1.2005 को कारखाने में संस्थापित ग्लास मोल्डिंग फरनेस के ड्रेन प्लग से पिघले हुए ग्लास के फर्श पर फैलने की घटना घटित हुई थी। पिघले हुए ग्लास के फर्श पर फैलने का कारण, संस्थापित ग्लास मोल्डिंग फरनेस के ड्रेन प्लग से इम्प्यूरीटीज निकालते वक्त पिघले हुए ग्लास का ड्रेन ओरीफीस की साइज अचानक बढ़ जाने के कारण ज्यादा मात्रा में पिघला हुआ ग्लास बाहर आकर फर्श पर फैल गया जिसको तुरन्त ही वहां पर लगे हुए वाटर हाइड्रेन्ट से पानी की बौछारों से ठण्डा कर दिया गया।

(2) जांच के दौरान पाया कि कारखाना प्रबन्धकों द्वारा उक्त घटना में सुरक्षा प्रावधानों की कोई अनदेखी नहीं की गई है।

(3) भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए ड्रेन प्लग जिससे इम्प्यूरीटीज निकाली जा रही थी को स्थाई रूप से बन्द कर दिया गया है। फर्श के एक भाग को चलित प्लेटफर्मा (मुद्रिंग प्लेटफार्म) बनाया गया है जिससे पिघले हुए ग्लास को सीधे ही नाली के द्वारा ले जाया जा सके एवं पानी को नियमित फलों से इसे ठण्डा किया जा सके।

पीपल्दा तहसील (कोटा) के गांवों की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान

470. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के कुछ ग्राम पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं तथा इन ग्रामों में गर्मी के मौसम में टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है? यदि हां, तो ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त ग्रामों में टैंकरों व अन्य साधनों से जलापूर्ति पर गत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? ग्रामवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे ग्रामों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में पेयजल समस्या से प्रभावित चार गांवों में वर्ष 2004 की ग्रीष्म में टैंकरों के माध्यम से परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया गया था। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2000 से 2003 तक की अवधि में तहसील पीपल्दा के किसी भी गांव में टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन नहीं किया गया।

वर्ष 2004 में उक्त तहसील के चार गांवों में टैंकरों से पेयजल परिवहन पर रु. 3.56 लाख तथा वर्ष 2000 से 2004 की अवधि में अन्य साधनों से जलापूर्ति पर रु. 12.11 लाख की राशि व्यय हुई। वांछित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विवरण निम्नानुसार है :-

घटोद-इस ग्राम में वर्ष 2004 में मानक अनुरूप पेयजल गुणवत्ता का एक हैण्डपम्प चालू किया जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

खातौली-इस ग्राम हेतु माह फरवरी, 2005 में एक नलकूप स्वीकृत किया जाकर इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस नलकूप हेतु विद्युत सम्बन्ध लेने की कार्यवाही प्रगति में है। इस नलकूप को माह मई, 2005 में चालू किया जाना लक्षित है।

संग्रामपुरा एवं मोरखुदंना-दोनों गांवों में मानक अनुरूप पेयजल गुणवत्ता के एक-एक हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति माह मार्च, 2005 में जारी हुई है। दोनों हैण्डपम्प माह मई, 2005 में चालू करना लक्षित है।

परिशिष्ट 'अ'

तहसील पीपल्दा जिला कोटा के ग्रामों में वर्ष 2004 में टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन से की गई जलापूर्ति पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या वर्ष 2001	योजना का प्रकार	वर्तमान में चालू हैण्डपम्पों की संख्या	ग्रीष्म 2004 में पेयजल परिवहन		विशेष विवरण
						पेयजल वितरण की कुल मात्रा (किलो लीटर में)	पेयजल परिवहन पर हुआ व्यय वर्ष 2004 (रु. लाख में)	
1.	घटोद	03766750	151	हैण्डपम्प	3	215	0.17	मांग के अनुसार पेयजल परिवहन किया गया
2.	संग्रामपुरा	03769000	188	हैण्डपम्प	3	145	0.17	पेयजल गुणवत्ता मानक अनुरूप न होने के कारण परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया।
3.	मोरखुर्दना	3776900	382	हैण्डपम्प	3	340	0.27	
4.	खातौली	03772500	7071	पाईप्ड	19	2735	2.95	
						कुल व्यय रु.	3.56	

परिशिष्ट "ब"

तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के ग्रामों में वर्ष 2000 से 2004 की अवधि में अन्य साधनों से की गई जलापूर्ति पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	गांव का नाम	स्वीकृत कार्य	व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	2001	खतौली	1 नग नलकूप, पाइप लाइन व विद्युत सम्बन्ध	3.83	पूर्व में स्थापित नलकूप में जल की आवक क्षमता कम होने के कारण नलकूप का निर्माण कराया गया।
2.	2002	घटोद	1 नग हैण्डपम्प	0.49	उचित गुणवत्ता का हैण्डपम्प वर्तमान में चालू है।
3.	2003	खतौली	3 नग हैण्डपम्प	1.55	उचित गुणवत्ता के तीनों हैण्डपम्प वर्तमान में चालू हैं एवं इसके अतिरिक्त 16 अन्य हैण्डपम्प भी कार्यशील हैं।
4.	2003	खतौली	1 नग नलकूप, पाइप लाइन व विद्युत सम्बन्ध	2.00	पूर्व में स्थापित नलकूपों में जल की आवक क्षमता कम होने के कारण नलकूप का निर्माण कराया गया।
5.	2004	मोरखुर्दना	1 नग हैण्डपम्प	0.50	हैण्डपम्प में उपलब्ध जल की टी.डी.एस. निर्धारित मानक से अधिक है।
6.	2004	संग्रामपुरा	1 नग हैण्डपम्प	0.50	हैण्डपम्प में उपलब्ध जल की टी.डी.एस. निर्धारित मानक से अधिक है।

1	2	3	4	5	6
7.	2004	खतौली	1 नग नलकूप, पाइप लाइन व विद्युत सम्बन्ध	3.24	केन्द्रीय भू-जल विभाग द्वारा निर्मित नलकूप को ग्रीष्म 2004 के दौरान विभाग द्वारा चालू किया गया
			कुल व्यय रु.	12.11	

सीकर में पेयजल व्यवस्था हेतु किये गये कार्य

471. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक कितने हैण्डपम्प, पानी संग्रहण टैंक, पानी की टंकी, नलकूप, डी.सी.बी. स्वीकृत किये गये? इनमें से किन-किन का निर्माण करवाया जा चुका है व कितनों की उपादेयता शुरू हो गई है?

(2) विधान सभा क्षेत्र सीकर में स्वीकृत हैण्डपम्प, पानी संग्रहण टैंक, पेयजल टंकियां, नलकूप, डी.सी.ब्री. में से कितनों का कार्य शुरू नहीं हुआ व कितने कार्य अधूरे हैं? अपूर्ण एवं शुरू नहीं हुए कार्यों के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सीकर शहर में वर्ष 2004 में पेयजल सप्लाई हेतु पाइप लाइन डाली गई है? यदि हां, तो कब व कहां से कहां तक? क्या सम्बन्धित पाइप लाइन की उपादेयता शुरू हो गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं तथा जो कार्य अपूर्ण हैं सरकार उनको कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(5) विधान सभा क्षेत्र सीकर में कितने ट्यूबवैल एवं डी.सी.बी. निर्माण के दौरान फेल हुए? क्या सरकार द्वारा सम्बन्धित ठेकेदारों से उनकी जगह अन्य ट्यूबवैल बनवाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक स्वीकृत उल्लिखित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र	हैण्डपम्प	नलकूप	डी.सी.बी.	जलाशय	
				भूतल	उच्च
ग्रामीण	82	13	12	1	0
शहरी	0	16	3	0	0

उक्त स्वीकृत कार्यों में से निर्मित एवं इनकी उपादेयता का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में समाहित है।

(3) जी हां। सीकर शहर में वर्ष 2004 में डाली गई पाइप लाइन एवं इनकी उपादेयता का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। प्रगतिरत एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की सम्भावित अवधि का उल्लेख परिशिष्ट "क" में समाहित है।

(5) उक्त क्षेत्र में अब तक क्रमश: 29 नलकूप एवं 15 डी.सी.बी. का निर्माण कराया गया है। निर्मित समस्त नलकूप एवं डी.सी.बी. निर्माण के दौरान सफल रहे हैं। अत: अन्य नये नलकूप अथवा डी.सी.बी. बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

खेतड़ी के जनता जल योजनान्तर्गत चयनित ग्राम

472. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कितने ग्राम पेयजल स्कीम में और कितने ग्राम हैण्डपम्प स्कीम मे स्वीकृत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दाताराम गुर्जर)

(2) क्या सरकार हैण्डपम्प स्कीम को टी.एस.एस. या अन्य स्कीम में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम जनता जल योजना में स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के समस्त 85 ग्राम विभाग द्वारा संचालित एवं संधारित विभिन्न पेयजल योजनाओं से निम्नानुसार लाभान्वित हैं :-

क्र. सं.	जल योजना का प्रकार	लाभान्वित गांवों की संख्या
1.	पाइप्ड	17
2.	क्षेत्रीय	09
3.	पम्प एण्ड टैंक (जनता जल योजना)	26
4.	टी.एस.एस.	13
5.	हैण्डपम्प	20
	कुल योग-	85

वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यदि ग्रामवासी तत्पर हो तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामवासियों की पसन्द एवं स्वरुचि के अनुसार योजना परिवर्तन सम्भव है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 26 गांव जनता जल योजनान्तर्गत लाभान्वित है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में समाहित है।

परिशिष्ट- "अ"

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में संधारित की जाने वाली समस्त पेयजल योजनाओं की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं. (वर्ष 2001)	वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल आबादी	योजना का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	बबाई	00736200	9805	पाइप्ड
2.	बड़ाऊ	00734400	6115	पाइप्ड
3.	चारावास	00728800	4014	पाइप्ड
4.	दलेलपुरा	00735000	2718	पाइप्ड
5.	ढाणी बाढा	00728000	2190	पाइप्ड
6.	गौरीर	00731800	4564	पाइप्ड
7.	हरडिया	00735600	2434	पाइप्ड
8.	जसरापुर	00728500	8387	पाइप्ड
9.	लोयल	00728700	2771	पाइप्ड
10.	गानोता जाटान	0072790	1880	पाइप्ड
11.	नांगलिया गुजरवास	00732800	3449	पाइप्ड
12.	पपुरना	00733800	8363	पाइप्ड
13.	राजोता	00729800	1113	पाइप्ड
14.	सेफरागुवार	00735500	3985	पाइप्ड
15.	शिमला	00731200	5071	पाइप्ड
16.	तातीजा	00728200	4440	पाइप्ड
17.	त्यौन्दा	00733500	4995	पाइप्ड

1	2	3	4	5
18.	बसई	00732300	5261	क्षेत्रीय
19.	डाडा फतेहपुरा	00733300	4634	क्षेत्रीय
20.	जमालपुर	00732200	1801	क्षेत्रीय
21.	मेहाडा जाटूवास	00732900	2872	क्षेत्रीय
22.	गांडी	00733000	1105	क्षेत्रीय
23.	मुकन्दपुरा	00731500	1002	क्षेत्रीय
24.	नालपुर	00733200	3379	क्षेत्रीय
25.	ठाठवाडी	00731400	1625	क्षेत्रीय
26.	टीबा	00732100	1574	क्षेत्रीय
27.	बांशियाल	00733600	2404	टीएसएस
28.	भीटेरा	00729000	1449	टीएसएस
29.	चिराणी	00730000	2622	टीएसएस
30.	गाडराटा	00734200	3315	टीएसएस
31.	जुझारपुर	00730500	1130	टीएसएस
32.	खरकडा	00728300	2486	टीएसएस
33.	खातीपुरा	00730700	613	टीएसएस
34.	मानोता कलां	00730400	1705	टीएसएस
35.	मानोता खुर्द	00730300	2349	टीएसएस
36.	नया नगर	00732500	459	टीएसएस
37.	रूपा का बास	00735800	955	टीएसएस
38.	संजयनगर	00734000	6037	टीएसएस
39.	सरदारपुरा	00736300	289	टीएसएस

1	2	3	4	5
40.	बाडलवास	00732700	2759	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
41.	बागौर	00729500	1025	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
42.	बीलवा	00729400	2311	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
43.	बंसरडा	00732400	2437	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
44.	बूरका	00734700	614	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
45.	चिंचडोली	00735700	1364	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
46.	दालौता	00731600	1348	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
47.	देवता	00728100	3266	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
48.	ढोसी	00731300	1479	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
49.	दूदूवा नांगलिया	00731700	4845	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
50.	गणेशपुरा	00730800	589	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
51.	ककराय	00731100	1249	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
52.	कालोटा	00734800	4584	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
53.	कांकरिया	00735200	4770	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
54.	किशनपुरा	00731900	1590	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
55.	माधोगढ़	00734900	4908	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
56.	मान्दरी	00731000	1407	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
57.	नंगली सलेदीसिंह	00728900	2916	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
58.	नौरंगपुरा	00735300	1669	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
59.	पदेवा	00735100	1278	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
60.	रसूलपुर	00734600	3630	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
61.	रवां	00730900	2299	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)

1	2	3	4	5
62.	रोजडा	00730600	1391	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
63.	श्री कृष्णनगर	00734500	2266	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
64.	श्री सरदारपुरा	00728600	1319	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
65.	सिहोड	00732600	4346	पम्प एण्ड टैंक (जेजेवाई)
66.	अजीतपुरा	00734100	311	हैण्डपम्प
67.	बन्धा की ढाणी	00733700	914	हैण्डपम्प
68.	बांकोटी	00729200	1388	हैण्डपम्प
69.	बसन्त विहार	00728400	1559	हैण्डपम्प
70.	चुन्दाडा	00735900	338	हैण्डपम्प
71.	ढाणी भजनावाली	00730200	938	हैण्डपम्प
72.	ढाणी धीमा	00736000	501	हैण्डपम्प
73.	ढाणी ईलाखर	00732000	653	हैण्डपम्प
74.	धीरजपुरा	00733100	245	हैण्डपम्प
75.	कुरण्ड	00730100	904	हैण्डपम्प
76.	मण्डाना	00736100	1541	हैण्डपम्प
77.	मोडकी	00734300	1046	हैण्डपम्प
78.	नानूवाली बावडीं	00729700	7541	हैण्डपम्प
79.	प्रतापपुरा	00736400	2158	हैण्डपम्प
80.	रामकुवारपुरा	00733900	2344	हैण्डपम्प
81.	रामपुरा	00733400	278	हैण्डपम्प
82.	स्यामपुरा	00729100	1626	हैण्डपम्प
83.	सुनारी	00735400	1806	हैण्डपम्प

1	2	3	4	5
84.	टीलावाली	00729300	795	हैण्डपम्प
85.	तिहाडा	00729900	569	हैण्डपम्प

धौलपुर शहर की पुनर्गठित योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति

473. **श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :** क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर शहर के पीने के पानी की समस्या के हल हेतु वर्ष 1996 में स्वीकृत पुनर्गठित योजना का लाभ अभी तक शहरवासियों को प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर शहर में उक्त योजनान्तर्गत निर्मित तीनों उच्च जलाशयों से पूर्ण क्षमता से अभी तक पानी का वितरण प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त नवनिर्मित तीनों जलाशयों से पूर्ण क्षमतानुसार आगामी ग्रीष्म ऋतु से पूर्व पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार धौलपुर शहर की पुरानी बस्तियों जैसे सोलह खम्भा जिरोली, झोर, गंवा राजघाट, रूंध में पाइप लाइन बिछाकर पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्वीकृत योजना द्वारा शहरवासियों को आंशिक रूप से लाभान्वित कर दिया गया है।

(2) जी हां। स्वीकृत योजना में फिल्टर प्लान्ट का कार्य शेष रहने के कारण पूर्ण क्षमता से अभी तक पेयजल वितरण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां। मई, 2005 में तीनों जलाशयों से पेयजल वितरण पूर्ण क्षमता से किया जाना प्रस्तावित है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी हां। वर्तमान परिपेक्ष्य में इन बस्तियों में नियमानुसार सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप लाइन द्वारा पेयजल वितरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए न्यूनतम जन सहयोग आवश्यक है।

तारानगर के ग्रामों हेतु पेयजल योजना

474. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तारानगर के कालोडी, देवीपुरा, जयपुरिया खालसा तथा जयपुरिया पट्टा में माह जनवरी और फरवरी, 2005 में पेयजल की सप्लाई नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में समय पर पेयजल उपलब्ध नहीं करवाने का कौन दोषी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में पेयजल हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गांवों में आबादी एवं पशु संख्या के आधार पर कितना पानी उपलब्ध होना चाहिये और वर्तमान में कितना पानी उपलब्ध हो रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं। माह जनवरी तथा फरवरी, 2005 में प्रश्न में उल्लेखित गांवों में आंशिक पेयजल वितरण हुआ। पेयजल कमी का प्रमुख कारण निर्धारित न्यूनतम 8 घंटे (लगातार) विद्युत आपूर्ति के स्थान पर औसत 5-6 घंटे विद्युत आपूर्ति 3 से 4 ट्रिपिंग के साथ होना है। इन गांवों में की गई पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रासंगिक कारण प्रंश्न के भाग 1 के उत्तर में निहित है। कोई अधिकारी/ कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) जी हां। ग्राम कालोडी में पीने के पानी की समस्या को हल करने के

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

लिए क्षेत्रीय जल योजना बुधावास-कालोडी के पुनर्गठन के प्रस्ताव राशि रु. 19.13 लाख के सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व जांच में है। योजना के पुनर्गठित प्रस्तावों में सांखू पम्प हाउस में एक उच्च जलाशय का निर्माण कर ग्राम कालोडी को सीधी पाइप लाइन से पीने का पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान लिया गया है। स्वीकृति उपरान्त योजना को 1 से 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम पेजीपुरा में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये विभाग द्वारा पुनर्गठित जल योजना, चांदगोठी-सुलखणिया की स्वीकृति राशि रु. 7.54 लाख की माह मार्च, 2005 में जारी हो चुकी है। स्वीकृति के अनुरूप विभाग द्वारा छोटी पाइप लाइन को बड़ी पाइप लाइन से बदला जावेगा। योजना को सितम्बर, 2005 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

जयपुरिया खालसा में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए मूंदी बड़ी के पम्प हाउस में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक समर्पित पावर फीडर की स्वीकृति राशि रु. 7.97 लाख प्रदान की जा चुकी है। विभाग द्वारा विद्युत विभाग को दिनांक 28.3.2005 को समर्पित पावर फीडर के डिमाण्ड नोट की राशि रु. 7.08 लाख जमा करवा दी गयी है।

ग्राम जयपुरिया पट्टा में भी पीने के पानी की समस्या का समाधान मूंदी बडी पम्प हाउस में समर्पित पावर फीडर के माध्यम से 24 घंटे बिजली मिलने पर समाधान प्रस्तावित है। योजना को मई, 2005 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(4) वांछित विवरण निम्न प्रकार है :-

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

गांव का नाम	2001 की जनसंख्या	विभागीय नोर्म्स के अनुसार पानी की मांग प्रतिदिन		वर्तमान में की जा रही जलापूर्ति प्रतिदिन	
		आबादी के लिए	पशुओं के लिए	क्षेत्रीय योजना से	स्थानीय कुएं से
कालोडी	939	38 ली.	29 किली.	10 किली.	29 किली.
देवीपुरा	1047	42 ली.	31 किली.	10 किली.	31 किली.
जयपुरिया-खालसा	679	28 ली.	19 किली.	7 किली.	0 किली.
जयपुरिया-पट्टा	224	9 ली.	7 किली.	3 किली.	0 किली.

काल - जनवरी-फरवरी 2005

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक	ग्राम	जनसंख्या 2001	स्थिति	क्षेत्रीय योजना से औसत पेयजल (लगभग) (एलपीसीडी) (नहरी जल)	ग्राम में स्थित कुएं से प्राप्त औसत जल (एलपीसीडी)
1	2	3	4	5	6
1.	कालोडी	939	क्षेत्रीय जल योजना बुधावास-कालोडी का अन्तिम छोर का गांव	10	30
2.	देवीपुरा	1047	क्षेत्रीय जल योजना चांदगोठी-सुलखणिया का अन्तिम छोर का गांव।	9	28
3.	जयपुरिया खालसा	755	क्षेत्रीय जल योजना ददरेवा खुडी-पाबासी का अन्तिम छोर का गांव	11	—

1	2	3	4	5	6
4.	जयपुरिया पट्टा	224	क्षेत्रीय जल योजना ददरेवा खुडी-पाबासी का अन्तिम छोर का गांव	12	—
नोट :- क्रमांक 1 व 2 में स्थित स्थानीय खुले कुओं के पानी की गुणवत्ता मानदण्डों के अनुकूल नहीं है। यह पानी खाने पीने की आवश्यकता के अतिरिक्त मानव मांग व पशु हेतु उपयोग हो सकता है।					

गंगापुर सिटी की पेयजल समस्या के सुधार हेतु गठित समिति

475. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्थानीय विधायक के सभापतित्व में विभागीय अधिकारियों की समिति बनाकर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु प्रयास किया गया है?

(2) यदि हां, तो गंगापुरसिटी (जिला सवाईमाधोपुर) में ऐसी कमेटी की कितनी बैठकें हुई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बैठकों में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर अनुसार।

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर हेतु आशुलिपिकों की नियुक्ति

476. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राज्य में पदस्थापित उपखण्ड अधिकारियों एवं सहायक कलक्टरों के पास कनिष्ठ लिपिक के एक पद को समाप्त कर आशुलिपिक का एक-एक पद सृजित किया गया है?

(2) राज्य में प्रत्येक जिले में ऐसे कितने आशुलिपिक के पद सृजित किये गये व नव सृजित पदों के विरुद्ध कितने आशुलिपिक अब तक नियुक्त किये जा चुके हैं। तथा प्रत्येक जिलेवार कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तथा इन रिक्त पदों पर सरकार कब तक नियुक्ति/पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 12929 दिनांक 24.9.1998 द्वारा 85 सहायक कलक्टर कार्यालयों एवं 24 उपखण्ड कार्यालयों में स्टेनोग्राफर के कुल 109 पद सृजित किये गये थे। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

बाकी बचे ए.सी.एम., एस.डी.ओ. व अन्य राजस्व न्यायालयों हेतु 92 पद स्टेनों के सृजित कराने के प्रस्ताव वर्ष 2005-06 हेतु वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं।

स्टेनोग्राफर उपलब्ध न होने के कारण पदस्थापन नहीं हो सका। कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने पर पदस्थापित किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट "क"

स्टेनोग्राफर के सृजित किये गये पदों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	सहायक कलक्टर कार्यालय	उपखण्ड कार्यालय	योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	3	—	3
2.	अलवर	7	—	7
3.	बांसवाड़ा	1	—	1
4.	बारां	3	1	4
5.	बाड़मेर	1	7	1
6.	भरतपुर	8	—	8
7.	भीलवाड़ा	2	4	6
8.	बीकानेर	2	—	2
9.	बून्दी	3	—	3
10.	चित्तौड़गढ़	2	—	2
11.	चूरू	2	—	2
12.	दौसा	3	1	4
13.	धौलपुर	2	—	2
14.	डूंगरपुर	1	1	2
15.	श्रीगंगानगर	1	1	2
16.	हनुमानगढ़	4	2	6
17.	जयपुर	6	1	7

1	2	3	4	5
18.	जैसलमेर	1	—	1
19.	जालौर	2	2	4
20.	झालावाड़	1	—	1
21.	झुंझुनूं	1	—	1
22.	जोधपुर	2	2	4
23.	करौली	2	2	4
24.	कोटा	3	2	5
25.	नागौर	6	—	6
26.	पाली	2	—	2
27.	राजसमन्द	1	3	4
28.	सवाईमाधोपुर	1	1	2
29.	सीकर	3	—	3
30.	सिरोही	1	1	2
31.	टोंक	5	—	5
32.	उदयपुर	3	—	3
योग		**85**	**24**	**109**

चौमूं के गांवों की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

477. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितनी गोचर भूमि है? खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो चुके हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर अतिक्रमण है? खसरा नम्बर सहित ग्राम पंचायतवार अतिक्रमियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्रामवार कुल चारागाह भूमि 3387.09 हैक्टेयर है। ग्राम पंचायतवार खसरा नम्बरवाइज सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम लोहरवाड़ा, भूतेड़ा, उदयपुरिया, भरडा, हानोदा, टांकरडा व सामोद को छोड़कर शेष 33 ग्राम पंचायतों में गोचर भूमि पर 617 व्यक्तियों द्वारा कुल 134.04 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही समय-समय पर की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-478

(स्थगित)

राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड

479. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर का राजस्व नाम क्या है? यदि मूल नाम ब्यावर नहीं है तो इसे सही करवाने हेतु क्या कार्यवाही अपेक्षित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्व ग्राम घोषित करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड रखे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ब्यावर नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है। ब्यावर मुख्यालय के पटवार हल्का नयानगर, छावनी परेड व शाहपुरा, बीचड़ली है। राजस्व रेकार्ड में "नयानगर" का नाम ब्यावर दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त पत्र के क्रम में, जिला कलक्टर, अजमेर से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.9.1953 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रकरण का परीक्षण कर बिन्दुवार टिप्पणी चाही गई है। टिप्पणी प्राप्त होने पर प्रकरण बाद परीक्षण सहमति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया जावेगा क्योंकि किसी भी प्रशासनिक इकाई का नाम परिवर्तन बिना भारत सरकार की सहमति के सम्भव नहीं है।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार किसी मजरे/ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के लिए उस मजरे/ढाणी की आबादी 250 से कम नहीं होनी चाहिए, रेगिस्तानी एवं पहाड़ी इलाकों में आबादी 200 से कम नहीं होनी चाहिए तथा उस मजरे/ढाणी के नवीन राजस्व ग्राम घोषित होने पर मूल गांव की आबादी भी 250 से कम नहीं रहनी चाहिए।

अतारांकित प्रश्न संख्या-480

(स्थगित)

हिण्डौली तहसील क्षेत्र की काबिल काश्त भूमि का किस्म परिवर्तन

481. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र हिण्डौली की कृषि योग्य भूमि का प्रत्येक पंचायत में इस आधार पर आबंटन नहीं किया जा सकता कि राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म बरडा पठार दर्ज है?

(2) तहसील हिण्डौली की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कितनी-कितनी कृषि भूमि पर बर्डा एवं पठार आदि दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत में इस प्रकार की भूमि पर किसान काफी समय से काश्त कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की काबिल काश्त भूमि जिसकी किस्म बरडा पठार आदि दर्ज है, की किस्म परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तहसील हिण्डौली की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में बरडा एवं पठार आदि भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है। उक्त बरडा व पठार भूमि में से कितनी भूमि कृषि योग्य है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) यह सही है कि उक्त क्षेत्र में कुछ स्थानों पर किसान काफी समय से काश्त कर रहे हैं। उक्त क्षेत्र में खनिज विभाग की रिपोर्ट अनुसार भूमि के नीचे काफी क्षेत्र में पत्थर है व राज्य सरकार ने ऐसे खनिज सम्भावित क्षेत्रों का खतौनी में इन्द्राज करने के आदेश जारी किये हैं। ऐसे खनिज सम्भावित क्षेत्र पर नियमन/आबंटन सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में यदि भूमि मौके पर काबिल काश्त है तो किस्म परिवर्तन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर किस्म परिवर्तन बाबत निर्णय लिया जायेगा।

परिशिष्ट "अ"

तहसील क्षेत्र हिण्डौली में गै.मु. बरडा व पठार दर्ज भूमि का विवरण पंचायतवार

क्र. सं.	नाम पंचायत	गै. मु. बरडा/पठार
1	2	3
1.	हिण्डौली	2891.16 बीघा
2.	पगारा	15283.19 बीघा
3	रोशन्दा	3827.15 बीघा
4.	उमर	6651.08 बीघा
5.	पेच की बावड़ी	5585.07 बीघा
6.	टोकड़ा	4222.12 बीघा
7.	बसोली	13161.07 बीघा
8.	ओवस	65.11 बीघा
9.	खोरखटा	2923.06 बीघा
10.	नेगढ़	1538.10 बीघा
11.	डाटून्दा	4129.17 बीघा
12.	थाना	7729.00 बीघा
13.	विजयगढ़	4184.03 बीघा
14.	गोकुलपुरा	4151.03 बीघा
15.	बडा नयागांव	318.11 बीघा
16.	सथूर	8405.01 बीघा
17.	बडोदिया	1046.07 बीघा
18.	सहसपुरिया	5145.02 बीघा
19.	गुढा	1741.00 बीघा

1	2	3
20.	मनकली कला	496.18 बीघा
21.	दवलाना	2761.01 बीघा
22.	भवानीपुरा	2875.07 बीघा
23.	रानीपुरा	1854.14 बीघा
24.	संतवंतगढ़	136.05 बीघा
25.	डाबेटा	541.14 बीघा
26.	गोठडा	1512.17 बीघा
27.	रोणिजा	6588.05 बीघा
28.	मेण्डी	5842.00 बीघा
29.	धोवड़ा	5306.03 बीघा
30.	काछोला	6124.18 बीघा
31.	अलोद	0.05 बीघा
32.	छा. का नयागांव	111.15 बीघा
33.	रा. का खेडा	2.01 बीघा
34.	आकोदा	3306.17 बीघा
35.	ठीकरदा	2469.17 बीघा
36.	अणदगंज	842.06 बीघा
37.	चेता	6.04 बीघा
38.	चतरगंज	584.03 बीघा
योग		134, 854.05 बीघा

एस. डी. एम. कार्यालय कठूमर के स्थानान्तरित कर्मी

482. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र कठूमर में एस.डी.एम. कार्यालय में चुनावी आचार संहित लागू होने के बावजूद भी लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किन-किन कर्मियों के किस किस पद पर?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील कठूमर में रजिस्ट्री की सीट पर किसी कनिष्ठ लिपिक को पदस्थापित कर रखा है? यदि हां, तो क्यों व किसे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थानान्तरण आचार संहिता का उल्लंघन करके किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। श्री ओमप्रकाश जैमन क. लि. को रजिस्ट्री की सीट पर लगाया हुआ है। पदस्थापन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाता है।

(3) जी नहीं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की मण्डियों में कृषि उत्पादों से आय

483. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की प्रथम व द्वितीय चरण की मण्डियों में गत 5 वर्षों में कृषि उत्पादों की कितनी आवक हुई तथा इससे कितनी आमदनी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रश्नगत मण्डियों में गत पांच वर्षों में हुई आवक एवं मण्डी शुल्क से आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

परिशिष्ट "अ"

आयक क्विंटल में व मण्डी शुल्क से आय (लाखों में)

क्र. सं.	मण्डी समिति का नाम	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
		आयक	मण्डी शुल्क	आयक	मण्डी शुल्क	आयक	मण्डी शुल्क	आयक	मण्डी शुल्क	आयक	मण्डी शुल्क
1.	अनुपगढ़	904438	161.56	933115	168.06	541102	92.37	582260	102.35	634451	135.87
2.	घड़साना	1057783	205.54	1009561	193.34	349117	71.19	461273	82.87	454656	119.12
3.	रावला	587643	108.48	520811	103.02	210374	36.69	270563	43.58	346678	72.20
4.	खाजूवाला	648266	137.87	426694	102.82	236131	42.91	222895	45.00	297270	64.65
5.	लूणकरणसर	389416	88.51	275894	46.45	997423	60.00	260104	51.81	415877	82.23
6.	बीकानेर	180993	46.07	132950	56.25	139134	67.68	65164	58.84	148394	96.12
7.	सूरतगढ़	498712	100.18	522802	96.9	601.87	77.79	772586	91.94	476137	104.13
8.	रावतसर	466220	79.67	482949	81.59	485342	68.15	499763	83.04	587772	113.11
9.	पीलीबंगा	1091902	170.74	1183986	182.06	989369	135.08	1066930	161.54	1205899	190.83
10.	बीकानेर	180993	46.07	132950	56.25	139134	67.68	65164	58.84	148394	96.12

कपासन में फसल बीमा से लाभान्वित कृषक

484. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में फसल बीमा योजना लागू है? यदि हां, तो इसके तहत कौन-कौनसी फसलें आती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फसल बीमा योजना हेतु सरकार के मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में लघु व सीमान्त कृषक भी आते हैं? यदि हां, तो इसमें कृषकों को न्यूनतम कितनी राशि का प्रावधान है?

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन में गत वित्तीय वर्ष में कितने किसान इस योजना से लाभान्वित रहे? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में खरीफ 2003 से फसल बीमा योजना लागू की गई। खरीफ-2004 में 14 फसलें क्रमश: धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, चौला, उड़द, अरहर, ग्वार, तिल, मूंगफली, सोयाबीन एवं अरण्डी शामिल हैं। रबी 2004-05 में क्रमश: गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, धनिया, जीरा एवं मसूर फसलें इस योजनान्तर्गत सम्मिलित की गई हैं।

(2) ऋणी कृषक जो व्यवसायिक/सहकारी संस्थाओं से फसल ऋण लेता है उसे फसल बीमा योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। गैर ऋणी कृषक के लिये यह योजना ऐच्छिक है। प्रत्येक फसल मौसम में राज्य सरकार द्वारा फसलवार तहसीलवार अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें समुचित फसल में पिछले 5 वर्ष के बुवाई के औसत क्षेत्र 500 हैक्टर या अधिक है, उस तहसील को बीमा हेतु संसूचुयित किया जाता है। अधिसूचना में प्रीमियम की दर, गारण्टी पैदावार, बीमित राशि, तहसील का नाम इत्यादि का विवरण होता है। अधिसूचना के आधार पर ही कृषकों का बीमा किया जाता है एवं प्रीमियम राशि वसूल की जाती है। तहसील क्षेत्र में 16

(कृषि मंत्री)

फसल कटाई प्रयोग के आधार पर फसलवार, तहसीलवार उपज का अनुमान लगाया जाता है जिसकी तुलना गारंटी पैदावार से की जाती है। गारंटी पैदावार से वास्तविक पैदावार कम होने पर संसूचित तहसील में संसूचित फसल के लिये सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

(3) जी हां। लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्ष 2004-05 में प्रीमियम राशि पर 10 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन में वित्तीय वर्ष 2003-04 में बीमा कराने वाले कृषकों की संख्या लगभग 215 है। वर्ष 2003-04 में बीमा के मापदण्ड अनुसार कपासन तहसील में क्षतिपूर्ति देय नहीं थी अत: लाभान्वित कृषकों की संख्या शून्य रही है।

ब्यावर में मलेरिया से मृत्यु

485. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के किस-किस गांव में मलेरिया के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में अब तक मलेरिया से कितनी मौतें हुई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के किसी भी गांव में मलेरिया के प्रकोप की सूचना प्राप्त नहीं है। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 30 गांवों में मलेरिया के 150 पी.एफ. रोगियों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के गांवों में दिनांक 1.1.2004 से 31.12.2004 तक 6 मलेरिया पी.एफ. से मौते हुई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) मलेरिया की रोकथाम हेतु कीटनाशक डी.डी.टी. पायरेथ्रम तथा सायफ्लूथिन का छिड़काव कराया जाता है। पी.एफ. रोगी पाये जाने पर उस क्षेत्र विशेष का मास सर्वे, कान्टेक्ट की व्यवस्था की जाती है एवं पानी के गड्डों में जला हुआ मोबिल आयल एवं पानी के होदों में लार्वाभक्षी मछलियां डलवायी जाती हैं। गांव में नि:शुल्क दवा वितरण केन्द्र (डीडीसी) खोल दिये गये हैं।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	मलेरिया रोगियों की संख्या
1	2	3	4
1.	ब्यावर शहर		23
2.	राजियावास	1. शाहपुरा	11
		2. सुरडिया	19
		3. बायला	17
		4. राजियावास	20
		5. देवखेडा	07
		6. माण्डेडा	01
3.	जवाजा	7. जवाजा	01
		8. मालका चौडा	09
		9. नयाखेडा	01
		10. कुणाल	01
		11. हथानखेडा	03
		12. केमारिया	01
		13. रेना का तालाब	02
		14. धोलादाता	01

1	2	3	4
		15. हीरा का बाडिया	02
		16. काबरा	01
		17. बडकोचरा	02
		18. सोनियाना	01
		19. रूढाणा	01
		20. तारागढ़	03
		21. अनाकर	01
4.	किशनपुरा	22. अमरपुरा	02
		23. किशनपुरा	01
		24. दुर्गावास	04
		25. जालिया-II	07
5.	बडाखेडा	26. बराखन	02
		27. अरनाली	01
		28. पालडी	02
		29. बडाखेडा	01
6.	टाटगढ़	30. टाटगढ़	02
		योग	**150**

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम	पिता/ पति का नाम	उम्र	निवासी	रा.प.स. दिनांक	परीक्षण दिनांक	मृत्यु दिनांक
1.	गीता	बोरम	23 वर्ष	माण्डेडा (बायला) रजियावास	30.5.04	30.5.04	31.5.04
2.	ललिता	लक्ष्मण मेघवाल	07 वर्ष	खेडा दुर्गावास किशनपुरा	21.9.04	21.9.04	22.9.04
3.	गणपत	नाथूसिंह	30 वर्ष	जवाजा	27.9.04	27.9.04	30.9.04
4.	तोलीदेवी	माखन सिंह	70 वर्ष	मालका चौड़ा तारागढ़ (जवाजा)	8.10.04	8.10.04	8.10.04
5.	कालू	भगवान सिंह	04 वर्ष	खारिया (तारागढ़)	20.10.04	21.10.04	22.10.04
6.	जानू	पूनम सिंह	10 वर्ष	बनेवडी	22.10.04	23.10.04	23.10.04

थानागाजी के चिकित्सालयों में रिक्त पद

486. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कुल कितने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ऐडपोस्ट केन्द्र हैं?

(2) उक्त सभी केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डर, नर्स, लेब टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को अब तक नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 एडपोस्ट (उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र) संचालित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एडपोस्टों (उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों) में चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डरों, नर्स, लेब टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
चिकित्सा अधिकारी	12	10	2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. बलदेवगढ़ एवं खोदरीबा पर कार्यग्रहण नहीं किया है।
नर्स श्रेणी प्रथम/द्वितीय	36	35	1	
एल.एच.बी./प्रसाविका	29	28	1	
लेब टैक्नीशियन	11	11	—	
वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	32	32	—	

पदों का भरना एवं रिक्त रहना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को नियमानुसार डी.पी.सी./नई भर्ती एवं स्थानान्तरण के द्वारा भरने के प्रयास किये जाते हैं।

(3) जी हां। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा पर भरने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे रखा है। अब राज्य सरकार द्वारा 100 नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है, जिनकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त करवाने के प्रयास जारी हैं। प्रसाविका का रिक्त पद राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

बयाना राजकीय चिकित्सालय (भरतपुर) में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

487. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अतर सिंह भड़ाना)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, बयाना में कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन, शिशु रोग विशेषज्ञ. नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा एम्बुलेन्स ड्राइवर के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से तथा इन्हें सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, बयाना में आपरेशन थियेटर बना हुआ है, किन्तु उपकरण नहीं है? यदि हां, तो सरकार थियेटर के उपकरण कब तक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि बयाना चिकित्सालय हेतु सरकार द्वारा सोनाग्राफी मशीन स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो अब कब तक मशीन उपलब्ध करवा दी जावेगी? चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ फिजिशियन, कान नाक गला विशेषज्ञ, महिला चिकित्सक एनेस्थिसिया के पद स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो यह पद कब तक स्वीकृत किये जावेंगे?

(4) क्या यह सही है कि बयाना राजकीय चिकित्सालय के लिए ब्लड बैंक स्वीकृत है? यदि हां, तो इसे अब तक स्थापित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे और अब सरकार उक्त ब्लड बैंक कब तक स्थापित करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि सहित निम्न प्रकार है:-

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	1	6/2003
वाहन चालक	1	4/2001

कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पद पदोन्नति से भरा जाना है जिसको विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वाहन चालक का रिक्त पद वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर भरने के प्रयास किये जावेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। आपरेशन थियेटर में आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध हैं फिर भी आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना के अन्तर्गत जिला/उपखण्ड स्तर (सैकेण्डरी लेवल) के चिकित्सा संस्थानों का Need Assessment कराया गया था। जिसके अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पाये गये Gap को पूरा करने हेतु परियोजना में प्रावधान रखा गया है। पाई गई कमी के अनुसार उपकरणों की सप्लाई परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं, 50 शैयाओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना में वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग, ईएनटी. निश्चेतन) के पद स्वीकृत नहीं है निर्धारित मापदण्ड अनुसार उक्त पद स्वीकृत कराये जाने का प्रावधान नहीं है। कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद स्वीकृत है जो वर्तमान में भरा हुआ है।

(4) जी नहीं।

जोधपुर शहर के उपभोक्ता भण्डारों का निरीक्षण

488. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों द्वारा उपभोक्ता भण्डार की संचालित दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो पिछले चार वर्षों में किन-किन दुकानों का किस-किस दिनांक को निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान क्या कमियां पाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पेन्शनर्स को दवाइयां दिये जाने वाले काउन्टर की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों द्वारा उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से संचालित दुकानों का निरीक्षण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तदधीन नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेन्शर्स काउन्टर की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट "अ"

जोधपुर शहर में पदस्थापित औषधि निरीक्षकों द्वारा उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से संचालित दुकानों का निरीक्षण किया गया उसका विवरण :-

क्र. सं.	फर्म का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई कमियां
1	2	3	4
1.	मै. फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति फलोदी जिला जोधपुर	7.3.2001	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।
2.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. पुलिस लाइन डि. जोधपुर	8.5.2001	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।
3.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. एमडीएम अ. ब्रांच-2 जोधपुर।	11.5.2001	

1	2	3	4
4.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. एमजीएच अ. ब्रांच-2 जोधपुर।	29.6.2001	
5.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. राजकीय चिकित्सालय बिलाडा, जोधपुर	7.5.2002	1. लाइसेन्स नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। 2. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।
6.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. एमडीएम अ.ब्रांच-4 जोधपुर	25.4.2003	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।
7.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. सहकार भवन, जोधपुर सेन्ट्रल गोदाम।	2.5.2003	—
8.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. राजकीय चिकित्सालय, बिलाडा, जोधपुर	8.5.2003	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। 2. फार्मासिस्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये व न ही नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये।
9.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. एमडीएम अस्पताल ब्रांच 2, जोधपुर	18.7.2003	—

1	2	3	4
10.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. रा. से.अ. पावटा जोधपुर	25.8.2003	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। 2. रेफ्रिजरेटर में नहीं रखे जाने वाली औषधियां रेफ्रिजरेटर में रखी पाई गई। 3. अवधि पार ब्रेकेज वाली औषधियों का रिकार्ड निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. डाक्टर का नाम व अवधिपार तिथि बिलों पर अंकित नहीं किया गया। 5. निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा 3 में वर्णित अवधिपार औषधियों के क्रय विक्रय विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
11.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. सेन्ट्रल गोदाम, सहकार भवन, जोधपुर	12.9.2003	1. मूल लाइसेन्स उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित नहीं किये गये। 2. विक्रय बिलों में क्रेता के लाइसेन्स नम्बर अंकित नहीं किये गये। 3. विक्रय बिल क्रमवार जारी नहीं किये गये। 4. विक्रय बिलों में स्वयं के लाइसेन्स नम्बर अंकित नहीं किये गये।

1	2	3	4
12.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. एम जी एच अ. ब्रांच-2 जोधपुर	19.9.2003	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। 2. रिपोर्ट में वर्णित औषधियों का सबस्ट्यूट करना पाया गया। 3. चार विक्रय बिल बुक एक साथ संधारण की जा रही है। 4. डाक्टर का नाम एवं अवधि पार तिथि बिलों पर अंकित नहीं की जाती है।
13.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. एम जी एच अ. ब्रांच-1 जोधपुर	19.9.2003	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। 2. रिपोर्ट में वर्णित औषधियों का सबस्ट्यूट करना पाया गया। 3. दो विक्रय बिल बुक साथ संधारण की जा रही है। 4. डाक्टर का नाम एवं अवधि पार तिथि बिलों में अंकित नहीं की गई।
14.	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार लि. कमला नेहरू कक्ष चिकित्सालय, जोधपुर	13.5.2004	1. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। 2. मूल लाइसेन्स व नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। 3. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के मूल व नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

1	2	3	4
15	मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. एमडीएम अस्पताल ब्रांच 2, जोधपुर	20.10.2004	—

नसबन्दी आपरेशन की असफलता के कारणों का निदान

489. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान नसबन्दी शिविरों में उन्नीस महिलाओं की मृत्यु हो गई एवं अनेकों के नसबन्दी होने के बावजूद बच्चे पैदा हो गये व अनेकों महिलाएं आजीवन बीमारी की शिकार हो गई? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यक्रम को और सुरक्षित करने हेतु शिविरों में योग्य एनिस्थटिस्ट का उपस्थित होना अनिवार्य करने, आक्सीजन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा नसबन्दी आपरेशन से पूर्व स्त्री-पुरुष की पूरी जांच कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि कई मामलों में नसबन्दी कराये गये व्यक्ति के तीसरी संतान उत्पन्न हो गई और कानूनन उन्हें जनप्रतिनिधि चुने जाने के अयोग्य घोषित किया गया?

(3) क्या सरकार इस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु परिवार कल्याण से जुड़े विज्ञापनों में यह वाक्य भी जोड़ेगी कि "नसबन्दी आपरेशन की सफलता शतप्रतिशत नहीं होती है।"

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान नसबन्दी शिविरों में 19 महिलाओं की मृत्यु हो गई। वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक कुल महिला

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नसबन्दी आपरेशन 1304247 हुए है, जिनमें से 1540 नसबन्दी आपरेशन असफल हुए हैं जो कि 0.118 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि नसबन्दी आपरेशन चिकित्सक द्वारा पूर्ण सूझबूझ एवं सावधानी पूर्वक किये जाने पर भी असफल होने की सम्भावना रहती है। "टेक्सट बुक आफ गायनोकोलोजी एण्ड कोन्टासेफ्टीज एडीशन-1988" के अनुसार प्रति 1000 नसबन्दी केसेज में 1 से 10 नसबन्दी केसेज के असफल होने की सम्भावना रहती है। पिछले 5 वर्षों में नसबन्दी आपरेशन पश्चात् एक भी महिला आजीवन बीमारी की शिकार नहीं हुई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में नसबन्दी आपरेशन भारत सरकार द्वारा प्रेषित फिमेल एवं मेल स्टरलाइजेशन गाइड लाइन के अनुसार किये जाते हैं। उक्त गाइड लाइन के अनुसार नसबन्दी शिविरों में योग्य एनेस्थेटिक्स, आक्सीजन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा नसबन्दी आपरेशन से पूर्व स्त्री-पुरुष की पूरी जांच कराने की व्यवस्था की जाती है।

(2) इस प्रकार की सूचना विभाग में संकलित नहीं की जाती है।

(3) परिवार कल्याण कार्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रखकर परिवार कल्याण कार्यक्रम से जुड़े विज्ञापनों में इस प्रकार का वाक्य जोड़ना उचित नहीं है। विभाग द्वारा नसबन्दी आपरेशन करने से पूर्व प्रत्येक महिला एवं पुरुष से आवेदन पत्र एवं सहमति पत्र भरवाया जाता है जिसमें यह अंकित है कि "मुझे यह भी पता है कि आपरेशन के असफल होने की भी सम्भावना हो सकती है" (नसबन्दी हेतु आवेदन पत्र एवं सहमति पत्र की प्रति संलग्न है)

उपबन्ध-1

नसबन्दी हेतु आवेदन एवं सहमति-पत्र

नाम : श्री/श्रीमती...

पति/पत्नी का नाम : ....

पूर्ण पता : ....

पिता का नाम : ....

पूर्ण पता : ....

आपरेशन केन्द्र : ....

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया मेरी नसबन्दी कराने की व्यवस्था करें। मेरी आयु...............है और मेरे पति/पत्नी की आयु..............है। हम विवाहित हैं और मेरे पति/पत्नी जीवित है/ मेरे.......लड़के और.......लड़कियां हैं। सबसे छोटे बच्चे की आयु.........वर्ष है।

मैंने नसबन्दी कराने का निर्णय बिना किसी के दबाव, प्रलोभन अथवा मजबूरी के लिया है। मुझे पता है कि गर्भ निरोध के अन्य तरीके मेरे लिये सुलभ हैं और इनके बारे में मुझे अच्छी तरह से बताया गया है। आपरेशन करने के पात्रता मानदण्ड मुझे बतलाये गये हैं और मैं इस बात की पुष्टि करता/करती हूं कि मानदण्डों के अनुसार मेरा आपरेशन किया जा सकता है मुझे पता है कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये यह आपरेशन स्थाई है और आपरेशन के बाद मेरे कोई बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे। मुझे यह भी पता है कि आपरेशन के असफल होने की भी सम्भावना हो सकती है। इसके लिये मेरे अथवा मेरे रिश्तेदार अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्पताल/संस्था और आपरेशन करने वाले डाक्टर को जिम्मेदार नहीं माना जायेगा। नसबन्दी आपरेशन के असफल होने की स्थिति में मैं मेरी पत्नी के/मेरे मासिक धर्म न होने के दो सप्ताह के अन्दर केन्द्र/डाक्टर को सूचित करूंगा/करूंगी एवं मैं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नि:शुल्क एमटीपी सेवा एवं मानसिक यंत्रणा के रूप में देय क्षतिपूर्ति राशि 5000/- रुपये प्राप्त करने का/की ही हकदार होऊंगा/होऊंगी।

मेरे पति/पत्नी की पहले नसबन्दी नहीं हुई है। मुझे पता है कि मैं ऐस आपरेशन करा रहा/रही हूं जिसमें खतरा हो सकता है। मुझे जब भी अनुवर्ती जांच के लिये केन्द्र/डाक्टर के पास जाने को कहा जायेगा, मैं आऊंगा/आऊंगी। डाक्टर द्वारा मेरे लिये उपयुक्त समझे गये किसी भी प्रकार के संवेदनाहरण (एनेस्थेसिया) के द्वारा आपरेशन कराने और सम्बन्धित डाक्टर द्वारा उचित समझी गई औषधियों को लेने के लिये मैं सहमत हूं।

उपर्युक्त जानकारी मैंने पढ़ ली है/मुझे पढ़कर समझा दी गई है।

साक्षी के हस्ताक्षर.......................... नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम और पता ....

साक्षी सेवा केन्द्र से सम्बद्ध व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हो सकता है यह तब लागू होगा जब नसबन्दी कराने वाला व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता हो और उक्त जानकारी उसको अन्य व्यक्ति द्वारा बतलाई गई हो।

1. मैं श्री/श्रीमती .... को जानता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार उनके द्वारा दी गई सूचना सही है।

प्रेरक के हस्ताक्षर

नाम और पूरा पता

2. नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति को उक्त आपरेशन के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया गया है।

परामर्शी के हस्ताक्षर

नाम और पूरा पता

3. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि श्री/श्रीमती.........................पात्र आयु वर्ग के हैं और नसबन्दी आपरेशन के लिये मानसिक तौर से और स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि

उनका पहले नसबन्दी आपरेशन हुआ है। मैंने नसबन्दी कराने के इच्छुक व्यक्ति को बतला दिया है कि यह कार्य एक कानूनी कागजात की हैसियत रखता है।

आपरेशन करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर (नाम एवं पता)	चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर (नाम एवं पता)

नसबन्दी की अस्वीकृति

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती.. निम्नलिखित कारणों से नसबन्दी कराने के लिये उपयुक्त नही है :

1. ....
   ....

2. ....
   ....

उन्हें गर्भ निरोधक के लिये निम्नलिखित वैकल्पिक विधि उपलब्ध कराई गई है :-

....
....

परामर्शी अथवा निर्णय लेने वाले

चिकित्सक के हस्ताक्षर

(नाम व पता)

* परामर्शी कोई भी स्वास्थ्य कार्मिक और डाक्टर हो सकता है।

सीकर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

490. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़-सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर जिले के किस-किस चिकित्सालय में कितने एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि सहित परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मलेरिया निरीक्षक एवं बी.एच.एस. (मेल)/(फिमेल), वरिष्ठ लिपिक, नर्स श्रेणी-प्रथम के पद पदोन्नति के हैं। इन पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी-द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे दिया गया। अब राज्य सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए 100 पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को भर दिया जावेगा। संगणक का पद सांख्यिकीय विभाग से भरा जायेगा तथा शेष अन्य पद सीधी भर्ती के हैं जो वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

सीकर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण

नाम चिकित्सा संस्था	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त
1	2	3	4
श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर	कनिष्ठ विशेषज्ञ नर्स-ग्रेड प्रथम	2 2	1/05, 3/05, 8/04 व 9/04
	मेलनर्स-2	2	1/05
	टेलर	1	4/03
	वार्ड बॉय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	11/03 व 8/04
क्षय निवारण केन्द्र, सीकर	बी.सी.जी. टेक्नीशियन	2	7/03, 8/03
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपराली	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	11/03
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूदन	बी.एच.एस. (मेल)	1	11/95
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	8/02
	संगणक	1	12/04
	कनिष्ठ लिपिक	1	10/04
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाटूश्यामजी	बी.एच.एस. (मेल)	1	4/95
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	4/95
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दांता	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	10/04

1	2	3	4
	वाहन चालक	1	7/97
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोसल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	10/04
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	5/04
	नर्स श्रेणी-प्रथम	1	10/04
	वरिष्ठ लिपिक	1	5/04
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीम का थाना	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	8/04
	दन्त तकनीशियन	1	9/95
	वार्ड बाय	1	4/03
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	10/04
	वरिष्ठ लिपिक	1	3/03
	नर्स श्रेणी-2	1	3/05
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुहाला	वाहन चालक	1	2/03
	वार्ड बाय	2	6/03 व 9/03
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीमाधोपुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	5/03
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिंगस	कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन	1	3/05
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजीतगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	9/04

1	2	3	4
	कनिष्ठ लिपिक	1	3/03
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेला	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	2/04
	वरिष्ठ लिपिक	1	10/04
	कनिष्ठ लिपिक	1	8/04
	वाहन चालक	1	1/02
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1/05
	दन्त तकनीकीशियन	1	9/95
	नर्स-प्रथम	2	3/04
	वाहन चालक	3	9/97
	वार्ड बाय	2	4/04
	सफाई कर्मचारी	1	3/04
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ सेठान	वरिष्ठ लिपिक	1	11/03
	वाहन चालक	1	9/97
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	3/04
	बी.एच.एस. (मेल)	1	3/95
	बी.एच.एन. (फिमेल)	1	9/95

1	2	3	4
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाचरियावास	नर्स-प्रथम	1	11/04
	नर्स-2	4	11/04
	फार्मासिस्ट	1	11/04
	वरिष्ठ लिपिक	1	11/04
	कनिष्ठ लिपिक	1	11/04
	वार्ड बाय	7	11/04
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दातारामगढ़	वार्ड बाय	1	9/98
	सफाई कर्मचारी	2	वर्ष 95 व 7/00
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. कोछोर	वार्ड बाय	1	9/03
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. चला	सफाई कर्मचारी	1	7/03
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबला	वार्ड बाय	1	5/04
	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. हसामपुर	सफाई कर्मचारी	1	9/03
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. महरोली	लैब टैक्नीशियन	1	7/04
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. ढांढण	कनिष्ठ लिपिक	1	9/03
	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र. बिरानिया	नर्स-2	1	10/04
	वार्ड बाय	2	9/02
	सफाई कर्मचारी	1	9/02

1	2	3	4
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरोही	बी.एच.एस. (मेल)	1	9/95
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	9/95
	सफाई कर्मचारी	1	3/04
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डरू	बी.एच.एस. (मेल)	1	9/95
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	9/95
	संगणक	1	3/03
	वाहन चालक	1	7/98
	वार्ड बाय	1	2/05
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलसाना	बी.एच.एस. (मेल)	1	9/95
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	9/95
	संगणक	1	12/04
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताजसर	बी.एच.एस. (मेल)	1	9/04
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	9/95
	वाहन चालक	1	3/95
	वार्ड बाय	1	1/05
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाजोद	बी.एच.एस. (मेल)	1	9/95
	बी.एच.एस. (फिमेल)	1	9/95
	मलेरिया निरीक्षक	1	3/03

1	2	3	4
	वाहन चालक	1	3/95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्यामगढ़	नर्स-2	1	10/04
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रशीदपुरा	लैब टैक्नीशियन	1	7/04
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागलवा	वार्ड बाय	1	5/93
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चीपलाटा	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडा	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ी	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदोली	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टटेरा	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटोदा	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोरुबड़ी	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगला नाथूसर	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नागवा	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैसवा	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोरावरनगर	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलूणा	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95

1	2	3	4
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुड	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दांतरू	वार्ड बाय	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलनावा	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाड़ली	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर जागीर	सफाई कर्मचारी	1	वर्ष 95

मावली (उदयपुर) में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

491. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की अनुशंसा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा की गई है?

(2) क्या सरकार तहसील मावली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या आधारित मापदण्डानुसार पंचायत समिति मावली में आवश्यकता से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

सांगोद-कुन्दनपुर-पलायथा सड़क मार्ग का राज्य राजमार्ग में परिवर्तन

492. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड कोटा द्वारा

(श्री भरत सिंह)

स्टेट हाईवे 51 कोटा, केथून, सांगोद, छबडा, गरनावदा मार्ग को नेशनल हाईवे संख्या 76 से जोड़ने बाबत सांगोद, कुन्दनपुर, पलायथा मार्ग को एम.डी.आर. घोषित करवाने से सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये है? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भिजवाये गये?

(2) क्या यह सही है कि यह प्रस्तावित मार्ग हाड़ौती के तीन प्रमुख जिलों बारां, कोटा व झालावाड़ को जोड़ता है एवं राष्ट्रीय मार्ग संख्या 76 स्टेट हाईवे 51 तथा स्टेट हाईवे संख्या 1 इस प्रस्तावित मार्ग द्वारा जुडते हैं?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में पलायथा मार्ग की हालत खस्ता है तथा सड़क संकड़ी होने के कारण यातायात प्रभावित होता है? यदि हां, तो क्या इस सड़क को एम. डी.आर. घोषित करने के स्थान पर स्टेट हाइवे का ही भाग बना कर नेशनल हाइवे संख्या 76 को स्टेट हाईवे संख्या 51 से जोड़ने पर अमल करना ज्यादा उपयोगी है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करने से सांगोद से कोटा व बारां जाने के लिये नेशनल हाईवे संख्या 76 जो कि चार लेन का नेशनल हाइवे होगा उसका लाभ 3 जिलों की जनता को मिलेगा? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को स्टेट हाइवे घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सांगोद, कुन्दनपुर, पलायथा अन्य जिला सड़क संख्या 12 मार्ग को एम.डी.आर. में परिवर्तित करने सम्बन्धित प्रस्ताव विभाग में दिनांक 24.7.2004 को प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव राज्य के वर्ष 2005-06 के अन्य प्रस्तावों के साथ विचाराधीन है।

(2) जी हां।

(3) सांगोद से पलायथा सड़क (ओ.डी.आर. 12) वर्तमान में 3.0 मीटर चौड़ाई की डामर सड़क है। जिस पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। इसकी लम्बाई 49 किमी. है। जो कि सिर्फ एन.एच. 76 राज्य उच्च मार्ग 51 एवं 1 को आपस में जोड़ती है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इसको मुख्य जिला सड़क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिस पर निर्णय शीघ्र कर लिया जावेगा।

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

रायसिंहनगर में स्वीकृत सड़कें

493. श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 100 दिवसीय कार्य योजनान्तर्गत कौन-कौनसी सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई?

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में गत एक वर्ष में कौन-कौनसी सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 100 दिवसीय योजनान्तर्गत कोई भी नई सड़क की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के मिसिंग लिंक परियोजना के अन्तर्गत निम्न सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

1. (i) रायसिंहनगर से करड़वाली किमी. 9/400 से 19/400 10 किमी. संशोधित वित्तीय स्वीकृति 143.11 लाख

(ii) 20 पी.एस से रिडमलसर किमी. 16/300 से 21/300 5 किमी. संशोधित वित्तीय स्वीकृति 70.93 लाख।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-04 में एक सड़क की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हुई थी।

(iii) लिंक रोड़ 31 एम.एल. 1.10 किमी. रुपये 13.34 लाख।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उपरोक्त तीन सड़कों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

2. रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-2005 में कोई भी नई सड़क की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2004-2005 में आर.एम.यू.पी. फेज-प्रथम में निम्न सड़कों में अपग्रेडेशन एवं नवीनीकरण करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

(i) रायसिंहनगर विजयनगर सड़क किमी. 33/00 से 35/00 2 किमी., 8.60 लाख, कार्य पूर्ण।

(ii) रायसिंहनगर-जैतसर सड़क किमी. 6/00 से 12/00, 13/00 से 17/00, 25/00 से 27/00 एवं 27/00 से 30/00 15 किमी. 48.75 लाख, कार्य पूर्ण।

नोट :- किमी. 6/0 से 17/0 में कार्य पूर्ण 25/0 से 30/0 सड़क ग्रेफ को स्थानान्तरित हो चुकी है।

बांदीकुई की ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण

494. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर 750 तक की आबादी के कितने गांव डामर सड़क से जोड़ दिये गये व कितने गांव बिना जुड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बिना जुड़े गांवों को सरकार कब तक डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में अनुमानित जनगणना वर्ष 200[illegible] की जनसंख्या के अनुसार 750 तक की आबादी के कुल 126 गांव है जिनमें से 11[illegible] गांव डामर सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 16 गांव डामर सड़क से बिना जुड़े हैं। विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर अंकित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उक्त बिना जुड़े गांवों में से दो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-IV (विश्व बैंक प्रायोजित) में स्वीकृत है, जिनको मार्च 2006 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। शेष गांवों को वर्ष 2007 तक इस योजना में स्वीकृत कर डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

अनुमानित जनगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या अनुसार 750 आबादी तक के डामर सड़क से जुड़े गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या
1	2	3
1.	बांदीकुई जागीर	9716
2.	श्यालावास खुर्द	6620
3.	गुढाकटला	5692
4.	अरनियां	4610
5.	पण्डितपुरा	4281
6.	लोटवाड़ा	4265
7.	बडियालकलां	4261
8.	नन्देरा	4098
9.	गुल्लाना	4004
10.	धनावड	4000
11.	ऊन बड़ा गांव	3910
12.	करनावर	3890
13.	गुडलिया	3794
14.	गोलाड़ा	3438
15.	बालाहेड़ा	3436

1	2	3
16.	हिंगोटा	3402
17.	कोलाना	3382
18.	प्रतापपुरा	2971
19.	खेड़ी	2914
20.	मुही	2776
21.	कुटी	2776
22.	पीचूपाड़ा खुर्द	2587
23.	बिवाई	2503
24.	भावता	2378
25.	अनन्तवाड़ा	2338
26.	पीचूवाड़ा कलां	2332
27.	राणापाड़ा	2269
28.	बाड़बगीची	2266
29.	धांधोलाई	2188
30.	अलीपुर	2183
31.	पुंदरपाड़ा	2171
32.	ढीगारिया कपूर	2153
33.	बडाबास	2129
34.	निहालपुरा	2116
35.	रलावता	2109
36.	बैजूपाडा	1997
37.	बावडीखेडा	1997

1	2	3
38.	पामांडी	1973
39.	ढिगारिया भीम	1971
40.	कीरतपुरा	1970
41.	रेहडिया	1969
42.	भाण्डेडा	1956
43.	मोट्रका	1946
44.	बास बिवाई	1888
45.	एचेडी	1881
46.	जयपुरा	1792
47.	द्वारापुरा	1771
48.	मुकरपुरा	1734
49.	कोलवा	1725
50.	सोडाला	1629
51.	सोमाडा	1626
52.	केसरीसिंहपुरा	1618
53.	आभानेरी	1609
54.	फुलेला	1572
55.	देलाडी-	1556
56.	महुखुर्द	1528
57.	सुधारनपाड़ा	1526
58.	सबडावली	1473
59.	बास गुढलिया	1466

1	2	3
60.	श्यालावास कलां	1429
61.	श्यामसिंह पुरा	1427
62.	कालेड	1416
63.	सुमेलकलां	1405
64.	नांगल	1384
65.	मोराडी	1373
66.	मूडघीस्या	1344
67.	भांवती	1329
68.	बडियाल पुर	1329
69.	भोजवाड़ा	1327
70.	काटरवाड़ा	1317
71.	आनन्दपुरा	1313
72.	मीनापाड़ा	1294
73.	झांझया का बास	1293
74.	खूंटला	1286
75.	नांगल झामरवाड़ा	1277
76.	ढिगारिया टप्पा कालेश्वर	1257
77.	झोपड़ी	1254
78.	नारायणपुरा	1241
79.	जस्सापाड़ा	1216
80.	दुब्बी	1211
81.	महूखेड़ा	1181

1	2	3
82.	रूपवास	1180
83.	पातरखेडा	1165
84.	मीतरवाडी	1141
85.	मेडी	1134
86.	नागवास	1131
87.	गादरवाडा गूजरान	1111
88.	चोरवाडा	1100
89.	झूथाहेडा खुर्द	1082
90.	किशनपुरा	1077
91.	चांदेरा	1075
92.	बगडेडा	1067
93.	सुनगाडी	1032
94.	बासडा	1032
95.	गिरधरपुरा	1019
96.	गुढा आशिकपुरा	1019
97.	भंदाड़ी गूजरान	1014
98.	चोबड़ीवाला	1009
99.	खेड़ा	971
100.	कोठीन	955
101.	तिगढ्ढा	948
102.	गादरवाडा ब्राह्मण	921
103.	नया गांव	911

1	2	3
104.	रानी का बास	911
105.	बैंसला का बास	906
106.	दिलावरपुरा	891
107.	कंचनपुरा	809
108.	अगावली	800
109.	लीलोज	799
110.	झांझीरामपुरा	752

परिशिष्ट "ख"

अनुमानित जनगणना वर्ष 2001 की जनसंख्या अनुसार 750 आबादी तक के डामर सड़क से बिना जुड़े गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	झूंथाहेड़ा कलां	992	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज चतुर्थ (विश्व बैंक प्रायोजित) में कार्यादेश दिया गया है तथा कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
2.	हरिपुरा	962	—"—
3.	लीलोज का गोला	873	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज पंचम (नियमित) में प्रस्तावित वर्ष 2006 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
4.	श्यामपुरा	867	—"—
5.	ढाणी हरिजन	860	—"—
6.	रामपुरा	859	—"—

1	2	3	4
7.	पाड़ला	849	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज पंचम (विश्व बैंक प्रायोजित) में प्रस्तावित वर्ष 2006 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
8.	भेदाडी मीणा	848	—"—
9.	थड़ा की ढ़ाणी	845	—"—
10.	विजयपुरा	819	वर्ष 2007 तक प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाना प्रस्तावित है
11.	गढमेड्या की ढाणी	819	—"—
12.	खूट जाटोली	806	—"—
13.	धपावन कलां	786	—"—
14.	नारायणपुर	777	—"—
15.	तुग्गड़ का बास	762	—"—
16.	ठीकरिया	750	—"—

करौली अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

495. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एक वित्तीय वर्ष में अधिशासी अभियन्ता को कितनी राशि तक के कार्य बिना निविदाएं प्राप्त किए स्वीकार करने का अधिकार है?

(2) करौली जिले में वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 में ऐसे कितने कार्य करवाये गये?

उत्तर

(1) शिड्यूल आफ पावर के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिशासी अभियन्ता को एक प्रकरण राशि 0.30 लाख रुपये तक जो कि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख तक के कार्य बिना निविदाएं प्राप्त किये स्वीकार करने का अधिकार है।

(2) करौली जिले में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में निम्नानुसार कार्य करवाये गये है :-

वित्तीय वर्ष	खण्ड करौली		खण्ड हिण्डौनसिटी	
	कार्यों की संख्या	राशि रु.	कार्यों की संख्या	राशि रु.
2003-04	—	—	—	—
2004-05	1	0.27 लाख	—	—

जयपुर-नागौर सड़क मार्ग की मरम्मत

496. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) स्टेट हाइवे नं. 2ए का मार्ग जयपुर से नागौर तक किस-किस गांव में होकर निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस स्टेट हाइवे के लिए कभी विश्व बैंक से निर्माण कार्य कराने के प्रस्ताव भेजे गये थे तथा राशि भी प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो किस वर्ष में व कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा यह कार्य क्यों नहीं कराया गया?

(3) उक्त स्टेट हाइवे का कौन-कौनसा हिस्सा अत्यधिक क्षतिग्रस्त है तथा उसका सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा?

(4) विधान सभा क्षेत्र नावां के स्टेट हाईवे नं. 19 कुचामन से राजलिया, सुरेरा, रेनवाल की क्या प्रगति है? सरकार द्वारा इस स्टेट हाईवे का सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण निर्माण कार्य कब कराया जायेगा?

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

(5) स्टेट हाइवे नं. 7 व 2 सी.आर.एफ. योजना के निर्माण कार्य का संवेदक कौन था तथा इस निर्माण कार्य के बाद बार-बार क्षतिग्रस्त होना तथा इस स्वीकृत कार्य में 88.91 लाख रुपयों का कार्य नहीं करने का क्या कारण है?

(6) उक्त सी.आर.एफ. सड़क का सर्वे एवं व्यय अनुमान तैयार करने वाले अधिकारी कौन-कौन थे?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में स्टेट हाइवे नं. 2ए का रूट जयपुर से जोबनेर, पंचकोडिया, लूणवा, लोहराना, नावां, कुचामन, बूड़सू होते हुए छोटी खाटू तक था। छोटी खाटू से स्टेट हाईवे 2 में मिल जाती थी। छोटी खाटू से नागौर तक मुख्य गांवों से बड़ी खाटू व तरनाउ व रोल आते हैं जो वर्तमान में जयपुर से नावां तक स्टेट हाइवे 2सी है। जिसमें मुख्य गांव जोबनेर, पचकोडिया व लोहराना आते हैं। नावां से कुचामन सिटी तक स्टेट हाईवे 2 का भाग है व कुचामन सिटी से नागौर तक स्टेट हाईवे 19 का भाग है।

(2) उपरोक्त स्टेट हाईवे के लिये विश्व बैंक से निर्माण कार्य करवाने के प्रस्ताव बनाये गये थे। स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(3) स्टेट हाईवे नं. 2ए के नागौर जिले के किसी भी हिस्से में कोई भी भाग क्षतिग्रस्त नहीं है। जयपुर जिले के अन्तर्गत 68 किमी. लम्बाई में से 38.6 किमी. लम्बाई क्षतिग्रस्त है जिस पर पैच रिपेयर का कार्य कराया जा चुका है। सी.आर.एफ. मद के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 2 कार्यों के प्रस्ताव दिनांक 19.2.2005 को मोर्थ को भिजवाये गये हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	राशि (लाखों में)
1.	किमी. 9/900 से 31/0 एवं 39/500 से 40/0	21.60	135.62
2.	किमी. 40/0 से 50/0 एवं 51/0 से 58/0	17.00	110.70
	योग	**38.60**	**246.32**

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मोर्थ (केन्द्र सरकार) से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराना सम्भव होगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र नावां में स्टेट हाईवे नं. 19 कुचामन सिटी से राजलिया के किमी. 285/0 से किमी. 318/0 तक 33 किमी. है, जिनमें से 285/0 से 293/0 तक आर.यू.पी. के तहत नवीनीकरण किया गया। किमी. 293/0 से किमी. 298/0 एवं किमी. 304/0 से किमी. 312/0 तक कुल 13 किमी. में डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. के तहत कार्य प्रगति पर है एवं किमी. 315/0 से 318/0 तक 3 किमी. कच्चा है। इस स्टेट हाईवे के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(5) स्टेट हाईवे नं. 7 व नं. 2 सी.आर.एफ. योजना के निर्माण कार्य का संवेदक मैसर्स सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर था। आबादी क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था के अभाव में सड़क बरसात अधिक होने से व पलाड़ा में नदी क्षेत्र होने से सड़क क्षतिग्रस्त होती है। गिट्टी कार्य अकाल राहत के तहत करवाने, सड़क की स्थिति के अनुसार डामरीकरण में मिक्स मेटेरियल का वास्तविक मात्रा का उपयोग अनुमानित मात्रा से कम होने, पानी के बहाव कम होने से आवश्यकतानुसार प्रोटेक्शन दीवार बनने, सी.एस. पेविंग के स्थान पर डामरीकरण करने, पुलियाओं के स्लेब ठीक हालत में होने से नहीं बदलने के कारण बचत हुई।

(6) उक्त सी.आर.एफ. सड़क का सर्वे अनुमान तैयार करने वाले अधिकारी श्री दिलीप सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता उप खण्ड कुचामन सिटी, श्री महेन्द्र सिंह चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता उपखण्ड नावां, श्री सतीश शर्मा, सहायक अभियन्ता कुचामन सिटी, श्री आर.के. सिंहल, तकनीकी सहायक, खण्ड परबतसर, श्री एच.आर. मण्डा, अधिशासी अभियन्ता खण्ड परबतसर, श्री शंकरलाल, अधीक्षण अभियन्ता वृत्त नागौर एवं श्री दामोदर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सम्भाग अजमेर थे।

रानीवाड़ा की मिसिंग लिंक सड़कें

497. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा (जालौर) में मिसिंग लिंक सड़कों को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में कौन-कौनसी सड़कों को प्राथमिकता दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत 4 सड़क कार्य (वर्ष 2003-04 में स्वीकृत) है जिनकी लम्बाई किमी. 15.00 व राशि रु. 160.91 लाख के स्वीकृत है। उसमें से चारों (4) सड़क कार्य 14.2 किमी. बी.टी. पूर्ण हो चुके हैं। उपरोक्त कार्यों के अलावा वर्तमान में कोई भी मिसिंग लिंक सड़कों को बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान (वर्ष 2003-04) में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़क कार्यों का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	भौतिक प्रगति बी.टी. (किमी.)	विशेष विवरण
1.	धानोल से धामसीन	5.00	60.14	5.00	कार्य पूर्ण
2.	कूड़ा से हर्षवाड़ा	2.00	25.31	2.00	कार्य पूर्ण
3.	कोटड़ा से थली का बेरा	5.00	44.75	5.00	कार्य पूर्ण
4.	दईपुर से गांग	3.00	30.71	2.2	कार्य पूर्ण वास्तविक लम्बाई
	योग	15.00	160.91	14.2	

गोगुन्दा पंचायत समिति (उदयपुर) में पुल निर्माण

498. **श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम पंचायत रावछ में नदी पर पुलिया का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) उक्त पुलिया हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई व उसमें से कितनी राशि व्यय की गई तथा कितनी शेष है?

(3) क्या यह सही है कि यह पुलिया नदी के साथ बह गई थी? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसे पुन: पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार आवाणी पुलिया ग्राम पंचायत रावलिया खुर्द को बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम पंचायत रावछ में नदी पर पुलिया पर निर्माण कार्य वर्ष 1996-97 में स्वीकृत होकर कार्य पूर्ण कराया गया है। वर्तमान में उक्त पुलिया डामर सड़क के आखिरी छोर से 50 मीटर आगे स्थित होने की वजह से उसकी अप्रोच पर डामर का कार्य अधूरा है परन्तु पुलिया की स्थिति ठीक एवं सुचारू है।

(2) वर्ष 1996-97 में बी.एम.एस.पी. स्कीम के अन्तर्गत राशि 20.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई एवं 18.28 लाख रुपये व्यय कर सेमल से रावछ तक सी.डी. वर्क व रिटेनिंग वाल का निर्माण वर्ष 1999 तक पूर्ण कराया गया। अब उक्त योजना समाप्त कर दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। वर्णित आवणी पुलिया जो सम्पर्क सड़क गोगुन्दा रावलिया खुर्द

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रोड से बागदा वाया आवणी पर स्थित है तथा वागदा की वर्ष 2001 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या 505 है, का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या की वरीयता के आधार पर 2007 तक करवाया जाना प्रस्तावित है।

फुलेरा की क्षतिग्रस्त सड़कें

499. श्री नवरतंन राजोरिया (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 1 जनवरी, 2004 से अब तक सड़क निर्माण व मरम्मत के कौन-कौन से कार्य किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में किन-किन कार्यों पर अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(3) उक्त क्षेत्र में आस्टी-हस्तेडा सड़क निर्माण का कार्य कब स्वीकृत किया गया था? अब तक इस सड़क निर्माण पर कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराये गये? अब कब तक इस सड़क निर्माण के कार्य को पूरा कर दिया जाएगा?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में लुनियावास-पचार, रामपुरा-पचार मार्ग का सड़क निर्माण कार्य अधूरा है? यदि हां, तो इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर-जोबनेर-कालवाड़ रोड जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो इस सड़क मार्ग पर कब तक मरम्मत कार्य करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 1 जनवरी, 2004 से अब तक निर्माण व मरम्मत मद में स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट अ)

(2) वर्तमान में सभी अपूर्ण कार्य प्रगति पर है, सूची संलग्न है। (परिशिष्ट ब)

(3) आस्ती से हस्तेडा सड़क की इस विभाग को कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तथा ना ही कोई कार्य करवाया गया है। उक्त कार्य किसी भी योजना में प्रस्तावित ही नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। पेच रिपेयर कार्य तो सम्पादित कराया जा चुका है। जयपुर-जोबनेर सड़क कि.मी. 9/900 से 31/00, 39/0 से 40/0 का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत रु. 135.62 लाख का प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य कराया जा सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

फुलेरा में 01 जनवरी 2004 से अब तक निर्माण व मरम्मत के स्वीकृत कार्यों की मदवार सूची

अ-निर्माण कार्यों की सूची

1. पी.एम.जी.एस.वाई. कार्य चतुर्थ चरण (विश्व बैंक)

क्रम सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी. में	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	विवरण
1.	हरसोली हिंगोनिया सड़क से मोहन का बास	1.50	28.26	—	कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।
2.	अगरपुरा से गोकुलपुरा	8.10	116.67	—	
3.	जोबनेर पचकोडियां भादवा एस.ए. 2ए से सुखालपुरा	0.90	19.04	—	
4.	भादवा से जौनियों का बास	2.0	35.48	—	
5.	हिंगोनिया करनसर सड़क से धाना का बास	1.08	21.74	—	
6.	करनसर से बासडीकलां	6.75	100.13	—	
7.	रेनवाल-मालिकपुरा सड़क से रामपुरा	2.13	32.71	—	
योग		**22.46**	**354.03**	—	

2. आर.एम.यू.पी. फेज-प्रथम के कार्य					
क्रम सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी. में	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	विवरण
1.	महला जोबनेर सड़क पर डामरीकरण का कार्य किमी. 15/0 से 20/0	5.0	22.50	18.00	डामर कार्य पूर्ण
2.	फुलेरा लिंक सड़क किमी. 0/0 से 5/0	5.0	16.25	13.00	डामर कार्य पूर्ण
3.	फुलेरा से बन्धे के बालाजी सड़क किमी. 19/0 से 22/0	3.0	17.88	15.00	डामर कार्य पूर्ण
	कुल योग	**13.0**	**56.63**	**46.00**	

3. सांसद विकास योजना श्री कैलाश चन्द मेघवाल सांसद टोंक				
क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	विवरण
1.	प्राथमिक विद्यालय बबेरवालों की ढ़ाणी में दो कमरों का निर्माण कार्य।	1.50	1.25	कार्य पूर्ण
2.	प्राथमिक विद्यालय धान्नाश में चार दीवारी का कार्य	0.50	0.45	कार्य पूर्ण
3.	सामुदायिक भवन मोहल्ला रैगर मोहल्ला रैनवाल	1.00	0.90	कार्य पूर्ण
4.	सामुदायिक भवन रैगर मोहल्ला मण्डा भीमसिंह	1.00	0.90	कार्य पूर्ण
5.	बधाल में खुर्रा निर्माण कार्य	1.00	0.90	कार्य पूर्ण
6.	ढहर मोहल्ला लालासर में खुर्रा निर्माण कार्य	1.00	0.90	कार्य पूर्ण
7.	करनसर में खुर्रा निर्माण कार्य	1.00	0.90	कार्य पूर्ण
	कुल योग	**7.00**	**6.20**	

4. बाढ़ राहत कार्य

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	विवरण
1.	बागावास बधाल सड़क पर बाढ़ राहत कार्य	3.00	2.70	कार्य पूर्ण
2.	लालपुरा-हिंगोनिया सड़क पर डामरीकरण कार्य किमी. 8/0 से 10/0	9.00	9.00	कार्य पूर्ण
3.	सांभर कुचामन सड़क एस.एच.-2 पर सुरक्षा दीवार का कार्य	1.00	1.00	कार्य पूर्ण
4.	सांभर कालेज सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य	3.00	2.80	कार्य पूर्ण
5.	फुलेरा बिचून सड़क किमी. 2 में सड़क उन्नयन का कार्य	3.00	2.85	कार्य पूर्ण
	कुल योग	**19.00**	**18.35**	

5. केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्रम सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी. में	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	विवरण
1.	दूदू नरेगा सांभर कुचामन सड़क किमी. 338/0 से 341/0 में डामरीकरण व सीमेन्ट सड़क का निर्माण कार्य	3.00	71.00	—	कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग	**3.00**	**71.00**	—	

6. विशेष मरम्मत कार्य

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	विवरण
1.	जोबनेर पचकोडिया सड़क पर मरम्मत कार्य	2.00	2.00	कार्य पूर्ण
2.	सीकर-रेनवाल सड़क किमी. 73 पर काजवे रिपेयर का कार्य	3.00	2.50	कार्य पूर्ण
	कुल योग	**5.00**	**4.50**	

ब-कार्यों की सूची जो कि प्रगति पर है-

परिशिष्ट "ब"

फुलेरा में स्वीकृत अपूर्ण कार्यों की सूची

1. पी.एम.जी.एस.वाई. कार्य

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	हरसोली हिंगोनिया सड़क से मोहन का बास	28.26	—	23.12.2005
2.	अगरपुरा से गोकुलपुरा	116.67	—	23.12.2005
3.	जोबनेर पचकोडिया भादवा से सुखालपुरा	19.04	—	25.12.2005
4.	भादवा से जौनियों का बास	35.48	—	25.12.2005
5.	हिंगोनिया करनसर सड़क से धाना का बास	21.74	—	25.12.2005
6.	करनसर से बासडीकलां	100.13	—	25.12.2005
7.	रेनवाल-मालिकपुरा सड़क से रामपुरा	32.71	—	25.12.2005
	योग	**354.03**	—	

2. पुलिस विभाग के कार्य

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	पुलिस चौकी बघाल	10.00	—	19.8.2005
2.	जोबनेर थाने में पुलिस मैश कार्य	4.00	—	17.5.2005
3.	सांभर में पुलिस अधीक्षक आवास का निर्माण कार्य	8.00	—	12.7.2005
4.	फुलेरा थाने में महिला आरक्षी हेतु कमरे का कार्य	1.29	—	31.3.2005
	कुल योग	23.29	—	

3. केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	दूदू नरेना सांभर कुचामन सड़क किमी. 338/0 से 341/0 में डामरीकरण कार्य	71.00	—	30.6.2005
	कुल योग	71.00	—	

अम्बाला-पाली सड़क मार्ग हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

500. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के कितने काश्तकारों की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 अम्बाला-पाली हेतु अवाप्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त अवाप्त शुदा भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना व नहीं, तो क्यों? सरकार अब उक्त काश्तकारों को भूमि का मुआवजा कब तक देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 अम्बाला-पाली हेतु भारत सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के उपरान्त कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(2) उपरोक्तानुसार सूचना शून्य है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-501

(स्थगित)

सरदारशहर तहसील के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

502. श्री भंवर लाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदारशहर तहसील में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां पर हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों/तृतीय श्रेणी अध्यापकों/लिपिकीय संवर्ग इत्यादि के कितने-कितने पद कहां-कहां पर

(श्री भंवर लाल शर्मा)

स्वीकृत हैं और उनमें से कितने-कितने पद कहां-कहां पर कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरदारशहर तहसील में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सरदारशहर तहसील में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति का विवरण इस प्रकार से है :-

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
प्रधानाचार्य	09	02
प्रधानध्यापक (मावि)	16	01
व्याख्याता	55	28
वरिष्ठ अध्यापक	218	70
अध्यापक-		
तृतीय श्रेणी	764	278
व. लिपिक	26	12
क. लिपिक	21	04
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	54	03

विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा अन्य पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर तथा विभागीय चयन समिति के द्वारा चयन आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर में छात्रों हेतु आबंटित कैरोसिन का अवैध बेचान

503. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के मां जालपा देवी महाविद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के उपयोग हेतु कितना-कितना कैरोसिन उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि छात्रों हेतु आबंटित कैरोसिन का बाजार में बेचान करने का प्रकरण ध्यान में आया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 17(45) खा.वि./विधि/76-II दिनांक 10.1.2005 एवं 24.2.2005 के द्वारा अध्ययन हेतु अपने घरों से अन्य स्थानों पर रहने वाले छात्रों को राशन कार्ड बनाने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कैरोसीन सम्बन्धित जिले को आबंटित कोटे में से वितरण हेतु निर्धारित की गई मात्रा में छात्रों के राशन कार्ड पर उपलब्ध कराये जाने के प्रावधानानुसार कैरोसीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। उक्त परिपत्र में एस.सी./एस.टी. के छात्रों हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न के भाग 01 के अनुसार प्रावधान नहीं है तथा न ही ऐसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है।

टिब्बी के कस्बा रावतसर में राजकीय महाविद्यालय

504. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के क़स्बा रावतसर में राजकीय महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार रावतसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

दौसा जिले के पंचायत मुख्यालयों पर स्थित वाचनालय

505. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्ष पूर्व पंचायत मुख्यालय पर वाचनालय खोले गये थे? यदि हां. तो दौसा जिले की किस-किस पंचायत मुख्यालय पर वाचनालय सचालित हैं?

(2) इन केन्द्रों पर किस प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तथा वाचनालय खोलने एवं देखरेख की जिम्मेदारी किसे दी गयी है?

(3) इन वाचनालयों का अब तक किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई तथा उन्हें कैसे और कब दुरुस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन वाचनालयों से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? क्या इनका कोई रजिस्टर संधारित किया जाता है? यदि हां. तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दौसा जिले में 10 जुलाई, 2003 से सतत् शिक्षा के अन्तर्गत नोडल सतत शिक्षा केन्द्र एवं संतत शिक्षा केन्द्र पर महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोले गये थे, जो कि 223 पंचायत मुख्यालय पर संचालित है। ग्राम पंचायत की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इन केन्द्रों पर वाचनालय हेतु दो समाचार पत्र, रोजगार संदेश, विभिन्न विषय से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं तथा वाचनालय को खोलने एवं देखरेख की जिम्मेदारी नोडल प्रेरक/सतत शिक्षा प्रेरक को दी गई है।

(3) वाचनालयों का निरीक्षण ब्लाक समन्वयक, विकास अधिकारी, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, एस.डी.आई., जिला समन्वयक, मुख्य समन्वयक, साक्षरता, उप खण्ड अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) बी.आर.सी.एफ. व जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान निम्न कमियां पाई गई, उनको निम्न प्रकार दुरुस्त किया गया:-

1. **स्थान की कमी** :-वाचनालय के लिए सार्वजनिक, सामुदायिक भवन हो। इसके लिए संम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये।

2. **साइन बोर्ड बाहर न लगाना** :-कई केन्द्रों पर महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय पर साइन बोर्ड बाहर नहीं लगा रखे थे। उनको बाहर लगाने के निर्देश दिए गये।

3. **समय पर खोलना** :- प्रेरकों को प्रात: 8 से 10 बजे और सायं 4 से 6 बजे तक केन्द्र खोलने एवं पाठकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गये।

(4) इन वाचनालयों से नव साक्षर, ग्रामीण, शिक्षित पुरूष एव बालक-बालिकाएं लाभ उठाते हैं। इसके लिये वाचनालय केन्द्र पर आगन्तुक पंजिका संधारित की जाती है। दौसा जिले में इन वाचनालयों से अब तक 16104 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। जिनमें 9550 पुरुष व 6554 महिलाएं हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्योपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय (सांगानेर) के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों द्वारा तालाबन्दी प्रकरण

506. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) एवं **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी, 2004 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय श्योपुर (सांगानेर) के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों द्वारा ताला लगाया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उप निदेशक (शिक्षा) द्वारा इस घटना की जांच हेतु तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई? यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी को विद्यालय विकास कोष के दुरुपयोग का दोषी पाया गया? यदि हां, तो उक्त घटना के समय प्रधानाध्यापक व प्रभारी कौन थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रा.मा.वि. श्योपुर (सांगानेर) के प्रधानाध्यापक श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया के व्यवहार एवं कार्यप्रणाली से ग्रामीण तथा विद्यालय के कर्मचारी परेशान थे।

(2) जी नहीं। अपितु उप निदेशक (माध्य) जयपुर द्वारा दो सदस्यीय जांच अधिकारी नियुक्त कर प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई गई। जांच अधिकारियों से प्राप्त जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जांच रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय के विकास कोष के दुरुपयोग हेतु श्री सुरोलिया, प्रधानाध्यापक को ही दोषी ठहराया गया है। प्रभारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। उक्त घटना के समय प्रधानाध्यापक के पद पर श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया पदस्थापित थे तथा श्री शिवराम शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक प्रभारी थे। जांच रिपोर्ट का

(शिक्षा मंत्री)

नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किये जाने पर ही दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिला परिषद् में कार्यरत संविदा अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

507. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद पाली द्वारा वर्ष 2003 में पूर्व में कार्य कर चुके संविदा अध्यापकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी है? यदि हां, तो कब व कितने प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अध्यापकों को तथा कौनसी वेतन श्रृंखला में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को तीन वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नियुक्ति आदेश में बाध्य किया गया था? यदि हां, तो नियुक्ति के दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापकों द्वारा तीन वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने पर इनकी सेवा का नियमितिकरण नहीं किया जायेगा तथा सेवा समाप्त भी की जा सकती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें तीन वर्ष के भीतर-भीतर प्रशिक्षण दिये जाने की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पाली की तरह राजसमंद, जालौर. डूंगरपुर में भी संविदा अध्यापकों को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो पाली जिले के अलावा अन्य जिलों में इन्हें कौनसी वेतन श्रृंखला दी जा रही है? क्या यह सही है कि पाली में 4000 6000 की वेतन श्रृंखला व अन्य जिलों में 4500-7000 की वेतन श्रृंखला दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद पाली ने 247 अप्रशिक्षित तथा 03 प्रशिक्षित संविदा अध्यापकों को वेतन श्रृंखला 4000-6000 से दिनांक 31.3.2003 तथा दिनांक 16.5.2003 तथा नियुक्तियां दी गई।

(2) जी हां। अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार से बीएसटीसी करने हेतु पूर्व में एक द्विवर्षीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। शेष अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार से बीएसटीसी करवाने हेतु निदेशालय से संख्यात्मक सूचना चाही गई है। प्राप्त होने पर अग्रिम व्यवस्था की जावेगी।

(3) जी नहीं। उक्त संविदा अध्यापकों द्वारा जब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक इनका नियमितिकरण नहीं किया जायेगा तथा इन्हें वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। शेष रहे अप्रशिक्षित संविदा अध्यापकों को पत्राचार से बीएसटीसी करवाने के प्रकरण विचाराधीन है।

(4) जी हां। राजसमन्द, जालौर, डूंगरपुर जिले में नियुक्त संविदा अध्यापकों को 4500-7000 का वेतनमान दिया जा रहा है। पाली जिले में नियुक्त संविदा अध्यापकों को 4000-6000 का वेतनमान क्यों दिया जा रहा है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण चाहा गया है तथा वेतनमान 4500-7000 देने के निर्देश कर दिये गये है।

भीनमाल में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

508. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में किस-किस माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय शिक्षकों के कितने पद किस-किस जगह रिक्त चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. समरजीत सिंह)

(3) क्या सरकार इन रिक्त विषय शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात नहीं होता है। विद्यालयों में शिक्षकों के पद विषय एवं कालांशभार के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में विद्यालयवार एवं विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-'क'

भीनमाल (जिला-जालोर) में स्वीकृत हुए रिक्त पदों के अनुसार विद्यालयवार एवं विषयवार सूचना

क्र सं	विधान सभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य		प्रधानाध्यापक		व्याख्याता			वरिष्ठ अध्यापक			वरिष्ठ शाशि		अध्यापक		शारीरिक शि.		योग	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1.	भीनमाल	राउमावि. भीनमाल	1	0	0	0	18	6	चित्रकला-1 वाणिज्य-2 अंगेजी-1 जीवविज्ञान-1 राज.विज्ञान-1	10	0		1	0	0	0	0	0	30	6
2.	भीनमाल	राउमावि. दासपा	1	0	0	0	3	1	राज. विज्ञान-1	3	0		1	0	1	0	0	0	9	1
3.	भीनमाल	राउमावि. बाडाभांडवी	1	1	0	0	5	1	भूगोल-1	6	1	अंग्रेजी-1	1	1	2	1	0	0	15	5
4.	भीनमाल	राउमावि. बागोडा	1	1	0	0	4	3	हिन्दी-1 अंग्रेजी-1 इतिहास-1	6	2	गणित-1 विज्ञान-1	1	1	2	0	0	0	14	7

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य		प्रधानाध्यापक		व्याख्याता			वरिष्ठ अध्यापक			वरिष्ठ शा शि.		अध्यापक		शारीरिक शिक्षक		योग	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
5.	भीनमाल	राबाउमवि . भीनमाल	1	0	0	0	4	2	अंग्रेजी-1 गृहविज्ञान-1	5	1	विज्ञान-1	1	1	2	0	0	0	13	4
		मा.																0		
6.	भीनमाल	रामावि. जूनीबाली	0	0	1	1	0	0		6	2	अंग्रेजी-1 सामान्य-1	0	0	1	0	1	0	9	3
7.	भीनमाल	रामावि. सबडी	0	0	1	1	0	0		6	3	अंग्रेजी-1 सामान्य-1 विज्ञान-1	0	0	2	1	1	0	10	5
8.	भीनमाल	रामावि. भालनी	0	0	1	0	0	0		4	2	गणित-1 विज्ञान-1	0	0	1	1	1	0	7	3
9.	भीनमाल	रामावि.	0	0	1	0	0	0		6	1	गणित-1	0	0	2	1	1	0	10	2

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य		प्रधानाध्यापक		व्याख्याता			वरिष्ठ अध्यापक			वरिष्ठ शा शि.		अध्यापक		शारीरिक शिक्षक		योग	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
10.	भीनमाल	रामावि. रगाला	0	0	1	0	0	0		5	2	गणित-1 विज्ञान-1	0	0	2	2	1	0	9	4
11.	भीनमाल	रामावि. धुम्बडिया	0	0	1	1	0	0		5	2	अंग्रेजी-1 गणित-1	0	0	1	0	1	0	8	3
12.	भीनमाल	रामावि.	0	0	1	0	0	0		5	0		0	0	1	1	1	0	8	1
13.	भीनमाल	रामावि.	0	0	1	1	0	0		4	1	विज्ञान-1	0	0	3	3	1	0	9	5
14.	भीनमाल	रामावि.	0	0	1	0	0	0		4	0		0	0	3	3	1	0	9	3
15.	भीनमाल	रामावि.	0	0	1	0	0	0		2	0		0	0	3	2	1	0	7	2

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य		प्रधानाध्यापक		व्याख्याता			वरिष्ठ अध्यापक			वरिष्ठ शा शि.		अध्यापक		शारीरिक शिक्षक		योग	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	रिक्त पद विषयवार	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
16.	भीनमाल	रामावि. धानसा	0	0	1	0	0	0		6	0		0	0	2	1	1	0	10	1
17.	भीनमाल	रामावि. मोदरा	0	0	1	0	0	0		6	0		0	0	3	1	1	0	11	1
18.	भीनमाल	राबामावि.	0	0	1	0	0	0		6	3	अंग्रेजी-1 गणित-1	0	0	3	2	1	1	11	6
			5	2	13	4	34	13		95	20		5	3	34	19	13	1	199	62

बूंदी जिले में एनीकट निर्माण

509. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों द्वारा बून्दी जिले में विभिन्न स्थानों पर एनीकट निर्माण की मांग को ध्यान में रखते हुए एनीकट निर्माण के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थान चिह्नित किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सूर्या (सूरतालाब) बड़ी पड़ाप तथा उणा की खाली पीली ढ़हर के पास ग्राम रघुनाथगंज (बालापुरा) तहसील नैनवां एनीकटस के निर्माण की मांग पूरी होने पर भूमिगत जल सतह में तेजी से आ रही गिरावट के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के समाधान के साथ ही भूमिगत जल सतह में बढ़ोत्तरी होने से क्षेत्र के गरीब तबके के लघु सीमान्त कृषक भी लाभान्वित होंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों एनीकट का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद कार्यालय बून्दी द्वारा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग बून्दी को दिनांक 15 मार्च, 2004, 31 मई, 2004 एवं 9 जुलाई, 2004 को संशोधित परियोजना प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त परियोजना में उक्त दोनों एनीकटों को सम्मिलित करके परियोजना कब तक प्रस्तुत कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त मांग को ध्यान में रखते हुए एनीकट निर्माण के लिये स्थान चिह्नित किये गये हैं। सूची प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(2) सूर्या एनीकट (सूरतालाब) बड़ी पड़ाप के निर्माण की मांग पूरी होने पर भूमिगत जल सतह में तेजी से आ रही गिरावट के कारण पेयजल समस्या के समाधान के साथ ही भूमिगत जल सतह में बढ़ोत्तरी होने से क्षेत्र के गरीब तबके के अधिकांश लघु सीमान्त कृषक लाभान्वित होंगे। वर्तमान में

(सिंचाई मंत्री)

नैनवां तहसील के प्रस्तावित 30 एनीकटों की सूची में सूर्या एनीकट सम्मिलित है। उणा की खाली पीली ढ़हर के पास ग्राम रघुनाथगंज (बालापुरा) तहसील नैनवां एनीकट बाबत फिजिबिलिटी चैक करने के उपरान्त ही किसी योजना में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(3) जी हां। सूर्या एनीकट वर्तमान परियोजना में सम्मिलित हैं एवं अन्य उणा की खाली पीली ढहर के पास ग्राम रघुनाथगंज (बालापुरा) तहसील नैनवां एनीकट बाबत फिजिबिलिटी चैक करने के उपरान्त एवं उपयुक्त पाये जाने उपरान्त सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र-अ (1-5)

Proposal of 30 Water Harvesting Structures in each Tehsil of Bundi
District Bundi

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील बून्दी					
1	कुनेटिया एनिकट	कुनेटिया	उल्हेड़ा	12.00	
2	उलेड़ा एनिकट प्रथम	उलेड़ा	उल्हेड़ा	12.00	
3	नीम का खेड़ा एनिकट	नीम का खेड़ा	नीम का खेड़ा	15.00	
4	उलेड़ा एनिकट द्वितीय	उलेड़ा	उल्हेड़ा	12.00	
5	मंगला एनिकट	मंगाल	मंगाल	18.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील बून्दी					
6	नन्दपुरा एनिकट	नन्दपुरा	बम्बोरी	6.00	
7	सीन्ती एनिकट	सीन्ती	उल्हेड़ा	12.00	
8	सीन्ता एनिकट	सीन्ता	उल्हेड़ा	12.00	
9	करजूना एनिकट	करजूना	ख्रिलोर	20.00	
10	मालीपुरा एनिकट	लोईचा, सुन्दरपुरा	लोईचा	12.00	
11	लोइचा एनिकट सुई का नाका	लोईचा	लोईचा	16.00	
12	लोईचा एनिकट (द्वितीय)	मालीपुरा/ लोईचा	लोईचा	10.00	
13	जामूनिया देह एनिकट	डोरा	डोरा	20.00	
14	राय का खाल एनिकट	डोरा	डोरा	10.00	
15	चकाबो के नाले पर एनीकट निर्माण	चकाबो का नाला	अल्फानगर	17.00	
16	दुर्गा की नाड़ी एनिकट	डोरा	डोरा	8.00	
17	माला की डाबर के नाले पर एनिकट	धनेश्वर	धनेश्वर	10.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील बून्दी					
18	सुकड़ का खाल एनिकट	डोरा	डोरा	10.00	
19	जोगिया दह एनिकट	लक्ष्मीपुरा	लक्ष्मीपुरा	8.00	
20	बांजड़ एनिकट	बाजड़	बाजड़	20.00	
21	मण्डावरा एनिकट	मण्डावरा	भैरूपुरा	16.00	
22	बाकी एनिकट	बांकी	भैरूपुरा	16.00	
23	नमाना एनिकट (महादेव के सामने)	नमाना	नमाना	20.00	
24	सिलोर एनिकट मेन रोड के ऊपर	सिलोर	सिलोर	10.00	
25	बम्बोरी एनिकट	बम्बोरी	बम्बोरी	6.00	
26	सिलोर एनिकट द्वितीय	सिलोर	सिलोर	16.00	
27	तालेड़ा एनिकट	तालेड़ा	तालेड़ा	25.00	
28	अनोपपुरिया एनिकट	अनोपुरिया बरड	भैरूपुरा	17.00	
29	अकतासा एनिकट	अकतासा तालेड़ा	अकतासा	15.00	
30	अल्फानगर एनिकट	अल्फानगर गागोस	अल्फानगर	20.00	
				421.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील केशवरायपाटन					
1	शंकरपुरा पापड़ा का खाल एनिकट	शंकरपुरा, पापड़	गुढ़ा	8.00	
2	खेडली देवजी का खाल	खेड़ली	सखावदा	9.00	
3	काकरा का डूंगर का खाल	कांकरा डूंगर	उतराना	8.00	
4	मेज नदी पर एनिकट	ठीकरी	उतराना	30.00	
5	डापरा एनिकट	खरायता	खरायता	8.00	
6	कीरो का खाल एनिकट	गुहाटा	खरायता	7.50	
7	खरायता एनिकट	खरायता	खरायता	9.50	
8	दुर्जन एनिकट	खेडिया दुर्जन	बोरधा का छियान	8.00	
9	बैरवा खाल एनिकट	झालीजी का बराना	झालीजी का बराना	7.00	
10	भरनिया एनिकट	झालीजी का बराना	झालीजी का बराना	7.00	
11	देवजी एनिकट	गेण्डोली	गेण्डोली कलां	6.00	
12	देलून्दा एनिकट	देलून्दा	के. पाटन	18.00	
13	माताजी के सामने एनिकट	फेड़ा	के. पाटन	13.00	
14	रामपुरिया एनिकट	झिड़ा दरा	के. पाटन	10.00	
15	बाकेश्वर एनिकट	शंकरपुरा	के. पाटन	8.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील केशवरायपाटन					
16	रामपुरिया एनिकट	रामपुरिया	के. पाटन	8.00	
17	गोठड़ा एनिकट	फोलाई	गेण्डोली कलां	8.00	
18	मेन एनिकट	मेज नदी	गेण्डोली कलां	20.00	
19	भैसखेड़ा एनिकट	भैसखेड़ा	गेण्डोली कलां	30.00	
20	मुत्थां एनिकट	गेण्डोली	गेण्डोली कलां	7.00	
21	बहरावली एनिकट	बहरावली	लबान	8.00	
22	डापटा एनिकट	डापटा	खरायता	8.00	
23	बगली खाल एनिकट	लबान	लबान	10.00	
24	मायाजा लखाना मेज की रपट पर एनिकट	मायजा	मायजा	20.00	
25	मेज नदी लाखेरी, पम्प एनिकट, रेजिंग कार्य	लाखेरी	लाखेरी	30.00	
26	खेड़ खाला प्रतापगढ़ एनिकट	प्रातपगढ़	देई खेडा	8.00	
27	भूत का खाल	कांकरा	कांकरा	20.00	
28	पीपल्दा एनीकट	पीपल्दा	पीपल्दा	10.00	
29	झाड़ा एनिकट	नयागांव	नयागांव	9.00	
30	पाण्डी एनिकट मेज नदी पर (रेलवे लाइन के डाउन स्ट्रीम में)	पापड़ी	पापड़ी	30.00	
				383.50	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील इन्द्रगढ़					
1	केसरिया का नाला	मोहनपुरा,	इन्द्रगढ़	12.00	
2	इन्द्राणी खिर एनिकट प्रथम	मोहनपुरा, इन्द्रगढ़, सु.मंडी	इन्द्रगढ़	13.00	
3	इन्द्राणी खिर एनिकट द्वितीय	मोहनपुरा, इन्द्रगढ़, सु. मंण्डी	इन्द्रगढ़	11.00	
4	इन्द्राणी खिर एनिकट तृतीय	मोहनपुरा, इन्द्रगढ़, सु. मण्डी	इन्द्रगढ़	9.00	
5	माताजी के सामने	झीड़ा, दरा,	मोहनपुरा	13.00	
6	पील्या का खाल एनिकट	नवलपुरा, नारायणपुरा	नवलपुरा	10.00	
7	कोलासपुरा मुई नदी पर	कोलासपुरा,	नवलपुरा	7.00	
8	कंवरपुरा में बांकेश्वर मंदिर के पास एनिकट	कंवरपुरा	बलबन	8.00	
9	नयागांव का खाल एनिकट	नयागांव	दौलतपुरा	9.50	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील इन्द्रगढ़					
10	कमलेश्वर महादेव प्रथम	कमलेश्वर महादेव	नवलपुरा	30.00	
11	कमलेश्वर महादेव द्वितीय	कमलेश्वर महादेव	नवलपुरा	15.00	
12	कलेश्वर महादेव तृतीय	कमलेश्वर महादेव	नवलपुरा	20.00	
13	केमलिया एनिकट	मोहनपुरा	सुमेरगंज मंडी	8.00	
14	आजाद नगर एनिकट	आजाद नगर	बाबई	20.00	
15	जयनगर	जयनगर	बाबई	15.00	
16	बालापुरा	रूपपुरा	बालापुरा	10.00	
17	बीजासन माताजी केसरिया नाला द्वितीय	मोहनपुरा, इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	15.00	
18	बीजासन माताजी केसरिया नाला तृतीय	मोहनपुरा, इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	12.00	
19	कैलाशपुरी	कैलाशपुरी	बाबई	10.00	
20	आजाद नगर	आजाद नगर	बाबई	7.00	
21	जयनिवास	जयनिवास	सुन्दरनगर	7.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील इन्द्रगढ़					
22	सुन्दरपुरा	सुन्दर नगर	सुन्दरनगर	8.00	
23	शिवदासपुरा	शिवदासपुरा	शिवदासपुरा	6.00	
24	मोहनपुरा	मोहनपुरा	मोहनपुरा	8.00	
25	कानपुर	कानपुर	दौलतपुरा	9.00	
26	फीडपुरा	फीडपुरा	बलबन	10.00	
27	रकसपुरा	रकसपुरा	बलबन	8.00	
28	आमलीखेड़ा	आमली खेड़ा	बलबन	9.00	
29	नारायणपुरा	नारायणपुरा	सबलपुरा	12.00	
30	रूपपुरा	रूपपुरा	दालापुरा	10.00	
				341.50	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील हिण्डौली					
1	भूत्या का धोकड़ा लकरेश्वर महादेव के पास एनीकट का निर्माण कार्य	उमर	उमर	22.00	-
2	मुण्डघसा गांव के पास मेज नदी पर एनिकट का निर्माण कार्य	मुण्डघसा	मुण्डघसा	27.50	
3	लुहारिया ग्राम के पास दाता खाल पर एनिकट का निर्माण कार्य	लुहारिया	मेण्डी	11.00	
4	फागना का बरड़ा एनीकट निर्माण एवं स्ट्रेथनिंग कार्य	पायरा	मेण्डी	16.50	
5	बलाण्डी नदी पर सहसपुरिया के पास एनिकट निर्माण कार्य	सहसपुरिया	सहसपुरिया	13.00	
6	बरबास में बलाण्डी नदी पर धोकड़ा दह के पास एनिकट निर्माण	बरबास	चतरगंज	11.00	
7	मेज नदी पर मोडल फार्म के निकट मगर दह पर एनिकट निर्माण	बड़ा नयागांव	बड़ा नयागांव	27.50	
8	रोशड़ा खाल पर (धोवड़ा एनिकट) एनिकट निर्माण	नेत	धोवड़ा	4.50	
9	ग्वाला खाल पर बालोला के पास पहाड़ी की बाई ओर एनिकट का निर्माण कार्य	बाहोला	हिण्डौली	13.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील हिण्डौली					
10	चंद्रभागा नदी पर भीलों की झोपड़ी के पास एनिकट	भीलों की झौपड़ी	सथूर	16.50	
11	बालाजी के खाल पर ग्राम आकोदा में एनिकट	आकोदा	अकोदा	22.00	
12	देवरी माताजी के नीचे मेज नदी पर एनिकट	संभरबाड़ी	डाबेटा	27.50	
13	सिंघाडी गांव के पास महादेव जी के पास	सिंघाड़ी	सहसपुरिया	22.00	
14	खरदेश्वर महादेव के खाल पर एनिकट	बून्दी का गोठडा	बून्दी का गोठड़ा	11.00	
15	स्ट्रेथिंग एण्ड रिजंग आफ बाकेश्वर महादेव एनिकट	बडगांव	बड़गांव	16.50	
16	गोगन्याखाल पर एनीकट	मेण्डी	मेण्डी	13.00	
17	सूरी एनिकट	सूरी	बड़गांव	22.00	
18	बरगलपुरा एनिकट	रामचंन्द्र जी का खेड़ा	हिण्डौली	9.00	
19	मालियों का झौपड़ा एनिकट	मालियों का झोपड़ा	मेण्डी	11.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील हिण्डौली					
20	सुखपुरा एनिकट	सुखपुरा	मेण्डी	12.00	
21	रोशन्दा एनिकट (काबरी एनिकट)	रोशन्दा	हिण्डौली	22.00	
22	रामपुरिया एनिकट	रामपुरिया	हिण्डौली	13.00	
23	सलवालिया एनिकट	सलवालिया	हिण्डौली	15.00	
24	नटावा एनिकट	नटावा	सथूर	11.00	
25	सथूर एनिकट	सथूर	सथूर	16.50	
26	चेता एनिकट	चेता	हिण्डौली	11.00	
27	गोरस्या खेड़ा एनिकट	गोरस्या खेड़ा	हिण्डौली	16.50	
28	बड़ोदिया एनिकट	बड़ोदिया	हिण्डौली	15.00	
29	सियाणा एनिकट	सियाणा	हिण्डौली	13.50	
30	अणदगंज एनिकट	अणदगंज	अणदगंज	11.00	
				469.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील नैनवां					
1	डोकून एनीकट	डोकून	डोकून	20.00	
2	सूर्या एनीकट	नैनवां	नैनवां	30.00	
3	गुढा सदावर्तियान एनिकट	गुढा सदावर्तियान	मरा	15.00	
4	हापोलाई एनिकट	हापोलाई	मोड़सा	15.00	
5	धानुगांव के खाल पर एनिकट	धानुगांव	सुवानियां	18.00	
6	एनिकट निर्माण माताजी के खाल पर	डोडी	डोडी	10.00	
7	रामगढ़ एनिकट	गुढा सदावर्तियान	गुढा सदावर्तियान	25.00	
8	मूंडली बालाजी के पास मेज नदी पर एनिकट	कालानला	मरां	30.00	
9	एनिकट निर्माण पुलिया के पास	सुन्थली	सुवानियां	20.00	
10	एनिकट निर्माण नदी पर ब्राह्म्णी माता के पास	लुहारपुरा	पीपल्या	10.00	
11	हाथी की गोड़ी एनिकट	भजनेरी	भजनेरी	15.00	
12	सीसोला एनिकट प्रथम	सीसोला	सीसोला	10.00	
13	जजावर एनिकट	जजावर	जजावर	8.00	
14	एनिकट निर्माण देवपुरिया व गड़रिया के खाल	रेटोदा	कोलाहेड़ा	10.00	
15	लक्ष्मीपुरा एनीकट	लम्मीपुरा	भजनेरी	8.00	

क्र. सं.	स्ट्रक्चर का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
तहसील नैनवां					
16	मानपुरा एनिकट	मानपुरा	बालापुरा	8.00	
17	रजलावता एनिकट	रजलावता	रजलावता	15.00	
18	भोमियाजी की देह एनिकट	हीरापुरा	माणी	15.00	
19	किरणीया एनिकट	तलव्रास	तलवास	7.50	
20	समेला बालाजी एनिकट	गांधी ग्राम	सादेड़ा	10.00	
21	बालाजी एनिकट	मरा	मरा	18.00	
22	विजेंदा एनिकट	गुढा	मरा	10.00	
23	बालाजी के तालाब पर एनिकट	जरखोदा	जरखोदा	10.00	
24	नामर देह एनिकट	गुढा देवजी	गुढा देवजी	13.00	
25	मुडली एनिकट	मुडली	मरा	25.00	
26	कालानाला एनिकट प्रथम	कालानाला	मरा	13.00	
27	कालानाला एनिकट द्वितीय	कालानाला	मरा	15.00	
28	फूटी पोल एनिकट	फुटी पोल	कैथूदा	12.00	
29	चन्दनपुरा एनिकट	चन्दनपुरा	जैतपुरा	10.00	
30	कमलेश्वर महादेव एनिकट	बांसी	बांसी	14.00	
				439.50	

मोरेल सागर बांध की नहरों हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

510. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मोरेल सागर बांध की पूर्वी नहर व मुख्य नहर निर्माण हेतु तहसील बामनवास, बौंली व लालसोट के किसानों की कितनी भूमि आवप्त की गई थी?

(2) क्या अवाप्त भूमि का किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों एवं हां तो कितनी राशि?

(3) क्या सरकार इस अवाप्त भूमि के काबिज काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मोरेल सागर बांध की तहसील लालसोट में पूर्वी नहर के निर्माण हेतु चैन 374 तक की गई अवाप्त भूमि के बदले काश्तकारों को अन्य स्थानों पर भूमि आवंटित की गई व मुख्य नहर के निर्माण हेतु तहसील बामनवास, बौंली एवं लालसोट के 36 ग्रामों की 717 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई।

(2) जी हां। अवाप्त की गई 717 बीघा 19 बिस्वा भूमि का मुआवजा राशि 132070.00 राजस्व विभाग के माध्यम से दिनांक 12.3.1977 को सम्बन्धित किसानों को भुगतान किया गया।

(3) अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राशि 132070.00 का भुगतान किया जा चुका है।

कोटकासिम श्री कृष्ण गौशाला (अलवर) को अनुदान

511. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील कोटकासिम के राजस्व ग्राम बूढी बांवल में श्री कृष्ण गौशाला पंजीकृत है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त गौशाला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त गौशाला की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी राशि व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बूढी बॉवल में स्थापित गौशाला पंजीकृत है।

जी नहीं।

(2) जी नहीं। गौशालाओं को पशु पालन विभाग के माध्यम से कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सूखे के वक्त घोषित अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता विभाग द्वारा तथा राजस्थान गौसेवा आयोग द्वारा भी समय-समय पर नियमानुसार पात्र गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है। गौशाला प्रबन्धन द्वारा सहायता विभाग को वांछित सूचना नहीं देने के कारण उन्हें गत वर्ष कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

गड़रा रोड़ वितरिका का निर्माण कार्य

512. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला बाड़मेर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत गडरा रोड वितरिका स्वीकृत हैं? यदि हां, तो सरकार इस वितरिका के कार्य को कब तक पूरा करने का विचार रखती है? इस वितरिका पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं अगले वर्ष कितना व्यय किया जाने का अनुमान है?

उत्तर

(1) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजना, बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि रुपये 424.91 करोड़ की स्वीकृत है, के अन्तर्गत बाड़मेर शहर एवं मोहनगढ़ में प्रस्तावित हैड वर्क्स के लिए भूमि आबंटन का कार्य एवं प्रस्तावित पाइप लाइन के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना पर माह फरवरी, 2005 तक रुपये 4.37 लाख का व्यय हो चुका है। उपलब्ध वित्तीय संसाधानों के आधार पर योजना की क्रियान्विति एवं पेयजल की उपलब्धता सम्भव होगी।

(2) जी हां। इस परियोजना की कार्य योजना में गडरा रोड़ वितरिका का प्रावधान लिया हुआ है, परन्तु इस वितरिका के कमाण्ड से आने वाला अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय मरू उद्यान की परिधि में आता है अतः जब तक इस संबंध में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक इस वितरिका पर निर्माण संभव नहीं होगा। इस वितरिका पर अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

राजकीय महाराजा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर के चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

513. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11 नवम्बर, 2003 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, उदयपुर द्वारा प्रभारी, बाल चिकित्सक, राजकीय महाराजा भूपाल चिकित्सालय व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था? यदि हां, तो किन-किन धाराओं के तहत? वर्तमान में उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही चल रही है? कार्यवाही का विवरण एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सीरोक्लीन फर्म के लिए उपरोक्त व्यक्ति क्या काम कर रहे थे? क्या यह सही है कि किसी दवा का प्रयोग गरीब आदिवासी (ग्रामीण) एवं

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

गर्भवती महिलाओं पर किया जा रहा था? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त दवा का दुष्प्रभाव गरीब लोगों को एवं उनके पैदा होने वाली संतानों पर पड़ेगा?

(3) क्या सरकार ऐसे दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन धाराओं में?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पत्रिका के दिनांक 31.4.2003 के उदयपुर के संस्करण में प्रकाशित समाचार के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा परिवाद संख्या 104/03 दिनांक 11.11.03 को पंजीबद्ध किया गया। तदुपरान्त प्रारंभिक जांच के पश्चात् पीसी एक्ट 1988 की धारा 13 (1) (डी) (2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 एवं 120 बी के तहत डा. एस.एल. मण्डावरा, आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कालेज, उदयपुर तथा डा. गौत्तम दफ्तरी, तत्कालीन निदेशक, सीरोक्लीन फार्मा, प्रा. लि. मुम्बई के विरुद्ध प्रकरण संख्या 260/04 दिनांक 6.11.04 को पंजीबद्ध किया गया। यह प्रकरण अभी तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जाच अधीन है। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सीरोक्लीन फर्म के लिये उपरोक्त व्यक्ति हिपेटाइटिस 'बी' रोग के निदान एवं बचाव की दवा के परीक्षण का सेवा एवं शोध कार्य संपादित कर रहे थे।

यह सही नहीं है कि दवा का प्रयोग गरीब आदिवासी (ग्रामीण) एवं गर्भवती महिलाओं पर किया जा रहा था। तथ्यात्मक स्थिति यह है कि उदयपुर में केवल कुछ शहरी गर्भवती महिलाओं की सहमति के आधार पर ही केवल हिपेटाइटिस 'बी' की जांच हेतु रक्त के नमूने लिये गये थे। किसी भी महिला या शिशु को दवा की एक खुराक भी नहीं दी गई है। अतः किसी भी प्रकार दुष्प्रभाव होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न के इस भाग से सम्बन्धित सूचना भाग संख्या-1 के उत्तर में समाहित है

परिशिष्ट-1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि. ब्यूरो उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2004 प्र.इ.रि.स 260/04 दिनांक 6.4.04

2. (I) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें 13, (1) (डी) (2)

   (II) अधिनियम भा.दं.सं.- धारायें- 109, 120 बी

   (III) अधिनियम – धारायें-

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें-

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 159 समय 3.45 सायंकाल

   (ब) अपराध के घटने की दिनांक 23.08.2003. से 16.02.2004 तक

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 11.11.2003

4. सूचना की किस्मः लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पश्चिम दिशा, करीब 1/2 किमी.

   (ब) पता : बाल चिकित्सालय आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर

   ....- .... बीट संख्या......-............ जरायमदेही सं.........-............

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना........-......... जिला........-.........

6. परिवादी/सूचनाकर्ता:-

(अ) नाम : जरिए सरकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यरों, उदयपुर

(ब) पिता का नाम :-

(स) जन्म तिथि/वर्ष :-

(द) राष्ट्रीयता :-

(य) पासपोर्ट संख्या ....-........जारी होने की तिथि ....-...........
जारी होने की जगह..........-........

(र) व्यवसाय -

(ल) पता : -

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित:

1. डा. एस.एल. मण्डोवरा तत्कालीन प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर (राज.)

2. डा. गौतम दफ्तरी तत्कालीन निदेशक सीरो क्लीन फार्मा प्रा.लि. 106 दसवा माला लेजी रतन दादा मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर, 31 महर्षि करवा मार्ग, कुपरेज, मुम्बई (महाराष्ट्र)

महोदय,

जांच से पाया गया कि दिनांक 23.8.2003 को गोवा में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें उदयपुर से डा. एस.एल. मण्डोवरा, डा. उषा रानी शर्मा एवं डा. लाखन पोषवाल ने भाग लिया। संगोष्ठि सीरो क्लिन फार्मा नाम की मुम्बई की कम्पनी द्वारा आयोजित की गई। इसका उद्देश्य इन चिकित्सा अधिकारियों को हेपेटाईटिस बी. होमियोग्लोबीन के सम्बन्ध में क्लिनिकल ट्रॉयल कराने के लिए प्रशिक्षण देना था। इस संगोष्ठी के लिए सीरो क्लिन फार्मा द्वारा उन्हें उदयपुर से गोवा का हवाई जहाज का टिकट एंव गोवा में ठहरने के लिए उच्च कोटि की होटल उपलब्ध कराई गई। जिस पर उक्त कम्पनी ने 60,601/- रुपये का खर्चा किया।

सीरो क्लिन फार्मा प्रा.लि. केन्जिन कार्पोरेशन जो कि कनाडा की एक कम्पनी है एवं डा. एस.एल. मण्डोवरा ने दिनांक 23.8.2003 को एक संविदा सम्पादित की, जिसके अन्तर्गत डा. मण्डोवरा ने आर.एन.टी. मेडिकल कालेज में हेड आफ डिपार्टमेंट की हैसियत से उक्त दवा के सम्बन्ध में ट्रायल करना स्वीकार किया। इस ट्रायल में वे प्रिन्सिपल इन्वेस्टीगेटर के रूप में मनोनीत किये गये। यह ट्रायल करने के लिए उन्होंने 4,60,000/- रुपये विभिन्न मदों से प्राप्त करने का अनुबन्ध किया जिसमें से 14,450/- रुपये का फैक्स मशीन, 9,324/- रुपये की सेफ्टी फ्यूज मशीन प्राप्त कर ली व दिनांक 26.11.2003 को 13,751/- रुपये डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किये। इसके बाद दिनांक 10.12.2003 को 50,000/- रुपये ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त कर लिये। जब अखबारों में इस मसले को छापा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर द्वारा इस मामले को हाथ में ले लिया गया तो, डा. मण्डोवरा ने दिनांक 16.2.2004 को 63,751/- रुपये पुनः सीरो क्लिन फार्मा प्रा.लि. को लौटा दिये।

क्लिनिकल ट्रॉयल करने के लिए प्रिन्टर इन्वेस्टीगेटर के द्वारा प्रिन्टर आर.एन.टी. मेडिकल कालेज को लिखा गया है जो मामले को इथिकल कमेटी को प्रेषित करते हैं। इथिकल कमेटी के द्वारा स्वीकृति होने पर दवा की ट्रायल की जा सकती है। इस मामले में दिनांक 14.8.2003 को इथिकल कमेटी की मीटिंग कमेटी के सैक्रेट्री द्वारा आहूत करने का पत्र जारी किया गया। मीटिंग की दिनांक 23.8.2003 सुनिश्चित की गई और एजेन्डा आइटम में तीन मामले चिन्हित किये गये, जिसमें डा. मण्डोवरा का मामला नहीं था किन्तु दिनांक 16.8.2003 को प्रिन्सिपल के द्वारा इथिकल कमेटी के सेक्रेट्री को पत्र लिखकर इस मामले में भी आवश्यक सर्टिफिकेट कमेटी से जारी कराने के निर्देश दिये गये। कमेटी की मीटिंग दिनांक 23.8.2003 को हुई उसमें उक्त मामले की स्वीकृति दी गई। कमेटी के नियमों के अनुसार कम से कम 5 सदस्य कोरम पूरा करने के लिए मौजूद होना चाहिए थे किन्तु उक्त मीटिंग में केवल 4 सदस्य ही मौजूद थे अर्थात कोरम पूरा नहीं था। इस कमेटी द्वारा पारित स्वीकृति स्वतः ही दोषपूर्ण होकर मिथ्या है। कमेटी की स्वीकृति दिनांक 26.8.2003 को प्रेषित की गई। किन्तु डा. एस.एल. मण्डोवरा एवं सीरो क्लिन

फार्मा ने दिनांक 23.8.2003 को ही संविदा पर हस्ताक्षर कर दिये। यही नहीं डा. मण्डोवरा का स्थानान्तरण दिनांक 27.8.2003 को ही बीकानेर मेडिकल क़ालेज में हो गया। इस प्रकार वे स्वतः ही इस ट्रायल के प्रिन्सिपल इन्वेस्टीगेटर होने लायक नहीं रहे, किन्तु फिर भी उन्होंने दिनांक 26.11.2003 को 13,751/- रूपये एवं दिनांक 10.12.2003 को 50,000/- रुपये सीरो क्लिन फार्मा से प्राप्त किये। सीरो क्लोन फार्मा ने यह जानते हुए कि डा. मण्डोवरा का स्थानान्तरण हो चुका है एवं इथिकल कमेटी की स्वीकृति दोषपूर्ण है, डा. मण्डोवरा के साथ अनुबन्ध किया एवं उन्हें धनराशि व मशीने उपलब्ध कराई व क्लिनिकल ट्रायल जारी रखा।

माह दिसम्बर 2003 में डा. डोली गुप्ता द्वारा गर्भवती की स्क्रीनिंग की गई एवं वर्ष 2004 में एक प्राइवेट डाक्टर मुकेश देवपुरा को भी गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, के गायनोलोजिकल विभाग में करने दिया। इन्होंने कुल 472 महिलाओं की स्क्रीनिंग की और 8 महिलाओं के हेपेटाईटिस बी. पोजेटिव पाकर उनके सेम्पल सीरो क्लिन फार्मा मुम्बई को प्रेषित किये। इन्होंने महिलाओं के स्वीकृति पत्र भी हस्ताक्षर कराकर सीरो क्लिन फार्मा को प्रेषित किये।

इस प्रकार पाया गया कि डा. एस.एल. मण्डोवरा विभागाध्यक्ष शिशु रोग एवं बाल विभाग आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर ने स्वयं को अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने की गरज से सीरो क्लीन फार्मा कम्पनी मुम्बई के साथ दिनांक 23.8.2003 को एक अनुबन्ध सम्पादित किया और इसकी स्वीकृति उन्होंने राज्य सरकार से प्राप्त न कर अपना स्थानान्तरण उदयपुर से मेडिकल कालेज, बीकानेर हो जाने पर दिनांक 28.8.2003 को उदयपुर से कार्यमुक्त हो जाने के पश्चात भी दिनांक 26.11.2003 को 13751 रुपये एवं दिनांक 10.12.2003 को 50,000/- रुपये इस तरह कुल 63,751 रुपये उक्त कम्पनी से मिलकर अपराधिक षड्यंत्र रचकर अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर उक्त राशि जरिए डिमाण्ड ड्राफ्ट के प्राप्त कर ली तथा आर.एन.टी. मेडिकल कालेज में चिकित्सा हेतु आने वाली महिलाओं की

गैर कानूनी रूप से हैपेटाईटिस बी. की स्क्रीनिंग कराने के लिए उक्त कम्पनी को सीरो क्लीन फार्मा एवं केन्जिंग को उपलब्ध कराया गया इसी प्रकार सीरो क्लीन फार्मा कम्पनी को यह ज्ञात था कि एथिकल कमेटी की स्वीकृति गैर कानूनी है तथा डा. मण्डोवरा से निजी तौर पर अनुबन्ध कर उन्हें अपने विभागाध्यक्ष के पद का दुरुपयोग करने के लिए उत्प्रेरित किया।

अतः डा. एस.एल. मण्डोवरा तत्कालीन विभागाध्यक्ष बाल चिकित्सालय आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर एवं डा. गौतम दफ्तरी तत्कालीन निदेशक सीरो क्लीन फार्मा प्रा.लि. 106 दसवां माला लेडी रतन टाटा मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 31 महर्षि करवा मार्ग, कुपरेज, मुम्बई (महाराष्ट्र) के विरुद्ध जुर्म धारा 13 (1) डी (2) पीसी एक्ट 1988 एवं सपठित धारा 109, 120 बी, भादसं में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर इनके विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय
निसार अहमद
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्र. नि. ब्यरों, उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाइप शुदा बिना नम्बरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट अति, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (डी) (2) पी सी एक्ट 1988 एवं 109, 120 बी भादसा, में वर्णित अभियुक्त डा एस.एल. मण्डोवरा तत्कालीन प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर एवं डा. गौतम दफ्तरी, तत्कालीन निदेशक, सीरो क्लीन फार्मा, प्राइवेट लिमिटेड 106, दसवां माला, लेडी रत्न, टाटा मेडिकल एवं रिसर्च सेन्टर 31 महर्षि करवा मार्ग कुपरेज, मुम्बई,

महाराष्ट्र के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 260/2004 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियां एफ.आर.आर. नियमानुसार कता क़र तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

यूनानी चिकित्सकों की पदोन्नति

514. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि यूनानी चिकित्सकों की पदोन्नति हेतु समिति की बैठक वर्ष 1995 के पश्चात नहीं हो पायी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के अभाव में भनोत कमेटी द्वारा की गयी सिफारिशों के अन्तर्गत उप निदेशक व सहायक निदेशक, यूनानी के पदों की पदोन्नति नहीं हो सकी है? यदि हां, तो सरकार अब उक्त समिति की बैठक कब तक करवाने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इसका मुख्य कारण यूनानी चिकित्सकों का सही वरिष्ठता सूची तैयार नहीं होना रहा है।

(2) यह सही है कि सहायक निदेशक (यूनानी) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से पदोन्नति नहीं हो सकी है।

उप-निदेशक (यूनानी) के पद पर पदोन्नति सेवा नियमों में पद सम्मिलित नहीं होने से नहीं हो सकी है।

यूनानी चिकित्सकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है। अन्तिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन उपरान्त, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जावेगी।

श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

515. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।-

(1) क्या यह सही है कि श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) के नगरपालिका क्षेत्र में कृषि मंडी द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब तथा उक्त सड़क की कुल लम्बाई कितनी है तथा इसका निर्माण कराने में कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कराया गया था? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क आज भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो सरकार अब उक्त सड़क की मरम्मत कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीडूंगरगढ़ (सी-श्रेणी) द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में तीन सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया था। इन तीनों सड़कों की कुल लम्बाई 2.70 कि.मी. थी, जिन पर 9.68 लाख रुपये व्यय हुए थे। विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	निर्मित वर्ष	लागत (लाख रूपये
1.	सम्पर्क सड़क मस्जिद से सरदारशहर रोड़ तक	1.00	1985-86	2.93
2.	सम्पर्क सड़क इन्द्रचन्द छाजेड़ के घर से धोलिया गांव मार्ग तक	0.70	1985-86	1.26
3.	सम्पर्क सड़क मण्डी कार्यालय से कालू रोड़ तक	1.00	1988-89	5.49
	योग	**2.70**		**9.68**

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) जी नहीं। नगरपालिका द्वारा पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं करने के कारण मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है।

(3) जी हां। नगरपालिका द्वारा पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने पर सड़क पर मरम्मत कार्य कराया जा सकता है।

काश्तकारों से कृषि जिन्सों की सीधी खरीद के विरुद्ध प्राप्त ज्ञापन

516. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि उपजों को कृषि उपज मण्डी की बजाय काश्तकारों से सीधी खरीद के अधिकार दिये जाने के विरुद्ध व्यापारिक संगठनों एवं किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन या ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस संगठन से किस-किस दिनांक को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त ज्ञापनों में अंकित बिन्दुओं की समीक्षा करवाई गई या कोई कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया यदि हां, तो क्या व नहीं, तो प्राप्त ज्ञापनों पर अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों की मांगों, आई.टी.सी. कम्पनी के अनुज्ञापत्र की वैद्यता जारी रखने, इसे माह मार्च. 2005 से आगे बढ़ाने, आई.टी.सी. तथा इस प्रकार की अन्य कम्पनियों को अनुज्ञापत्र देने तथा संविदा खेती आदि विषयों पर अपनी अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6.12.2004 को समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

प्राप्त ज्ञापनों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	दिनांक	स्थान
1.	अति. महामंत्री राज. खाद्य व्यापार संघ	11.6.04	जयपुर
2.	अध्यक्ष ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेन्टस एसोसिऐशन	14.6.04	रामगंजमंडी
3.	अध्यक्ष ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्ट एसोसिऐशन	15.6.04	रामगंजमंडी
4.	अति. महामंत्री राज. खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर	16.6.04	जयपुर
5.	महामंत्री राज. खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर	18.6.04	जयपुर
6.	व्यापार मण्डल सूरतगढ़	19.6.04	सूरतगढ़
7.	केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति	19.6.04	अलवर
8.	अध्यक्ष व्यापार संघ बीकानेर	22.6.04	बीकानेर
9.	अध्यक्ष, व्यापार संघ	22.6.04	नोहर
10.	केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति, अलवर	22.6.04	अलवर
11.	सचिव ग्रेन मर्चेन्ट एसेशियसन	22.6.04	नोहर
12.	अध्यक्ष फूड ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिऐशन	23.6.04	हनुमानगढ़
13.	अध्यक्ष व्यापार मण्डल धानमण्डी बारां	23.6.04	बारां
14.	अध्यक्ष केकड़ी व्यापारिक एसोसिऐशन	23.6.04	केकडी
15.	अध्यक्षजी बीकानेर अनाज कमेटी श्री बीकानेर	23.6.04	बीकानेर
16.	अध्यक्ष ग्रेन एण्ड मर्चेन्टस एसोसिऐशन	23.6.04	भवानीमण्डी

क्र. सं.	संस्था का नाम	दिनांक	स्थान
17.	मंत्री, व्यापार मण्डल	23.6.04	चाकसू
18.	मंत्री, नवीन मण्डी व्यापार उद्योग मण्डल,	23.6.04	चौमूं
19.	महामंत्री श्रीगंगानगर कच्चा आढ़तिया संघ, श्रीगंगानगर	23.6.04	श्रीगंगानगर
20.	महामंत्री, राजस्थान खाद्य व्यापार संघ	23.6.04	जयपुर
21.	महामंत्री, व्यापार संघ नवीन मण्डी यार्ड	23.6.04	कुम्हेर
22.	व्यापार मण्डल	23.6.04	हनुमानगढ़ जंक्शन
23.	व्यापार मण्डल हनुमानगढ़	23.6.04	हनुमानगढ़
24.	केडलगंज, व्यापारिक संचालन समिति	23.6.04	अलवर
25.	कृषि मण्डी व्यापार मण्डल, नागौर	23.6.04	नागौर
26.	जिला अध्यक्ष व्यापार उद्योग प्रकोष्ठ, झालावाड़	23.6.04	झालावाड़
27.	जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी झालावाड़	23.6.04	झालावाड़
28.	श्री व्यापार मण्डल. उदयपुर	23.6.04	उदयपुर
29.	सचिव अजमेर होलसेल मर्चेन्टस एसोसिऐशन अजमेर	23.6.04	अजमेर
30.	सचिव व्यापार संघ हनुमानगढ़ जंक्शन	23.6.04	हनुमानगढ़ जंक्शन
31.	सचिव कोटा ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्टस एसोसिऐशन कोटा	23.6.04	कोटा
32.	सचिव श्री आढतिया संघ बूंदी	23.6.04	बूंदी
33.	सचिव ग्रेन मर्चेन्ट एसोशिऐशन	23.6.04	नोहर

क्र. सं.	संस्था का नाम	दिनांक	स्थान
34.	नई मण्डी व्यापार मण्डल, भरतपुर	23.6.04	भरतपुर
35.	अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नगर व्यापार प्रकोष्ठ	25.6.04	नोहर
36.	अध्यक्ष व्यापार मण्डल पीलीबंगा	29.6.04	पीलीबंगा
37.	डा. जे.एम. जैन भारतीय जनता पार्टी निम्बाहेड़ा	23.6.04	निम्बाहेड़ा
38.	अति. महामंत्री राजस्थान खाद्य व्यापार संघ	1.7.04	जयपुर
39.	अध्यक्ष व्यापार संघ रामगंजमण्डी	3.7.04	रामगंजमण्डी
40.	अध्यक्ष व्यापार संघ रामगंज मण्डी ग्रेन एण्ड	3.7.04	रामगंजमण्डी
41.	अध्यक्ष ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्टस एसोसिऐशन	3.7.04	रामगंजमण्डी
42.	महामंत्री. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ	6.7.04	जयपुर
43.	महामंत्री. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ	7.7.04	जयपुर
44.	महामंत्री. राजस्थान खाद्य व्यापार संघ	7.7.04	जयपुर
45.	महामंत्री. राजस्थान खाद्य व्यापार संघ	8.7.04	जयपुर
46.	महामंत्री. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापर संघ,	9.7.04	जयपुर
47.	अध्यक्ष व्यापर संघ, रामगंजमण्डी	17.7.04	रामगंजमण्डी
48.	महामंत्री राज. खाद्य व्यापार संघ	19.8.04	जयपुर
49.	अध्यक्ष ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्टस एसोशिऐसन	28.8.04	रामगंजमण्डी
50.	अति. महामंत्री राज.खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर	1.9.04	जयपुर
51.	अति. महामंत्री राज. खाद्य व्यापार संघ जयपुर	1.9.04	जयपुर
52.	अति. महामंत्री राज. खाद्य पदार्थ व्यापार संघ	3.9.04	जयपुर

क्र. सं.	संस्था का नाम	दिनांक	स्थान
53.	अध्यक्ष व्यापार संघ रामगंजमण्डी कोटा	3.9.04	रामगंजमण्डी
54.	अध्यक्ष मण्डी व्यापार मण्डल प्रतापगढ़	10.9.04	प्रतापगढ़
55.	महामंत्री राज. खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर	15.9.04	जयपुर
56.	महामंत्री राज. खाद्य व्यापार संघ	15.9.04	जयपुर
57.	कोटा ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्टस एसोसिएशन	15.9.04	कोटा
58.	अध्यक्ष पल्लेदार एसोसिएशन, भामाशाह मण्डी कोटा	16.9.04	कोटा
59.	अध्यक्ष श्री ग्रेन मर्चेन्टस एसोसिएशन अनूपगढ़	16.9.04	अनूपगढ़
60.	पल्लेदार महासंघ राजस्थान शाखा कृषि उपज मण्डी प्रतापगढ़	17.9.04	प्रतापगढ़
61.	अध्यक्ष मण्डी व्यापार मण्डल	17.9.04	प्रतापगढ़
62.	अध्यक्ष व्यापार मण्डल रावलामण्डी	17.9.04	रावलामण्डी
63.	अध्यक्ष व्यापार संघ रामगंजमण्डी	17.9.04	रामगंजमण्डी
64.	अध्यक्ष कृषि उपज थोक व्यापारिक संस्था	17.9.04	सोजत रोड
65.	उपमंत्री व्यापारिक एसोसिएशन बिजयनगर (अजमेर)	17.9.04	विजयनगर (अजमेर)
66.	उपाध्यक्ष व्यापार मण्डल, जैतसर	17.9.04	जैतसर
67.	व्यापार मण्डल धौलपुर	17.9.04	धौलपुर
68.	कृषि मण्डी व्यापार मण्डल नागौर	17.9.04	नागौर
69.	तौल कर्ता संघ कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़	17.9.04	प्रतापगढ़
70.	गल्ला व्यापार संघ कोटपूतली	17.9.04	कोटपूतली

क्र. सं.	संस्था का नाम	दिनांक	स्थान
71.	संभागीय संगठन सचिव राज. खाद्य पदार्थ व्यापार संघ	17.9.04	जयपुर
72.	ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्टस एसोसिएेशन	17.9.04	रामगंजमण्डी
73.	सचिव व्यापार मण्डल घड़साना	17.9.04	घडसाना
74.	अध्यक्ष मण्डी विकास समिति बाड़मेर	18.9.04	बाड़मेर
75.	अध्यक्ष श्रीकरनपुर व्यापार मंडल	18.9.04	श्रीकरनपुर
76.	अध्यक्ष भीलवाड़ा कृषि उपज खाद्यान्न व्यापार संघ	20.9.04	भीलवाड़ा
77.	मंत्री कोटा ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्टस एसोसिएेशन	20.9.04	कोटा
78.	व्यापार मण्डल धानमण्डी बारां	20.9.04	बारां
79.	श्री बीकानेर कच्ची आढ़त व्यापार संघ श्री बीकानेर अनाज कमेटी	20.9.04	बीकानेर
80.	भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रान्त तहसील बूंदी	21.9.04	बूंदी
81.	अध्यक्ष फूड ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएेशन हनुमानगढ़	22.9.04	हनुमानगढ़
82.	अध्यक्ष व्यापार मण्डल	22.9.04	श्रीविजयनगर
83.	अध्यक्ष व्यापार मण्डल, गजसिंहपुर	22.9.04	गजसिंहपुर
84.	अध्यक्ष मण्डी व्यापार मण्डल	23.9.04	प्रतापगढ़
85.	अध्यक्ष व्यापार मण्डल रावलामण्डी	23.9.04	रावलामण्डी
86.	अध्यक्ष श्री व्यापारिक एसोसिएेशन	23.9.04	विजयनगर
87.	सचिव व्यापार मण्डल, जैतसर	23.9.04	जैतसर
88.	सचिव ग्रेन मर्चेन्टस एसोसिएेशन	23.9.04	अनूपगढ़

क्र. सं.	संस्था का नाम	दिनांक	स्थान
89.	अवैतनिक मंत्री खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, जयपुर	24.9.04	जयपुर
90.	अध्यक्ष व्यवसाय मण्डल	24.9.04	कुम्हेर
91.	अध्यक्ष व्यापार मण्डल नई मण्डी हिण्डौन सिटी	24.9.04	हिण्डौन सिटी
92.	मण्डी व्यापार मण्डल गंगापुरसिटी	24.9.04	गंगापुरसिटी
93.	श्री व्यापार समिति खेड़ली	24.9.04	खेडली
94.	गल्ला व्यापार संघ	24.9.04	कोटपूतली
95.	संयुक्त व्यापार महासंघ बूंदी	24.9.04	बूंदी
96.	मंत्री श्री मदनगंज व्यापार मण्डल	25.9.04	मदनगंज
97.	अध्यक्ष भामाशाह धान फुटकर व्यापार संघ कोटा	N/A	कोटा
98.	अध्यक्ष मेडता व्यापार एवं उद्योग संघ	N/A	मेडता
99.	अध्यक्ष मेडता व्यापार संघ एवं उद्योग संघ मेड़ता सिटी	N/A	मेडता सिटी
100.	अध्यक्ष महिला मजदूर यूनियन	N/A	कोटा
101.	श्री जुगलकिशोर शर्मा, मेड़ता	N/A	मेडता
102.	सब व्यापारी	N/A	N/A

कृषि मण्डी समितियों के चुनाव

517. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कई वर्षों से कृषि मण्डी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलवाने हेतु कृषि मण्डी समितियों के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। चुनाव न होने की स्थिति में भी किसानों को मण्डियों में उनकी फसलों के नियमित विक्रय से उचित मूल्य दिलाया जाता है। राज्य की मण्डी समितियों में चुनाव करवाये जाने हेतु राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 में संशोधन कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 280 का विवरण)

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों का विवरण
1.	राप्रावि इसरवास	01
2.	राप्रावि डांगीवाड़ा	02
3.	राप्रावि भई	02
4.	राप्रावि करगेटा	01
5.	राप्रावि वेशमा	01
6.	राप्रावि डईला	01
7.	राप्रावि जोलावतफला	01
8.	राप्रावि सेदडीहर	01
9.	राप्रावि नानगा	02
10.	राप्रावि बनोडा	02
11.	राप्रावि डाल	02
12.	राप्रावि बागपुर	02
13.	राप्रावि सरवणी	02
14.	राप्रावि बरोलिया	02
15.	राप्रावि कालीपोल	02
16.	राप्रावि धावरी	01
17.	राप्रावि सेलपुर	01

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों का विवरण
18.	राप्रावि पावटी	01
19.	राप्रावि कागपुरा	02
20.	राप्रावि दांतरडी	02
21.	राप्रावि सिंघावली	02
22.	राप्रावि बोडला	02
23.	राप्रावि घाटिया	03
24.	राप्रावि कुण्डा	02
25.	राप्रावि काली नगरी	01
26.	राप्रावि कोठार	01
27.	राप्रावि बोरीं	01
28.	राप्रावि जोधपुर खुर्द	01
29.	राप्रावि वगारेचो का गुडा	01
30.	राप्रावि देवद	01
31.	राप्रावि सका गुडा	01
32.	राप्रावि नया ठापरा	03
33.	राप्रावि लिम्बोदा	02
34.	राप्रावि झिझणीकला	02
35.	राप्रावि झिझणी खुर्द	02
36.	राप्रावि भोपालपुरा	01
37.	राप्रावि खेराड	02
38.	राप्रावि टोडा	03
39.	राप्रावि बस्सी साम चोत	04

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों का विवरण
40.	राप्रावि बुजाडा	02
41.	राप्रावि भोपो का नामला	01
42.	राप्रावि परनेडा	01
43.	राप्रावि रोबा	01
44.	राप्रावि अमरा डूंगरी	01
45.	राप्रावि झल्लारा	03
46.	राप्रावि मेरो का गुडा	01
47.	राप्रावि काजावाडा	01
48.	राप्रावि भीमपुर	01
49.	राप्रावि ओडा	01
50.	राप्रावि म. का गुडा	01
51.	राप्रावि धोलगिरी का खेड़ा	01
52.	राप्रावि शेषपुर	03
53.	राप्रावि समोडा	01
54.	राप्रावि चेताणा	05
55.	राप्रावि कराकला	04
56.	राप्रावि पानकाबवडा	01
57.	राप्रावि गरडा	01
58.	राप्रावि छोटी बिरवा	02
59.	राप्रावि राजपुरा	01

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों का विवरण
60.	राप्रावि ईटालीखेडा	03
61.	राप्रावि बामनिया	03
62.	राप्रावि निचली मगरी	01
63.	राप्रावि देवली	01
64.	राप्रावि थोबावाडा	01
65.	राप्रावि धूल जी का गुडा	02
66.	राप्रावि बुडेल	05
67.	राप्रावि मेथूडी	01
68.	राप्रावि बांसा	01
69.	राप्रावि पिपया	01
70.	राप्रावि छीपर	01
71.	राप्रावि धोला मगरा	01
72.	राप्रावि खरका	05
73.	राप्रावि बडा तालाब	02
74.	राप्रावि कुकडा	01
75.	राप्रावि पन्चा	01
76.	राप्रावि जडाव	01
77.	राप्रावि मानपुर	01
78.	राप्रावि डवोका	01
79.	राप्रावि हडमतिया खुर्द	02
80.	राप्रावि हडमतिया कलां	01
81.	राप्रावि जाम्बुखेडा	01

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों का विवरण
81.	राप्रावि पावडा	01
82.	राप्रावि सेजला	01
84.	राप्रावि धोलपुरा	02
85.	राप्रावि महादेव खेड़ा	02
86.	राप्रावि भाणोर	03
87.	राप्रावि डसैहानो का खण्डेला	01
88.	राप्रावि राणावता वाडा	01
89.	राप्रावि हाकावाडा	01
90.	राप्रावि जवारडा	01

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उच्च प्रा. वि. में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	अध्यापकों का विवरण	
		द्वितीय श्रेणी रिक्त	तृतीय श्रेणी रिक्त
1.	राउप्रावि अमलोदा	-	02
2.	राउप्रावि आमलवा	-	01
3.	राउप्रावि बडी बिरावा	-	01
4.	राउप्रावि बरोड़ा	-	02

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	अध्यापकों का विवरण	
		द्वितीय श्रेणी रिक्त	तृतीय श्रेणी रिक्त
5.	राउप्रावि बस्सी जोयरा	-	01
6.	राउप्रावि बेडवल	-	01
7.	राउप्रावि बोरज	-	01
8.	राउप्रावि चितोड़ा	-	01
9.	राउप्रावि डगार	-	04
10.	राउप्रावि धारोत	-	01
11.	राउप्रावि गांधी चौक सलूम्बर	-	01
12.	राउप्रावि गावडापाल	-	01
13.	राउप्रावि गुड	-	01
14.	राउप्रावि ईडाणा	-	04
15.	राउप्रावि ईसरवास	-	02
16.	राउप्रावि जाम्बुडा	-	01
17.	राउप्रावि जोध निवास सलूम्बर	-	02
18.	राउप्रावि घाटी खेराड	-	01
19.	राउप्रावि कल्याणा	-	01
20.	राउप्रावि कडुणी	-	01
21.	राउप्रावि खजूरी	01	-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	अध्यापकों का विवरण	
		द्वितीय श्रेणी रिक्त	तृतीय श्रेणी रिक्त
22.	राउप्रावि खीरावाड़ा	-	01
23.	राउप्रावि खोडाव	-	01
24.	राउप्रावि मालपुर	-	02
25.	राउप्रावि मातासुला	-	02
26.	राउप्रावि मेथूडी	-	01
27.	राउप्रावि मोडपुरा	-	01
28.	राउप्रावि नयागांव	-	02
29.	राउप्रावि नोली	-	03
30.	राउप्रावि ओरवाडिया	-	04
31.	राउप्रावि पानी कोटडा	-	01
32.	राउप्रावि पारोडा	-	01
33.	राउप्रावि पायरा	-	02
34.	राउप्रावि पाल खण्डेल	-	01
35.	राउप्रावि रामद्वारा चौक सलूम्बर	-	01
36.	राउप्रावि सराडी	-	03
37.	राउप्रावि थडा	-	01
38.	राउप्रावि खरका तालाब	-	02
39.	राउप्रावि गर्गवाडा	-	01

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	अध्यापकों का विवरण	
		द्वितीय श्रेणी रिक्त	तृतीय श्रेणी रिक्त
40.	राउप्रावि माण्डली	-	02
41.	राउप्रावि साजनेात	01	-
42.	राउप्रावि अगतालिया (बालिका)	-	01
43.	राउप्रावि बस्सी झूंझावत(बालिका)	-	02
44.	राउप्रावि खोलडी (बालिका)	-	01
45.	राउप्रावि सेरिया (बालिका)	-	03
46.	राउप्रावि भबराणा (बालिका)	01	02
47.	राप्रावि मोईवाडा सलूम्बर शहरी क्षेत्र	-	02
48.	राप्रावि मोईवाडा द्वितीय	-	01
49.	राप्रावि वार्ड नं. 5 सलूम्बर	-	01
50.	राप्रावि सूरजपोल	-	01
51.	राप्रावि तुर्की दरवाजा	-	01
52.	राप्रावि समोडा (मावि)	01	03
53.	राप्रावि दोलपुरा	01	-
54.	उप्रावि महादेवखेड़ा	01	02
55.	उप्रावि हींकावाडा	01	02
56.	उप्रावि राणावतवाडा	01	02
57.	उप्रावि चौहानों का ख	01	02
58.	उप्रावि भाणोर	01	02
59.	उप्रावि जवारडा	01	02

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 281 का विवरण)

राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिलेवार स्त्री-पुरूष अनुपात निम्न प्रकार है

क्र. सं.	जिला	1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या
1	श्रीगंगानगर	873
2	हनुमानगढ़	894
3	बीकानेर	890
4	चूरू	948
5	झुंझुनूं	946
6	अलवर	886
7	भरतपुर	854
8	धौलपुर	827
9	करौली	855
10	सवाईमाधोपुर	889
11	दौसा	899
12	जयपुर	897
13	सीकर	951
14	नागौर	947
15	जोधपुर	907
16	जैसलमेर	821
17	बाड़मेर	892
18	जालौर	964

क्र. सं.	जिला	1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या
19	सिरोही	943
20	पाली	981
21	अजमेर	931
22	टोंक	934
23	बून्दी	907
24	भीलवाड़ा	962
25	राजसमंद	1000
26	उदयपुर	971
27	डूंगरपुर	1022
28	बांसवाड़ा	974
29	चित्तौड़गढ़	964
30	कोटा	896
31	बारां	909
32	झालावाड़	926

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बत्ती लाल (टोड़ाभीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की चिकित्सा व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सादड़ी में शल्य चिकित्सा, महिला रोग विशेषज्ञ एवं आई स्पेशलिस्ट के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

3. जिला बांसवाड़ा के पंचायत सेनावासा में चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. जिला बांसवाड़ा में ग्राम पंचायत केसरपुरा व जामली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

6. जयपुर शहर में चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

7. सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

8. निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की 13 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

9. निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

10. जिला बीकानेर के विभिन्न चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधारने, नये प्राथमिक स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. पी.बी.एम. हास्पिटल, बीकानेर में व्यापत अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

12. हिन्डौली विधान सभा क्षेत्र में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. परिवार कल्याण कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर) :

14. ग्रामीण चिकित्सा व स्वास्थ्य के घटते स्तर पर चर्चा के लिये।

15. मेडिकल कालेज अस्पतालों में चिकित्सा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

16. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सरकार द्वारा भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

17. गीजगढ़ चिकित्सालय में मातृ-शिशु कल्याण प्रभारी डाक्टर को नहीं हटाकर अन्य डाक्टर प्रभारी को हटाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

18. दौसा क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ की कमी से उप स्वास्थ्य केन्द्र बन्द होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकिशोर मीणा)

19. सिकराय क्षेत्र में नये चिकित्सालय तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूजरगढ़) :

20. सूरजगढ़ एवं बुहाना तहसील के चिकित्सालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द (नावां) :

21. नावां शहर के चिकित्सालय को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. ग्राम-लुणवा तहसील नावां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. नावां विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. नावां विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

25. चिकित्सालयों में रिक्त पद भरने व भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) :

26. जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पर्याप्त सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीबाड़ा) :

27. रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को भरने एवं गांव मणधर तथा डाडोकी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. रानीवाडा विधान सभा क्षेत्र के गांव तवाव व सुन्धामाता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

29. सीकर शहर में श्री कल्याण चिकित्सालय में विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर संबंधित विषय के विशेषज्ञों (चिकित्सकों) को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय भवन में नव निर्माण एवं सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

31. उप स्वास्थ्य केन्द्र रामसर का कुंआ, हेमानाडा (नोसर), केरलीनाडी आदर्श चना, जालीखेड़ा, सरणू चिमनजी के भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र भेड़ाना में किसी भी प्रकार के चिकित्साकर्मी यानि डाक्टर, कम्पाउण्डर, एलएचवी, एएनएम आदि का पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र सरणू में लम्बे अरसे से डाक्टर का पद रिक्त होने से मौसमी बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

34. राज्य में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

35. राज्य में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

36. राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर राजमार्गों पर चल चिकित्सालय कायम करने की महति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

37. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी को क्रमोन्नत, उच्चीकृत केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत एवं पंचायत मुख्यालय नेवठिया, मरमी, जाडाना, बानीणा, कोजून्दा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :

38. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के गांवों कांजीपुरा, मुण्डली, मिल्कपुर, रघुनाथपुरा बहराम का बास, बासदयाल, ईसरा का बास, रसनाली, भूरियावास, नरसिंहपुरा, मंगलवा आदि में उप स्वास्थ्य केन्द्र के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को ऐडपोस्टों में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के हाजीपुर तथा कराणा में अस्पतालों के भवन स्वीकृत राशि होने पर भी भवन निर्माण अधूरे रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के रामपुर कस्बे में डाक्टर का पद तथा बानसूर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में सर्जन का पद एक वर्ष से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. ग्राम चतरपुरा (बानसूर) तथा आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

43. विधान सभा क्षेत्र दीगोद में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने तथा सांगोद में महिला चिकित्सक (गाइनो) नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

44. ग्राम कुन्दनपुर तहसील दीगोद में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

45. नेशनल हाइवे नम्बर 11 जयपुर-सीकर मार्ग पर ट्रोमा अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

46. बगड़मेव तीराया पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. राजकीय रैफरल हास्पीटल, रामगढ़ (अलवर) में एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ (अलवर) में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

49. श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

50. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

51. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष द्वारा दी जाने वाली सहायता में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

53. नाथद्वारा नगर चिकित्सालय को विभाग के नियमानुसार 200 बैड की सुविधा हेतु बजट उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. नाथद्वारा नगर के चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सक एवं पेरामेडीकल स्टाफ के पद पर नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

55. पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में स्टाफ की कमी एवं नये अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

56. विधान सभा क्षेत्र दूदू के सभी पंचायत मुख्यालय पर सब-सेन्टर खोलने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय उरसेवा, कोरसीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. अजमेर रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित दूदू चिकित्सालय को सेटेलाइट हास्पिटल के रूप में क्रमोन्नत करने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. राजकीय चिकित्सालय ट्रोमा दूदू में ब्लड बैंक की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

59. नदबई तहसील में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. नदबई तहसील में चिकित्सकों एवं नर्सों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. नदबई तहसील के जीर्ण-क्षीर्ण भवनों में चल रहे उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

62. निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन निर्माण कराने, नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व अस्पतालों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की कमी को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. छोटी सादड़ी कस्बे में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने, निम्बाहेड़ा के "बी" श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

64. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाहेड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा को क्रमोन्नत करने व राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76, 79 व 113 के मध्य स्थित निम्बाहेड़ा नगर में ट्रोमा यूनिट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

65. राज्य के चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में सीटी स्केन, एम.आर.आई., गामा कैमरा आदि निजी इकाइयों द्वारा सरकार की तय शर्तों पर स्थापित करने की व्यवस्था नहीं होने से मरीज़ों को हो रही भारी असुविधा पर चर्चा के लिये।

66. प्रदेश में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को नहीं भरने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

67. निजी चिकित्सकों व निजी अस्पतालों में फीस का निर्धारण तथा इनका पंजीयन नहीं होने से प्रदेश में मरीजों का हो रहे आर्थिक शोषण की रोकथाम की स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. राज्य में यूनानी चिकित्सकों के 50 घोषित पद नहीं भरने व रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने तथा पृथक यूनानी विभाग नहीं खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. पूर्वी राजस्थान के सिंह द्वार लोहागढ़ व बृजमेवात क्षेत्र भरतपुर में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) :

70. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर के पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

71. ग्राम पंचायत फलवा घाटा क्षेत्र जो गुजरात की सीमा से लगता है में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

72. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरथूना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री जीतमल खांट)

73. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में 2000 की आबादी वाले राजस्व गांवों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

74. जिला बांसवाड़ा के अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति कार्य हेतु 1000 रुपये से अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

75. विधायक कोटे से राशि आबंटन के बावजूद जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में वेन्टिलेटर क्रय न किये जाने पर चर्चा के लिये।

76. पुरानी बस्ती जयपुर में हौम्योपेथिक चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंधी जिला जयपुर में पदस्थापित अंशकालीन वार्ड बाय को न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी नियमित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खेजड़ी बुजुर्ग (फागी) जयपुर में कार्यरत वार्ड बाय को न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी नियमित वेतन श्रृंखला न देने पर चर्चा के लिये।

79. जयपुर के राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

80. सामुदायिक केन्द्र रामगंजमण्डी को 100 बैड का सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नति व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेचट को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय अलोद व रानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

81. राज्य में नसबंदी के लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

82. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. सिरोही जिले के जापाल, पालडी (राय), मंडारव, सरूपगंज में चिकित्सकों के पद खत्म करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. सिरोही जिले में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

85. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर (उदयपुर) में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

86. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के विभिन्न चिकित्सालयों में सफाई की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. भीनमाल शहर के चिकित्सालय में मरीजों के ब्लड बैंक के अभाव में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के विभिन्न चिकित्सालयों में पड़े रिक्त पदों पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

89. होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हेतु अनुसंधान एवं सरकारी होम्योपैथी मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. होम्योपैथिक जैसी वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु अलग से निदेशालय खोलन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

91. विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में स्थित जोरावर सिंह गेट के पास सेटेलाइट अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

92. परबतसर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागोट में एम्बूलेंस (वाहन) उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. परबतसर तहसील मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. परबतसर निर्वाचन क्षेत्र में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन बनवाने एवं पूर्व में बने भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. परबतसर तहसील मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय को 100 शैया का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. परबतसर विधान सभा क्षेत्र में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांति लाल चपलोत (मावली) :

97. सनवाड़ तहसील मावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक के स्वीकृत पदों में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. साकेराकलां तहसील मावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. चित्तौडगढ़-उदयपुर स्टेट हाईवे रोड़ पर ग्राम फतहनगर में ट्रोमा हास्पिटल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

101. विधान सभा क्षेत्र करौली के चिकित्सालय में नेत्र रोग चिकित्सक का पद सृजन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र करौली में रिक्त चिकित्सकों के पदों की भर्ती हेतु चर्चा के लिये।

(श्री सुरेश मीणा)

103. विधान सभा क्षेत्र करौल में पर्याप्त चिकित्स सुविधा मुहैय करा ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीन रायण बैरवा (फागी) :

104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू व फागी को रैफरल होस्पिटल बनाने व चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने एवं महिल चिकित्सा अधिकारी (प्रसूति) लगाने की आवश्यकता पर च के लिये।

श्री नन्दल ल पूनिय (सादुलपुर) :

105. राजगढ़ (चूरू) में स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. राजगढ़ (चूरू) रैफरल अस्पताल में एनेस्थैटिक डाक्टर की नियुक्ति बाबत चर्चा के लिये।

107. राजगढ़ (चूरू) तहसील के गांव मगाड़ में सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. पी.पी. सेन्टर राजगढ़ (चूरू) को पुनः चालू करने की ावश्यक पर चर्चा के लिये

श्री काल चरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

109. जयपुर में मालवीय नगर सैक्टर नं. 6 में आवासन मण्डल द्वारा डिस्पेन्सरी हेतु भवन बनाने के बावजूद डिस्पेन्सरी न खो ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. जयपुर शहर में स्थित जयपुरिया हास्पीटल को जिला अस्पताल स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. प्रदेश में लिंग अनुपात में निरन्तर असन्तुलन के कारण अल्ट्रा उण्ड सोनोग्राफि जांच पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की ावश्यक पर चर्चा के लिये।

112. प्रदेश में चिकित्सकों के ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति होने पर भ उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में न जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

113. जयपुर शहर में बढ़ती जनसंख्या के अनुरुप एक और महिला चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

114. भाण्डारेज तथा सिकराय में होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. ग्राम डौलीका में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

116. जोधपुर संभाग में एड्स के मरीजों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. राजस्थान के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. जालोर जिला चिकित्सालय में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

119. जोधपुर शहर के चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. जयपुर के बाद जोधपुर शहर आबादी में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद भी एन्जियोग्राफी सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. जोधपुर शहर परकोटे के अन्दर स्थित जीर्ण-क्षीर्ण डिस्पेन्सरी को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. जोधपुर शहर के सभी अस्पतालों में गोज पट्टी, दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राईया मीणा (आसपुर) :

123. खण्डार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौथ का बरवाड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत एवं कुश्तला (स.मा) में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) :

124. बल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र में नये प्राथमिक चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

125. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन आपरेशन थियेटरों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. किशनगढ़ (अजमेर) की ग्राम पंचायत रूपनगढ़ एवं अराई मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) के आई.सी.यू. वार्ड के सफल संचालन हेतु अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ शहर में प्रसूति गृह की सुविधा एवं संबंधित पदों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

130. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में नये स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सेपऊ तहसील मुख्यालय पर रैफरल अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

132. धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर मिडवे के आसपास ट्रोमा होस्पिटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मालौनी खुर्द एवं ग्राम करीमपुर में नई डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के धौलपुर शहर में हाऊसिंग बोर्ड एवं धूणकोट मौहल्ला या सन्तररोड क्षेत्र में नई डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल का बाजार) :

135. सरकारी चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित आयु सीमा घटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

136. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में 1500 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. सिवाना क्षेत्र (बाड़मेर) के ग्राम दाखां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. सिवाना क्षेत्र के चिकित्सालयों में एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

139. बैराठ विधान सभा क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से विराटनगर कस्बे में स्थापित आई हास्पिटल में चिकित्सकों एवं स्टाफ के पद अब तक सृजित नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

140. बैराठ विधान सभा क्षेत्र में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई और रखरखाव के संबंध में चर्चा के लिये।

141. राज्य में जन्म दर में कमी किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

142. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा, मनोहरपुर और विराटनगर कस्बों में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

143. चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस किये जाने और मरीजों को लोकल दवाइयां लिखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

144. विधान सभा क्षेत्र फलासिया की राजकीय चिकित्सा इकाइयों में रिक्त चल रहे पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के विशाल वन क्षेत्र में बसे हुए आदिवासी वनवासियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के सी.एच.सी. कोटड़ा व सीएचसी झाडौल में स्त्री रोग विशेषज्ञ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

147. विधान सभा क्षेत्र बाली की सी.एच.सी. बाली में रोगियों के लिये 50 शैय्या को बढ़ाकर 100 शैय्या किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र बाली की पी.एच.सी. फालना को सी.एच.सी. में क्रमोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र बाली की पी.एच.सी. बेडा को सी.एच.सी. में क्रमोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम चामुण्डेरी में नवीन पीएचसी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा बाली के ग्राम सादलवाटीपरी मालारी, सादड़ा, गुढा कल्याणसिंह, चिम्नपुरा, वरावल फतापुरा व खेतरली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

152. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के सांभर तथा किशनगढ़-रेनवाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल व जोबनेर एवं फुलेरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति, फुलेरा में महिला चिकित्सक का समाप्त किया गया पद पुनसृजित करने तथा किशनगढ़-रेनवाल में एम.डी. (फिजिशियन) का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों की चिकित्सा स्थिति में सुधार, जांच सुविधाओं में विस्तार व खराब पड़े उपकरणों को ठीक कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. किशनगढ़-रेनवाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मरम्मत, नवीनीकरण एवं साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।

156. मैरिट के आधार पर संविदा पर नियुक्त किये गये चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के नियमितीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

157. मिलावटी खाद्य पदार्थों से जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ कार्यवाही करने पर विभाग विफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. राजकीय चिकित्सालयों में जांच कार्य निजी एजेन्सियों द्वारा करवाने के कारण आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

159. राज्य में मेडिकल स्टोरों पर फार्मसीस्ट नहीं होने से सही दवा नहीं देने से मरीजों को होने वाले नुकसान पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. राज्य में चिकित्सा कर्मियों का ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

161. सीकर जिले में ए.एन.एम. की भर्ती में अनियमिताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

162. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

163. राजकीय अस्पतालों में सफाई व्यवस्था की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल बाजार) :

164. जयपुर स्थित सेटेलाइट चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के वर्तमान में स्वीकृत पदों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. जयपुर शहर में जनसंख्या के अनुरुप होम्योपैथिक चिकित्सालयों की वर्तमान संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

166. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. राज्य सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. बांसवाड़ा के कुशलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव से ग्रामीण जनता को इलाज कराने में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. कुशलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

170. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे चिकित्सालयों में डाक्टर एवं स्टाफ के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

171. तारानगर विधान सभा क्षेत्रों में सी.एच.सी., पी.एच.सी. एवं सब-सेन्टर में महिलाओं एवं बच्चों के लिये अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. टी.बी., एड्स, अन्धता निवारण में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

173. राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल बाजार) :

174. राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी परिचारकों को न्यूनतम मजदूरी का विभाग द्वारा भुगतान नहीं करने एवं उन्हें नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सदस्य-सूची

गुरुवार, 7 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बयाना राजकीय चिकित्सालय (भरतपुर) में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं 343

श्री अध्यक्ष

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 का पारण 274

व्यवस्था

-कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 96

-विभागों आदि के प्रतिवेदन समय पर आने चाहिए 76

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि

-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की मण्डियों में कृषि उत्पादों से आय 335

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 165

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पद 16

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-रानीवाड़ा की मिसिंग लिंक सड़कें	375
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	162
श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-सूरतगढ़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्र	279
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	7
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
व्यवस्था	
-विभागों आदि के प्रतिवेदन समय पर आने चाहिए	77
व्यवस्था का प्रश्न	
-सदन पटल पर प्रतिवेदन रखने में विलम्ब	70
श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-कोटकासिम श्री कृष्ण गौशाला (अलवर) को अनुदान	411

नाम — पृष्ठ संख्या

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-थानागाजी के चिकित्सालयों में रिक्त पद 342

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-सीकर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद 355

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 116

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 208

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-पाली जिला परिषद में कार्यरत संविदा अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 390

-श्योपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय (सांगानेर) के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों द्वारा तालाबन्दी प्रकरण 389

श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), मंत्री

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

-राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड के 6 वार्षिक प्रतिवेदन (1995-2001) एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का सप्तम् प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 80

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
स्थगन प्रस्ताव	
-सबलाना ग्राम (जिला भरतपुर) में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार	45
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	260
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पद	19
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर में व्याप्त गड़बड़ियां	83
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन 2003-04	70
-मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03	70
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-तारानगर के ग्रामों हेतु पेयजल योजना	323
शिक्षा	
-तारानगर में छात्रों हेतु आबंटित कैरोसिन का अवैध बेचान	386
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	103

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु कार्यवाही	20
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	
-गड़रा रोड वितरिका का निर्माण कार्य	412
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	160
श्री जीतराम (मालपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नसबन्दी आपरेशन की असफलता के कारणों का निदान	350
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-बन्द लघु औद्योगिक इकाइयों का पुनर्संचालन	276
श्री जुबेर खान	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-यूनानी चिकित्सकों की पदोन्नति	420
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-अलवर जिले में हैण्डपम्प/बोरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें	31
स्थगन प्रस्ताव	
-सबलाना ग्राम (जिला भरतपुर) में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार	41

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पारम्परिक खेलों के विकास के लिए फण्ड उपलब्ध कराना	56
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि मण्डी समितियों के चुनाव	429
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-खेतड़ी के जनता जल योजनान्तर्गत चयनित ग्राम	316
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	152
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 की प्रस्तुति	96
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	239
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु कार्यवाही	20
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-गंगापुर सिटी की पेयजल समस्या के सुधार हेतु गठित समिति	326

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-ब्यावर में मलेरिया से मृत्यु	338
राजस्व	
-राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड	331
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-अलवर जिले में हैण्डपम्प/बोरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें	28
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-टिब्बी के कस्बा रावतसर में राजकीय महाविद्यालय	387
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-टिब्बी में शुद्ध पेयजल आपूर्ति	303
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अम्बाला-पाली सड़क मार्ग हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा	384
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	1

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	101
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-फुलेरा की क्षतिग्रस्त सड़कें	378
श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-खेरवाड़ा में दो नदी बांध के निर्माण बाबत	59
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बाली के विधायक अनुशंसा पर कराये गये निर्माण कार्य	11
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-पीपल्दा तहसील (कोटा) के गांवों की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान	311
श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-काश्तकारों से कृषि जिन्सों की सीधी खरीद के विरुद्ध प्राप्त ज्ञापन	422
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-सेमकौर ग्लास लिमिटेड कोटा का अग्नि दुर्घटना प्रकरण	310

नाम	पृष्ठ संख्या
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	190
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पोषाहार कार्यक्रम की समय पर निविदा जारी न होने बाबत	62
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
स्थगन प्रस्ताव	
-सबलाना ग्राम (जिला भरतपुर) में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार	42
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	98
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-कपासन में फसल बीमा से लाभान्वित कृषक	337
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-धौलपुर शहर की पुनर्गठित योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति	322
श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	221
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-फलासिया की क्षतिग्रस्त सड़कें	[illegible]

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री बाबूलाल नागर (दूदू), राज्य मंत्री

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना का कार्य शुरू न करने बाबत 60

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 155

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-जयपुर जिले के विद्यालयों में अध्यापकों का समानीकरण 280

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-अलवर जिले में हैण्डपम्प/बोरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें 30

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 123

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-औद्योगिक निवेश में वृद्धि हेतु नीति 287

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना 54

याचिका

-गढ़ गणेश से जलमहल (जयपुर) तक रोपवे बनाये जाने एवं जयपुर ग्रामीण में सैटेलाइट अस्पताल खोले जाने बाबत 81

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-सरदारशहर तहसील के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद 384

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री भरत सिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-सांगोद-कुन्दनपुर-पलायथा सड़क मार्ग का राज्य राजमार्ग में परिवर्तन 362

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-सांगोद-तहसील (कोटा) में सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहीत भूमि 288

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 212

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-बजरंग कालोनी (किशनगढ़) को परिसीमन में शामिल करने बाबत 57

याचिका

-किशनगढ़ (अजमेर) की ग्राम पंचायत तिलोनिया एवं पाटन में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने बाबत 81

-किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना 81

-किशनगढ़ (अजमेर) में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने बाबत 81

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण 421

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 198

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-श्रीडूंगरगढ़ में पेचवर्क कार्य [illegible]

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	1
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	3
श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	
स्थगन प्रस्ताव	
-सबलाना ग्राम (जिला भरतपुर) में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार	38
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	173
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	220
स्थगन प्रस्ताव	
-सबलाना ग्राम (जिला भरतपुर) में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार	45
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-गोगुन्दा पंचायत समिति (उदयपुर) में पुल निर्माण	377
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-कोटड़ा पंचायत समिति (उदयपुर) में साक्षरता कार्यक्रमान्तर्गत नियोजित शिक्षक	293

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बांदीकुई की ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण	365
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बसवा तहसील की पेयजल समस्या का समाधान	57
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	5
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	167
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा (चिकित्सा)	
-राजकीय महाराजा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर के चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही	413
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-बल्लभनगर में औद्योगिक भूमि का बेचान	309

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बडगांव क्षेत्र पंचायत (बल्लभनगर) में पेस्टीसाइड इंडिया को उद्योग हेतु आबंटित भूमि	34
श्री रमेश खींची (कठूमर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-ए.डी.एम. कार्यालय कठूमर के स्थानान्तरित कर्मी	335
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	184
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-नागौर जिले के कृषकों हेतु संकर बीज का निर्धारित मूल्य	275
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-सीकर में पेयजल व्यवस्था हेतु किये गये कार्य	315
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	138
याचिका	
-माध्यमिक विद्यालय गुंगारा एवं गोठड़ा भुकरान एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चारण का बास को क्रमोन्नत किये जाने बाबत	82

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बाली के विधायक अनुशंसा पर कराये गये निर्माण कार्य	12
व्यवस्था	
-विभागों आदि के प्रतिवेदन समय पर आने चाहिए	79
श्रीरामकिशोर मीणा (सिकराय)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	118
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बड़गांव क्षेत्र पंचायत (बल्लभनगर) में पेस्टीसाइड इंडिया को उद्योग हेतु आबंटित भूमि	34
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-बूंदी जिले में एनीकट निर्माण	397
स्थगन प्रस्ताव	
-बूंदी के पुलिस थाना देई में अनुचित जाति वर्ग के पीड़ित फरियादी द्वारा दर्ज प्रकरण में पुलिस कार्यवाही	36

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	127
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-पीलीबंगा में चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद	295
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-चौमूं के गांवों की गोचर भूमि पर अतिक्रमण	330
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बाली के विधायक अनुशंसा पर कराये गये निर्माण कार्य	15
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-विद्युत कनेक्शनों की अवैध शिफ्टिंग के नाम पर वसूली	58
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	214
श्री लालचन्द कटारिया (आमेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर हेतु आशुलिपिकों की नियुक्ति	327
सार्वजनिक निर्माण	
-रायसिंहनगर में स्वीकृत सड़कें	364

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पद	17
श्री विष्णु मोदी (मसूदा)	
व्यवस्था का प्रश्न	
-सदन पटल पर प्रतिवेदन रखने में विलम्ब	71
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	8
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	234
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-मावली (उदयपुर) में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति	362
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	200
व्यवस्था	
-विभागों आदि के प्रतिवेदन समय पर आने चाहिए	77
श्री श्रवणकुमार (पिलानी)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	225

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	141
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	6
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर में व्याप्त गड़बड़ियां	82
स्थगन प्रस्ताव	
-पत्रकारिता क्षेत्र में घोषित इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड का नाम परिवर्तित कर दिये जाने के सम्बन्ध में	37
डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-भीनमाल में विषय अध्यापकों के रिक्त पद	391
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	237
श्री समर्थ लाल (राजगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-अलवर जिले में हैण्डपम्प/बोरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें	30

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-अलवर जिले में हैण्डपम्प/बोरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें 28

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 266

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर में व्याप्त गड़बड़िया 85

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-पोषाहार कार्यक्रम की समय पर निविदा जारी न होने बाबत 69

व्यवस्था का प्रश्न

-सदन पटल पर प्रतिवेदन रखने में विलम्ब 74

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 120

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

अनुदान की मांग

-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार 178

तारांकित प्रश्नोतर

उद्योग

-पाली जिले में शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री.रोजगार योजनान्तर्गत ऋण 3

शिक्षा

-सलूम्बर के विद्यालयों में रिक्त पद 199

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-करौली अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये गये निर्माण कार्य	372
श्री सुशील कटारा (चौरासी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-चौरासी के चिकित्सालयों हेतु मूलभूत सुविधाएं	285
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-जोधपुर शहर के उपभोक्ता भण्डारों का निरीक्षण	345
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	203
श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
शिक्षा	
-दौसा जिले के पंचायत मुख्यालयों पर स्थित वाचनालय	387
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-हिण्डौली तहसील क्षेत्र की काबिल काश्त भूमि का किस्म परिवर्तन	332

नाम	पृष्ठ संख्या
शिक्षा	
-श्योपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय (सांगानेर) के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों द्वारा तालाबन्दी प्रकरण	389
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-अलवर जिले में हैण्डपम्प/बोरिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें	32
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पोषाहार कार्यक्रम की समय पर निविदा जारी न होने बाबत	64
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-जयपुर-नागौर सड़क मार्ग की मरम्मत	373
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	134
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
अनुदान की मांग	
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई-मांग संख्या 26 पर विचार	148
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-भीम की अपूर्ण सड़कें	279
श्री हीरालाल (बामनवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-मोरेल सागर बांध की नहरों हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा	411

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-पाली जिले के शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण	4
राजस्व	
-बारां जिले में श्मशान स्थल हेतु भू-आबंटन	9
याचिका	
-केलवाड़ा (बारां) स्थित सीताबाड़ी को पर्यटन मानचित्र पर लेने बाबत	82